खण्ड-363, अंक-3
सोमवार, 14 भाद्रपद, शक संवत् 1905
(5 सितम्बर, 1983 ई0)

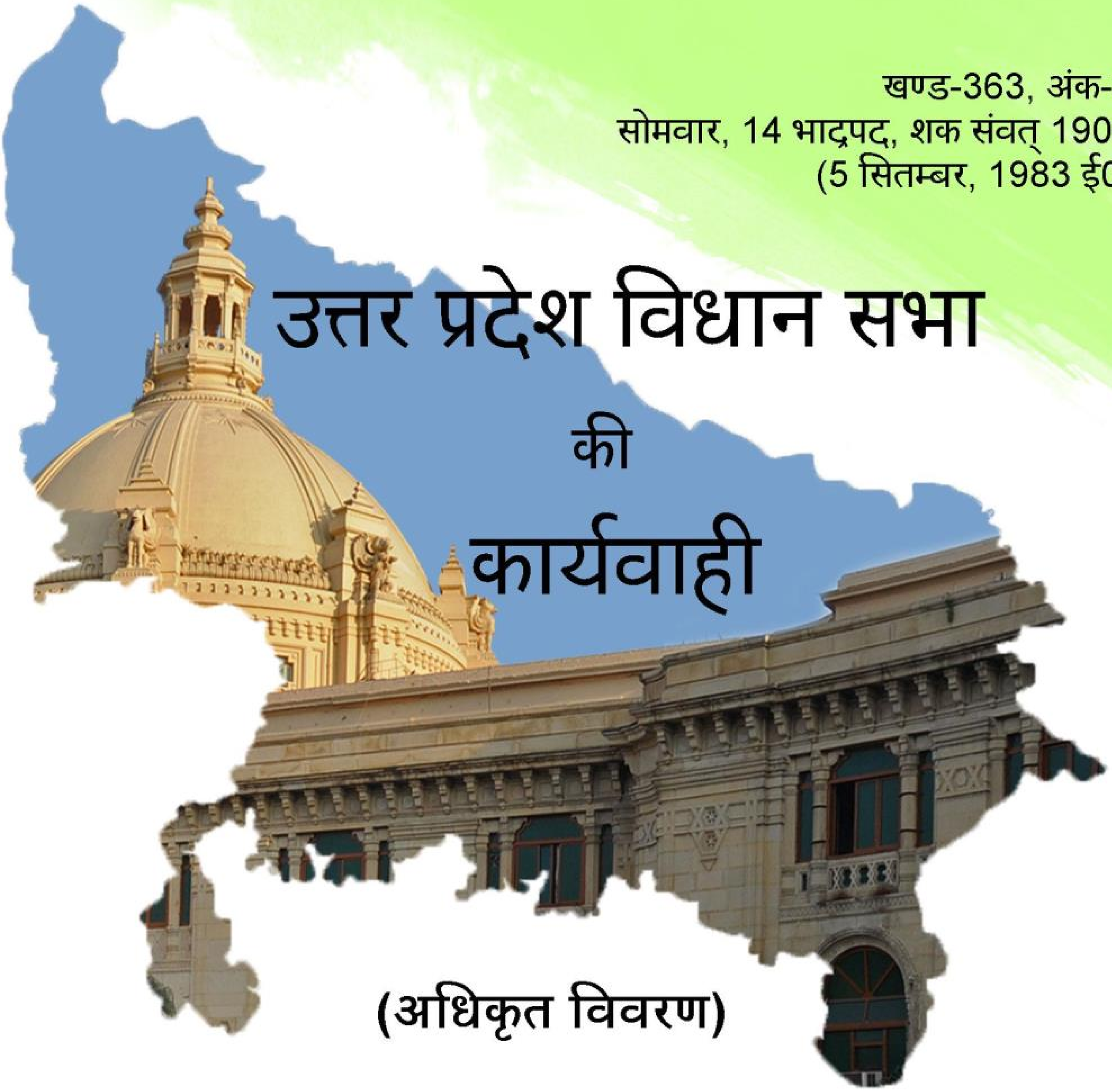

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 363 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	385-389
प्रश्नोत्तर	391-496
भूतपूर्व सदस्य, श्री अवधेश प्रताप सिंह के निधन पर शोकोद्गार ..	496-498
नेता विरोधी दल के स्थान पर श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा शोक संवेदना पर भाषण देने के सम्बन्ध में आपत्ति ..	498
ईंट निर्माताओं में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	498-499
जनपद कानपुर (देहात) के शिवली क्षेत्र में नील गायों के शिकार से व्याप्त रोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	499
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा प्रस्तावित आन्दोलनों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	499-500
कतिपय वाहनों के परमिटों के नवीनीकरण रोक दिये जाने से उत्पन्न बेरोजगारों की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना..	500
उन्नाव जनपद के हसनगंज निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड, औरास, हसनगंज तथा नवाबगंज में विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत होने वाले कार्यों को पूरा न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	501
माननीय सदस्यों द्वारा जारी किये जाने वाले विविध प्रकार के प्रमाण-पत्रों की वैधता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	501-502
बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु गठित समितियों में विपक्ष के सदस्यों को प्रतिनिधित्व न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	503-506
श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना	506
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (1982-83) का सत्रहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	506-507
हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री के विरुद्ध श्री राम आसरे वर्मा द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	507-508
राज्य मंत्री हरिजन एवं समाज कल्याण के विरुद्ध श्री गोपी नाथ वर्मा द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	508-509

विषय	पृष्ठ-संख्या
गोरखपुर के सी0 ओ0, सिटी श्री चन्द्रिका राय तथा कोतवाल इन्सपेक्टर, श्री लोकनाथ यादव के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	509–511
श्री राम हर्ष राय व श्री हरी किशन श्रीवास्तव द्वारा दल परिवर्तन की सूचना	511–512
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 (पुरःस्थापित किया गया) ..	512
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1983 के पुरःस्थापन पर आपत्ति ..	512–513
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	514–527
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 1983 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	527–560
उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 के आनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1983 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) ..	560–572
उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् विधेयक, 1982 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) ..	572–621
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	621
अवध विश्वविद्यालय, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, गढ़वाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रबन्धक बोर्ड/सभा में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना	621–622
वित्तीय वर्ष 1983–84 के प्रथम अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किये गये)	622
वित्तीय वर्ष 1979–80 के अतिरिक्त अनुदान (प्रस्तुत किये गये) ..	622
प्रदेश में प्रचलित बंधुआ मजदूरी की प्रथा समाप्त न होने तथा खेत मजदूरों की मजदूरी की दरों को लागू करने की मांग पर मजदूरों के प्रति अत्याचार तथा महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा ..	623–637
नस्थियां	639–677

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 5 सितम्बर, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 379

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई) (बेगम एजाज रसूल)
कुबेर मंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव एडवोकेट, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्द्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)

गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्दर सिंह, श्री (मेरठ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नारायण, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
नार्वन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
फर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनीराम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)

बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भोखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (गाजियाबाद)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (गोंडा) (उर्फ शबरोज)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा (आगरा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)

राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुवंर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायन एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नरायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप बर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (इलाहाबाद)
(उर्फ मणि जी)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यासागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कटियाल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायण सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढवाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नारायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (बाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)

सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (गाजियाबाद) (उर्फ मुन्नो)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरनारायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकुम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द्र निमेष, श्री (मेरठ)

विधान सभा सचिवालय

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 5 सितम्बर, 1983

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

गाजियाबाद के प्राइमरी स्कूलों की सहायक अध्यापिका श्रीमती कमला देवी शर्मा तथा अन्य अध्यापिकाओं का वेतन भुगतान न होने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*1--श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'--

क्या शिक्षा मन्त्री को मेरठ और अब गाजियाबाद के प्राइमरी स्कूलों की सहायक अध्यापिका श्रीमती कमला देवी शर्मा तथा उनकी सहयोगी अध्यापिकाओं के, जो गाजियाबाद के लोनी, बेहटा, मिस्तौली प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत रही हैं, सन् 1974 से 1977 तक के बकाया वेतन की 22,014.01 रु0 की धनराशि के अब तक भुगतान न होने की अगस्त, 1982 के तीसरे सप्ताह में कोई शिकायत उन्हें प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

प्रश्न में संदर्भित शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

श्री जिया राम शुक्ल 'विकल साकेती'--

मान्यवर, यह मन्त्री जी का उत्तर ऐसा लगता है जैसा कि किसी तांत्रिक ने लिखाया हो । 'प्रतीत नहीं होता' इसका स्पष्ट उत्तर होना चाहिये जहां तक मुझे जानकारी है, भूतपूर्व विधान सभा के उपाध्यक्ष, श्री राम नारायण त्रिपाठी ने एक पत्र शिक्षा विभाग को दिया था लेकिन इसका प्रमाण मेरे पास नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगी और सम्बन्धित अध्यापिकाओं का जो बकाया वेतन है उसका भुगतान करायेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, पहले तो मैं माननीय सदस्य ने जो तंत्र मंत्र की बात कही है, उसका उत्तर देना चाहती हूं । जो प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता, यह सही लिखा गया है । हिन्दी भाषा की डिक्शनरी के अनुसार जो है हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसके माने है कि हो सकता है कि उन्होंने भेजा हो, लेकिन मेरे पास उपलब्ध नहीं है इसको हम कैटेगोरिकली नहीं कह सकते कि उन्होंने भेजा नहीं है, लेकिन मुझे प्राप्त नहीं हुआ है । दूसरी बात उन्होंने जांच की कही तो म कहना चाहती हूं कि इस विषय में जांच हो रही है और यह प्रयास किया जा रहा है कि शीघ्रातिशीघ्र जिन अध्यापिकाओं का वेतन बकाया है वह उनको मिल जाय ।

संस्थागत और व्यक्तिगत हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षाओं के अघोषित परीक्षाफल

*2--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की संस्थागत और व्यक्तिगत हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षाओं के वर्ष 1980-81 एवं 1982 के कितने परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनके परीक्षाफल अभी तक घोषित नहीं किये गये हैं ? इस विलम्ब का क्या कारण है तथा उक्त अघोषित परीक्षाफल कब तक घोषित हो जायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

28 फरवरी, 1983 की स्थिति के अनुसार वर्ष 1980 के 575, 1981 के 4706 तथा 1982 के 4316 रुके परीक्षाफलों पर निर्णय होना शेष था। अपेक्षित विधिक एवं न्यायिक औपचारिकताओं में समय लगने के कारण उक्त प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब हुआ। नियमानुसार अपेक्षित न्यायिक औपचारिकतायें पूर्ण होने पर इन पर निर्णय लेना संभव होगा।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, परीक्षाफल को निकलने में 3 साल से अधिक का समय लग गया तो मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि कितने ऐसे मामले हैं जिनमें न्यायिक औपचारिकतायें बाकी हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जो मुझे सूचना मिली है उसके अनुसार मैं आपको सूचित करना चाहती हूं कि 1980 की स्थिति 519 की है, इसको आप संशोधित कर लें और 1981 की स्थिति 4426 और 1982 की स्थिति 5919 है। लाखों की संख्या में विद्यार्थी बैठते हैं और हमारे अधिकारियों ने बड़ी हिम्मत के साथ उनका निपटारा किया है। बहुत से मामले इस कारण अनिर्णीत पड़े हुए हैं कि छात्रों को जो प्रमाण-पत्र देना चाहिए था उनको उन्होंने नहीं दिया है। जब उनको बुलाया जाता है या एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है तो वह उपलब्ध नहीं कराते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि डब्लू० ए० के अन्तर्गत सचल दस्ते द्वारा जिन लड़कों को पकड़ा गया है उनमें से केवल एक केस रह गया है। जांच में जो अभ्यर्थी होते हैं उनका कोआपरेशन नहीं मिलता है।

उन पर चार्जशीट दी जाती है और जब उनका उत्तर नहीं आता है तो उनको पेशी पर बुलाया जाता है। इस वजह से देरी हो जाती है। इसके अलावा डब्लू० बी० के अन्तर्गत परीक्षक और निरीक्षक की आख्या जिनमें अनुचित साधन प्रयोग करने के बारे में लिखी होती है उनमें तीन वर्षों में केवल एक केस है। तथ्य गोपन के हमारे पास 2364 केसेज हैं जिनमें 2307 रह गये हैं

(व्यवधान)

आप सुनिये। जो हमने काम किया है और उन पर कार्यवाही की है उन्हें हम क्यों न बतायें मान्यवर, मुझे इस बात का अभिमान है कि हमने पिछली बार सन् 1980 में जो कार्यवाही की है।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

हमने समय से परीक्षाफल घोषित किये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

जो प्रश्न किया जाय उसका उतना ही उत्तर दिया जाय ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैं उत्तर दे रही हूं । हमने जो कार्यवाही की है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं । आप बैठें मैंने सूबेदार सिंह को बुला लिया है ।

श्री सूबेदार सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके उत्तर के हिसाब से दो प्रकार के मामले हुये एक प्रकार के तो वे हैं जिनमें न्यायिक औपचारिकताओं की पूर्ति होनी है और दूसरे प्रकार के वे हैं जिनमें न्यायिक औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है । तो मैं जानना चाहता हूं कि जिनमें न्यायिक औपचारिकताओं की पूर्ति होना आवश्यक नहीं है उनके परीक्षा-फल कब तक घोषित कर दिये जायेंगे और जिनमें न्यायिक प्रक्रिया चल रही है उनमें परीक्षाफल घोषित होने में कितना समय और लगेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यह जितने केसेज हैं वे सब न्यायिक हैं । न्यायिक का मतलब हाई कोर्ट नहीं है । न्यायिक प्रक्रिया का मतलब उनमें अभी कार्यवाही पूरी नहीं हुई है । मैं आपको बता रही थी कि जो सबसे बड़ा केस है चिरौली संस्था फर्रुखाबाद का है । यह बड़ा दिलचस्प केस है । इस परीक्षा केन्द्र में जनवरी, 1982 में एडमिशन हुये और वह भी बिना डी0 आई0 ओ0 एस0 की परमीशन के हुये । उसमें तथ्य गोपन के कुछ केस हैं अभी उनमें डिसोजन होना बाकी है । ऐसे 2307 केसेज हैं । जो डब्लू0 एफ0 के केसेज हैं यानी कापी नष्ट करके भाग जाने के, वे केवल 18 हैं । उदंड क्रियाओं के अगेंस्ट और इस तरह के जो अन्य केसेज हैं, वे निल हैं । इसके अतिरिक्त पिछले परीक्षाफल के अनिर्णीत प्रकरण हैं वे 1099 हैं । मुझे खुशी है कि पिछले परीक्षाफलों में ऐसे सिर्फ एक केस को छोड़कर बाकी सब में निर्णय हो चुका है । उस पर भी तुरन्त कार्यवाही हो जायेगी । इसके अतिरिक्त कुछ केसेज ऐसे हैं जिनमें शुल्क जमा नहीं हुआ है । बिना परीक्षा शुल्क दिये कैसे परीक्षाफल घोषित किया जा सकता है ऐसे 496 केसेज हैं । शुल्क जमा कर देने पर उनका परीक्षाफल घोषित कर दिया जायेगा । जो विचाराधीन मामले हैं वे केवल 35 रह गए हैं ।

श्री पंचानन राय--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे जैसे कि इन्होंने कहा। सन् 1981-82 में 11 हजार लड़कों का परीक्षाफल घोषित होना है जिनमें न्यायिक औपचारिकतायें पूरी करनी हैं। न्यायिक औपचारिकतायें तो सभी में आवश्यक हैं। मैं जानना चाहता हू कि जिन लड़कों के बारे में अभी निर्णय नहीं हुआ है और उन पर निर्णय लेने के लिए जो समिति बनी है उसके समक्ष इन परीक्षाफलों को प्रस्तुत कर दिया गया है या अभी तक जांच के उपरान्त उस समिति के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इसकी सूचना मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी। लेकिन जितना जरूरी है और जितनी चिन्ता आप लोगों की है उससे ज्यादा चिन्ता मुझे भी अपने इन बच्चों के बारे में है। अध्यक्ष महोदय के सम्मुख मैं इस बात का आश्वासन देती हूं कि तुरन्त नियमानुसार कार्यवाही करके जो परीक्षाफल रुके हुये हैं, उनको घोषित करने की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र की जायेगी। उसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिये।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, यह सवाल मैंने 3-12 1982 को पूछा था और 4-4-1983 को निर्धारित हुआ था उस समय कहा गया था कि सूचना एकत्रित की जा रही है और आज भी कह रही हैं कि मुझे जानकारी नहीं है। 10 हजार से अधिक छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। माननीय मंत्री जी ढोंग रचती हैं कि मैं विद्यार्थियों की शुभचिन्तक हूं लेकिन उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। इसलिए इस महत्वपूर्ण सवाल को स्थगित करके फिर जवाब मांगा जाय ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है आज मैंने पूरी सूचना एकत्रित करके रख दी है और इस बात का आश्वासन देती हूं कि तुरन्त नियमानुसार कार्यवाही करके अगर छात्र कोआपरेट कर दें जैसे उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा या पेशी के लिए बुलाया और वह नहीं आये तो हम क्या कर सकते हैं। मान्यवर, लाखों की संख्या में छात्र बैठते हैं, यह सबसे बड़ी परीक्षा है उसमें 10 हजार छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा नही है।

श्री ऊदल--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को ज्ञात है कि नियमित परीक्षार्थियों की सख्या 1982 में 32 हजार और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की संख्या 10 हजार से ऊपर है और इस प्रकार करीब 50 हजार छात्रों की संख्या है। तो क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगी और उनका निस्तारण शीघ्र करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यह मैंने अप-टू-डेट जो सूचना प्राप्त हुई रख दी है इनकी यह 50 हजार की संख्या बहुत पुरानी हो चुकी है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, यह प्रकरण हर वर्ष सदन में आता है और इसकी एक ही दवा है शिक्षा परिषद् का विकेन्द्रीकरण करना। क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी इसका विकेन्द्रीकरण करेंगी ?

श्री अध्यक्ष--

इसकी मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । यह इससे सम्बन्धित नहीं है ।

*3--श्री शंकर सिंह--

[नियम 38 (2) के अन्तर्गत 1ले बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 पर स्थानान्तरित ।]

स्कूलों में पुष्ट आहार योजना की मांग

*4--श्री रेवतीरमण सिंह--

क्या सरकार छोटे बच्चों के लिए पुष्ट आहार की योजना सभी स्कूलों में लागू करेगी, जैसा कि तामिलनाडु की सरकार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं । क्योंकि प्रदेशीय सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की कमी है ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, तामिलनाडु जैसे छोटे प्रदेश में तथा कर्नाटक ने यह योजना लागू कर दी है और हमारा इतना बड़ा प्रदेश है । इसमें क्या दिक्कत है कितना खर्च इसमें लगेगा इसका कोई हिसाब लगाया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, तामिलनाडु में यह अवश्य लागू है वहां 15-4-83 से अरबन और 1-7-82 से रूरल एरियाज में चालू हुई लेकिन हमारे यहां 51 जनपदों में फर्रुखाबाद, बिजनौर, मथुरा, बदायूं तथा मुजफ्फरनगर को छोड़कर यह चलाई जा रही है । इस योजना में करीब 8 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं । इस योजना का 1982-83 का आयोजनेत्तर पक्ष का 1, 30,94,000 तथा विशेष पुष्टाहार में 56 लाख 37 हजार रुपये, बालाहार में 21 लाख 50 हजार रुपये और 9 लाख 72 हजार रुपये पुष्टाहार का है । इस समय प्राइमरी स्कूल के बच्चे लगभग एक करोड़ 10 लाख के हैं तो इसमें करोड़ों का खर्चा प्रतिवर्ष आ सकता है जिसके लिए शासन के पास अभी साधन नहीं हैं ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैंने पूछा था कि पूरे प्रदेश में पुष्टाहार योजना क्या लागू किया है और कम्पलसरी लागू किया है । इस प्रश्न का मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया और अंदाज से बता दिया कि करोड़ों रुपये लागेगा । मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि कितना रुपया लगेगा और स्टेट के पास जो साधन हैं उसको उसमें क्यों नहीं लगाया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

उत्तर तो दे दिया कि करोड़ से ज्यादा खर्चा आयेगा ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मैंने पूछा था कि प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूलों में यह योजना लागू की जाये तो कितना पैसा लगेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जितने प्राइमरी स्कूल हैं उनके बच्चों के ऊपर समान रूप से यह व्यवस्था लागू की जाती है तो बालाहार योजना में कम से कम 33 करोड़ 84 लाख प्रतिवर्ष खर्चा हो सकता है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

प्रदेश के जिन जिलों में योजना लागू है वहां के सम्पूर्ण प्राइमरी स्कूल के बच्चों पर लागू है या कुछ में यदि लागू है तो उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है ? इसमें जिलेवार कितना खर्चा आयेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह योजना सभी बच्चों पर लागू नहीं होती है और यदि सभी बच्चों को दी जाये तो 33 करोड़ 84 लाख रुपये खर्चा आयेगा।

जिलेवार के लिए अलग से प्रश्न कर तो मैं उनकी सूचना दे दूंगी।

दूसरी बात इसका संचालन जिले से सम्बन्धित बेसिक शिक्षा अधिकारी और उनके नीचे जो एस0 डी0 आई0 होते हैं वह संचालन करते हैं।

श्री मित्रसेन--

मैं जानना चाहता हूं कि पुष्टाहार योजना को जिलों में लागू करने में भेदभाव क्यों बरता गया है, पुष्टाहार योजना विद्यालयों में लागू करने का मानक क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यह सभी बच्चों को नहीं दिया जाता है बल्कि इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि जो गरीब और हरिजन बाहुल्य विद्यालय हों वहां यह दिया जाये। इसके लिए एक चयन समिति होती है जिसमें मान्यवर, विधायक भी सदस्य हैं।

[सोमवार, 5 सितम्बर, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

एन0 सी0 सी0 संगठन में कार्यरत एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों (सिविलियन) का वेतनमान

*1--श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री खैरुल बशर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वेतन आयोग द्वारा संस्तुति किये जाने के बाद भी एन0 सी0 सी0 मुख्यालय में कार्यरत एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों (सिविलियन) को द्वितीय श्रेणी का राजपत्रित पद एवं वेतनमान नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां। एन0 सी0 सी0 संगठन में कार्यरत एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों (सिविलियन) को वेतन आयोग द्वारा अधीनस्थ राजपत्रित सेवा की श्रेणी में वेतनमान 690-1420 रु0 संस्तुत किया गया है, जो उन्हें दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीया शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेगी कि पे-कमीशन की सिफारिश से पूर्व इनका वेतनमान क्या था और पे-कमीशन द्वारा जो वेतनमान लागू किया गया है वह उनको कब से दिया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इनको 1965 से पूर्व 250-500 रुपये का वेतन मान दिया जाता था। 1965 से इनको 250-550 का वेतन मान दिया जाने लगा। फिर अगस्त, 1972 से 400-750 कर दिया गया। पे कमीशन ने जो संस्तुति की वह इनके लिये 690-1420 रुपये की की और इन पदों को राजपत्रित कर दिये जाने की सिफारिश की। तदनुसार इनको 1 जुलाई, 1979 से यह 690-1420 वाला वेतनमान दिया जा रहा है।

श्री खैरुल बशर--

पे कमीशन की संस्तुतियों को मान लेने के बाद भी इन लोगों को नया वेतन मान नहीं दिया जा रहा है। क्या सरकार आश्वासन देगी कि उनको नया वेतन मान तुरन्त दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो माननीय सदस्य मुझे लिख कर दे दें, मैं उसकी जांच करा लूंगी और अगर नया वेतनमान नहीं मिल रहा है तो वह मिलेगा।

कमला महेश्वरी आर्य कन्या, कालेज मिर्जापुर में पेंटिंग प्रवक्ता के पद पर कुमारी किरन बाला श्रीवास्तव के चयन का आधार

*2--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि कमला महेश्वरी आर्य कन्या, कालेज मिर्जापुर में पेंटिंग प्रवक्ता के पद पर दिनांक 11-1-81 को कुमारी किरन बाला श्रीवास्तव का चयन कुलपति द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों द्वारा किया गया था और प्रवक्ता को विश्वविद्यालय अनुमोदन के तहत सचिव के टेलीग्राम द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया गया था ? क्या यह सही है कि आज तक प्रवक्ता का अनुमोदन हेतु कागजात विश्वविद्यालय गोरखपुर नहीं भेजा गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस सन्दर्भ में विधायकगण ने शिक्षा मंत्री को सम्बोधित पत्र 29-3-82, शिक्षा सचिव को वेतन भुगतान एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय, कागजात भेजवाने हेतु पत्र दिया था ? यदि हां, तो आज तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां। किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन नहीं दिया जा सका था क्योंकि कालेज द्वारा अनुमोदन सम्बन्धी प्रपत्र नहीं भेजे गये।

जी हां।

विश्वविद्यालय द्वारा लिखने के बावजूद भी कालेज ने नहीं भेजा।

जी हां।

शिक्षा सचिव द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय से पत्र भेज कर आख्या मांगी गई थी । विश्वविद्यालय ने कालेज को अनुमोदन सम्बन्धी प्रपत्र भेजने के लिय पुनः लिखा था किन्तु कालेज ने अनुमोदन सम्बन्धी प्रपत्र अभी तक नहीं भजे हैं ।

श्री राधेश्याम पटेल--

मैं यह जानना चाहता हूं कि कुमारी किरण बाला श्रीवास्तव को कब पद भार ग्रहण कराया गया और किस आधार पर उनको पद भार ग्रहण करने दिया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, कुमारी किरनबाला श्रीवास्तव को जो एप्वाएन्टमेन्ट दिया गया था, प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव के अनुसार वह 1-12-80 को ढाई महीने के टैम्प्रेरी एप्वाएन्टमेन्ट के रूप में दिया गया था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विश्वविद्यालय और शासन द्वारा एक से अधिक बार अनुस्मारक देने के बावजूद भी प्रबन्ध समिति ने प्रपत्र नहीं भेजे हैं, तो मंत्री जी ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? क्योंकि कालेज का वित्तीय अरेंजमेन्ट तो शासन द्वारा होता है । तो क्या कोई वित्तीय दबाव उन पर दिया गया कि वह यथाशीघ्र विश्वविद्यालय को सम्बन्धित प्रपत्र भेज दें, जिससे वांछित कार्यवाही की जा सके ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इस विषय में दो प्रकार की प्राबलम्स हैं, दो पहलू हैं । एक तो कुमारी किरनबाला श्रीवास्तव का यह टैम्प्रेरी एप्वाएन्टमेन्ट था, जिसे प्रबन्ध समिति ने स्वीकार किया है और जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को भेजी है इस ढाई महीने में उन्होंने 3 महीने काम किया और छुट्टियों में भी वह रहीं, फिर उनकी सर्विसें समाप्त कर दी गई । बार-बार जिस चीज के लिए कहा जाता है कि वहां से प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव आ गया कि इनका एप्वाएन्टमेन्ट कर दिया गया है और इस पर विश्वविद्यालय अपना अनुमोदन प्रदान करे, तो इनका जो चयन हुआ, वह कमेटी अवैधानिक थी, इसलिए इनका चयन भी अवैधानिक हुआ है अतः कोई प्रस्ताव भेजने का प्रश्न नहीं है । तो जब परीक्षण किया गया तो तथ्य यह है कि चयन समिति ने विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 31 (4-घ) के अनुरूप चयन समिति में प्रबन्धक समिति का चेयरमैन या उसका नामिनी, एक प्राचार्य, एक अध्यापिका नामिनेटेड बाई प्रिंसिपल और दो एक्सपर्ट्स होने चाहिए । इस कमेटी में न चेयरमैन थे, न उनका कोई नामिनी था, न कोई प्राचार्य था और न कोई अध्यापिका ही थी । चयन समिति में केवल दो एक्सपर्ट्स थे और प्रबन्ध समिति के दो सदस्य थे, जिनके नाम सूर्यदेव शर्मा और गणेश प्रसाद हैं, जिन्हें न कोई अधिकार था न उनके पास कोई अधिकार पत्र ही था । चूंकि यह चयन अवैधानिक था, इसलिए इसकी सूचना वाईस चांसलर को यह दी गयी कि इनका चयन ही नहीं किया गया, अतः इनके बारे में प्रपत्र भेजने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

*1. श्री फखरे आलम--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में कर्मचारियों की सेवा नियमावली

*4—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में अब तक कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली न बन पाने का क्या कारण है तथा यह कब तक बन जायगी ?

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में कुल चार सेवा नियमावलियां प्रस्तावित हैं। इसमें से एक सेवा नियमावली दिनांक 21-6-83 द्वारा अधिप्रभावी हो चुकी है। शेष तीन के सम्बन्ध में कार्यवाही शीघ्र पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन चार सेवा नियमावलियों का सन्दर्भ दिया गया है, यह चार सेवा नियमावलियां किस-किस वर्ग के लिये हैं ? और जो नियमावली लागू हुई है, यह किस वर्ग के लिए है और यह कब से लागू है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

एक सेवा नियमावली राजपत्रित कर्मचारी अधिकारी वर्ग, ग्रुप ए व बी के लिए है और दूसरी सबार्डीनेट इंजीनियरिंग सेवा के लिए है। तीसरी नियमावली ड्राइंग अधिष्ठान के लिये है और चौथी मिनिस्टीरियल स्टाफ के लिये है। जो सेवा नियमावली लागू हो चुकी है यह 21 जून, 1983 लागू हुयी है। यह ड्राइंग अधिष्ठान सेवा नियमावली है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे तीन वर्ग जो शेष रह जाते हैं। मुख्य रूप से तीसरे और चौथे वर्ग की जो यह सेवा नियमावलियां हैं यह कब से बनाना प्रस्तावित है और कब तक पूरी हो जायेंगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, दूसरे नम्बर की जो सेवा नियमावली है वह सबार्डीनेट इंजीनियरिंग सेवा के लिये है। लोक सेवा आयोग एवं सेवा नियमावली सेल के विधीक्षण के उपरान्त इसको भाषा अनुभाग को 4 जून, 1983 को हिन्दी अनुवाद के लिये भेजा गया है। जब हिन्दी अनुवाद आ जायेगा तो इसको लागू कर दिया जायगा।

इसके अलावा जो मिनिस्टीरियल स्टाफ की सेवा नियमावली है यह विधीक्षण के उपरान्त दिनांक 24 अगस्त, 1983 को प्राप्त हुयी है। नियमावली सेल के परामर्श के अनुसार इस पर कार्मिक अनुभाग की राय लेने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। कार्मिक विभाग को दिनांक 30 अगस्त, 1983 को भेजी गयी है।

सरस्वती देव सिंह हाई स्कूल, पिथौरागढ़ में अध्यापकों को एल0 टी0 ग्रेड न देने का कारण

*5—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि सरस्वती देव सिंह हाई स्कूल, पिथौरागढ़ में कितने अध्यापक ऐसे हैं, जो वर्ष 1961 से एल0 टी0 ग्रेड में स्थायी रूप से कार्यरत थे और जिनको उक्त विद्यालय में 12 अप्रैल, 1978 को प्रान्तीयकरण के बाद सी0 टी0 ग्रेड में नियुक्त किया गया ? इसका क्या कारण था और अब तक प्रधानाचार्य की संस्तुति के बावजूद उनको एल0 टी0 ग्रेड न देने का कारण क्या है ? क्या सरकार इस अनियमितता को शीघ्र दूर कर उक्त अध्यापकों को एल0 टी0 ग्रेड देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

जी हाँ। केवल एक अध्यापक (कला) राजकीय विद्यालयों के कला अध्यापक (स्नातक वेतनक्रम) के पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता न होने के कारण उक्त एक कलाध्यापक को नियुक्ति न की जा सकी प्रधानाचार्य की संस्तुति पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी से जानना चाहती हूं, मैंने पूंछा था कि पिथौरागढ़ में कितने अध्यापक ऐसे हैं जो वर्ष 1961 से एल0 टी0 ग्रेड में स्थायी रूप से कार्यरत थे और जिनको उक्त विद्यालय के 12 अप्रैल, 1978 को प्रान्तीयकरण के बाद सी0 टी0 ग्रेड में नियुक्त किया गया। मान्यवर, उत्तर दिया गया है कि केवल एक शिक्षक, अर्हता न होने के कारण एक शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जा सकी। तो क्या केवल एक ही शिक्षक हैं जिनको नहीं दिया जा सका ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

मान्यवर, जिनको एल0 टी0 ग्रेड नहीं दिया गया इस विद्यालय में, मेरे पास जो सूचना है तो केवल एक अध्यापक ऐसे हैं जिनको नहीं दिया गया है।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि जो 1961 में एल0 टी0 ग्रेड में थे उनको 1978 में सी0 टी0 ग्रेड में किया गया है तो क्या इसमें इंसपेक्टर की भी राय ली गयी थी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

मान्यवर, यह जो प्रान्तीयकरण किया गया है, इसका जो आर्डर है उसके अनुसार 29 मार्च, 1978 द्वारा सरस्वती देव सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पिथौरागढ़ का दिनांक 30 मार्च, 1978 से प्रान्तीयकरण का आदेश दिया गया था। जो शर्त थी उसके अनुसार ऐसे पदाधिकारी जो निर्धारित योग्यता न रखते हों अथवा जिन्हें शासन या सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त न हो सका सरकारी सेवा में स्थायी रूप से विलीनीकरण सम्भव न होगा। तो यह अध्यापक अर्हता नहीं रखते थे।

*6—श्री सरदार सिंह—

[4थे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

झांसी जनपद में डी0 पी0 ए0 पी0 योजना में भूमि संरक्षण इकाई की स्वीकृति

*7—श्री भागीरथ (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें माह जुलाई, 1982 तथा 15 मार्च, 1983 को प्रश्नकर्त्ता विधायक का पत्र झांसी जनपद में डी0 पी0 ए0 पी0 योजना के अन्तर्गत भूमि संरक्षण इकाई को स्वीकृति कराने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दिनांक 31 मार्च, 1983 तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

1—प्रश्नगत पत्र दिनांक जुलाई, 1982 प्राप्त नहीं हुआ । पत्र दिनांक 15 मार्च, 1983 जो माननीय कृषि मन्त्री जी को सम्बोधित था, कृषि अनुभाग-3 में प्राप्त हुआ । यह मामला चूंकि क्षेत्रीय विकास विभाग से सम्बन्धित था अतः उन्हें प्रश्नगत पत्र 31 मार्च, 1983 को कृषि अनुभाग-3 से प्राप्त होने के बाद उस पर अग्रिम कार्यवाही की गयी ।

2—वर्ष 1983-84 में डी0 पी0 ए0 पी0 के अन्तर्गत वार्षिक योजना की स्वीकृति भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 14 जुलाई, 1983 द्वारा दी । इस पत्र के अन्तर्गत झांसी में डी0 पी0 ए0 पी0 योजना में भूमि संरक्षण इकाई की स्थापना भी शामिल है ।

3—उक्त भूमि संरक्षण इकाई की स्थापना के लिये अतिरिक्त कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को निदेशित किया गया है जिसकी सूचना जिलाधिकारी, झांसी को भी भेज दी गई है ।

जनपद फैजाबाद में नवीन प्राइमरी स्कूल स्वीकृत किये जाने की मांग

*8—श्री नेत्रपाल सिंह (अनुपस्थित)—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के तीसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 157 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार तमाम बच्चों के भविष्य को देखते हुये उक्त मौजे में आगामी शिक्षा सत्र में ही प्राइमरी स्कूल खोले जाने की स्वीकृति देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उक्त स्कूल कब तक खुल जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी शख्शो—

जी नहीं । क्योंकि जिला योजना में पर्याप्त प्राविधान न होने के कारण चालू वित्तीय वर्ष 1983-84 में जनपद फैजाबाद में कोई नवीन प्राइमरी स्कूल स्वीकृत नही किया जा सका है । प्रश्न नहीं उठता ।

आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई में अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित नाइट कार्यक्रम का आयोजन तथा अराजक तत्वों द्वारा तोड़-फोड़ की घटना

*9--श्री गोपीनाथ वर्मा तथा श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 27-2-1983 को आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई में किसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया ? यदि हां, तो वह कार्यक्रम क्या था ? क्या उसमें किसी फिल्मी कलाकार को आमंत्रित किया गया था ? क्या यह सही है कि फिल्मी कलाकार के न आने के फलस्वरूप वहां व्यापक तोड़-फोड़ की घटना घटी और पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

दिनांक 27-2-1983 को इन्डियन म्यूजिकल एन्ड कल्चरल सोसाइटी, हरदोई द्वारा फिल्म अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित नाईट संगीत संध्या का आयोजन आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई में किया गया था ।

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार उक्त आयोजन में सुलक्षणा पंडित के आगमन के कारण काफी भीड़ थी, परन्तु उनके न आने पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा ईंट पत्थर फेंके गये तथा कुछ कुर्सियां तोड़ दी गई बाद में भीड़ को समझा कर तितर-बितर किया गया और नियंत्रित किया गया । पुलिस द्वारा भीड़ पर लाठी-चार्ज नहीं किया गया था ।

कतिपय व्यक्तियों के सम्बन्धित कोतवाली में आयोजकों के विरुद्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट की तथा उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया । तदनुसार मु0 अ0 सं0 105/83 धारा 420 भा0 द0 वि0 बनाम इन्डियन म्यूजिकल सोसाइटी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । पुलिस अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है ।

आर0 डी0 एस0 इन्टर कालेज, कामतागंज, सुल्तानपुर में चपरासी श्री हौसिला की अनियमित ढंग से सेवा निवृत्ति

*10--श्री जैराज गौतम--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जनपद के अन्तर्गत आर0 डी0 एस0 इन्टर कालेज, कामतागंज (दोस्तपुर) में चपरासी के पद पर कार्यरत श्री हौसिला हरिजन को प्राचार्य ने अनियमित ढंग से 60 वर्ष की आयु रजिस्टर में अंकित करके सेवानिवृत्त कर दिया है जबकि जिला मुख्य चिकित्साधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा 30 वर्ष की आयु का प्रमाण-पत्र श्री हौसिला हरिजन को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हौसिला को उनकी सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म तिथि के अनुसार फरवरी, 1980 से सेवा निवृत्त किया गया । इसके बाद श्री हौसिला ने अपने आयु के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र 26-5-1981 को प्राप्त कर जिला विद्यालय निरीक्षक को 8-12-1981 को प्रस्तुत किया । पूरे मामले में आगे आवश्यक छानबीन की जा रही है ।

श्री जैराज गौतम--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा शिक्षा मंत्री जी से....

(एक सदस्य के अध्यक्ष आसन की तरफ पीठ करके बात करने पर)

श्री अध्यक्ष--

कौन माननीय सदस्य उधर देख रहे हैं आप अध्यक्ष आसन की ओर पीठ न दिखाइये ।

श्री जैराज गौतम--

जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि श्री हौसिला हरिजन को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 26-5-1981 को आयु प्रमाण--पत्र दिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि 26-5-1981 को सी0 एम0 ओ0 सुल्तानपुर ने किसने वर्ष का प्रमाण-पत्र दिया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उनकी सेवा पुस्तिका 1973 की है 9-2-1972 को ज्वाइन किया । प्रार्थना-पत्र 17-11-1972 का है उसमें उन्होंने जन्म तिथि 53 वर्ष लिखी है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, हाईस्कूल पास नहीं है उसकी आयु प्रमाण देने का सक्षम अधिकारी, सी0 एम0 ओ0 होता है । जिस आवेदन पत्र को नियुक्ति पत्र कह दिया उसमें जो 53 वर्ष उम्र दिखलाई गई है वह फर्जी है । वह आदमी पढ़ा-लिखा नहीं है फर्जी दरख्वास्त में उसकी फर्जी उम्र भर दी गई है । सी0 एम0 ओ0 ने सर्टिफिकेट दे दिया कि अमुक व्यक्ति की आयु यह है । फिर सी0 एम0 ओ0 के सर्टिफिकेट पर अमल न होने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, हाईस्कूल का प्रमाण-पत्र न होने पर जो प्रार्थी का डिक्लरेशन होता है उसी पर विश्वास किया जाता है । उसने स्वयं लिखा कि वह 53 वर्ष का है उसकी सेवापुस्तिका में वही लिखा गया उसके पश्चात 60 वर्ष का हो गया सेवा निवृत्त कर दिया गया तब भी कुछ नहीं कहा 6 महीने पहले सूचना दी गई तब भी कुछ उत्तर नहीं दिया जब सेवानिवृत्त हो गया उसके कई महीने पश्चात कहा कि मैं 30 वर्ष का हूं । मान्यवर, परीक्षण हो रहा है न्यायोचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, यह एक गम्भीर भ्रष्टाचार का मामला है । एक आदमी को सी0 एम0 ओ0 30 वर्ष का कहता है और स्कूल में 60 वर्ष हो गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि सीधी भर्ती के लिये यह नियम है कि 40 वर्ष से अधिक होगा तो नहीं रखा जायेगा । जब यह 53 वर्ष का था तो नियुक्त कैसे किया गया दूसरी 53 वर्ष लिखने का आधार क्या था कुटुम्ब रजिस्टर के आधार

पर लिखा गया है। सी0 एम0 ओ0 ने 30 साल लिखा था बिना पढ़े-लिखे आदमी की आयु 81 में पूर्ण हो गई 83 में प्रश्न आया तो क्या तत्काल कार्यवाही कराकर उसको विद्यालय में रिइंस्टेट कराने को कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, अभी मैंने आपसे निवेदन किया कि इसका परीक्षण कराया जा रहा है। मैं उच्च अधिकारी द्वारा तथा शिक्षा निदेशक द्वारा इसका परीक्षण कराये जाने के आदेश देती हूं। जो न्यायोचित कार्यवाही होगी वह की जाएगी।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, आपके माध्यम से स्पष्ट बात जानना चाहता हूं। जब इसमें 40 वर्ष के बाद सीधी भर्ती नहीं हो सकती है तो 53 वर्ष में कैसे भर्ती की गई। इसका उत्तर स्पष्ट नहीं है। हरिजन का मामला है, वह गैर पढ़ा लिखा होता है। प्राचार्य ने उसे सेवानिवृत्त कर दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 30 वर्ष की आयु का प्रमाण-पत्र दिया गया है। क्या मुख्य चिकित्साधिकारी झूठा है ? इस सम्बन्ध में कौन सी छानबीन हो रही है ? यह हरिजन का मामला है इस तरह नहीं हो सकता है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, इनकी सर्विस बुक प्रस्तुत है लेकिन जैसा-अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा, इस सम्बन्ध में मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षण कराया जाएगा। यदि आप मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षण चाहते हैं तो वह कराया जाएगा।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

53 वर्ष की आयु में उसे रखा कैसे गया ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इस प्रश्न को स्थगित कर रहा हूं।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

*11--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ, फैजाबाद द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध की गयी अनियमितताओं की जांच के बारे में 16-1-1982 को कोई पत्र शासन को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें क्या शिकायतें थी तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां। शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय के विरुद्ध थी, बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध नहीं।

शिकायतें निम्नलिखित थी :

1--बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय द्वारा दिनांक 26-10-1981 को रु0 20,140.12 ससपेन्स एकाउन्ट (सी0 डी0 एस0) से 55 अध्यापकों के नाम निकाला गया परन्तु उसका भुगतान आज तक सम्बन्धित अध्यापकों को न हो सका ।

2--सम्बन्धित अध्यापकों के फर्जी हस्ताक्षर भुगतान रजिस्टर पर करके धन ले लिया गया है ।

3--जिन अध्यापकों के नाम धन जिस विद्यालय से निकाला गया है वह वहां पर कार्यरत नहीं हैं ,

4--ऐसे अध्यापकों के नाम धन निकाला एवं भुगतान किया गया है जो कटौती के समय बेसिक शिक्षा परिषद्, फैजाबाद में कार्यरत ही नहीं थे ।

5--श्री स्वामी नाथ स्वर्ण वरसा के नाम भुगतान हुआ है जो करीब दो वर्ष पूर्व मर चुके थे ।

6--इन सभी तथ्यों को छुपाने हेतु रजिस्टर में कम व ज्यादा का भुगतान किया गया है ।

7--इसके पूर्व के भुगतान में भी इसी प्रकार की अनियमितताएं की गयी हैं ।

शिकायतों की प्रारम्भिक जांच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद द्वारा की गयी जिसके आधार पर दो लिपिक निलम्बित कर दिए गए किन्तु प्रकरण की छानबीन करने पर एक लिपिक निर्दोष पाया गया और उसे बहाल कर दिया गया और दूसरा लिपिक अभी भी निलम्बित है ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

प्रश्न के उत्तर में लगभग 20,000 के गबन का मसला है यह मेरी पहली बात हुई । मंत्री महोदया ने कहा कि कार्यालय के खिलाफ शिकायतें हैं अधिकारी के खिलाफ नहीं ? दूसरी बात जानना चाहता हूं जांच के आदेश कब हुए ? इस पैसे का फाइनेंशियल आपरेशन किस अधिकारी के पास था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यह जांच कब बैठाई गई, यह सूचना तो इसमें नहीं है । जांच रिपोर्ट 26-7-82 को हमारे पास आ गयी । जांच उप विद्यालय निरीक्षक श्री प्रताप नारायण टण्डन ने की ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं इस मामले में जानना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दो लाख रुपये का गबन किया, जांच भी बेसिक शिक्षा अधिकारी करेगा, तो अगर कोई आदमी चोरी करे और जांच भी वही करे तो किसी न किसी निर्दोष को पकड़ कर ले जायेगा । तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षा मंत्री सदन को स्पष्ट आश्वासन देंगी कि किसी उच्च अधिकारी से समय सीमा निर्धारित करके पूरे भ्रष्टाचार की जांच करायेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जैसा कि श्री पंचानन राय जी ने बड़ा सुन्दर सुझाव दिया है, मैं आभारी हूं, उच्च अधिकारी से इसकी पुनः जांच अवश्य करा दी जायगी। इसमें शिकायत में दो लाख नहीं है, बल्कि 20,140 रुपया है। इतने की शिकायत है और सम्प्रति जो जांच से निकाला है वह 13,318 रुपया है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा कि जेतली साहब ने कहा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में गबन हुआ। शिक्षा मंत्री जी जानती हैं कि फाइनेंशियल आपरेशन उसी अधिकारी के हाथ में रहता है। तो फाइनेंशियल आपरेशन इसी अधिकारी के हाथ में है, प्राइमाफेसी केस में साबित है कि गबन हुआ, तो क्या शिक्षा मंत्री जी उस अधिकारी को सस्पेन्ड करके, निलम्बित करके जांच करायेंगी ? जिस पर आरोप है उसको निलम्बित नहीं किया है, एक क्लर्क को निलम्बित किया है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

मान्यवर, उच्च अधिकारी से जांच करा दी जायगी।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपको आज्ञा नहीं दी है, आप बैठिये।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि सस्पेन्स एकाउन्ट से 55 अध्यापकों के नाम पैसा निकाला गया, तो यह बड़ा गम्भीर मसला है। सन् 1981 में कम्पलेन्ट हुई। मान्यवर, बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध आरोप है। फाइनेंशियल आपरेशन उसी के हाथ में है, तो उसी अधिकारी से जांच कराने का क्या औचित्य है ? जब एक क्लर्क को निलम्बित किया है, इसका मतलब है कि प्राइमाफेसी में कुछ मामला पाया गया है। तो क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इस मामले को पुलिस में दर्ज करा करके कार्यवाही करने की कृपा करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैंने अभी श्री पंचानन राय जी के सुझाव को स्वीकार करके कहा है कि यदि आपके आदेश हों तो उच्च अधिकारी द्वारा इसकी जांच करायी जायगी, जो भी इसमें दोषी पाया जायगा, चाहे वह बख्शी दीदी ही क्यों न हों, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

प्रगति आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं के निराकरण हेतु मान्धाता सिंह, सदस्य, विधान परिषद् का ज्ञापन

*12—श्री मोहन सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के छठें सोमवार के अता0 प्रश्न संख्या 85 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मान्धाता सिंह, सदस्य, विधान परिषद् का ज्ञापन दिनांक 9-11-1982 उन्हें कब प्राप्त हुआ था एवं निदेशक से आख्या व संस्तुति कब मांगी गयी ? विलम्ब का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह ज्ञापन दिनांक 9-11-1982 को प्राप्त हुआ । इस पर शिक्षा निदेशक से आख्या एवं संस्तुति दिनांक 9-1-1983 के पत्र द्वारा मांगी गयी । संस्था को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 घ (2) में निर्देश तथा 16 घ (3) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस क्रमशः दिनांक 11-4-1983 तथा 17-8-1983 को शिक्षा निदेशक द्वारा जारी किए गये ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस ज्ञापन के आधार पर जो उन्होंने शिक्षा निदेशक से आख्या मांगी है, वह किस संस्था के विरुद्ध है ? निदेशक महोदय ने अपनी क्या आख्या या संस्तुति भेजी है ? और उस रोशनी में आज तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यह आख्या प्रगति आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं के निराकरण हेतु कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मेरे प्रश्न के दूसरे अंश का उत्तर नहीं आया । जिसमें मैंने माननीया शिक्षा मंत्री जी से यह पूछा है कि उसके विरुद्ध जो आख्या मांगी गई थी, वह क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, 16 डी(2) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिया गया है । जब उसका उत्तर आ जायेगा, तभी आगे की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह नोटिस तभी दिया जाता है जब आख्या में भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि हो जाती है । मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो आख्या या संस्तुति आयी है उसमें किन-किन आरोपों की पुष्टि हुई है इसे वे बता दें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, शिकायतें तो बहुत हैं इसी वजह से उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है। लेकिन उसमें जो मोस्ट इम्पार्टेंट आरोप हैं वह इस प्रकार है--

"परीक्षक स्थाई निधि लेखा, उत्तर प्रदेश गत 22 वर्षों के आडिट रिपोर्टों में बारम्बार उल्लिखित आडिट आपत्तियों में निहित रु0 1,52,000 का अमान्य व्यय का समाधान प्रबन्धाधिकरण ने अभी तक नहीं किया है।"

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने यह स्वयं स्वीकार किया है कि 1,52,000 रु0 का गबन पाया गया। मान्यवर, इस सदन में माध्यमिक शिक्षा (संशोधित) अधिनियम की धारा 16-डी में धारा 8 को जोड़ दिया गया था। उसमे यह संस्तुति की गई है कि जहां भी गबन का केस पाया जाय वहां पर तत्काल प्रभावकारी कदम उठाकर प्रबन्धाधिकरण को निलम्बित किया जाय। इस 16-डी (8) के अन्तर्गत शासन को कार्यवाही करने में क्या कठिनाई है जबकि आरोप सिद्ध पाये गये हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने 16-डी (8) की तरफ ध्यान आकर्षित कराया है। इस संबंध में मैं निदेशक महोदय को आदेश दूंगी कि वह इसका फिर से परीक्षण कर लें ताकि इस पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही हो सके और उस पर सारा कंट्रोल हो सके।

*13--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

3रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम के लिए सामानों के क्रय हेतु मांगे गये टेंडर तथा टेंडर स्वीकार करने का आधार

*14--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या पर्यटन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8-11-82 को उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम के लिए निम्नलिखित चीजों (एयर कन्डीशनर, वाटर कूलर, वाटर हीटर, बाटल कालर्स, ओवेल, पेडस्टल पंखे आदि) के लिए टेंडर मांगा गया था ? यदि हां, तो टेंडर स्वीकार करने का क्या आधार था तथा किस फर्म को आर्डर दिया गया था ?

पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

जी हां।

टैंडर स्वीकार करने का आधार था न्यूनतम दर एवं अच्छी कार्य क्षमता निम्नांकित फर्मों को उनके नाम के सम्मुख वर्णित वस्तुओं हेतु आर्डर दिया गया था :—

फर्म का नाम	वस्तु का नाम
1—मेसर्स पुरी रेफ्रीजरेटर्स	एयर कन्डीशनर ।
2—मेसर्स जेम इंडिया एवं मेसर्स ब्लू स्टार	डीप फ्रीजर ।
3—मेसर्स बाटली ब्याय एवं कम्पनी, कानपुर	गीजर ।
4—मेसर्स जेम इंडिया एवं ब्लू स्टार	रेफ्रीजरेटर ।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, यह माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया, इसमें बाकी तीन चीजों के बाबत तो ऐसा है कि यह ऐसी फर्म हैं जिनको सभी जानते हैं । लेकिन एयर कंडीशनर मेसर्स पुरी रेफ्रीजरेटर्स से लिया है, जिसका नाम संभवतः अभी तक किसी माननीय सदस्य ने नहीं जाना होगा और संभवतः माननीय मन्त्री जी को यह मालूम नहीं है कि यह पुरी रेफ्रीजरेटर्स पुराने एयर कन्डीशनर्स को रि-कंडीशिंग करके उन्हें नये माल में बेच देते हैं । यह कोई ऐसी फर्म नहीं है, जिससे कोई सामान लिया जाय । यह केवल पुराने माल को नया करके बेचते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप तो सूचना दे रहे हैं प्रश्न करें ।

श्री रेवती रमण सिंह—

प्रश्न ही कर रहा हूं । मैं जानना यह चाहता हूं कि मेसर्स पुरी रेफ्रीजरेटर्स से एयर कन्डीशनर क्यों खरीदा गया, जबकि और सामान अच्छी फर्मों और रजिस्टर्ड फर्मों से खरीदा गया ? इस रद्दी फर्म से एयर कंडीशनर क्यों खरीदा गया ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

श्रीमन्, जैसा कि उत्तर में बताया गया कि न्यूनतम दर एवं अच्छी कार्य क्षमता, इसका आधार रखा गया । तो, जो न्यूनतम दर आयी थी और इसके अतिरिक्त जो दरें थीं, वह इस प्रकार हैं—मेसर्स जेम—इनका 14,000, मेसर्स ब्लू स्टार का 15,000, मेसर्स मेटल कंपोनेंट 11,000, मेसर्स बोल्टाज का 14,000, मेसर्स पुरी रेफ्रीजरेशन का 10,200, मेसर्स एस० एस० इन्डस्ट्रीज 9,500, मेसर्स इलेक्ट्रानिक्स लि० 14,000, मेसर्स फीडर्स लायड 13,000, मेसर्स यूटिलिटी इंजीनियर 13,000 । आमतौर से सभी लोगों के 15,000, 14,000 और 13,000 के रेट्स आये थे, किन्तु दो फर्मों के 10,200 और 9,500 के कोटेशन थे । इनमें 9,500 वाली फर्म जो थी, इसमें वाटर कूलिंग सिस्टम था जिसमें पानी डालना पड़ता है और 10,200 वाली फर्म का जो कोटेशन था, इसमें ड्राईकूल

सिस्टम था, जिसमें पानी डालने की दिक्कत नहीं होती है । इसमें 9,500 से थोड़े ही धनराशि का अंतर था । साथ ही साथ उसकी जो क्रय समिति होती है, उसके अन्दर एक एक्सपर्ट भी उपस्थित थे श्री सी0 पी0 सिंह, विद्युत रेजिडेन्ट इंजीनियर, राजकीय निर्माण निगम के । यह एयर कंडीशनर उनकी उपस्थिति में उनकी जानकारी के बाद और सारी चीजों को सामने रखते हुए परचेज कमेटी द्वारा खरीदा गया ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, कोई भी एक्सपर्ट रखा हो, 3-4 फर्में हैं-जैम है, ब्लू स्टार है वोल्टाज है-जैसा मन्त्री जी ने खुद बताया लेकिन पुरी रेफ्रीजरेटर्स से लिया गया क्योंकि न्यूनतम दर का उसका कोटेशन था । मैं जानना यह चाहता हूं कि मेसर्स पुरी रेफ्रीजरेटर्स द्वारा किसी और डिपार्टमेंट में भी अपना सामान सप्लाई किया गया था और उसका सामान एप्रूव्ड हुआ था या अकेले टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ही उसका सामान एप्रूव्ड करके खरीदा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, उन्होंने एक एयर कंडीशनर गोमती होटल में डिमोस्ट्रेशन हेतु लगा रखा था । इस बीच उस एयर कंडीशनर ने अत्यन्त संतोषजनक रूप में कार्य किया । विद्युत रेजिडेंट इंजीनियर, राजकीय निर्माण निगम ने यह बताया कि उन्होंने राजकीय निर्माण निगम की ओर से भी मेसर्स पुरी रेफ्रीजरेटर्स से "कूल एयर" नामक एयर कन्डीशनर खरीदा, जिसकी भी परफारमेंस संतोषजनक रहा । प्राप्त सूचना के अनुसार यह मशीन अपट्रान लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा मेडिकल कालेज लखनऊ में भी इस्तेमाल की जा रही है । इस फर्म का सेन्ट्रल एक्साइज का लाइसेन्स भी प्राप्त है । अतः क्रय समिति ने सभी ड्राई कूल एयर कन्डीशनर्स मेसर्स पुरी रेफ्रीजरेटर्स से क्रय करने की संस्तुति की ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से संबंधित, श्रीमन् माननीय मन्त्री जी ने कहा कि न्यूनतम जो कोटेशन आये, उसको दे दिया गया और उसमें एक्सपर्ट की राय भी थी । तो माननीय मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक गुड्स, जिसका इसमें जिक्र किया गया है--वाटर कूलर, वाटर हीटर, ओवेन, पेडेस्टल पंखे इन सामानों को वह फर्म डील करती है जैसे कोई वायर सप्लाई डील करती है, तो वह वायर सप्लाई करेगी । यह फर्म किस चीज को डील करती है ? दूसरे आपके विभाग से वह एप्रूव्ड है कि नहीं ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

यह तो एयर कन्डीशनर के सिलसिले में बात हो रही है । एयर कन्डीशनर तो एयर कन्डीशनर में डील करते हैं ।

श्री मुख्तार अनीस--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पहले तो यह जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार ने एयर कन्डीशनर खरीदने के लिए कुछ फर्मों को एप्रूव किया है और उसके अन्दर क्या यह मेसर्स पुरी रेफ्रीजरेटर्स आता है ? इससे कोई एयर कन्डीशनर खरीदा गया था ? यदि खरीदा गया था, तो कुल कितने रुपये की कीमत के ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

इनसे कुल 19 एयर कन्डीशनर खरीदे गये हैं। दूसरी सूचना उपलब्ध करा रहा हूं, मेसर्स जैम इन्डिया एवं मेसर्स पुरी रेफ्रीजरेटर्स स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज में रजिस्टर्ड हैं।

*15--श्री भीखालाल--

[12वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनता कालेज परसोन (एटा) में अध्यापकों की समाप्त सेवायें तथा वेतन का भुगतान

*16--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता कालेज, परसोन (एटा) में तीन अध्यापकों की सेवाएं अक्तूबर, 1982 तथा 12 अध्यापकों की सेवाएं 1 दिसम्बर, 1982 से एक साथ समाप्त कर दी गयी हैं? क्या जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा द्वारा इन अध्यापकों को बहाल किए जाने के बाद भी इन अध्यापकों को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है तथा इनका वेतन भुगतान भी रोक दिया गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

तीन अध्यापकों की सेवायें प्रबन्धक द्वारा जन, 1982 में तथा 12 अध्यापकों की सेवायें अक्तूबर, 1982 में समाप्त की गयी थी। जिनका अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नहीं दिया गया।

न्यायालय के आदेशानुसार इनका वेतन भुगतान हो रहा है। अध्यापक विद्यालय में पढ़ा नहीं रहे हैं। प्रबन्धतन्त्र के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डी में कार्यवाही की जा रही है।

राजकीय इण्टर कालेज, मुरादाबाद में प्रवक्ताओं को सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने हेतु पत्र

*17--श्री रियासत हुसैन--

क्या शिक्षा मन्त्री को विदित है कि डी0 आई0 ओ0 एस0, मुरादाबाद ने दिनांक 21-10-1982 को राजकीय इण्टर कालेज मुरादाबाद के सात लेक्चरर्स को जिनकी सेवाएं 16 वर्ष की हो चुकी हैं को सेलेक्शन ग्रेड दिए जाने के सम्बन्ध में डायरेक्टर आफ एजूकेशन, इलाहाबाद को कोई सिफारिशी पत्र लिखा है? यदि हां, तो अभी तक उन लेक्चरर्स को सेलेक्शन ग्रेड न दिए जाने का क्या कारण है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

डी0 आई0 ओ0 एस0, मुरादाबाद ने डायरेक्टर आफ एजुकेशन, इलाहाबाद को नहीं, बल्कि मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद को अपनी संस्तुति सहित

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

दिनांक 29-10-1982 को राजकीय इण्टर कालेज, मुरादाबाद के सात लेक्चरर को सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने हेतु एक पत्र भेजा था। इन सात लेक्चरर को सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने का निर्णय मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा दिनांक 30-4-1983 को लिया जा चुका है। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर में नवनिर्वाचित प्रधानों की संख्या

*18—श्री रामचरण सिंह—

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1982-83 में नवनिर्वाचित प्रधानों की संख्या क्या है ? क्या सभी प्रधानों को कागजात इत्यादि का चार्ज प्राप्त हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

नव निर्वाचित प्रधानों की कुल संख्या 1559 है।

भूतपूर्व प्रधान द्वारा अभिलेखों का चार्ज न देने, भूतपूर्व प्रधान के लापत होने, अभिलेखों के जल जाने तथा ग्राम पंचायत अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण 6 गाँव प्रधानों को कागजात इत्यादि का चार्ज नहीं दिया जा सका।

श्री ईश्वर दयाल, पंचायत सेवक के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*19—श्री मेंहदी असगर—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एक पत्र 15-5-1982 को तथा 24-5-1982 को जिला अधिकारी, मुजफ्फरनगर को प्रश्नकर्त्ता ने श्री ईश्वर दयाल, पंचायत सेवक सर्किल बिस्सा ब्लाक मोरना तथा श्री शशिभूषण ए0 डी0 ओ0 (एम0 आई0) सहायक रिटर्निंग आफिसर के भ्रष्टाचारों तथा लाखों रुपया गबन किए जाने के सम्बन्ध में लिखा था ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गयी ? यदि जांच कराई गयी, तो उस जाँच का परिणाम क्या रहा ? यदि जांच नहीं कराई गयी, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्नकर्ता का उक्त आशय का केवल एक शिकायती पत्र दिनांक 24-5-82 जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को प्राप्त हुआ था। दिनांक 15-5-1982 का पत्र नहीं प्राप्त हुआ था। बहरहाल शिकायतों की जांच करायी गयी। जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री ईश्वर दयाल, पंचायत सेवक के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी तथा उन्हें निलम्बित किया गया। पुलिस ने जांच के उपरान्त मामले को मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, मुजफ्फरनगर के कोर्ट में भारतीय दण्ड विधान की धारा 409 के अन्तर्गत दायर किया। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय दिनांक 28-7-1983 द्वारा श्री ईश्वर दयाल, पंचायत सेवक (ग्राम्य पंचायत अधिकारी) को भारतीय दण्ड विधान की धारा 409 के अन्तर्गत दायर केस से मुक्त कर दिया। श्री शशी भूषण ए0 डी0 ओ0 (एम0 आई0) को दोषी नहीं पाया गया है।

*20—श्री मुईद अहमद—

[3 रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के जनपदों में लागू की गयी कृषि बीमा योजना

**1—श्री दिवाकर विक्रम सिंह तथा श्री मित्रसेन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि प्रदेश के कुछ जनपदों में कृषि बीमा योजना चालू खरीफ की फसल से लागू की गयी है ? यदि हां, तो किन-किन जनपदों के किन-किन भागों में यह योजना लागू की गयी है तथा इसकी रूपरेखा क्या है और किसानों को किस आधार पर प्रीमियम देना होगा तथा किस आधार पर उनके फसल की क्षति की पूर्ति की जायेगी ? क्या सरकार सम्पूर्ण तथ्य सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

कृषि मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)—

जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने फसल बीमा योजना को भारतीय सामान्य बीमा निगम के सहयोग से वर्तमान खरीफ 1983-84 से प्रदेश के 24 जिलों के कुल 50 तहसीलों में फसल धान के लिये लागू किया है । जिलों व तहसीलों की सूची संलग्न है ।

फसल बीमा की रूपरेखा की प्रति भी संलग्न है जिसमें इसके प्रमुख बिन्दु दर्शाये गये हैं ।

धान की फसल की गत 8 वर्षों की औसत उपज के आधार पर भारतीय सामान्य बीमा निगम ने तहसीलों के लिए अलग-अलग प्रीमियम दरें निर्धारित की हैं । इन्हीं दरों पर चुनी हुई तहसीलों के फसल बीमा कराने वाले कृषकों को फसल का प्रीमियम देना होगा ।

भारतीय सामान्य बीमा निगम ने फसल धान के लिए प्रत्येक तहसील के लिए अलग-अलग गारेन्टेड उपज तहसील की विगत 8 वर्षों की औसत उपज के आधार पर निर्धारित किया है । यदि तहसील की फसल बीमा वर्ष की औसत उपज गारंटीड उपज से कम आती है तो जिस अनुपात में यह कमी आयेगी उसी अनुपात में बीमा की गई धनराशि पर क्षति पूर्ति बीमा कराने वाले कृषक को दी जायगी । इस प्रकार इस योजना में बीमा कराने वाले कृषकों की फसल में होने वाली व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति करने का प्राविधान नहीं है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 639 पर ।)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि फसल बीमा योजना जो लागू की गयी है, तो इसके अन्तर्गत पूरी तहसील की 8 वर्षों की औसत उपज ली जायगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि पूरी तहसील की गारन्टीड उपज उसके लिये जब कटिंग करेंगे तो उसका क्या नियम है, क्या सिद्धान्त है, खेतों का चयन किस प्रकार से होगा, कौन से अधिकारी करायेंगे ?

श्री यशपाल सिंह—

क्राप कटिंग लागू है, उसी के आधार पर होगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मेरा प्रश्न था कि क्राप कटिंग करने के लिये गारन्टीड उपज सुनिश्चित करने के लिये खेतों का चयन किस प्रकार किया जायगा और कौन अधिकारी क्राप कटिंग करायेंगे ?

श्री यशपाल सिंह--

सम्मानित सदस्य जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी स्टेट में क्राप कटिंग के आधार पर एवरेज उत्पादन पूरी तहसील का पूरे जिले का और पूरे प्रदेश का लिया जाता है, वही आधार माना जायगा ।

श्री मित्रसेन--

इस प्रश्न को करने की हम लोगों की मंशा यह थी कि जो क्षेत्र सूखे से, बाढ़ से या दैवी आपदाओं से प्रभावित होते हैं, फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उनको लाभान्वित किया जाय । एक भी तहसील, जिसका चुनाव हुआ हो, उसका मानक कैसे तय किया गया है, यह बता दें ? दूसरी बात, यह जो व्यक्ति कृषक इसमें हैं, यह समितियों के कैसे सदस्य होंगे, उनको कैसे लाभान्वित करेंगे ?

व्यक्तिगत लोगों की क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी और अगर की जायेगी तो केवल कोआपरेटिव के जो लोग सदस्य होंगे, उनकी, तो माननीय मंत्री जी कृपया इसको स्पष्ट कर दें कि व्यक्तिगत लोगों को यदि क्षति होगी तो उनकी क्षति को कैसे पूरा किया जायेगा ?

श्री यशपाल सिंह--

सम्मानित सदस्य सम्भवतः जानते होंगे कि जबतक शासन के सामने किसी प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं होगा तब तक कोई भी योजना लागू नहीं हो पायेगी और रिकार्ड कोआपरेटिव के जरिये से ही सम्भावित हो सकते हैं कि जिन लोगों ने वहां से कोई लोन लिया होगा, उनकी जानकारी हमें आसानी से मिल जायेगी और जो लोग इसके सदस्य नहीं होंगे तो उनके रिकार्ड हमारे पास नहीं होंगे ।

श्री बिहारी लाल--

माननीय मंत्री जी जो योजना लागू की गयी है वह अपने में बहुत अच्छी योजना है परन्तु क्या जो पर्वतीय क्षेत्र के 11 जिले हैं और उनमें जो फल-पट्टी का क्षेत्र है, उसे भी क्या इस योजना में सम्मिलित किया जायेगा ?

श्री यशपाल सिंह--

अभी केवल धान पर हमने इस योजना को प्रारम्भ किया है फिर गेहूं पर किया जायेगा और यदि यह सक्सेस हुयी तो आगे भी देखा जायेगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं आ सका, मैं केवल दो चीजें जानना चाहता हूं एक तो यह कि पूरी तहसील की औसत क्राप कटिंग का आधार क्या होगा और दूसरे यह कि खेतों के चयन का आधार क्या होगा और कौन से अधिकारी इसको करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह--

मैं इसका उत्तर पहले भी दे चुका हूं कि क्रापकटिंग जो हमारे यहां होगी वह रेंडम के आधार पर होगी और खेतों के चयन के कोई विशेष नियम नहीं हैं, जहां पर भी हमारा घेरा पड़ जाता है, बस वहीं से काम शुरू कर दिया जाता है और इसकी कटिंग हमारे कृषि अधिकारी द्वारा होगी ।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो योजना आपने लागू की है क्या उसमें आने वाले अनाज जैसे चावल व गेहूं आदि की वेराइटीज की सूचना भी आपके विभाग द्वारा सम्बन्धित किसान को दी जाती है कि आपका धान इस-इस वेराइटी का है तो इस सिलसिले में मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके प्रभाग द्वारा जो हर चीज की औसत उपज कायम कर रखी है क्या उसके अनुसार ही इस योजना के तहत बीमा सुविधा दिलायेंगे ?

श्री यशपाल सिंह--

यह सम्भव नहीं है ।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना जो आपने 24 जिलों की 50 तहसीलों में चालू की है, अगर उनमें से किसी की फसल नष्ट होगी तो उन्हें बीमे के जरिये दिलाया जायेगा । और यह केवल उन्हीं लोगों को दी जायेगी जो सहकारिता समिति के सदस्य होंगे । मान लीजिये कि किसी गांव में पूरी फसल सैलाब में नष्ट हो जाती है तो क्या आप 90 प्रतिशत लोगों को इसका लाभ देंगे और 10 प्रतिशत लोगों को नहीं ? यदि ऐसा है तो फिर यह कैसी बीमा योजना हो गयी ? इस पर आप प्रकाश डालें ।

श्री यशपाल सिंह--

यह तो सभी को मालूम है कि इन्श्योरेन्स व्यक्तिगत होता है, सामूहिक नहीं होता है । तो जो इसमें करायेगा, वही इसका लाभ भी पायेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, इस प्रदेश के सभी लोग सहकारिता के सदस्य नहीं हैं । खास करके किसानों का वह वर्ग जो कि सीमान्त किसान हैं, वह बहुत ही कम सहकारिता के सदस्य हुआ करते हैं । तो सरकार की जो मंशा है किसानों को आपात-काल में सहायता देने की, वह इस तरह से पूरी नहीं होती है या हो पा रही है । क्या मंत्री जी सहकारिता का बन्धन ढीला करके सभी किसानों पर यह योजना समान रूप से लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह--

यह योजना पाईलेट प्रोजेक्ट के तरीके से कायम की गयी है, यह ट्रायल बेसिस की तरह से की गयी है । माननीय सदस्यों के सुझाव पर या अच्छे कृषकों के सुझाव पर जो-जो हमारे सामने आयेंगे, उन प्रश्नों पर विचार किया जायेगा और यदि इस योजना में समावेश करने के योग्य हुआ तो उसे किया जायेगा ।

श्री मित्रसेन--

अभी माननीय ओझा जी ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर पूरी तरह से नहीं आया है। क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि पूर्ववर्ती सरकार ने फसल बीमा योजना लागू करने के सम्बन्ध में कोई समिति बनाई थी ? और उस समिति की रिपोर्ट क्या उनके पास है ? यदि नहीं, तो उन्होंने जो 8 साल की औसत उपज पर जो फसल बीमा योजना रखी है तो यह 8 साल में इतनी हो जायेगी कि औसत क्षेत्र के आधार पर इसे आप नहीं कर पायेंगे तो क्या इसे 8 साल से कम करके 5 साल की करने पर विचार करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि हमारी यह योजना बिलकुल कम्पलीट है। मैंने कहा कि यह ट्रायल बेसिस पर प्रारम्भ की गयी है। इसमें जो भी त्रुटियां हमारे सामने आती चली जायेंगी उनको हम दूर करने का बराबर प्रयास करेंगे। माननीय सदस्य ने अभी पूछा कि इस सम्बन्ध में पहले कोई समिति गठित हुई थी, तो उस सम्बन्ध में उत्तर है कि जी हां, हुई थी। माननीय सदस्य, प्रश्नकर्ता ही उसके सदस्य थे, उन्होंने जो उस समिति में तय किया था, उसी को आधार मान कर इस योजना को लागू किया गया है।

गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में व्यक्तिगत प्रबन्ध की व्यवस्था को समाप्त करने का कथित विचार

**2--श्री सरदार सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकार गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में व्यक्तिगत प्रबन्ध की व्यवस्था समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा नियुक्त उच्चस्तरीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक शासन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन सम्प्रति शिक्षा के क्षेत्र से व्यक्तिगत प्रबन्ध व्यवस्था को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है।

श्री सरदार सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि जो सिफारिशें उच्च शिक्षा समिति ने व्यक्तिगत व्यवस्था के सम्बन्ध में दी थीं, वह कब दी थीं और क्या संस्तुतियां दी थीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, राष्ट्रीयकरण समिति की जो समिति बनाई गई थी राष्ट्रीयकरण के बारे में उनकी संस्तुति 10-2-75 को प्राप्त हुई थी और उनकी संस्तुति बहुमत से सरकारीकरण किए जाने के सम्बन्ध में थी। अध्यक्ष महोदय ने स्वायत्तशासी संस्था के बारे में बात कही जिसे लोगों ने निगमीकरण कहा। सभी पहलुओं पर

समिति का ध्यान आकर्षित किया गया जिसमें विद्यालय भवनों के कंपेनसेशन छोड़ कर 1975 में लगभग 25 करोड़ का अतिरिक्त आवर्ती व्यय के विषय में आख्या दी है।

श्री पंचानन राय—

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि दिनांक 12 दिसम्बर, 1972 को एक करोड़ हस्ताक्षर युक्त जन याचिका सहित प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों ने विशाल प्रदर्शन करके शिक्षा मंत्री को याचिका प्रस्तुत की। तदुपरान्त 9 मार्च, 1973 को प्रदेश के वित्त मंत्री ने विधान मंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत करते हुए शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में सरकार की नीति घोषित की कि, एक अरसे से प्रदेश के बहुधिक शिक्षाविदों एवं अध्यापकों की यह राय रही है कि माध्यमिक स्कूलों को राज्य अपने हाथ में ले ले ताकि इनकी वित्तीय कठिनाइयों का निराकरण हो सके तथा अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को भी वांछित लाभ हो सके। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस राय में निहित सिद्धान्त को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। संविधान के अन्तर्गत इस प्रसंग में विस्तृत योजना बनानी आवश्यक होगी, जिसे प्रस्तुत करने के लिए शासन ने एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निश्चय किया है जिसमें सभी सम्बन्धित पक्षों के प्रतिनिधि होंगे। इसके बाद 28 जून को उच्चस्तरीय समिति का निर्माण हुआ। 10 फरवरी, 1975 को शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की उच्चस्तरीय समिति की संस्तुतियां शासन को प्राप्त हो गयी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन पर क्या हुआ ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि 31 मार्च, 1975 को विधान मंडल के दोनों सदनों में सरकार द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि शिक्षा के उन्नयन में शिक्षक वर्ग की आधारभूत रचनाकारी भूमिका के महत्व को अंगीकृत करते हुए शासन ने निर्णय लिया है कि उच्चस्तरीय समिति की कतिपय संस्तुतियों के सन्दर्भ में शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का प्रभावशाली अस्त्र बनाने की दिशा में संगठनात्मक मार्ग प्रशस्त करने और माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न में निहित नीति की उत्तरोत्तर पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये ? इसको आप बता दें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह मैंने पहले ही कहा कि 10-2-75 को राष्ट्रीयकरण उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट आ गई थी, दूसरी बात जो माननीय विधायक जी ने पूछा है कि उसकी संस्तुतियां क्या हैं, उसके विषय में सूचना प्राप्त करना अपेक्षित है, तीसरी बात जो उन्होंने कही, इस समिति ने शिक्षा में सुधार लाने के लिए सुझाव दिए हैं। शिक्षा में अनुशासन हो, और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे, इस कारण हमने प्रभावशाली और क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं। यह कदम हमने 1980 के बाद उठाये हैं। जब माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्य मंत्री थे तो उनके समय में निर्णय लिए गए। ऐसे कदम 20 वर्षों में नहीं उठाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो प्रश्न किया जाय उसका ही उत्तर दें। इधर-उधर की बातें नहीं होनी चाहिए।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जब यह लोग पूछ रहे हैं....।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, जब शासन ने सिद्धान्त रूप में मान लिया है कि राष्ट्रीयकरण करना है और उच्चस्तरीय समिति बनाई थी उसकी रिपोर्ट भी उसको मिल गई है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि शासन उसका पालन क्यों नहीं कर रहा है, उन सिफारिशों को क्यों नहीं माना जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किस लिए हो ? जो आपका मकसद था, जो आपका ध्येय था उसको हमने पहले ही पूरा कर दिया । इस सम्बन्ध में हमने दो बड़े प्रभावशाली कदम उठाये हैं । एक तो हमने आयोग का गठन किया है और दूसरे जो मोस्ट इम्पारटेन्ट चीजें होती हैं अर्थात् अध्यापकों का चयन कैसे हो और उसका हमने सरकारीकरण कर लिया । हमने आयोग बैठा दिया । माननीय मुख्य मंत्री श्री श्रीपति मिश्र के नेतृत्व में हमने यह गठित किया है । अब हमारे अध्यापकों का चयन प्रबन्धाधिकरण द्वारा न होकर आयोग के माध्यम से होगा ।

आतारांकित प्रश्न

श्रीमती परसन्दी देवी, विधवा स्व0 हर स्वरूप को पारिवारिक पेन्शन का भुगतान

1--श्री किरनपाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती परसन्दी देवी, विधवा स्व0 हरस्वरूप, रिटायर्ड हेड मास्टर ने दिनांक 17-8-82 को 1-1-71 से पारिवारिक पेन्शन प्राप्त हेतु कोई प्रार्थना-पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद को दिया था ? यदि हां, तो क्या उक्त विधवा को परिवारिक पेन्शन प्रदान कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

जी नहीं। श्रीमती परसन्दी देवी विधवा श्री हर स्वरूप, हेड मास्टर (रिटायर्ड) का परिवारिक पेन्शन हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-12-81 प्राप्त हुआ था। उन्हें नियमानुसार 31-12-70 तक परिवारिक पेन्शन देय थी। जिसका भुगतान दिनांक 16-10-81 को किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय जिलों के राजकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पद

2--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जिलों में राजकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्यों के कितने पद कब से रिक्त हैं ? और उनको भरने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

नोट :--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

पर्वतीय जनपदों के अन्तर्गत बालकों के राजकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्य के कुल 144 पद जुलाई, 1979 से जुलाई, 1983 तक की अवधि में विभिन्न तिथियों से रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त राजकीय कन्या इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्याओं के कुल 9 पद फरवरी, 1980 से जुलाई, 1983 तक की विभिन्न तिथियों से रिक्त हैं।

रिक्त पदों को भरने के लिए तदर्थ चयन की कार्यवाही विचाराधीन है।

जूनियर हाई स्कूल, सिसवा बाजार में कार्यरत अध्यापक श्री सूर्य नारायण सिंह के सम्बन्ध में लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ द्वारा दिये गए आदेश तथा वेतन भुगतान

3—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, गोरखपुर के अन्तर्गत जू0 हा0 स्कूल, सिसवा बाजार में कार्यरत अध्यापक श्री सूर्य नारायण सिंह के सम्बन्ध में लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ ने दिनांक 29-8-81 एवं 25-11-81 को कोई आदेश पारित किया है? यदि हां, तो क्या परिषद् ने इसका परिपालन किया? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

जी हां।

जी हां।

दिनांक 16 अगस्त, 1982 को।

प्रश्न नहीं उठता है।

4—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर ने दिनांक 29-8-81 को लोक सेवा अधिकरण के उक्त आदेश के सम्बन्ध में वेतन भुगतान का भी आदेश उ0 शि0 वि0 निरीक्षक को दिया? यदि हां, तो क्या भुगतान हुआ? यदि हां, तो कब?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

दिनांक 30 जून, 1982 को।

श्री पान सिंह नेगी, सहायक विकास अधिकारी, जिला चमोली के नियमितीकरण की मांग

5—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पान सिंह नेगी, सहायक विकास अधिकारी (कृषि), विकास खण्ड गैर सैंण, जिला चमोली वर्ष 1959 के माह अप्रैल से उक्त पद पर निरन्तर कार्यरत हैं? यदि हां, तो इन्हें इतनी लम्बी अवधि बाद भी अभी तक नियमित क्यों नहीं किया गया है? इनके कब तक नियमितीकरण के आदेश हो जायेंगे?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां, चूंकि ग्राम विकास विभाग ने 15-6-61 के पहले श्री पान सिंह नेगी को सहायक विकास अधिकारी के पद पर तदर्थ प्रोन्नति को नियमित नहीं किया था तथा उसके पश्चात् शासन के परिपत्र संख्या 10768/अड़तीस-691-64, दिनांक 14 दिसम्बर, 1964 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वांछित सूचना ग्राम विकास विभाग से प्राप्त न होने के कारण कृषि विभाग द्वारा श्री नेगी को सहायक विकास अधिकारी के पद पर नियमित नहीं किया जा सका है। वांछित सूचना ग्राम विकास विभाग से प्राप्त होने पर श्री नेगी को उक्त पद पर नियमित करने की कार्यवाही की जायेगी।

शिक्षा विभाग, वाराणसी में नैत्यिक लिपिकों के स्थायीकरण की मांग

6--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत कितने नैत्यिक लिपिक शिक्षा विभाग में दस वर्ष या उससे अधिक समय से अविरल कार्यरत हैं और उन्हें स्थायी नहीं किया गया है? उन्हें कब तक स्थायी करके उनकी पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त कर दिया जायगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां। 53 नैत्यिक लिपिक। निकट भविष्य में स्थायी रिक्तियों के उपलब्ध होने पर स्थायीकरण संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिरसिया ठकुराई टोला, खैरपुर, मिर्जापुर में स्टाफ की कमी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कार्यरत लिपिकों का स्थानान्तरण

7--श्री राम चरण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिरसिया ठकुराई टोला, खैरपुर, मिर्जापुर में स्टाफ की कमी के सम्बन्ध में दिनांक 23-10-82 को पत्र उन्हें लिखा था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

8--श्री राम चरण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय 1982-83 में जिला विद्यालय निरीक्षक, मिर्जापुर कार्यालय में कितने लिपिक ऐसे हैं जो इसी जनपद के निवासी हैं तथा कितने वर्षों से उसी जनपद में कार्यरत हैं? क्या सरकार उनके स्थानान्तरण करने की कृपा करेंगी? यदि नहीं, तो, क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ जनपद के जूनियर व सीनियर बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या में कमी

9--श्री सन्त बक्स रावत--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के जूनियर बेसिक विद्यालय एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या अत्यन्त कम होने के कारण विद्यालय सुचारु रूप से नहीं चल पा रहे हैं ? यदि हां, तो शासन प्रशिक्षित अध्यापकों की कब तक नियुक्ति करके विद्यालय में अध्यापकों की समुचित व्यवस्था करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--.

सूचना एकत्र की जा रही है ।

न्याय पंचायत मंगारी, ब्लाक पिण्डरा, वाराणसी के सरपंच के विरुद्ध शिकायतों की जांच

10--श्री ऊदल--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि न्याय पंचायत मंगारी, ब्लाक पिण्डरा, जिला वाराणसी के अदालत पंचायत सरपंच के खिलाफ सरकार ने धोखा-धड़ी, गबन, फर्जी मुकदमा चलाने आदि के सम्बन्ध में जांच कराई है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सी0 डी0 ओ0 वाराणसी ने उक्त पत्रावली को परगना हाकिम, उत्तरी वाराणसी को 15-9-82 भेज दिया और परगना हाकिम ने अपने पत्र संख्या 544, दिनांक 14-10-82 के द्वारा शासन को भेज दिया है यदि हां ? तो उस पर अब तक क्या निर्णय लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, शासन द्वारा उक्त विषय से सम्बन्धित समस्त अभिलेख जिला अधिकारी, वाराणसी से प्राप्त कर लिए गए हैं । उसके परिनिरीक्षण से यह बात प्रकाश में आई है कि सम्बन्धित सरपंच द्वारा तथा कथित सभी मामलों में अध्यक्ष/सदस्य की हसियत से कार्य नहीं किया गया है । फिर भी इस मामले का गम्भीरता से परीक्षण किया जा रहा है और जो भी वैधानिक स्थिति सम्मुख आयेगी, उसी के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के जूनियर हाई स्कूलों में स्वीकृत पदों पर अध्यापकों का नियुक्ति न होने का कारण

11--श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे कौन-कौन से जूनियर हाई स्कूल हैं, जिनमें शासन द्वारा स्वीकृत पदों पर पांच अध्यापकों की नियुक्ति 15-12-82 तक नहीं की गई है ? इसके क्या कारण हैं ? स्वीकृत पदों पर नियुक्ति न करने के प्रति कौन उत्तरदायी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कुछ जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं, जिनको शासन द्वारा स्वीकृत पदों पर 5 अध्यापकों की नियुक्ति दिनांक 15-12-82 तक नहीं की गई, जिसके कारण निम्न हैं :—

जनवरी, 1983 में 23 संस्कृत अध्यापिकायें, विज्ञान अध्यापिकाओं की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की गई। फरवरी, 1983 में प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिकाओं की आधारित विद्यालयों की दो सूचियां पदोन्नति हेतु निकाली गईं, जिनमें 30 प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिकाओं की जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं के पद पर पदोन्नति की गई है। किन्तु इनमें से कुछ ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया तथा 11 अध्यापक/अध्यापिकाओं ने प्रत्यावर्तन ले लिया है। मई/जून, 1983 में पुनः रिक्त पदों पर भर्ती हेतु साक्षात्कार किया गया, जिसके आधार पर 11 नियुक्तियां 30-6-83 को की गई हैं। कुछ अध्यापकों की नियुक्ति आयु-सीमा से छूट प्राप्त होने पर कर दी जायगी, जिससे कमी पूरी हो जायेगी।

चूंकि स्वीकृत पदों पर नियुक्ति हेतु निरन्तर कार्यवाही की जा रही है, अतः इसके लिए किसी को उत्तरदायी होने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के सीनियर बेसिक स्कूलों एवं प्राइमरी स्कूलों में उपलब्ध कराई गई साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री

12—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के अन्तर्गत स्वीकृत जूनियर हाई स्कूलों तथा प्राइमरी स्कूलों में साज-सज्जा एवं प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा चुकी है ? यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1980-81 में स्वीकृत सीनियर बेसिक स्कूलों एवं प्राइमरी स्कूलों में साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पौड़ी-गढ़वाल द्वारा उपलब्ध करा दी गई है।

वर्ष 1981-82 में क्रय मूल्य की दरों में वर्ष 1980-81 की अपेक्षा अधिक अन्तर होने के कारण इन दरों के समायोजन एवं पुनः निर्धारण हेतु जिला क्रय समिति की बैठकें आयोजित की गई, परन्तु कोई निर्णय न हो पाने के कारण विद्यालयों को अपेक्षित साज-सज्जा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

वर्ष 1982-83 में 5180 टाट-पट्टियां पंचायत उद्योगों द्वारा आपूर्ति की गई थीं, जिसका वितरण विद्यालयों को किया जा चुका है। साज-सज्जा के क्रय मूल्य की दरें अभी निर्धारित की जानी हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद्, मैनपुरी के प्रा० स्कूल, इटाहरी एवं खेरिया शिकमी गोहाना के भवन का निर्माण

13—श्री हरगोविन्द वर्मा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 33 व 114 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि

प्रश्नगत विद्यालयों के भवनों के निर्माण के लिए चयन जिला परामर्शदात्री समिति में स्वीकृत हो कर मुख्य अधिकारी जिला परिषद्, मैनपुरी के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है ? यदि हां, तो भवन निर्माण विद्यालय में अब विलम्ब क्यों हो रहा है ? क्या शासन द्वारा प्रश्नगत विद्यालय भवन प्राथमिकता के आधार पर बनाए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जिला योजनान्तर्गत बेसिक परिषदीय स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु जितनी धनराशि का प्राविधान जिस जिला को होता है, उस धनराशि का अनुदान शासन द्वारा उस जिले को स्वीकृत कर दिया जाता है । उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृत अनुदान की धनराशि से जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा चयनित स्कूलों के भवनों का ही निर्माण/पुनर्निर्माण होता है । शासन द्वारा कोई प्राथमिकता निर्धारित नहीं की जा सकती है ।

जनपद मैनपुरी में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत फरिहा से अवागढ़ तक सड़क पर मिट्टी का कार्य

14—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी के विकास क्षेत्र, खैरगढ़ व एका के अन्तर्गत खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत फरिहा से अवागढ़ तक सड़क पर मिट्टी का कार्य पूरा हो गया है ? क्या पक्की सड़क बनाने के सम्बन्ध में श्री रघुनाथ सिंह वर्मा, एम0 पी0 का पत्र दिनांक 27-10-81 एवं स्मरण-पत्र दिनांक 3-5-82 को उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो प्रश्नगत सड़क को पक्की कराने में विलम्ब के क्या कारण हैं ।

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत विकास खण्ड, एका में फरिहा से अवागढ़ सम्पर्क मार्ग का मिट्टी का कार्य खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत पूर्ण कराया गया था । इस कच्ची सड़क को पक्की सड़क कराने हेतु श्री रघुनाथ सिंह वर्मा, संसद सदस्य का पत्र प्राप्त हुआ था । जिला योजना सलाहकार समिति का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण इस कार्य को वर्ष 1983-84 की जिला योजना में पक्की कराने हेतु सम्मिलित नहीं किया जा सका है ।

श्री सुखदेव यादव, निवासी ग्राम भुआंपुर, जिला फैजाबाद द्वारा फर्जी स्कूल दिखा कर ग्रान्ट लिए जाने के सम्बन्ध में जांच

15—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री सुखदेव यादव, निवासी ग्राम भुआंपुर, मौजा मेवापुर, मुतालके देवगांव, जिला फैजाबाद द्वारा फर्जी स्कूल दिखा कर

जालसाजी द्वारा सरकार से 3,000 रु0 की ग्रांट लिए जाने के विषय में श्री राम औतार दीक्षित, विधायक का कोई पत्र, माह जनवरी, 1983 में परगनाधिकारी द्वारा जांच कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या परगनाधिकारी द्वारा जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद द्वारा जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार सुखदेव किसान जूनियर हाई स्कूल भुआंपुर को 3,000 रु0 का अनुदान विभाग द्वारा नहीं दिया गया। मान्यता हेतु निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के कारण उक्त विद्यालय को दी गई सशर्त अस्थायी मान्यता दिनांक 4 फरवरी, 1983 को समाप्त कर दी गई है।

कन्या पाठशाला, बेवाना, फैजाबाद की मृत अध्यापिका के आश्रित पति को नौकरी दिये जाने की कार्यवाही

16--श्री गोपीनाथ दीक्षित--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18-11-82 को श्रीमती कमला साहनी, सदस्या, विधान सभा के पत्र के साथ श्री सन्त प्रसाद उपाध्याय का कोई प्रार्थना-पत्र जो कन्या पाठशाला, बेवाना, फैजाबाद की मृत अध्यापिका के आश्रित पति को चतुर्थ श्रेणी में नौकरी के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

जी हां।

सूचना एकत्र की जा रही है।

मथुरा जनपद में उर्दू के प्राइमरी विद्यालय एवं छात्र तथा अध्यापकों की संख्या

17--श्री सरदार सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31-12-82 को मथुरा जनपद में उर्दू के कितने प्राइमरी विद्यालय हैं एवं उनकी छात्र एवं अध्यापक संख्या कितनी-कितनी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मथुरा जनपद में 6 उर्दू प्राइमरी विद्यालय हैं। उनकी छात्र संख्या 965 तथा अध्यापक संख्या 25 है।

जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, मथुरा द्वारा विशेष अवकाश घोषित किये जाने का औचित्य

18--श्री सरदार सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5, 6 व 7 जनवरी, 1983 को जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, मथुरा ने प्राइमरी बेसिक विद्यालयों में आम अवकाश घोषित किया था ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं। दिनांक 6 जनवरी, 1983 को शिक्षक सम्मेलन के अवसर पर ऐसे अध्यापकों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा द्वारा विशेष अवकाश दिया गया था जो उक्त सम्मेलन में भाग लेने के इच्छुक थे।
प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती कमला देवी (द्वितीय) सहायक अध्यापिका, जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद, बाराबंकी का वेतन समायोजित करने के आदेश

19--श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री हरिवंश सहाय--

प्रथम सत्र 1982 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 195 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतन समायोजित करने का आदेश किस अधिकारी द्वारा दिया गया ? क्या अगले माह में वेतन समायोजित कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सम्बन्धित अध्यापिका माह सितम्बर, 1980 में अवकाश पर रही ? यदि हां, तो वेतन क्यों आहरित किया गया ? तथा आहरित होने के बाद समायोजित करने के आदेश सहित भुगतान क्यों नहीं कराया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा सीनियर बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्तियां तथा उक्त नियुक्तियों में विभागीय अध्यापकों की संख्या

20--श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री हरिवंश सहाय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल/मई, 1982 में बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी ने कुछ संस्कृत/विज्ञान अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्तियां सीनियर बेसिक विद्यालयों में की हैं ? यदि हां, तो कितनी ? क्या क्राफ्ट टीचरों की भी नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

21--श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री हरिवंश सहाय--

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त की गई नियुक्तियों में से विभागीय अध्यापक कितने हैं ? क्या विभागीय अध्यापक/अध्यापिकायें न मिलने पर बाहरी अध्यापकों की नियुक्तियां की गयीं ? यदि हां, तो कितनी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

बेसिक शिक्षा परिषद्, मैनपुरी के शिक्षकों के अवशेष धन का भुगतान

22—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी की बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षकों का बढ़ातर., महंगाई व वेतन का अवशेष धन भुगतान के लिए बकाया है ? यदि हां, तो अवशेष धन को भुगतान करने में विलम्ब क्यों है ? क्या शासन द्वारा प्रश्नगत भुगतान कराया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन का भुगतान, नियुक्ति एवं दन्ड का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा स्वीकृति

23—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या सरकार का ज्ञात है कि मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को शासन ने 1973 में अपने अधीन कर लिया है ? क्या यह सही है कि प्रश्नगत विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन का भुगतान, नियुक्ति एवं दन्ड जिला विद्यालय निरीक्षक की स्वीकृति से ही होता है ? यदि हां, तो क्या ऐसे अध्यापक पंचायत चुनाव में पद प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं ? यदि हां, तो क्यों? क्या बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षक भी चुनाव लड़ने के अधिकारी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम बेहटा सघई, हरदोई के बेसिक तथा जूनियर बालिका विद्यालय के भवनों की मरम्मत, पीने का पानी व टाट पट्टी की व्यवस्था

24—श्री मित्र सेन—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि ग्राम बेहटा सघई, तहसील व जिला हरदोई के अन्तर्गत एक बेसिक प्राइमरी पाठशाला तथा एक जूनियर बालिका विद्यालय हैं, जिनके भवन जर्जर अवस्था में हैं तथा वहां पर टाट-पट्टी व पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उक्त विद्यालयों के भवनों की मरम्मत व टाट-पट्टी व पीने के पानी की व्यवस्था अविलम्ब कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत विद्यालय भवन जर्जर नहीं हैं । केवल साधारण मरम्मत, सफाई व पुताई की आवश्यकता है, जिसकी वार्षिक मरम्मत में व्यवस्था कर दी गई है । उक्त दोनों स्कूलों में पीने के पानी व टाट-पट्टी आदि की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा परिषद्, मैनपुरी के कर्मचारियों का अनिवार्य जमा योजना की धनराशि का भुगतान

25--श्री हरगोविन्द वर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 7वें मंगलवार दिनांक 31 मार्च, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किस अध्यापक का कितना रुपया सी0 डी0 एस0 में जमा हुआ था और उसको कितने रुपयों का भुगतान किया गया और किस अध्यापक का कितना रुपया भुगतान के लिए शेष है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शिक्षा मन्त्री को यह भी ज्ञात है कि विलम्ब करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कब क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला बिजनौर में कार्यरत सहायक पर्यवेक्षकों व प्रसार अध्यापकों के मार्ग व्यय बिलों का भुगतान

26--श्री धम्मन सिंह गहलौत--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला बिजनौर में कार्यरत सहायक पर्यवेक्षकों व प्रसार अध्यापकों के दिनांक 1 अप्रैल, 1973 से 31 अक्तूबर, 1982 तक के मार्ग व्यय बिलों का भुगतान किस तारीख को किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक भुगतान करा दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती भगवनिया देवी, सेविका, कन्या जूनियर हाई स्कूल, कमासिन, जिला बांदा को पूर्णकालिक पद पर समायोजित किये जाने की मांग

27--श्री भीखा लाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती भगौनिया देवी, सेविका, कन्या जूनियर हाई स्कूल, कमासिन, विकास खन्ड, कमासिन, जिला बांदा का सचिव बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद् 3268-एक-2/78-79, दिनांक 19 फरवरी, 1979 द्वारा 165 रु0 वेतन पर पूर्णकालिक पद पर समायोजित किया गया था ? यदि हां, तो क्या सेविका को निर्धारित वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

जी नहीं ।

श्रीमती भगवनिया देवी नाम की कोई सेविका कन्या जूनियर हाई स्कूल कमासिन, जिला बांदा में कार्यरत नहीं है । श्रीमती भगवनिया नाम का एक स्कूल माता उक्त स्कूल में कार्यरत है जिसके पूर्ण कालिक पद पर समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में कोई आदेश सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा जारी नहीं किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्राइमरी पाठशाला काली जगदीशपुर, जिला बस्ती के अध्यापकों का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

28—श्री परमात्मा प्रसाद सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला, काली जगदीशपुर, तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती में कितने ऐसे अध्यापक हैं जो विगत पांच वर्षों या अधिक समय से उक्त पाठशाला में ही तैनात हैं ? अब तक उनके स्थानान्तरण न किए जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार ऐसे समस्त अध्यापकों को तुरन्त स्थानान्तरण के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सात अध्यापक ।

कार्य एवं आचरण अच्छा होने के कारण अध्यापकों का स्थानान्तरण नहीं किया गया है ।

जी नहीं । क्योंकि ऐसा करना जनहित में न होगा ।

श्री बच्चू सिंह, अध्यापक, शहीद भगत सिंह बाल विद्यालय, आगरा की सेवा समाप्ति

29—श्री बदन सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि श्री बच्चू सिंह, अध्यापक, शहीद भगत सिंह बाल विद्यालय, औलिया रोड, आगरा को वहां के मैनेजर ने दिनांक 23-11-1982 को अकारण ही सेवा समाप्त कर दी है ? यदि हां, तो शासन उक्त अध्यापक को उसी विद्यालय में फिर से लेने की व्यवस्था शीघ्र करेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

शहीद भगत सिंह बाल विद्यालय, ओलिया रोड, आगरा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है । अतः श्री बच्चू सिंह अध्यापक के प्रकरण में शासन द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।

बेसिक शिक्षा परिषद्, सीतापुर के अधीन प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति न करने का कारण

30—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर ने दिसम्बर, 1982 में सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश को यह सूचित किया है कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन चालू प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति के मानक के अनुसार लगभग 500 स्थान अध्यापकों के रिक्त हैं और स्थान भरने हेतु नियुक्ति की अनुमति मांगी है । यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? छात्रों की पढ़ाई की हानि को ध्यान में रखते हुए तत्काल अध्यापकों की नियुक्ति न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्राइमरी पाठशाला, सिसई रानीपुर, जनपद गोन्डा का भवन निर्माण

31—श्री माता प्रसाद पान्डेय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 6ठे मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 117 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्यालय भवन के निर्माण में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राइमरी पाठशाला, सिसई रानीपुर, जनपद गोन्डा के भवन पुनर्निर्माण हेतु नजरी नक्शा आदि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को उपलब्ध करा दिया गया था। भवन निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

स्वावलम्बी इन्टर कालेज, विशुनपुरा में सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति तथा जे0 टी0 सी0 वेतनक्रम से सी0 टी0 वेतन क्रम की मांग

32—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर स्थित स्वावलम्बी इन्टर कालेज, विशनपुरा में जुलाई, 1963 में जे0टी0सी0 वेतन-क्रम में कौन-कौन से सहायक शिक्षक नियुक्त हुए और पांच साल की शिक्षण अवधि पूरी करने के बाद की तिथि से सुमोटो पद्धति में वर्ष 1974 से वर्ष 1979 के बीच पदोन्नति दे दी गयी ? इस श्रेणी में आने वाले किन-किन शिक्षकों ने पांच साल पूरा होने के बाद जे0टी0 सी0 वेतन-क्रम में किये गये कार्य पर सी0टी0 वेतनक्रम की धनराशि की मांग प्रबन्धक अंशदान कोष से देने हेतु स्थानीय अधिकारियों व शासन से माह जनवरी, 1982 से माह अक्तूबर, 1982 के अन्दर कितनी बार सूचना देकर मांग किया है ? इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी और नहीं की, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला वाराणसी के कतिपय ब्लाकों में बेसिक प्राइमरी पाठशाला के विभिन्न अध्यापकों की सचिव के फर्जी आदेश बना कर नियुक्तियां व ट्रांसफर की जांच

33—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि बेसिक प्राइमरी पाठशाला, राजापुर, ब्लाक हरदुआ, प्रा0पा0 मझमिटिया, ब्लाक हरदुआ, प्रा0पा0, प्रकाशपुर, ब्लाक भदोही कन्या प्राइमरी पाठशाला बड़ागांव, जूनियर हाई स्कूल मोढ़, ब्लाक सुरयावां, तथा प्राइमरी पाठशाला, बनपुरवा ब्लाक बड़ागांव, विद्यापीठ जिला वाराणसी में क्रमशः राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय, श्रीमती मिथिलेश तिवारी, राज समुझ सिंह, उर्मिला देवी एवं विज्ञान अध्यापक मोढ़ तथा प्रधानाध्यापक बनपुरवा की नियुक्तियां व ट्रांस्फर फर्जी आदेश बना कर दिया गया था ? क्या यह सही है कि श्रीमती मिथिलेश तिवारी की नियुक्ति अगस्त, 1981 से की गयी है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

34--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि सैकड़ों अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्तियां व ट्रांस्फर सचिव के फर्जी आदेश बनाकर तथा फर्जी बी० बी० सी० ट्रेनिंग सर्टीफिकेट देकर किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? क्या यह सत्य है कि लाखों रुपया सरकारी कोष से तनख्वाह में दिया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचया एकत्र की जा रही है ?

श्री शिव प्रसाद राय सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला सौदो जनपद आजमगढ़ के वेतन का भुगतान

35--श्री राज कुमार राय--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शिव प्रसाद, सहायक अध्यापक, जिला, परिषद्, आजमगढ़ को सितम्बर, अक्तूबर, 1982 माह के वेतन देने के बारे में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 4-10-1982 शासन को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उन्हें इतने दिनों बाद तक वेतन न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माननीय विधायक का पत्र दिनांक 4-10-82 शासन को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता । श्री शिव प्रसाद राय, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, सौदी, जनपद आजमगढ़ का माह सितम्बर, अक्तूबर, 1982 का वेतन का भुगतान उन्हें नियमित वेतन बिल के साथ किया जा चुका है ।

प्राइमरी पाठशाला, लारपुर, जनपद फैजाबाद में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती-पत्र की जांच

36--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला, लारपुर, जनपद फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 4-10-1982 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले की जांच किस अधिकारी द्वारा किस तिथि को की गयी तथा जांच के दौरान शिकायतकर्ता से भी लिखित या मौखिक बयान लिया गया ? यदि हां, तो सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ?

गढ़वाल मन्डल के शिक्षा विभाग में एल0 टी0 तथा एस0 एस0 ई0एस0 वेतनक्रम में पदोन्नति तथा विभागीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन

37--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मन्डल के अन्तर्गत शिक्षा विभाग में इस समय एल0 टी0 तथा एस0 एस0 ई0 एस0 के कितने-कितने अध्यापक ऐसे हैं जिन्हें 1971 के पश्चात् निचले सम्बर्ग सी0 टी0 या एल0 टी0 में विभागीय पदोन्नति देकर एल0 टी0 और एस0 एस0 ई0 एस0 में नियुक्त किया गया है ? किन्तु अभी तक उनका विभागीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया ? यदि हां, तो उक्त श्रेणी के अध्यापकों का विभागीय चयन समिति द्वारा शीघ्र अनुमोदन हेतु शिक्षा निदेशक द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी तथा उन्हें कब तक अनुमोदन करा कर विभागीय कोटे के अन्तर्गत वर्तमान पदों में स्थायी किया जायेगा ?

श्री स्वरूप कुमारी बख्शी--

सी0 टी0 से एल0 टी0 वेतनक्रम में कुल 239 अध्यापक तथा एल0 टी0 से एस0 एस0 ई0 एस0 वेतनक्रम में कुल 467 प्रवक्ता तदर्थ रूप से कार्यरत हैं। नियमानुसार आयोग को कुछ अधियाचन भेजे जा चुके हैं तथा और अधियाचन भेजे जा रहे हैं। आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाने के उपरान्त ही स्थायीकरण सम्भव होगा।

जिला परिषद्, बिजनौर के सेवामुक्त अध्यापकों की पेन्शन भुगतान में विलम्ब के सम्बन्ध में पत्र

38--श्री धम्मन सिंह गहलौत--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें दिनांक 3-11-1982 को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र जो जिला परिषद्, बिजनौर के सेवामुक्त अध्यापकों को पेन्शन भुगतान में विलम्ब तथा धांधलेबाजी किये जाने के सम्बन्ध में मिला है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

सूचना एकत्र की जा रही है।

कार्यालय, उप निदेशक शिक्षा, बरेली मंडल, बरेली में शिविर लिपिक की नियुक्ति

39--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्यालय, उप निदेशक शिक्षा, बरेली मंडल, बरेली में सन् 1982 में ऐसे कितने शिविर लिपिक नियुक्त किए गये हैं जो शिविर लिपिक की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो चुके हैं ? क्या ऐसे अनुत्तीर्ण लिपिकों को स्थायी भी कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस अव्यवस्था के लिये कौन अधिकारी दोषी है और सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

शिविर लिपिक की परीक्षा में अनुत्तीर्ण किसी व्यक्ति की नियुक्ति 1982 में नहीं की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय कन्या इंटर कालेज, झांसी के प्रबन्धाधिकरण द्वारा अध्यापिकाओं को अवकाश वेतन न स्वीकार किया जाना

40—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि राष्ट्रीय कन्या इंटर कालेज, झांसी के प्रबन्धाधिकरण द्वारा विद्यालय की अध्यापिकाओं को किसी भी प्रकार का अवकाश वेतन नहीं स्वीकार किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? 1977 से अगस्त, 1982 तक किन-किन अध्यापिकाओं की कितने-कितने दिनों के अवकाश की कितनी धनराशि की कटौती की गयी ? प्रबन्धाधिकरण के इस आचरण के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री ओ0 एन0 सक्सेना, शिक्षा अधीक्षक, ललितपुर के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

*41—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री ओ0 एन0 सक्सेना, शिक्षा अधीक्षक, ललितपुर के सम्बन्ध में दिनांक 18-11-81 को एक शिकायती-पत्र दिया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । प्राप्त शिकायती-पत्र दिनांक 12 नवम्बर, 1981 का है । शिकायतों की प्रारम्भिक जांच के आधार पर शिक्षा अधीक्षक, ललितपुर श्री ओ0 एन0 सक्सेना को आरोप-पत्र हस्तगत कराया जा चुका है और बेसिक शिक्षा अधिकारी, ललितपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माध्यमिक विद्यालयों द्वारा अनिवार्य जमा किस्त की धनराशि का स्टाफ को वितरित न होना

42—श्री धर्मवीर सिंह त्यागी—

क्या शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि ऐसे माध्यमिक विद्यालय कितने हैं जिन्होंने भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर के यहां से एक भी अनिवार्य जमा किस्त वापस लेकर 31-12-81 तक स्टाफ को वितरित नहीं की है ? सरकार ने ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ के बेसिक शिक्षकों को लोक सभा एवं विधान सभा के चुनाव भत्ते का भुगतान

43—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के बेसिक शिक्षकों को 1980 के लोक सभा एवं विधान सभा के चुनाव भत्ते का भुगतान आज तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आजमगढ़ जनपद के 1980 के लोक सभा तथा विधान सभा चुनावों से सम्बन्धित यात्रा भत्ते का भुगतान 489 शिक्षकों को कर दिया गया है । शेष शिक्षकों के वेयकों के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । कोई निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है ।

कुमाऊं मंडल के मंडलीय स्तर पर अनिस्तीर्ण प्रकरणों की संख्या

44—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमाऊं मंडल के मंडलीय स्तर पर कितने वक्षतारोक, अवकाश, टी0 ए0 बिल, पद सृजन, प्रोन्नति के मामले सन् 1978 से 1981 तक अनिस्तीर्ण पड़े हैं ? क्या सरकार अविलम्ब इनके निस्तारण के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मंडलीय स्तर पर वर्ष 1978 से 1981 तक अनिस्तीर्ण प्रकरणों की संख्या निम्नवत् है:—

	पुरुष	महिला	योग
व0 रो0	..	31	31
अवकाश	..	18	18
टी0 ए0 बिल	..	195	195
पद सृजन	11	3	14
प्रोन्नति	..	..	..

शिक्षा निदेशक को आदेश दे दिए गए हैं । प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापक तथा अध्यापिकाएं व आरक्षण कोटा

45— श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं में 3 मार्च, 1982 को कुल कितने अध्यापक तथा अध्यापिकायें अलग-अलग थीं तथा उनमें से कितने अनुसूचित जाति के, कितने जनजाति के, कितने पिछड़े वर्ग के तथा कितने अल्पसंख्यक वर्ग के थे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मिशन स्कूल, जाफरगंज, जिला फैजाबाद में हाई स्कूल की मान्यता हेतु प्रार्थना-पत्र

46—श्री जिया राम शुक्ल 'विकल साकेती'—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिशन स्कूल, जाफरगंज, जिला फैजाबाद में विद्यालय भवन के 18 कमरे दो मंजिला इमारत के रूप में बनकर तैयार हैं ? क्या प्रबन्धक ने सारी शर्तें पूरी करके दो वर्ष पहले ही हाई स्कूल की मान्यता के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो आज तक उपरोक्त विद्यालय को मान्यता न देने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह सूचना सम्प्रति उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

प्रश्नगत विद्यालय से विगत तीन वर्षों में वर्ष 1983, 1984 तथा 1985 की परीक्षा से हाई स्कूल की मान्यता हेतु कोई आवेदन-पत्र विधिवत रूप से माध्यमिक शिक्षा परिषद् कार्यालय में प्राप्त न होने के कारण मामले में कोई कार्यवाही करने का अवसर उत्पन्न नहीं हुआ ।

कालपी मण्डी समिति में कर्मचारियों की नियुक्तियां

47—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद जालौन की कालपी मण्डी में अगस्त, सितम्बर, 82 में कितने कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयी थीं ? इन कर्मचारियों को कितने दिन तक डेली वेजेज पर रख कर वर्कचार्ज में लेकर स्थायी कर दिया गया था ? क्या यह सही है कि नये प्रशासक ने उन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री यशपाल सिंह—

कालपी मण्डी समिति में दैनिक वेतन के कार्यरत 5 कर्मचारियों (4 कर्मचारी 17 दिन तक तथा लगभग 3 वर्षों से अधिक से कार्यरत) को दिनांक 2-9-1982 को नियमित परन्तु पूर्णतया अस्थायी रूप के नियुक्त किया गया था । किसी को भी स्थायी नहीं किया गया ।

उक्त नियुक्तियां वर्कचार्ज/दैनिक वेतन तथा सीजनल आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के स्टाफिंग पैटर्न में उपलब्ध रिक्त पदों पर नियमितीकरण विषयक जारी किये गये मण्डी परिषद् के निर्देशों के अनुरूप न होने के कारण सभापति द्वारा दिनांक 22-9-1982 को 4 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गयीं और एक कर्मचारी को दैनिक वेतन पर वाटरमैन के पद पर नियुक्त कर दिया गया।

48--श्री मोती लाल देहलवी--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

कदोरा इन्टर कालेज, जिला जालौन के हिन्दी प्रवक्ता द्वारा हिन्दू धर्म की आलोचना किये जाने के सम्बन्ध में छात्रों का प्रार्थना-पत्र

49--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें अपर शिक्षा निदेशक (मा0) इलाहाबाद के माध्यम से कोई प्रार्थना-पत्र कदोरा इन्टर कालेज, (जिला जालौन) के छात्रों द्वारा हस्ताक्षरित जो माता प्रसाद प्रजापति, प्रवक्ता हिन्दी द्वारा हिन्दू धर्म की आलोचन किए जाने के सम्बन्ध में है, जनवरी, 1983 के प्रथम सप्ताह या दूसरे सप्ताह में मिला है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

जिला विद्यालय निरीक्षक, जालौन द्वारा संदर्भित शिकायती-पत्र पर स्थलीय जांच की गयी। आरोप निराधार पाये गये।

श्री कृष्ण हाई स्कूल, जिला देवरिया में कक्षावार छात्रों की संख्या

50--श्री नन्दकिशोर सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री कृष्ण हाई स्कुल, हाता, पो0 बंकुल, जिला देवरिया में दिनांक 31-12-82 को कक्षा 6 से कक्षा 10 तक कक्षावार कितने छात्र हैं ? कुल कितने सेक्शन हैं ? इन सेक्शनों को पढ़ाने के लिए कितन अध्यापक हैं ? तथा कितने अध्यापकों की और आवश्यकता है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री कृष्ण हाई स्कूल, हाता, पो0 बंकुल, जिला देवरिया में 31-12-82 को कक्षा 6 से 10 तक कक्षावार छात्र संख्या इस प्रकार है :

कक्षा 6	130
कक्षा 7	132
कक्षा 8	141
कक्षा 9	73
कक्षा 10	89
योग ..	565

इस विद्यालय में पांच सेक्शन हैं एवं बारह अध्यापक कार्यरत हैं। प्रबन्धक द्वारा यदि मानक के अनुसार सक्षम अधिकारी से अतिरिक्त सेक्शन निर्मित कराये जाते हैं तो पांच अध्यापकों की और आवश्यकता पड़ेगी।

51--श्री शंकर सिंह--

[1ले बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 201 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सर्वोदय इन्टर कालेज, पिलखुआ, जिला गाजियाबाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही

52--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सर्वोदय इन्टर कालेज, पिलखुआ, जिला गाजियाबाद के प्रबन्ध तन्त्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के कारण शिक्षा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-डी की कार्यवाही कालेज के खिलाफ होना विचाराधीन है ? यदि हां, तो आरोप क्या है ? पहली नोटिस कालेज को कब दी गयी तथा अब तक अन्तिम कार्यवाही न कर पाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

विद्यालय का विशेष आडिट करा लिया गया है। अभी माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-डी में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

कुंवर दयाशंकर ई0 एम0 इन्टर कालेज, बरेली के प्रबन्ध के पूर्व प्रबन्धाधिकारों की कथित वापसी

53--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला विद्यालय, निरीक्षक, बरेली द्वारा उप शिक्षा निदेशक (तृतीय मण्डल), बरेली को अपने पत्रांक संख्या शि0 ह0/2295/81-82, दिनांक 21-8-81 द्वारा यह संस्तुति की गयी है कि कुंवर दयाशंकर ई0 एम0 इन्टर कालेज, बरेली में नियुक्त साधिकार नियन्त्रक पद समाप्त कर उसका प्रबन्ध पूर्व प्रबन्धाधिकरण को सौंप दिया गया ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? पूर्व प्रबन्ध समिति को प्रबन्ध कब वापस किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सभापति, कृषि मन्डी समिति, स्याना, बुलन्दशहर द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र की जांच

54--श्री छत्तर सिंह--

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि सभापति, कृषि मण्डी समिति, स्याना, बुलन्दशहर ने 12-2-80 को निदेशक, मण्डी परिषद्, लखनऊ को एक शिकायती-पत्र मण्डी कर्मचारियों के बारे में लिखा था जिस पर दिनांक 11-3-80 को निदेशक व जिलाधीश, बुलन्दशहर को जांच हेतु आदेश किए थे ? यदि हां, तो जांच किसने की तथा जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री यशपाल सिंह—

मण्डी कर्मचारीगण स्थाना के विरुद्ध संदर्भित शिकायती-पत्र जांच हेतु जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को भेजा गया था। शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच संदर्भित शिकायती-पत्र प्राप्त होने तक अन्य स्थानीय शिकायतों के आधार पर तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा की गयी। जांच रिपोर्ट से प्रश्नगत शिकायतों में कोई सार प्रतीत नहीं हुआ जिससे उस पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।

जनपद गोरखपुर के स्वावलम्बी इन्टर कालेज, विशुनपुरा के शिक्षकों का अवशेष वेतन

55—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के स्वावलम्बी इन्टर कालेज, विशुनपुरा में सन् 1967 से 1968 के बीच के किन-किन शिक्षकों को प्रबन्धकीय अंशदान से अवशेष वेतन पाना है? क्या इस संदर्भ में जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर ने अपने कार्यालय के पत्रांक मा—1/8178/82-83, दिनांक 25-8-82 में कोई पत्र उक्त विद्यालय के प्रबन्धक को लिखा है? यदि हां, तो अब तक अवशेष वेतन भुगतान न करने के क्या कारण हैं तथा इस विलम्ब के लिए कौन दोषी है तथा कुल कितनी धनराशि आती है जो देय है। कब तक भुगतान दे दिया जायगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

जी हां।

उक्त पत्र के उत्तर में संस्था के प्रबन्धक ने बताया कि श्री फिरंगी प्रसाद विशारद 1-12-68 से 30-6-80 तक अवैतनिक अवकाश पर रहे। यह अवधि शिक्षण अनुभव में जोड़ते हुये उन्हें सूमोटो प्रोन्नति करना सम्भव न होने से अवशेष भुगतान का प्रश्न नहीं है। प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के स्वावलम्बी इन्टर कालेज, विशुनपुरा में शिक्षकों व गैर शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाएं

56—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के स्वावलम्बी इन्टर कालेज, विशुनपुरा में नियुक्त अधिकांश शिक्षकों व गैर शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाएं विगत कई वर्षों से अधूरी हो पड़ी हुई हैं जिसके कारण इन कर्मचारियों को मिलने वाली अनेक सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है? यदि हां, तो क्या शीघ्र ही इन शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाएं ठीक कराकर नियमित करा दी जायेंगी? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सभी शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिकायें पूर्ण हैं अतः इस सम्बन्ध में अन्य किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

इन्टर एवं हाई स्कूल में अनुचित साधनों के प्रयोग के कारण रोके गये परीक्षाफल

57—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि वर्ष 1982 की इन्टर एवं हाई स्कूल परीक्षा में कितने परीक्षार्थियों का परीक्षाफल अनुचित साधनों के प्रयोग के कारण रोक दिया गया ? क्या निस्तारण समितियों द्वारा इसकी जांच करायी गयी ? अब तक कितने परीक्षार्थियों का परीक्षा फल घोषित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सन् 1982 की हाई स्कूल/इन्टर परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत कुल 27,492 परीक्षार्थियों का परीक्षाफल रोका गया था । इनमें से 27,490 प्रकरण निस्तारित हो चुके हैं । अब केवल 2 प्रकरण अवशेष हैं, जो या तो जांच समिति के समक्ष उपस्थित न होने या परिषद् कार्यालय द्वारा प्रेषित आरोप पत्र का उत्तर न देने के कारण अनिस्तारित रह गये हैं ।

उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मंडल द्वारा प्राप्त हाउस एलाउन्स तथा सरकारी आवास के किराये का भुगतान

58—श्री भोला पाण्डेय तथा श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मण्डल को कितना हाउस एलाउन्स मिलता है और क्या उन्होंने अपने सरकारी आवास का किराया जमा किया है ? यदि हां, तो कितना और कब-कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रामस्वरूप ग्रामोद्योग इन्टर कालेज, पुखरायां, कानपुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध श्री राजेन्द्र सिंह सचान का शिकायती पत्र तथा जांच

59—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि गृह सचिव (श्री राम चन्द्र टकरू) को गृह राज्य मन्त्री, भारत सरकार की ओर से उनके अतिरिक्त/वैयक्तिक सचिव द्वारा अग्रसारित 3 जुलाई, 1982 को श्री राजेन्द्र सिंह सचान का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र में मुख्य-मुख्य आरोप क्या हैं ? और उनके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । उक्त शिकायती-पत्र म श्री रामस्वरूप ग्रामोद्योग इन्टर कालेज, पुखारायां, कानपुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप लगाये गये थे :--

1--व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की बोर्ड की परीक्षा शुल्क खाता नम्बर 648 स्टेट बैंक आफ इन्डिया, भोगनीपुर से दिनांक 19-1-1980 को 5,000 रुपये (पांच हजार) व्यक्तिगत कार्य हेतु निकाला ।

2--प्रधानाचार्य द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती राजकुमारी का दाखिला निर्धारित शैक्षिक योग्यता न रखते हुए भी नवम्बर 1968 में कक्षा 8 में कर लिया ।

3--हाई स्कूल एवं इन्टर कक्षाओं के हरिजन छात्रों की अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, विषय की कोचिंग वरिष्ठ एवं स्थायी अध्यापकों से न करा कर अस्थायी अध्यापकों से करायी तथा बिना पढ़ाये श्री एस०के० तिवारी को पारिश्रमिक का भुगतान कराया ।

4--वार्षिक स्टैन्ड से प्राप्त धन का हिसाब-किताब नहीं रखा तथा धन का उपयोग अपने निजी कार्यों के लिए किया । इन शिकायतों की जांच की गयी । जांच के आधार पर प्रधानाचार्य को विभागीय नियमों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है । जांच में विद्यालय के प्रधानाचार्य पर गबन, भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ ।

लघु माध्यमिक विद्यालय, शहाबुद्दीनपुर, जिला सुल्तानपुर के लिपिक श्री जयराम सिंह को नियमित करने के लिए जांच रिपोर्ट पर निर्णय

60--श्री हरिवंश सहाय, श्री झग्गड़ सिंह, श्री जसवन्त सिंह विष्ट, श्री रुद्र प्रताप सिंह तथा श्री विद्या सागर नौटियाल--

क्या सरकार बतायेगी कि लघु माध्यमिक विद्यालय, शहाबुद्दीपुर, जिला सुल्तानपुर के लिपिक श्री जयराम सिंह को नियमित करने के सम्बन्ध में वर्ष 1981-82 में श्री गणेशदत्त मिश्रा, डी० आई०, सुल्तानपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

जांच रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है ।

61--श्री हरिवंश सहाय, श्री झग्गड़ सिंह, श्री जसवन्त सिंह विष्ट, श्री रुद्र प्रताप सिंह तथा श्री विद्या सागर नौटियाल--

क्या सरकार यह भी बतायेगी जांच रिपोर्ट के आधार पर अब तक क्या निर्णय लिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अभी निर्णय नहीं लिया गया है । प्रकरण उप शिक्षा निदेशक, नवम् मण्डल, फैजाबाद के विचाराधीन है ।

62—श्री कुबेर भंडारी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

शिक्षा विभाग में राजपत्रित सम्वर्ग तथा अधीनस्थ शिक्षा सेवा में रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां

63—श्री तपेश्वर—

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में राजपत्रित सम्वर्ग के श्रेणी एक और दो तथा अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) के जो स्थान रिक्त हैं उनको शासन तथा विभाग द्वारा भरने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1972 में सर्वोच्च न्यायालय के एक स्थगन आदेश के कारण समूह 'क' के पदों पर अभी तक नियमित चयन नहीं कराया जा सका है और तदकारण नीचे के पदों पर अधिकारियों का लियेन बने रहने के कारण उन पर भी नियमित चयन नहीं हो पाया है। जब-जब आवश्यकता पड़ती है तदर्थ नियुक्तियां कर रिक्तियां भरी जाती हैं।

जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर द्वारा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया शपथ-पत्र तथा आवश्यक तथ्यों का समावेश

64—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या 1982 के प्रथम-सत्र के तीसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 153 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे की जब बी0 के0 हायर सेकेण्डरी स्कूल के अस्थायी प्रधानाचार्य नियुक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर द्वारा नियमतः अनुमोदन नहीं हुआ है और इसी प्रकार जब छोटेलाल (हरिजन) आदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उक्त प्रधानाचार्य द्वारा अनियमित रूप से निकाला जाना भी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदित नहीं है तो क्या जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर द्वारा समय पर उच्च न्यायालय को इन उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराया गया है ? यदि हां, तो कब व जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उच्च न्यायालय को क्या लिखा गया था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां। जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 1982 को उच्च न्यायालय में प्रति शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें समस्त आवश्यक तथ्यों का समावेश कर दिया गया है।

बी0 के0 हायर सेकेन्डरी स्कूल, कुर्सी खेड़ा, कानपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवायें समाप्त किए जाने विषयक पत्र

65—श्री मोती लाल देहलवी—

1982 के प्रथम सत्र के पांचवें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 175 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि एकत्र की गई सूचना क्या है और इस मामले में शासन की ओर से क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सदर्भित अतारांकित प्रश्न सख्या 175 तृतीय सत्र 1981 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सख्या 70 की पुनः सख्या क्रम है। उक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 70 के विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 में अतारांकित प्रश्न सख्या 93 पर पुनः निर्धारित होने पर उसका उत्तर दिया गया। (उत्तर की प्रति संलग्न हैं)।

बी0 के0 हायर सेकेन्डरी स्कूल, कुर्सी खेड़ा, कानपुर में प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, 1982 द्वारा की जा चुकी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 642 पर।)

66--श्री मोती लाल देहलवी--

[दिनांक 23-8-82 को अतारांकित प्रश्न सख्या 49 द्वारा उत्तरित।]

बी0 के0 हायर सेकेन्डरी स्कूल, कुर्सी खड़ा, कानपुर में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति

67--श्री मोतीलाल देहलवी--

प्रथम सत्र 1982 के तीसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 166 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बी0 के0 हायर सेकेन्डरी स्कूल, कुर्सी खेड़ा, जनपद कानपुर (देहात) के विरुद्ध शिक्षा अधिनियम की धारा 16-डी0 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का जो उल्लेख उनके उत्तर में किया गया था वह कार्यवाही अभी तक अमल में क्यों नहीं आ सकी है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इस विद्यालय में व्याप्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-घ (4) से अन्तर्गत शासनादेश संख्या 9(1) 2106/15-2001(40)/852, दिनांक 13-8-82 द्वारा प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति कर दी गयी है। नियन्त्रक के पद पर मह जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर ने दिनांक 1-10-82 को अपना कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है।

नवीन महिला सेवा सदन इन्टर कालेज, इलाहाबाद में अध्यापिकाओं की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति

68--श्री मुख्तार अनीस तथा श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवीन महिला सेवा सदन इण्टर कालेज, इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम के अध्याय (2) की धारा 7(2) के अनुसार कुछ अध्यापिकाओं की पदोन्नति होनी है? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है तथा पदोन्नति की कार्यवाही कब तक की जायेगी? क्या यह सही है कि संदर्भित कालेज में कुछ अध्यापिकाओं की नियुक्ति सन् 1982 मे सीधी भर्ती द्वारा की गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां, विद्यालय में पदोन्नति हेतु अध्यापिकाओं के अर्ह न होने के कारण सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की गयी थी।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा हाई स्कूल एवं इन्टरमीडियेट के छात्रों के रोके गये परीक्षाफल

69—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय में हाई स्कूल एवं इण्टर कालेज के छात्रों का परीक्षाफल अरसा, 75 से लेकर सन् 1982 तक हजारों की संख्या में रोक रक्खा गया है ? यदि हां, तो इसका निस्तारण न करने का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, विगत वर्षों के लगभग 12755 परीक्षार्थियों के परीक्षाफल विभिन्न कारणों से रुके हैं। परीक्षा सम्बन्धी अर्हताओं आदि की अभीष्ट शर्तें पूरी न होने के कारण इनका निस्तारण नहीं हुआ है।

हाई स्कूल स्तर पर अनिवार्य विज्ञान लागू करने से सम्बन्धित व्यवस्था

70—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 9वीं व 10 वीं कक्षा में कम्पलसरी विज्ञान लागू करने से कालेजों के पास साधन तथा सामान (विज्ञान) लेबोरेटरी (कक्ष) पूरे नहीं हो पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार विज्ञान कक्ष, साइंस के सामान तथा साइंस टीचरों की भी व्यवस्था पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

नवीन दस वर्षीय पाठ्यचर्या के अन्तर्गत विज्ञान हाई स्कूल स्तर पर अनिवार्य कर दिया गया है किन्तु प्रदेश में लगभग 2000 विद्यालयों में सम्प्रति विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। विज्ञान की शिक्षा हेतु आवश्यक साज-सामान के बिना इन विद्यालयों में विज्ञान की पढ़ाई की व्यवस्था करना सम्भव न था। अतएव वर्ष 1985 की परीक्षा तक ऐसे विद्यालयों के छात्रों को विज्ञान के स्थान पर साहित्यिक वर्ग में से एक द्वितीय वैकल्पिक विषय लेने की सुविधा दी गई है। यह प्रयास किया जा रहा है कि धीरे-धीरे उक्त सभी विद्यालयों में विज्ञान की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध हो जाय। उदारतापूर्वक हाई स्कूल विज्ञान वर्ग की मान्यता देने के अलावा इस प्रयोजन हेतु एक योजना भी चलाई गई है जिसके अन्तर्गत ऐसे विद्यालयों में जिनमें हाई स्कूल में विज्ञान की मान्यता नहीं है। विज्ञान की मान्यता के साथ-साथ विज्ञान उपकरण एवं साज-सज्जा हेतु अनुदान दिया जा रहा है।

अध्यापकों के आवश्यक पदों का सृजन भी किया जा रहा है।

नेशनल इण्टर कालेज, पिंडरा, सुभद्रा कुमार इण्टर कालेज, बसनी एवं सरजू प्रसाद इन्टर कालेज, कठिरांव के सेवानिवृत एवं मृत अध्यापकों के रिक्त स्थानों की पूर्ति

71—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इण्टर कालेज, पिंडरा, सुभद्रा कुमार इण्टर कालेज, बसनी, सरजू प्रसाद इण्टर कालेज, कठिरांव, जिला वाराणसी में 31 जनवरी, 83 को कितने अध्यापक रिटायर हो चुके हैं और कितनों की मृत्यु हो चुकी है ? क्या यह सही है क्रमशः 5, 8, 6, स्थान रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो उनको न भरने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सन्दर्भित विद्यालयों में 31 जनवरी, 1983 को कोई अध्यापक रिटायर नहीं हुआ है। नेशनल इ0 का0, पिण्डरा के प्रवक्ता (संस्कृत) श्री रामअधार शास्त्री 30-6-82 को रिटायर हुये हैं तथा श्री शम्भू शंकर सिंह, व्यायाम शिक्षक की मृत्यु 26-8-1981 को हुई है।

सुभद्राकुमार इ0 का0, वसनी में 30-6-1977 को एल0 टी0 वेतनक्रम में श्री मार्कण्डेय मिश्र ने अवकाश ग्रहण किया 1 अप्रैल, 1978 में जे0 टी0 सी0 ग्रेड में श्री कृपाचार्य की मृत्यु। 30-6-1978 को सी0 टी0 वेतनक्रम में श्री शारदा प्रसाद दूबे ने अवकाश ग्रहण किया।

सरयू प्रसाद इं0 का0 कठिरावं में कोई भी अध्यापक न तो रिटायर हुआ और न तो किसी की मृत्यु ही हुई।

जी नहीं।

नेशनल इं0 का0 पिण्डरा के उक्त अवकाश प्राप्त अध्यापक तथा मृतक अध्यापक के स्थान भरे जा चुके हैं।

सुभद्रा कुमार इं0 का0 वसनी तथा सरयू प्रसाद इं0 का0 कठिरावं से अध्यापकों की मांग निर्धारित प्रपत्र पर मांगे गये हैं। प्राप्त होने पर पद सृजन की कार्यवाही की जायेगी।

बी0 जी0 आर0 एम0 इण्टर कालेज, बिलग्राम, हरदोई के तीन प्रशिक्षार्थियों के अंक पत्र भेजे जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

72—श्री हरीशंकर—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या रजिस्टर्ड पत्र 3524, दिनांक 6-12-1982 बी0 जी0 आर0 एम0 इण्टर कालेज, बिलग्राम, हरदोई से सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के जफर हुसैन, नजमा बेगम, शाहीन अख्तर के अंक पत्र के सम्बन्ध में भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

ऐसा कोई पत्र परिषद् कार्यालय में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता। परिषद् द्वारा प्रश्नगत तीनों परीक्षार्थियों के अंक सम्बन्धी पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक हरदोई को विशेष वाहक द्वारा दिनांक 22-8-1983 को प्रेषित किया गया है जिसके आधार पर प्रधानाचार्य अंक पत्र बना कर परीक्षार्थियों को देगें।

आगरा मंडल की शिक्षण संस्थाओं को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की मान्यता प्रदान किये जाने का विवरण

73—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या शिक्षा मन्त्री आगरा मंडल की उन शिक्षण संस्थाओं के नाम, पते सहित बताने की कृपा करेंगे कि जिन्हें क्रमशः वर्ष 1980, 1981 एवं 1982 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को मान्यता प्रदान की गई ? इन संस्थाओं में किस-किस ने मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों को पूरी नहीं किया था फिर भी उन्हें किस आधार पर मान्यता दी गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूची संलग्न है । संलग्न सूची में उन विद्यालयों का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों के पूर्ण न होने पर भी मान्यता दी गई । स्थानीय आवश्यकता तथा छात्रों के हित को देखते हुये मान्यता सम्बन्धी शर्तों को कुछ हद तक शिथिलीकृत करते हुये ऐसे विद्यालयों को सामान्यतः मान्यता सम्बन्धी कतिपय प्रतिबन्धों की पूर्ति के साथ मान्यता दी गई ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 643 पर ।)

गोरखपुर मन्डल की मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं का विवरण

74—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या शिक्षा मन्त्री गोरखपुर मन्डल की उन शिक्षण संस्थाओं के नाम, पते सहित बताने की कृपा करेंगे कि जिन्हें क्रमशः वर्ष 1980, 1981 एवं 1982 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की मान्यता प्रदान की गई, इन संस्थाओं में किस-किस ने मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों को पूरा नहीं किया था ? फिर भी उन्हें किस आधार पर मान्यता दी गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूची संलग्न है । संलग्न सूची में उन विद्यालयों का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों के पूर्ण न होने पर भी मान्यता दी गई । स्थानीय आवश्यकता तथा छात्रों के हित को देखते हुये मान्यता सम्बन्धी शर्तों को कुछ हद तक शिथिलीकृत करते हुए ऐसे विद्यालयों को सामान्यतः मान्यता सम्बन्धी कतिपय प्रतिबन्धों की पूर्ति के साथ मान्यता दी गई ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 645 पर ।)

गढ़वाल (पौड़ी) मन्डल की मान्यता प्रदान की गई शिक्षण संस्थाओं का विवरण

75—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या शिक्षा मन्त्री गढ़वाल (पौड़ी) मंडल की उन शिक्षण संस्थाओं के नाम, पते सहित बताने की कृपा करेंगे कि जिन्हें क्रमशः वर्ष 1980, 1981 एवं 1982 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की मान्यता प्रदान की गई ? इन संस्थाओं में किस-किस ने मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों को पूरा नहीं किया था फिर भी उन्हें किस आधार पर मान्यता दी गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूची संलग्न है । संलग्न सूची में उन विद्यालयों का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों के पूर्ण न होने पर भी मान्यता दी गयी । स्थानीय आवश्यकता तथा छात्रों के हित को देखते हुये मान्यता सम्बन्धी शर्तों को कुछ हद तक शिथिलीकृत करते हुये ऐसे विद्यालयों को सामान्यतः मान्यता सम्बन्धी कतिपय प्रतिबन्धों की पूर्ति के साथ मान्यता दी गयी ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 649 पर ।)

फैजाबाद मंडल की मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं का विवरण

76—श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या शिक्षा मन्त्री फैजाबाद मंडल की उन शिक्षण संस्थाओं के नाम, पते सहित बताने की कृपा करेंगे कि जिन्हें क्रमशः 1980, 1981 एवं 1982 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की मान्यता प्रदान की गई ? इन संस्थाओं में किस-किस ने मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों को पूरा नहीं किया था ? फिर भी उन्हें किस आधार पर मान्यता दी गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूची संलग्न है । संलग्न सूची में उन विद्यालयों का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों के पूर्ण न होने पर भी मान्यता दी गई । स्थानीय आवश्यकता तथा छात्रों के हित को देखते हुये मान्यता सम्बन्धी शर्तों को कुछ हद तक शिथिलीकृत करते हुए ऐसे विद्यालयों को सामान्यतः मान्यता सम्बन्धी कतिपय प्रतिबन्धों की पूर्ति के साथ मान्यता दी गई ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 651 पर ।)

इलाहाबाद मंडल की मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं का विवरण

77--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या शिक्षा मन्त्री इलाहाबाद मंडल की उन शिक्षण संस्थाओं के नाम, पते सहित बताने की कृपा करेंगे कि जिन्हें क्रमशः वर्ष 1980, 1981 एवं 1982 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की मान्यता प्रदान की गई ? इन संस्थाओं में किस-किस ने मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों को पूरा नहीं किया था फिर भी उन्हें किस आधार पर मान्यता दी गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूची संलग्न है । संलग्न सूची में उन विद्यालयों का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों के पूर्ण न होने पर भी मान्यता दी गई । स्थानीय आवश्यकता तथा छात्रों के हित को देखते हुये मान्यता सम्बन्धी शर्तों को कुछ हद तक शिथिलीकृत करते हुये ऐसे विद्यालयों को सामान्यतः मान्यता सम्बन्धी कतिपय प्रतिबन्धों की पूर्ति के साथ मान्यता दी गयी ।

झांसी मंडल की मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं का विवरण

78--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या शिक्षा मंत्री झांसी मंडल की उन शिक्षण संस्थाओं के नाम, पते सहित बताने की कृपा करेंगे कि जिन्हें क्रमशः वर्ष 1980, 1981 एवं 1982 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की मान्यता प्रदान की गयी ? इन संस्थाओं में किस-किस ने मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों को पूरा नहीं किया था फिर भी उन्हें किस आधार पर मान्यता दी गयी ?

---

†छापी नहीं गयी ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूची संलग्न है । संलग्न सूची में उन विद्यालयों का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों के पूर्ण न होने पर भी मान्यता दी गई । स्थानीय आवश्यकता तथा छात्रों के हित को देखते हुये मान्यता सम्बन्धी शर्तों को कुछ हद तक शिथिलीकृत करते हुये ऐसे विद्यालयों को सामान्यतः मान्यता सम्बन्धी कतिपय प्रतिबन्धों की पूर्ति के साथ मान्यता दी गयी ।

(देखिए नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 655 पर)।

लखनऊ मंडल की शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान किये जाने का विवरण

79--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या शिक्षा मंत्री लखनऊ मंडल की उन शिक्षण संस्थाओं के नाम, पत्ते सहित बताने की कृपा करेंगे कि जिन्हें क्रमशः वर्ष 1980, 1981 एवं 1982 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान की गयी ? इन संस्थाओं में किस-किस ने मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों को पूरा नहीं किया था फिर भी उन्हें किस आधार पर मान्यता प्रदान की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूची संलग्न है । संलग्न सूची में उन विद्यालयों का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों के पूर्ण न होने पर भी मान्यता दी गयी । स्थानीय आवश्यकता तथा छात्रों के हित को देखते हुये मान्यता सम्बन्धी शर्तों को कुछ हद तक शिथिलीकृत करते हुये ऐसे विद्यालयों को सामान्यतः मान्यता सम्बन्धी कतिपय प्रतिबन्धों की पूर्ति के साथ मान्यता दी गयी ।

(देखिए नत्थी "ज" आगे पृष्ठ 656 पर ।)

कुमायूं मंडल की शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान किये जाने का विवरण

80--श्री जगदीश सिंह बरार--

क्या शिक्षा मंत्री कुमायूं मंडल की उन शिक्षण संस्थाओं के नाम, पते सहित बताने की कृपा करेंगे कि जिन्हें क्रमशः वर्ष 1980, 1981 एवं 1982 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की मान्यता प्रदान की गयी ? इन संस्थाओं में किस-किस ने मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों को पूरा नहीं किया था फिर भी उन्हें किस आधार पर मान्यता दी गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमार बख्शी--

सूची संलग्न है । संलग्न सूची में उन विद्यालयों का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों के पूर्ण न होने पर भी मान्यता दी गयी । स्थानीय आवश्यकता तथा छात्रों के हित को देखते हुए मान्यता सम्बन्धी शर्तों को कुछ हद तक शिथलीकृत करते हुए ऐसे विद्यालयों को सामान्यतः मान्यता सम्बन्धी कतिपय प्रतिबन्धों की पूर्ति के साथ मान्यता दी गयी ।

(देखिए नत्थी "झ" आगे पृष्ठ 658 पर ।)

मुरादाबाद मंडल की शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान किये जाने का विवरण

81--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या शिक्षा मंत्री मुरादाबाद मंडल की उन शिक्षण संस्थाओं के नाम, पते सहित बताने की कृपा करेंगे कि जिन्हें क्रमशः 1980, 1981 एवं 1982 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता प्रदान की गयी ? इन संस्थाओं में किस-किस ने मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों को पूरा नहीं किया था फिर भी उन्हें किस आधार पर मान्यता दी गयी ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूची संलग्न है । संलग्न सूची में उन विद्यालयों का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों के पूर्ण न होने पर भी मान्यता दी गयी । स्थानीय आवश्यकता तथा छात्रों के हित को देखते हुए मान्यता सम्बन्धी शर्तों को कुछ हद तक शिथिलीकृत करते हुए ऐसे विद्यालयों को सामान्यतः मान्यता सम्बन्धी कतिपय प्रतिबन्धों की पूर्ति के साथ मान्यता दी गयी ।

(देखिए नत्थी "ञ" आगे पृष्ठ 659 पर ।)

मेरठ मंडल की शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान किये जाने का विवरण

82--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या शिक्षा मंत्री मेरठ मंडल की उन शिक्षण संस्थाओं के नाम, पते सहित बताने की कृपा करेंगे जिन्हें क्रमशः वर्ष 1980, 1981 एवं 1982 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की मान्यता प्रदान की गई ? इन संस्थाओं में किस-किस ने मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों को पूरा नहीं किया था फिर भी उन्हें किस आधार पर मान्यता दी गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूची संलग्न है । संलग्न सूची में उन विद्यालयों का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों के पूर्ण न होने पर भी मान्यता दी गई । स्थानीय आवश्यकता तथा छात्रों के हित को देखते हुए मान्यता सम्बन्धी शर्तों को कुछ हद तक शिथिलीकृत करते हुए ऐसे विद्यालयों को सामान्यतः मान्यता सम्बन्धी कतिपय प्रतिबन्धों की पूर्ति के साथ मान्यता दी गयी ।

(देखिए नत्थी "ट" आगे पृष्ठ 660 पर ।)

वाराणसी मंडल की शिक्षण संस्थाओं को प्रदान की गयी मान्यता

83--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या शिक्षा मंत्री वाराणसी मंडल की उन शिक्षण संस्थाओं के नाम, पते सहित बताने की कृपा करेंगे कि जिन्हें क्रमशः वर्ष 1980, 1981 एवं 1982 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की मान्यता प्रदान की गयी ? इन संस्थाओं में किस-किस ने मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों को पूरा नहीं किया था फिर भी उन्हें किस आधार पर मान्यता दी गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूची संलग्न† है । संलग्न सूची में उन विद्यालयों का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों के पूर्ण न होने पर भी मान्यता दी गयी । स्थानीय आवश्यकता तथा छात्रों के हित को देखते हुये मान्यता सम्बन्धी शर्तों को कुछ हद तक शिथिलीकृत करते हुये ऐसे विद्यालयों को सामान्यतः मान्यता सम्बन्धी कतिपय प्रतिबन्धों की पूर्ति के साथ मान्यता दी गयी ।

बरेली मंडल की शिक्षण संस्थाओं को मान्यता दिये जाने का विवरण

84--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या शिक्षा मन्त्री बरेली मंडल के उन शिक्षण संस्थाओं के नाम, पते सहित बताने की कृपा करेंगे कि जिन्हें क्रमशः वर्ष 1980, 1981 एवं 1982 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की मान्यता प्रदान की गयी ? इन संस्थाओं में किस-किस ने मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों को पूरा नहीं किया था फिर भी उन्हें किस आधार पर मान्यता दी गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूची संलग्न है । संलग्न सूची में उन विद्यालयों का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों के पूर्ण न होने पर भी मान्यता दी गयी । स्थानीय आवश्यकता तथा छात्रों के हित को देखते हुये मान्यता सम्बन्धी शर्तों को कुछ हद तक शिथिलीकृत करते हुए ऐसे विद्यालयों को सामान्यतः मान्यता सम्बन्धी कतिपय प्रतिबन्धों की पूर्ति के साथ मान्यता दी गयी ।

(देखिए नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 662 पर ।)

श्री सतीश कुमार मिश्र, सहायक अध्यापक, केन्द्रीय विद्यालय, बरौली जाटा (बाराबंकी) द्वारा आहरित किया गया वेतन

85--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

विधान सभा 1982 के द्वितीय सत्र के अतारांकित प्रश्न संख्या 31 के क्रम में शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस अध्यापक के माध्यम से सम्बन्धित अध्यापिका को वेतन आहरित कराया गया था, क्या वह अध्यापक उसी विद्यालय में तैनात था ? यदि नहीं, तो क्या कोई ऐसा नियम है कि बिना अधिकार पत्र के किसी का वेतन किसी भी अध्यापक को आहरित किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो उक्त माह का वेतन भुगतान कैसे कराया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं । परन्तु अध्यापिका के हितों को ध्यान में रखते हुये श्री सतीश कुमार मिश्र, सहायक अध्यापक, केन्द्रीय विद्यालय, बरौली जाटा (बाराबंकी) को प्रश्नगत माह का वेतन वितरण हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा दिया गया था ।

†छापी नहीं गयी ।

श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका, जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद, बारबंकी को वेतन का भुगतान

86--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

1982 के प्रथम सत्र के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 140 के उत्तर के क्रम में शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या माह नवम्बर, 1980 का वेतन अब आहरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या अवकाश की स्वीकृति सम्बन्धी सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं ? यदि नहीं, तो कार्य अवधि का वेतन इतने समय बाद आहरित करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माह नवम्बर, 1980 की कार्य अवधि के वेतन का भुगतान किया जा चुका है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका द्वारा दर्ज करायी गयी एफ0 आई0 आर0 व जूनियर बेसिक विद्यालय, मेढ़िया, बाराबंकी को स्थानान्तरण तथा वेतन भुगतान

87--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

विधान सभा 1981 के द्वितीय सत्र के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 127 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस असिस्टेंट टीचर ने दिनांक 29-8-80 को एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी थी, वह वर्तमान में क्या उसी विद्यालय में तैनात है ? यदि नहीं, तो उसका स्थानान्तरण कब और कहां किया गया ? तथा स्थानान्तरण किये जाने का क्या कारण था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्रीमती कमला देवी नामक सहायक अध्यापिका ने एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराया थी । अध्यापिका अब उस विद्यालय में कार्यरत नहीं है । इसका स्थानान्तरण दिनांक 25-11-80 को जूनियर बेसिक विद्यालय, मेढ़िया, विकास खंड, बाराबंकी में प्रशासनिक आधार पर किया गया है ।

88--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका, जूनियर बेसिक विद्यालय, मेढ़िया, बाराबंकी ने माह अप्रैल, 1981 में अध्यापन कार्य किया ? यदि हां, तो उनका वेतन दो वर्ष बाद भी किन कारणों से नहीं आहरित किया गया ? ड्यूटी पे का भुगतान न होने का वास्तविक उत्तरदायी कौन अधिकारी/कर्मचारी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

कार्यभार ग्रहण करने की सूचना विलम्ब से प्राप्त होने के कारण समय से वेतन आहरित नहीं किया जा सका था, किन्तु अब वेतन का भुगतान कर दिया गया है । वेतन भुगतान में हुए विलम्ब के लिये उत्तरदायी लिपिक अब परिषदीय सेवा में नहीं है । अतः कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।

आवासीय विद्यालय में स्कूल काउन्सलर के पद का कथित सृजन तथा नियुक्ति

89-- श्री जंगबहादुर तथा श्री बनवारी राम--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आवासीय विद्यालय में स्कूल काउन्सलर के 4 पद महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेश संख्या (3)/2918/17-डी-2 (1)/82-83, दिनांक 21 जुलाई, 1982 द्वारा दिनांक 28-2-83 तक के लिए सृजित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अब तक उक्त पद पर नियुक्तियां नहीं की गयी ? यदि हां, तो नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण है ? क्या शासन स्कूल काउन्सलर पद की आवश्यकता को देखते हुए शीघ्र नियुक्ति की व्यवस्था करेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राइमरी कन्या पाठशाला, अमोला, जिला फैजाबाद में सस्पेन्स एकाउन्ट से धन निकालने के बारे में प्रार्थना-पत्र पर की गयी कार्यवाही

90--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे की लालती देवी, सहायक अध्यापिका, प्राइमरी कन्या पाठशाला, अमोला शिक्षा क्षेत्र बसखारी, ब्लाक रामनगर, जिला फैजाबाद ने दिनांक 8-10-80 को उप जिला विद्यालय निरीक्षिक, फैजाबाद दिनांक 10-1-83 को मंत्री जी को मुख्यालय बाबू द्वारा सस्पेन्स एकाउन्ट से धन निकलने के बारे में प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो इस भ्रष्टाचार के बारे मे अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फैजाबाद स्थित उप निदेशक शिक्षा, कार्यालय व आवास में लगे बिजली मीटर तथा बिलों का भुगतान

91--श्री भोला पांडेय तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद स्थित उप निदेशक, शिक्षा कार्यालय व आवास एक ही भवन में है और दोनों का बिजली का मीटर

एक ही है ? यदि हां, तो क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से मौजूदा उप निदेशक वहां रह रहे हैं तब से आज तक कुल बिजली का बिल कितना आया और इससे पहले कितना बिल आता रहा ? उप शिक्षा निदेशक ने अपने बिल का भुगतान किया है ? यदि हां, तो कब-कब और कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां। परन्तु आवासीय भाग में अलग सब मीटर लगा है। वर्तमान भवन 29-12-78 से मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद के कार्यालय के प्रयोग में आया। मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद 8-8-81 से भवन के एक भाग में रहने लगे। 29-12-78 से प्राप्त बिजली के बिलों का विवरण एवं उप शिक्षा निदेशक द्वारा जमा की गई धनराशि की सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 663 पर।

92--श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री मुख्तार अनीस--

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सन्दर्भित छात्रों का शिक्षण शुल्क वर्ष 1982-83 माह अक्तूबर से दिसम्बर तक जमा करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह शुल्क अगले महीने में व्यवस्थित (मुजरा) किया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

93--श्री दलगंजन सिंह--

[माननीय सदस्य के निधन हो जाने के कारण निरस्त।]

निरीक्षक संवर्ग की रुकी हुई पदोन्नतियां

94--श्री तपेश्वर--

क्या शिक्षा मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि निरीक्षक संवर्ग की पदोन्नतियां क्यों रुकी हुई हैं ? शासन तथा विभाग की ओर से इस दिशा में कौन से प्रयास किये गये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण पदोन्नतियां रुकी हुयी हैं।

स्थगन आदेश को वेकेट कराने हेतु उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया जा चुका है।

जनपद पौड़ी-गढ़वाल के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त बेसिक विद्यालय भवन की मरम्मत तथा पुनर्निर्माण

95--श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कितने बेसिक विद्यालय भवन 31-1-83 को क्षतिग्रस्त हैं और सरकार इन भवनों की मरम्मत, पुनर्निर्माण की दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ? कब तक इन क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत कराई जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

कुल 682 (638 प्राइमरी तथा 44 जूनियर हाई स्कूल) विद्यालय भवन ।

228 प्राइमरी तथा 19 जूनियर हाई स्कूल भवनों की मरम्मत करायी जा चुकी है । इसके अतिरिक्त 12 प्राइमरी विद्यालय भवनों का पुनर्निर्माण सम्बन्धित खंड विकास अधिकारी के माध्यम से करायी जा रही है ।

जैसे-जैसे धन उपलब्ध होगा, क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत करायी जायेगी ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी

96--श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के सभी बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के कारण शिक्षण सुविधायें समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस अव्यवस्था के प्रति कौन उत्तरदायी है ? सभी विद्यालयों में स्वीकृत पदों के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, कुछ विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में वर्ष 1981 तक के सभी प्रशिक्षित बी0 टी0 सी0 अभ्यर्थियों की नियुक्ति जनवरी/फरवरी, 1983 में की जा चुकी है । प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के अभाव में यह कमी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अध्यापकों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से पूर्व वर्षों में जनपद के छूटे हुए अभ्यर्थियों तथा मंडल से बाहर अन्य जनपदों के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु 3-6-83 को किए गए चुनाव के आधार पर 20 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रदान की गयी है । 9 अभ्यर्थियों के नियुक्ति के मामले विभिन्न कारणों से विचाराधीन हैं । निर्णय होने पर इनकी नियुक्ति कर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त बी0 टी0 सी0 परीक्षा, 1983 का परीक्षाफल घोषित होने पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति भी साक्षात्कार के पश्चात कर दी जायेगी ।

जनपद पौड़ी-गढ़वाल के सीनियर बेसिक विद्यालयों के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति

97--श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जनपद पौड़ी-गढ़वाल के सीनियर बेसिक विद्यालयों में पांच अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो क्या सभी सीनियर बेसिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति है ? यदि नहीं, तो इसका उत्तरदायी कौन है और उसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

साऊघाट विकास खण्ड, जिला बस्ती की सड़क की स्वीकृति तथा निर्माण

98—कुमारी अलमेलु अम्माल—

क्या पंचायती राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साऊघाट विकास खण्ड, जिला बस्ती की सड़क सिसवा मार्ग छपियां लुटावन आम चान्दो जाने वाली सड़क एन० आर० ई० पी० योजना में सन् 1981-82 में स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क अब तक अधूरी बनी है ? यदि हां, तो शेष तीन किलोमीटर सड़क की सोलिंग का कार्य कब तक पूरा हो जायगा ? सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड साऊघाट के लिए गोरखपुर-बस्ती पक्की सड़क से सिसवामाफी-छपिया लुटावन असनहरा पिकौरा शुक्ल आमचान्दी मार्ग पर केवल 0.700 कि०मी० सोलिंग कार्य स्वीकृत किया गया था जिसके विपरीत प्राप्त सूचनानुसार 0.500 कि० मी० कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 3 कि० मी० मार्ग पर सोलिंग कार्य कराये जाने की स्वीकृति एक साथ प्रदान नहीं की गई थी।

प्राथमिक शिक्षक संघ, जौनपुर के प्रतिनिधियों का अध्यापकों को पुनरीक्षित वेतन दिये जाने में अनियमितता सम्बन्धी शिकायती-पत्र

99—श्री भीखालाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक शिक्षक संघ जौनपुर के प्रतिनिधियों ने दिनांक 10-1-83 को शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को प्रार्थना-पत्र देकर यह शिकायत की है कि डिप्टी इन्सपेक्टर, जौनपुर अध्यापकों को पुनरीक्षित वेतन देने में अधिक अनियमितता करते रहे हैं ? यदि हां, तो इसकी जांच किसके द्वारा कराई गई और जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीकृष्ण हाई स्कूल, हाता, जिला देवरिया को जूनियर हाई स्कूल की स्थायी मान्यता तथा अनुदान

100—श्री हरिवंश सहाय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीकृष्ण हाई स्कूल, हाता, पोस्ट बंकुल, जिला देवरिया को जूनियर हाई स्कूल की स्थायी मान्यता किस तिथि को मिली थी, इस विद्यालय को जूनियर स्कूल के अनुदान में क्यों नहीं लिया गया था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्रीकृष्ण हाई स्कूल, हाता, पोस्ट बंकुल, जिला देवरिया को स्थायी मान्यता दिनांक 14-7-71 को मिली थी। विद्यालय द्वारा जूनियर हाई स्कूल के अनुदान हेतु वर्ष 1975-76 व 1976-77 में दो बार आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे। वर्ष

1975–76 में विद्यालय द्वारा अभिलेखों से आय–व्ययक का सत्यापन नहीं कराया गया था। अतः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया द्वारा उप वर्ष अनुदान हेतु संस्तुति नहीं की गई थी। वर्ष 1976–77 में दूसरी बार किन कारणों से अनुदान नहीं मिल सका इसकी जानकारी शिक्षा निदेशक से की गई है।

इसके बाद प्रश्नगत विद्यालय से अनुदान हेतु कोई आवेदन–पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

श्री फूल बदन राय, सहायक अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, बड़ागांव, जनपद आजमगढ़ की सेवाकाल में मृत्यु एवं उनके आश्रितों को सामूहिक जीवन बीमा तथा प्राविधायी निधि का भुगतान

101––श्री पंचानन राय––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री फूल बदन राय, सहायक अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, बड़ागांव विकास खण्ड, रानीपुर, आजमगढ़ की मृत्यु कार्यरत रहते हुए दिनांक 18–1–78 को हो गई ? यदि हां, तो क्या उनके आश्रितों को सामूहिक जीवन बीमा एवं प्राविधायी निधि की धनराशि भुगतान कर दी गई है ? यदि नहीं, तो यह भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

जी हां। स्व0 श्री फूल बदन राय के आश्रितों को प्राविधायी निधि की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि को भुगतान हेतु अपेक्षित प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जा रही है और आशा है कि भुगतान शीघ्र ही कर दिया जायेगा।

उप विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, बहराइच में सहायक लिपिकों की नियुक्ति

102––श्री सुरेश दत्त पालीवाल––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बहराइच में कार्यवाहक बेसिक शिक्षा अधिकारी (श्री ऋषिनाथ) ने अक्तूबर, 1982 में पांच लिपिकों की नियुक्तियां किस आधार पर की हैं ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उन पांच में से एक लिपिक अनिल कुमार उक्त कार्यवाहक बेसिक शिक्षा अधिकारी के पुत्र हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

उप विद्यालय निरीक्षक कार्यालय बहराइच में सहायक लिपिकों के रिक्त पदों पर उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् की अनुमति तथा जिला चयन समिति के अनुमोदन से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच ने दिनांक 1 अक्तूबर, 1982 को पांच लिपिकों की नियुक्तियां जनहित में कार्य के विस्तारण हेतु की गई।

जी हां।

जनपद जौनपुर में जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्त उर्दू अध्यापकों के वेतनमान में भिन्नता

श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग, जौनपुर में शिक्षा निदेशक के आदेश संख्या उर्दू/2434–2560, दि0 17 सितम्बर, 1982 के द्वारा 1982–83 जू0 हा0 में नियुक्त उर्दू अध्यापकों में से बहुत से अध्यापकों को जौनपुर में जू0 हा0 स्कूल का ग्रेड दिया जा रहा है और बहुतों को प्राइमरी ग्रेड दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अशोक कुमार अग्रवाल को बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर के पद पर नियुक्त न करने का कारण

104—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या बे0 शि0 परिषद् 10972/11266/12–80–81, दिनांक 26–6–80 तथा शासनादेश संख्या 6/12/1973—नियुक्ति–4, लखनऊ दिनांक 21 दिसम्बर, 1973 के आदेश के बाद भी श्री अशोक कुमार अग्रवाल की नियुक्ति बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर के पद पर न करने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मिर्जापुर जनपद के विकास क्षेत्र नरायनपुर में सझौली से भुड़कुड़ा मार्ग का निर्माण

105—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद के अन्तर्गत नरायनपुर विकास क्षेत्र में सझौली से भुड़कुड़ा मार्ग खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है ? क्या उक्त मार्ग पर कुछ मिट्टी का कार्य हो चुका है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त मार्ग कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं । मिर्जापुर जनपद के अन्तर्गत विकास क्षेत्र नरायनपुर में सझौली से भुड़कुड़ा नाम का कोई मार्ग खाद्यान्न योजना में स्वीकृत नहीं था और न उस पर अभी तक कोई मिट्टी का कार्य हुआ ।

राजकीय मुमताज इन्टर कालेज, कदौरा, जनपद जालौन का प्रान्तीय-करण तथा विद्यालय में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण

106--श्री शंकर सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के कदौरा कस्बे में राजकीय मुमताज इन्टर कालेज का कब प्रान्तीयकरण हुआ ? प्रान्तीयकरण के बाद क्या कभी विद्यालय भवन में किसी कक्ष का निर्माण कराया गया ? छात्रों के अनुपात में विद्यालय में कितने कक्षों की कमी है और उनका निर्माण कब तक कराया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । इसका प्रान्तीयकरण दिनांक 1-4-1950 से हुआ ।

हां । वर्ष 1957-58 तथा 1962-63 में 7 शिक्षण कक्ष, दो प्रयोगशालायें एवं प्रधानाचार्य-कक्ष का निर्माण कराया गया ।

छात्रों के अनुपात में विद्यालय में 9 कक्षों की कमी है । धनाभाव के कारण छठी पंचवर्षीय योजनाकाल में इनका निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन को जीप

107--श्री शंकर सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा जालौन जनपद में बेसिक शिक्षा अधिकारी को जीप न देने का क्या कारण है ? जबकि अन्य जनपदों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जीपें दे रखी हैं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन को जीप प्रदान की जा चुकी है ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुसमरिया, जालौन में रिक्त पद पर नियुक्ति

108--श्री शंकर सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद के ग्राम मुसमरिया राजकीय हाई स्कूल में अंग्रेजी के अध्यापक का स्थान कब से रिक्त पड़ा है और उक्त स्थान की पूर्ति कब तक हो जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुसमरिया, जालौन में एल0 टी0 वेतनक्रम का कोई पद रिक्त नहीं है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

श्री त्रिभुवन सिंह, प्रधानाध्यापक, प्राइमरी पाठशाला गौरा, जिला सुल्तानपुर के स्थानान्तरण की मांग

109--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रधानाध्यापक श्री त्रिभुवन सिंह, प्राइमरी पाठशाला, गौरा, जिला सुल्तानपुर विगत बीस वर्षों से उसी विद्यालय में कार्यरत

हैं ? यदि हां, तो अब तक उनका स्थानान्तरण न किए जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त प्रधानाध्यापक का तुरन्त स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद इटावा में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित भवन तथा प्रधानाध्यापक रहित प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों की संख्या एवं भवनों का निर्माण व प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था

110—श्री धनीराम वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 31 दिसम्बर, 1982 को जनपद इटावा में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित ऐसे प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों की संख्या क्या है, जो भवन रहित हैं, और कितनी ऐसी प्राइमरी पाठशालाएं हैं जिनमें प्रधानाध्यापक नहीं हैं ? क्या सरकार अतिशीघ्र भवन रहित विद्यालयों के भवनों का निर्माण करायेंगी ? और प्रधानाध्यापक रहित विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति करायेंगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद इटावा में 31 दिसम्बर, 1982 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित निम्न अनुसार स्कूल भवन रहित थे :—

प्राइमरी स्कूल 90

जू0 हा0 स्कूल 35

213 प्राइमरी पाठशालाओं में प्रधानाध्यापक नहीं हैं ।

शासन के पास ज्यों-ज्यों साधन उपलब्ध होते रहते हैं, शासन द्वारा भवन रहित बेसिक परिषदीय स्कूलों के भवन निर्माण हेतु जनपदवार अनुदान स्वीकृत किया जाता है जिससे जिला बेसिक शिक्षा समितियों द्वारा चयनित स्कूलों के भवनों का निर्माण होता है । चूंकि शासन के साधन अति सीमित हैं अतः यह बताया जाना सम्भव नहीं है कि जनपद इटावा के भवन रहित सभी विद्यालयों के भवनों का निर्माण कब तक पूरा हो सकेगा ।

जनपद के 213 प्राइमरी स्कूलों में केवल एक ही अध्यापक नियुक्त हैं । इन स्कूलों में प्रधानाध्यापक नियुक्त किए जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

उक्त स्कूलों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति पद सृजन के उपरान्त ही की जा सकेगी ।

श्रीमती कमला चौहान, सहायक अध्यापिका जूनियर बेसिक मिश्रित विद्यालय, गुरम्बा, जिला लखनऊ को प्रशिक्षण से मुक्त करने सम्बन्धी आदेशों का अननुपालन

111--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कमला चौहान, सहायक अध्यापिका, जूनियर बेसिक मिश्रित विद्यालय, गुरम्बा, जिला लखनऊ को प्रशिक्षण से मुक्ति देने के सम्बन्ध में उप सचिव, शिक्षा अनुभाग-5 के पत्र संख्या 6468/15-65-1980, दिनांक 22/23 सितम्बर, 1980 तथा अनुस्मारक संख्या 7758/15 (5)-80-400 (347)/80, दिनांक 24 नवम्बर, 1980 एवं 6961/15-5-82-400 (241)/82, दिनांक 7 सितम्बर, 1982 के सन्दर्भ में बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ द्वारा अब तक कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उनके विरुद्ध शासनादेशों का पालन न करने के सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय जूनियर हाई स्कूल, गहबरा, जिला बरेली में विज्ञान अध्यापक की व्यवस्था

112--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 3 सितम्बर, 1983 को एक पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली को लिखकर उन्हें सूचित किया था कि राजकीय जूनियर हाई स्कूल गहबरा, विकास खण्ड मीरगंज, जिला बरेली में पिछले 6 वर्ष से विज्ञान का अध्यापक नहीं है यह भी अनुरोध किया गया कि वहां पर विज्ञान के अध्यापक की तुरन्त नियुक्ति की जाय ? यदि हां, तो क्या वहां पर बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विज्ञान अध्यापक की नियुक्ति करके प्रश्नकर्त्ता को सूचित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली द्वारा राजकीय जूनियर हाई स्कूल, गहवारा में विज्ञान अध्यापक की अस्थायी व्यवस्था कर दी गई है और माननीय विधायक को भी इसकी सूचना उप विद्यालय निरीक्षक, बरेली द्वारा दी जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली के धोरा, सुल्तानपुर व बल्लो (शेरगढ़) स्थित जूनियर हाई स्कूलों में छात्रों तथा अध्यापकों के अनुपात में असमानता

113- श्री जयदीप सिंह बरार---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श जूनियर हाई स्कूल, धोरा, राजकीय जू0 हाई स्कूल, सुल्तानपुर, बहेड़ी, जनपद बरेली एवं राजकीय

जू0 हाई स्कूल, बल्लीड्रा (शेरगढ़), जनपद बरेली में इस समय क्रमशः जितने बच्चे शिक्षा पा रहे हैं और इनमें क्रमशः जितने अध्यापक कार्यरत हैं उसमें बहुत असमानता है ? इस असमानता का क्या कारण है और क्या शासन इसे ठीक करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाएगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्न में जो विद्यालय बताये गये हैं वे राजकीय न होकर मान्यता प्राप्त अथवा परिषदीय विद्यालय हैं । इनकी छात्र संख्या तथा अध्यापक संख्या निम्नवत् है :--

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	छात्र सं0	अध्यापक सं0	अन्य विवरण
1	शमशुल उलूम जू0 हा0 स्कूल, धोरा	105	6	मान्यता प्राप्त ।
2	जू0 हा0 स्कूल, सुल्तानपुर	152	3	परिषदीय ।
3	जू0 हा0 स्कूल, बल्ली	90	3	परिषदीय ।

परिषदीय विद्यालय में छात्र अध्यापक असमानता को दूर करने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोंडा के कार्यालय के समक्ष बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का धरना व उनकी मांगें

114--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जनवरी, 1983 में जनपद गोंडा स्थित बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के समक्ष प्रशिक्षित बी0 टी0 सी0 शिक्षकों द्वारा अपनी मांगों को पूरा करने के लिए भूख हड़ताल की गई ? यदि हां, तो इन शिक्षकों की क्या मांगें हैं और इन मांगों को पूरा करने के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

इन शिक्षकों की मांग थी कि समस्त बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तत्काल कर दी जाय । पदों के अभाव में नियुक्ति संभव नहीं हो सकी । जैसे-जैसे पद रिक्त व सृजित होंगे, नियुक्तियां की जायेंगी ।

श्री त्रिभुवन सिंह, प्रधानाध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, गौरा, जिला सुल्तानपुर द्वारा श्री गौरी शंकर, सहायक अध्यापक के वेतन का आहरण कर लेने के विरुद्ध शिकायत।—पत्र

115—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री त्रिभुवन सिंह, प्रधानाध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, गौरा, सुल्तानपुर ने उक्त पाठशाला में ही सहायक अध्यापक श्री गौरी शंकर, हरिजन का माह अक्तूबर, 1981 का वेतन आहरित करके निजी कार्यों में प्रयोग कर लिया है ? क्या इस सम्बन्ध में उक्त अध्यापक का कोई प्रार्थना-पत्र माह नवम्बर, 1981 में ही जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या उक्त अध्यापक का वेतन उसे दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती सावित्री देवी वर्मा, प्रधानाध्यापिका, कन्या जूनियर हाई स्कूल, दर्शननगर, फैजाबाद का स्थानांतरण निरस्त किये जाने के आदेशों का अननपालन

116—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सावित्री देवी वर्मा, प्रधान अध्यापिक कन्या जूनियर हाई स्कूल, दर्शन नगर, फैजाबाद के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद को अपने पत्रांक बे0 शि0 प0 64583/82-83 दिनांक 13-3-82, पत्रांक बे0 शि0 प0/2774/82-82 दिनांक 12-4-82 तथा बे0 शि0 प0 10706/82-83, दिनांक 6-7-82 तथा पत्रांक बे0 शि0 प0/14789/82-83 दिनांक अगस्त 11, 1982 को उक्त मामले में स्थानान्तरण निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में आदेश दिया है ? यदि हां, तो सचिव के चार आदेश होने के पश्चात अभी तक आदेश का पालन न किए जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद वाराणसी के प्राइमरी पाठशाला मरूई, समोगरा, असवालपुर तथा जूनियर हाई, स्कूल कीरतपुर के भवनों के निर्माण की मांग

117—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 पा0 मरुई, समोगरा, असवालपुर, जूनियर हाई0 स्कूल, कीरतपुर ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के पास बेसिक शिक्षा परिषद्, वाराणसी या जिला परिषद वाराणसी द्वारा भवन नहीं बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि गांव के नागरिकों द्वारा एकाध् कमरा कच्चा पक्का बनवाने के बाद अब उसकी इमारत के लिए सरकार धन नहीं दे रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

जी हां ।

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा समिति, वाराणसी ने इन स्कूलों का भवन निर्माण हेतु अभी चयन नहीं किया है ।

118--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल किरतपुर तथा प्राइमरी पाठशाला मरुई, समोगरा असवालपुर, ब्लाक पिंडरा, वाराणसी अरसा आठ वर्ष से चल रहा है ? इनकी इमारत के लिए व्यवस्था न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार उपरोक्त स्कूलों के भवन हेतु अलग से धन की स्वीकृति देगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा समिति वाराणसी ने इन स्कूलों का भवन निर्माण हेतु अभी चयन नहीं किया है ।

जी नहीं । शासन उपलब्ध संसाधनों से बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचलित स्कूलों के भवनों के निर्माणार्थ जनपदवार अनुदान स्वीकृत करता है, जिससे जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा चयनित स्कूलों के भवनों का निर्माण होता है । शासन द्वारा किसी स्कूल विशेष के भवन निर्माण हेतु कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाता है । अतः प्रश्नगत स्कूल भवनों के निर्माणार्थ अलग से धन स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है ।

प्राथमिक शिक्षक संघ, शाखा जौनपुर का फर्जी ट्रांसफर कराकर आने वाले अध्यापक-अध्यापिकाओं की नियुक्तियों के विरुद्ध शिकायती पत्र

119--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक शिक्षक संघ, शाखा जौनपुर का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ तारीख 31-1-83 को माननीय शिक्षा मंत्री को मिला है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

120--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ज्ञापन में फर्जी ट्रांसफर कराकर आने वाले अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की सन् 81 व 82 में नियुक्तियों के बारे में भी शिकायतें हैं ? यदि हां, तो इसकी जांच सी0 आई0 डी0 से कराने पर विचार करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका, जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद, जनपद बाराबंकी के बकाया वेतन का भुगतान

121--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका, जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद, बाराबंकी के माह अगस्त 79 का वेतन 15 दिन के अन्दर भुगतान हेतु सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद न मार्च, 1980 में बेसिक शिक्षा परिषद अधिकारी, बाराबंकी को अर्धशासकीय पत्र भेजा था तथा उसकी प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी को भी दी थी ? यदि हां, तो क्या इस पर कोई कार्यवाही हुई थी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

122--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

विधान सभा के 1982 के द्वितीय सत्र के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 31 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्रीमती कमलादेवी, सहायक अध्यापिका जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद, बाराबंकी में नवम्बर, 78 में बरेली जाटा. विद्यालय से कार्यमुक्त होकर कार्यभार ग्रहण कर लिया था ? यदि हां, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण संबंधित अध्यापिका का वेतन कार्यरत विद्यालय से न आहरण कर पूर्व विद्यालय से ही माह सितम्बर, 1979 तक आहरित किया जाता रहा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

अध्यापिका के कार्यभार ग्रहण करने की आख्या क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होकर समय से न प्राप्त होने के कारण पूर्व विद्यालय से ही उसका वेतन आहरित होता रहा ।

प्राइमरी कन्या विद्यालय, दोनाकहा, जिला रायबरेली के भवन पर ग्राम प्रधान द्वारा अवैध कब्जा तथा उसके खाली कराने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

123--श्री कृष्ण कुमार शुक्ल--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम दोकवहा, जनपद रायबरेली के प्राइमरी कन्या विद्यालय के भवन पर वहां के ग्राम प्रधान ने अवैध कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में खंड विकास अधिकारी, खीरो 31-1-83 तक कितने पत्र-खाली करने के ग्राम प्रधान को लिखे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या विद्यालय खाली हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हाँ ।

ग्राम प्रधान को भवन खाली करने के लिये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली द्वारा दिनांक 21-1-83 को लिखा गया था । इनकार करने पर पुनः दिनांक 2-3-83 को अपर जिलाधिकारी (विकास), रायबरेली को भवन खाली कराने के लिये लिखा गया । दिनांक 30-6-83 को शासन स्तर से भी इस संबंध में जिलाधिकारी, रायबरेली को लिखा गया है ।

खंड विकास अधिकारी, खीरों ने भवन खाली कराने के लिये कितने पत्र लिखे इसकी जानकारी की जा रही है ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा परिषद् रायबरेली के अध्यापकों के भविष्य निधि का लेखा-जोखा तथा उनके अनिवार्य जमा की धनराशि का भुगतान

124--श्री कृष्ण कुमार शुक्ल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, रायबरेली के अध्यापकों के भविष्य निधि का लेखा-जोखा किस सन् तक बना है और उसे कब तक ठीक कर लिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

बेसिक शिक्षा परिषद्, रायबरेली के नगर क्षेत्र के अध्यापकों के भविष्य निधि लेखे जून, 1983 तक पूर्ण हैं और ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों का लेखा जून, 1978 तक पूर्ण है । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सूचनानुसार यह अवशेष कार्य अगले छह माह में पूर्ण करा लिया जायेगा ।

125--श्री कृष्ण कुमार शुक्ल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली के बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों का सस्पेन्श का बकाया अब तक क्यों नहीं भुगतान किया गया ? इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अनिवार्य जमा पुरानी किस्त की पांच किस्तों का भुगतान सम्बन्धित अध्यापकों को किया जा चुका है । अनिवार्य जमा की नयी किस्त की धनराशि भविष्य निधि खाते में हस्तान्तरित होनी थी । अतः इसका माँग पत्र क्षेत्रीय आयुक्त, भविष्य निधि कार्यालय, कानपुर भेजा गया था किन्तु क्षेत्रीय आयुक्त ने दंडात्मक ब्याज की वसूली हेतु निर्देश दिये हैं । दंडात्मक ब्याज के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध की जाने वाली कारवाई अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) के विचाराधीन है । अनिवार्य जमा की नई किस्त की धनराशि प्राप्त होने पर अध्यापकों के खाते में जमा कर दी जायेगी ।

जनपद रायबरेली के जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों की कमी

126--श्री कृष्ण कुमार शुक्ल--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि रायबरेली बेसिक शिक्षा परिषद् के जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों की कमी है ? यदि हां, तो उन स्थानों पर सहायक अध्यापक कब तक नियुक्त किये जायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

रायबरेली बेसिक शिक्षा परिषद् के जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों की कमी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में पांडे पुरवा-खसौरा मार्ग का निर्माण

127--श्री हरी शंकर--

क्या सा0 नि0 मन्त्री को जानकारी है कि पांडे पुरवा-खसौरा सम्पर्क मार्ग, ब्लाक हरपालपुर, जिला हरदोई के निर्माण हेतु वर्ष 1975-76 में 23,144.75 रुपया चालान सं0 68, दिनांक 12 फरवरी, 1976 द्वारा हेतु 882-पी0 डब्लू0 आर0 आई0 (ई0 ई0 एम0 आई0, लखनऊ डिवीजन) में जमा किया गया ? यदि हां, तो इस मार्ग का निर्माण काय कब पूर्ण हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । उक्त धनराशि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग को न उपलब्ध कराये जा सकने के कारण पांडेयपुर खसौरा मार्ग का निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं कराया जा सका है । धनराशि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके प्राप्त होते ही एक महीने के अन्दर कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा ।

गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत शिक्षा विभाग में सी0 टी0 से एल0 टी0 तथा एल0 टी0 से प्रवक्ता वेतन क्रम में पदोन्नति तथा उनको विभागीय चयन द्वारा अनुमोदित करने हेतु कृत कार्यवाही

128--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत शिक्षा विभाग में इस समय एल0 टी0 तथा एस0 एस0 ई0 एस0 के कितने-कितने अध्यापक ऐसे हैं जिन्हें 1971 के पश्चात् निचले सम्वर्ग सी0 टी0 या एच0 टी0 से विभागीय पदोन्नति देकर एल0 टी0 और एस0 एस0 ई0 एस0 में नियुक्त किया गया है किन्तु अभी तक उनका विभागीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सी0 टी0 से एल0 टी0 वेतनक्रम में 239 अध्यापक तथा एल0 टी0 से प्रवक्ता वेतनक्रम में 467 प्रवक्ता तदर्थ रूप से कार्यरत हैं । 1971 से तदर्थ प्रोन्नत कुछ अध्यापकों का विभागीय चयन हो चुका है ।

129—श्री कुंवर सिंह नेगी—

उक्त श्रेणी के अध्यापकों का विभागीय चयन समिति द्वारा शीघ्र अनुमोदन हेतु शिक्षा निदेशक द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है तथा उन्हें कब तक अनुमोदन कराकर विभागीय कोटे के अन्तर्गत वर्तमान पदों में स्थाई किया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

शिक्षा निदेशक द्वारा नियमानुसार अधिकांश अधियाचन अनुमोदन हेतु लोक सेवा आयोग को भेजे जा चुके हैं जिन पर लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित अध्यापकों को स्थाई किया जा सकेगा। शेष अधियाचनों को भी तत्काल लोक सेवा आयोग को भेजने हेतु शिक्षा निदेशक को आदेश दिये गये हैं।

शिक्षा उपनिदेशक, पंचम मण्डल, वाराणसी द्वारा राजकीय आदर्श विद्यालय में सहायक अध्यापकों के पदों पर की जा रही अनियमित नियुक्तियाँ

130—श्री बनवारी राम—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा उप निदेशक, पंचम मण्डल वाराणसी द्वारा राजकीय आदर्श विद्यालय स० प्रं० पदों पर की जा रही नियुक्ति निदेशालय के निर्देशों के अनुसार है ? यदि नहीं, तो क्या इस अनियमित नियुक्ति को निरस्त करना चाहेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद चमोली के हाई स्कूलों तथा इण्टर कालेजों का प्रान्तीयकरण तथा उनमें कार्यरत अध्यापकों का अनुमोदन

131—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली में 1977 के बाद कितने हाई स्कूलों तथा इन्टर कालेजों का प्रान्तीयकरण कब कब किया गया ? क्या उनमें सेवारत एल० टी० तथा एस० एस० ई० एस० एस० वेतनक्रम में सेवारत शिक्षकों का लोक सेवा आयोग अथवा विभागीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और कब तक उक्त अनुमोदन कराया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूची संलग्न है।

जी नहीं। लोक सेवा आयोग ने यह परामर्श दिया है कि प्रान्तीयकृत विद्यालयों के अध्यापकों के अनुमोदन के लिए पहले एक नियमावली बना ली जाय।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 665 पर।

प्रदेश में इन्टरमीडिएट विद्यालयों में सैन्य विज्ञान के शिक्षकों का वेतनमान

132—राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इन्टरमीडिएट विद्यालयों में सैन्य विज्ञान विषय के ऐसे कितने अध्यापक हैं जो प्रवक्ता वेतनक्रम पा रहे हैं तथा वह केवल बी0 ए0 अथवा बी0 एस0 सी0 सैन्य विज्ञान सहित तथा एन0 सी0 सी0 कमीशण्ड अधिकारी हैं तथा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि नहीं रखते हैं ? क्या अध्यापक राजाज्ञा सं0 8239/पन्द्रह-7-76-2(18)-1975 दिनांक 9-12-76 द्वारा सैन्य विज्ञान अध्यापकों की शैक्षिक योग्यताओं में किए गए संशोधनों के आधार पर सैन्य विज्ञान प्रवक्ता वेतनमान (रु0 400—750) पाने के अधिकारी हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ?

जनपद जौनपुर में माध्यमिक शिक्षकों को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करा कर उनकी प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति

133—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर में कितने माध्यमिक शिक्षकों को विज्ञान विषयों में सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कराया था और उनमें से कितने शिक्षकों को अब तक प्रवक्ता वेतनक्रम दे दिया गया ? क्या पी0 जी0 डी0 योग्यताधारी शेष अध्यापकों को भी निकट भविष्य में प्रवक्ता वेतनक्रम दे दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

कुल 73 शिक्षकों को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कराया गया था जिनमें से 56 शिक्षकों को प्रवक्ता वेतनमान दे दिया गया है। शेष शिक्षकों को प्रवक्ता के पद पर नियमानुसार नियुक्ति/पदोन्नति होने पर प्रवक्ता वेतनक्रम दिया जायेगा।

शिक्षाधिकारी फैजाबाद द्वारा सेवा से निष्कासित अध्यापिकाओं श्रीमती उर्मिला एवं श्रीमती निर्मला को पुनः सेवा में लेने का औचित्य

134—श्री मित्र सेन—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती उर्मिला एवं निर्मला नाम की दो अध्यापिकाओं को पूर्व शिक्षाधिकारी, फैजाबाद ने गम्भीर आरोपों के कारण सेवा मुक्त कर दिया था जिन्हें वर्तमान शिक्षा अधिकारी श्री रामइकबाल राम ने मई, 1982 में उक्त दोषी अध्यापिकाओं को पुनः सेवारत कर लिया है ? यदि हां, तो उन्हें पुनः सेवा में लिए जाने का आधार क्या था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पारिश्रमिक

135—श्री मोहन सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में 77–78, 78–79, 79–80, 80–81 एवं 81–82 में लखनऊ में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पारिश्रमिक (मूल्यांकन को छोड़ कर) सम्बन्धी कुल कितना कार्य किन–किन लोगों को (मय नाम) कितनी–कितनी धनराशि को वितरित किया गया ? क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बतायेंगे कि इसमें कितना काम स्नातक स्तर की परीक्षा एवं कितना परास्नातक स्तर की परीक्षा से सम्बद्ध है ? और महाविद्यालय शिक्षकों को कितना कार्य दिया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों का परीक्षा सम्बन्धी पारिश्रमिक मय नाम के अलग–अलग लेजर में नहीं रखा गया है । अतः सूचना तैयार करने में समस्त सम्बन्धित व्यय पत्रों की जांच कर और उसमें से अलग–अलग नाम के हिसाब से उसे एकत्र करना बहुत ही समय एवं श्रम साध्य है । अतः वांछित सूचना विश्वविद्यालय द्वारा तैयार कराने में अत्यधिक कठिनाई व्यक्त की गई है । स्नातक तथा परास्नातक स्तर की परीक्षा सम्बन्धी कार्य के पारिश्रमिक की सूचना भी दिया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह लेजर इस रूप में नहीं रखे जाते । स्नातक परीक्षा पारिश्रमिक में विश्वविद्यालय परीक्षकों को 40 प्रतिशत तथा महाविद्यालय परीक्षकों को 60 प्रतिशत का दिया जाता है ।

राष्ट्रीय कन्या इन्टर कालेज, झांसी में अध्यापिकाओं की वेतन वृद्धि व दक्षता रोक

136—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय कन्या इन्टर कालेज झांसी में 1972 से अब तक किन–किन अध्यापिकाओं की वेतन वृद्धियां नहीं लगाई गई हैं? किन–किन अध्यापिकाओं की वेतन को दक्षतारोक पार नहीं कराया गया तथा किन–किन अध्यापिकाओ की वेतन वृद्धियां नहीं लगाई गई ? प्रबन्धाधिकरण के विभागीय नियमों के विरुद्ध कार्यकलाप के औचित्य की जांच क्या शासन ने की है? यदि नहीं, तो क्यों तथा शासन अब इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

निम्न अध्यापिकाओं को दक्षता रोक नहीं पार कराया गया—

1—श्रीमती नलिनी भागवत ।

2—श्रीमती गीता अवस्थी ।

3—कु० किरन पाण्डेय ।

4—श्रीमती कमला चतुर्वेदी ।

5—श्रीमती रेणु सक्सेना ।

6—श्रीमती राजविष ।

निम्नलिखित अध्यापिकाओं की वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकी गई—

1—श्रीमती नलिनी भागवत ।

2—कुमारी मीना श्रीवास्तव ।

3—कुमारी ऊषा वर्मा ।

जांच की आवश्यकता नहीं है । परीक्षाफल असन्तोषजनक होने, अनुशासन-हीनता, विद्यालय समय से न आने, प्रतिकूल प्रविष्टि एवं कर्तव्य के प्रति उपेक्षा दिखाये जाने के कारण प्रबन्ध तन्त्र द्वारा दक्षता रोक पार नहीं करायी गयी जिसके लिये वह सक्षम है । वेतन वृद्धियां पठन-पाठन में अरुचि एवं परीक्षाफल असन्तोषजनक होने के कारण प्रबन्ध तन्त्र द्वारा रोकी गयी जिसका अनुमोदन भी मण्डलीय निरीक्षिका द्वारा किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

बस्ती जनपद के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षा शुल्क का भुगतान

137—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में माध्यमिक विद्यालय कितने हैं और उन विद्यालयों में से कक्षा 6 का शिक्षा शुल्क गत कितने वर्षों से किन-किन विद्यालय को नहीं भुगतान हुआ ? किस-किस विद्यालय का कितना-कितना धन बकाया है ? इसे भुगतान करने के लिए सरकार सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में उर्दू अध्यापकों के रिक्त पद एवं उन पर नियुक्ति

138—श्री फखरे आलम—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में उर्दू टीचर्स के कितने स्थान थे और उनमें से कितने स्थानों पर नियुक्त हुई तथा कितने स्थान रिक्त हैं ? यदि स्थान रिक्त हैं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला परिषद हरदोई में अध्यापकों की नियुक्ति

139—श्री रामलाल वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद हरदोई द्वारा मार्च, 1982 में 109, जुलाई, 1982 में 90 तथा सितम्बर, 1982 में 48 अध्यापकों की नियुक्तियां जो की गयीं उनका विज्ञापन क्या कभी किसी समाचार-पत्र द्वारा कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो किन-किन पत्रों में किस-किस दिनांक को रिक्त विषयक विज्ञापन कितने पदों हेतु प्रकाशित हुआ था ? क्या यह सत्य है कि इनमें से कुछ ऐसे अध्यापकों की भी नियुक्ति की गयी जो कि निर्धारित उम्र से अधिक हैं तथा कुछ बी० टी० सी० प्रशिक्षित नहीं हैं ? यदि हां, तो उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री पोल्तन दुबे, ग्राम इसीपुर, जिला वाराणसी द्वारा अपनी पुनर्नियुक्ति हेतु दिया गया प्रार्थना-पत्र

140--श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पोल्तन दुबे, निवासी ग्राम ईसीपुर, पोस्ट बड़ागांव, जिला वाराणसी ने दिनांक 7-6-82 को तत्कालीन राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, लखनऊ मंडल (श्रीमती प्रेमवती तिवारी) को कोई प्रार्थना-पत्र शिक्षा विभाग में अपनी पुनःनियुक्ति के सम्बन्ध में दिया था ? यदि हां, तो श्री पोल्तन दुबे की पुनर्नियुक्ति हुई है ? यदि नहीं हुई, तो कब तक हो जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इस प्रकार का कोई प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कन्या प्राइमरी पाठशाला, शेरपुर नारायनपुर, जिला मिर्जापुर को बालकों के साथ मिश्रित करन या अन्यत्र हटाने के सम्बन्ध में प्रेषित-पत्र पर कार्यवाही

141--श्री राम शरण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता न दिनांक 15-8-82 को एक-पत्र कन्या प्राइमरी पाठशाला, शेरपुर नारायनपुर, जिला मिर्जापुर को बालकों के साथ मिश्रित करने या अन्य गांवों में हटाने के सम्बन्ध में उन्हें लिखा था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती भगोनिया देवी का कन्या जूनियर हाई स्कूल, कमासिन, जिला बांदा में सेविका के पद पर समायोजन एवं वेतन का भुगतान

142--श्री भीखालाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पत्रांक वे0 शि0 प0 3268-एक-278-79, दिनांक 16-2-79 के द्वारा कन्या जूनियर हाई स्कूल, कमासिन, विकास खंड कमासिन, जिला बांदा में सेविका के पद पर श्रीमती भगोनिया देवी को समायोजित करने के आदेश दिये गये ? यदि हां, तो इसके बावजूद उक्त सेविका को वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

श्रीमती भगोनिया देवी नाम की कोई सेविका जूनियर हाई स्कूल, कमासिन जिला बांदा में कार्यरत नहीं है । श्रीमती भगवनिया नाम की एक स्कूल माता उक्त स्कूल में कार्यरत है जिसके पूर्ण कालिक पद पर समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में कोई आदेश सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा जारी नहीं किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय एवं उनमें कार्यरत शिक्षकों को सुविधायें

143--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध कितने प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं और उनमें कुल कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? क्या सरकार इन शिक्षकों को भी वही सुविधायें प्रदान करेगी जो इनके समकक्ष अन्य प्राथमिक शिक्षकों को उपलब्ध है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ से आडिट आपत्तियों के सम्बन्ध में मांगी गयी आख्या

144--श्री पंचानन राय--

द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1-7-81 को शिक्षा निदेशक द्वारा आडिट आपत्तियों की अनुपालन आख्या मांगे जाने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा एक वर्ष तक उसे उपलब्ध न कराने के लिए सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या अनुपालन आख्या अब प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उस आधार पर क्या कार्यवाही की गयी है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

जी हां ।

माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-डी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

आजमगढ़ के विद्यालयों के कालातीत प्रबन्धाधिकरणों को मान्यता एवं उनको सरकार द्वारा दिया गया अनुरक्षण एवं अनुदान

145—श्री पंचानन राय—

द्वितीय सत्र 1981 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के उत्तर के सम्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि कालातीत प्रबन्धाधिकरणों को विभाग तथा शासन द्वारा सभी अधिकार युक्त नहीं मान्य किया जाता रहा तो उन्हें अनुरक्षण तथा अन्य अनुदान यथावत् कैसे मिलते रहे हैं ? उनके द्वारा नियुक्त शिक्षक तथा अन्य कर्मचारी किस आधार पर विधि मान्य माने जाते रहे हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रबन्ध समिति के कालातीत हो जाने की स्थिति में भी विद्यालय में अध्यापक एवं कर्मचारी कार्यरत रहते हैं । कालातीत प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी नई समिति गठित होने तक कार्यरत माने जाते हैं, जिससे विद्यालय के कार्य में अवरोध न हो ।

उक्तवत् ।

146—श्री पंचानन राय—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अयोध्या, फैजाबाद में रामायण मेले का आयोजन एवं उस पर व्यय की गयी धनराशि

147—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अयोध्या, फैजाबाद में दिसम्बर, 1982 में रामायण मेले का आयोजन सरकारी था ? यदि हां, तो इसके आयोजक कौन थे और सरकारी व्यय की धनराशि क्या है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी नहीं ।

जनसम्पर्क एवं कल्याण समिति तथा रामायण मेला समिति, फैजाबाद इस मेले के आयोजक थे । निम्नलिखित धनराशि पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत की गई :—

	रु0
1—मेले के आयोजन तथा अन्य कार्यक्रम हेतु	95,000
2—मेला मैदान की सफाई हेतु नगरपालिका को दिया गया	1,00,000
3—पुराने चालू मेलों के लिए प्राविधानित धनराशि प्रदर्शनी में मण्डप लगवाने हेतु आदि	5,000
4—प्रदर्शनी में टिन शेड आदि एवं प्रदर्शनी सामग्री लाने तथा ले जाने हेतु	5,658
योग ..	2,05,658

चन्द्र शेखर आजाद विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा संचालित माधुरी कुंड फार्म, मथुरा का केन्द्रीय सरकार को हस्तांतरण

148--श्री सरदार सिंह--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में श्री चन्द्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा संचालित माधुरी कुंड फार्म को शासन केन्द्रीय सरकार को देने की योजना पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो इसको देने के क्या कारण हैं ?

श्री यशपाल सिंह--

जी नहीं ।

महिला विद्यालय इंटर कालेज, लखनऊ के कर्मचारियों के डी० ए० तथा नये वेतनमान के एरियर का भुगतान

149--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि महिला विद्यालय इंटर कालेज, लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं अध्यापिकाओं को मई, 1973 से जून, 1977 तक दिए गये डी० ए० के एरियर का भुगतान अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक समिति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? सन्दर्भित एरियर का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

आंशिक रूप से कुछ कर्मचारियों को एरियर का भुगतान किया जा चुका है शेष कर्मचारियों के बिल विद्यालय द्वारा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके लिये जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका, लखनऊ द्वारा प्रधानाचार्या को सावधान कराते हुए आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं । शीघ्र भुगतान कराये जाने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है ।

150--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि महिला विद्यालय इंटर कालेज, लखनऊ में वेतन आयोग द्वारा दिए गये नए वेतनक्रम के एरियर का भुगतान अब तक न किए जाने का क्या कारण है ? इसका भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इसका कारण सम्बन्धित विद्यालय द्वारा समय से अवशेष वेतनादि बिलों को जांच हेतु प्रस्तुत न किया जाना है । अब बिल जांच हेतु प्राप्त हो गये हैं जिन्हें जांचोपरान्त अनुदान प्राप्त करके भुगतान करा दिया जायेगा ।

महिला विद्यालय इंटर कालेज, लखनऊ के कर्मचारियों एवं अध्यापिकाओं के जी0 पी0 फंड में वित्तीय अनियमिततायें

151—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि महिला विद्यालय इंटर कालेज, लखनऊ में घोर वित्तीय अनियमितता व्याप्त है ? क्या यह सही है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं अध्यापिकाओं के जी0 पी0 फंड के लिए वेतन से काटी गयी धनराशि के लेखों में अनेक अनियमितताएं हैं ? उन्हें वर्ष 1970 से 1983 तक की जी0 पी0 एफ0 की लेखा पर्ची भी उपलब्ध नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो इस वित्तीय अनियमितता के लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दंडित करेगी तथा जी0 पी0 फंड के सम्बन्ध में बर्ती गयी अनियमितताओं को दूर करवाएगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इस विद्यालय के लेखों के विशेष आडिट कराने के आदेश दे दिये गये हैं। विशेष आडिट के बाद ही सभी अनियमिततायें प्रकाश में आयेंगी।

प्रदेश के एन0 सी0 सी0 मुख्यालय के अन्तर्गत संचालित एस0 एस0 बी0 सेन्टर्स द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त अभ्यर्थी तथा उनका एस0 एस0 बी0 में चयन

152—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के एन0 सी0 सी0 मुख्यालय में चलने वाले प्री-एस0 एस0 बी0 ट्रेनिंग सेन्टर्स, जोकि प्रशासनिक अधिकारियों की देख-रेख में चलते हैं, से 1979 से 1983 के बीच कितने अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग दी गयी एवं उनमें से कितने अभ्यर्थियों का एस0 एस0 बी0 में चयन हुआ ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रदेश के एन0 सी0 सी0 मुख्यालय के अन्तर्गत चलाये जाने वाले तीन एस0 एस0 बी0 सेन्टर्स द्वारा 1979 से 1983 के बीच 1705 अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग दी गई जिसमें से 564 अभ्यर्थियों का एस0 एस0 बी0 में चयन हुआ।

ग्राम नुनेरा, जिला मथुरा में जूनियर हाई स्कूल खोलने की मांग

153—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जय नारायण सिंह, प्रधान, ग्राम सभा नुनेरा, विकास खंड राया, जिला मथुरा का पत्र उनके ग्राम नुनेरा में एक जूनियर हाई स्कूल खोलने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता की सिफारिश के साथ दिनांक 1 फरवरी, 1983 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

उक्त पत्र सम्बन्धित अधिकारी को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राइमरी पाठशाला, कटेला, जिला मथुरा की मरम्मत के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

154—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1 फरवरी, 1983 को श्री जबर सिंह, ग्राम प्रधान, मैसारा, विकास खंड राया, जिला मथुरा का शिकायती-पत्र प्राइमरी पाठशाला, कटेला की मरम्मत करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता की सिफारिश के साथ प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

उक्त शिकायती-पत्र को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राइमरी पाठशाला सैदपुर, जिला मथुरा के भवन की मरम्मत व अध्यापकों की अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रेषित-पत्र पर कार्यवाही

155—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती-पत्र, दिनांक 3 फरवरी, 1983 को प्राइमरी पाठशाला, सैदपुर, विकास खंड बल्देव, जिला मथुरा की इमारत की मरम्मत व अध्यापकों की अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

उक्त पत्र की प्रतिलिपि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कन्या पाठशाला, गंजू जिला मथुरा के भवन निर्माण के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

156—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा गंजू, विकास खण्ड राया, जिला मथुरा स्थित कन्या पाठशाला की इमारत बनवाने के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ दिनांक 3-2-83 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

बेसिक परिषदीय, स्कूलों के भवन निर्माण हेतु चयन का अधिकार केवल जिला बेसिक शिक्षा समिति को ही है । अतः मा0 विधायक के पत्र की प्रतिलिपि एवं उसके साथ प्राप्त शिकायती-पत्र समिति के सचिव (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा) को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राइमरी स्कूल, अपेरा, जिला मथुरा के भवन की मरम्मत

157--श्री सरदार सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3-2-83 को प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति के साथ ग्राम सभा अपेरा, विकास खण्ड राया, जिला मथुरा के प्रधान का एक प्रार्थना पत्र प्राइमरी स्कूल की मरम्मत के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

मामले में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा को निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राइमरी पाठशाला, सरुआ जगली, जिला मथुरा के भवन की मरम्मत

158--श्री सरदार सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सरुआ जंगली विकास खण्ड राया, जिला मथुरा की प्राइमरी पाठशाला की इमारत की मरम्मत के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति के साथ ग्राम प्रधान का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 2-2-83 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

बेसिक परिषदीय स्कूल भवनों का निर्माण, पुनर्निर्माण/मरम्मत के चयन का अधिकार केवल जिला बेसिक शिक्षा समिति को है । अतः मा0 विधायक के पत्र दिनांक 2-2-83 की प्रतिलिपि एवं ग्राम प्रधान का पत्र समिति के सचिव (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा) को नियमानुसार कार्यवाही हेतु अग्रसारित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम अजयनगर, जनपद मथुरा में प्राइमरी पाठशाला खोलने की मांग

159--श्री सरदार सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अजयनगर, जिला मथुरा में प्राइमरी पाठशाला खोलने के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान का पत्र प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति के साथ दिनांक 3-2-83 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

उक्त पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा को समुचित कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गांव बरोली, जनपद मथुरा में इन्टर कालेज खोलने की योजना

160--श्री सरदार सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के सबसे अधिक पिछड़े हुए गांव बरौली में कोई इन्टर कालेज खोलने की योजना शासन बना रहा है ? यदि हां, तो यह कब तक कार्य रूप में परिणित हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि सीधे इन्टर कालेज खोलने की कोई योजना नहीं है ।

161-162--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

महारानी लाल कुंवरि महाविद्यालय, बलरामपुर, जनपद गोण्डा में अवैध रूप से नियुक्त प्राचार्य का अनधिकृत वेतन

163--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 23-1-83 जिसमें महारानी लाल कुंवरि महाविद्यालय, बलरामपुर (गोंडा) में अवैध रूप से नियुक्त प्राचार्य का अनधिकृत वेतन भुगतान, राज्य सरकार कोष का अपव्यय होने की शिकायत की गयी है, मिला है ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

इस मामले में मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद को जांच के आदेश दिए गए थे । जांच अभी चल रही है ।

नेत्रहीन विकलांगों को राजकीय इंटर कालेजों में सेवायोजित करने हेतु प्रवक्ता एवं सी0 टी0 ग्रेड के पदों का सृजन

164--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने यह निर्णय लिया है कि नेत्रहीन विकलांगों को राजकीय इंटर कालेजों में प्रवक्ता वेतनक्रम में सेवा-योजित करने हेतु उनके निवास स्थान के समीप इंटर कालेजों में पदों का सृजन कराया जाय और क्या शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 14-8-82 को राजकीय इण्टर कालेज, उत्तरकाशी के प्रिंसिपल को पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर नेत्रहीन व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव तथा वांछित सूचना भेजने को लिखा था ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रिंसिपल से वांछित सूचना प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । शासन ने नेत्रहीनों को नियुक्ति देने हेतु 23 पद प्रवक्ता वेतन-क्रम एवं 5 पद सी0 टी0 वेतनक्रम में सृजित कर दिये हैं । उन्हीं में एक प्रवक्ता (नागरिक शास्त्र) का पद राजकीय इंटर कालेज, उत्तरकाशी के लिए सृजित हुआ है । तथा उस पर नियुक्ति भी कर दी गई है ।

बाल समाज विद्यालय जूनियर हाई स्कूल, नवाबगंज, कानपुर की समस्याओं का निराकरण

165--श्री भूधर नारायण मिश्र--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाल समाज विद्यालय जूनियर हाई स्कूल, नवाबगंज, कानपुर की विविध समस्याओं के लिए दिए गए प्रश्न-कर्ता के दिनांक 16 अप्रैल, 1981 के प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

विद्यालय की समस्याओं के निराकरण हेतु विद्यालय प्रबन्धाधिकरण भंग करके वहां दिनांक 12 मार्च, 1981 से साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति कर दी गयी है । शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतन निर्धारण किया जा चुका है तथा वेतन का नियमित भुगतान किया जा रहा है । अवशेष वेतन के भुगतान की कार्यवाही भी की जा रही है । प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर देहात के प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवनों का निर्माण

166—श्री भूधर नारायण मिश्र—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर देहात के प्राथमिक एवं परिषदीय जूनियर हाई स्कूल के कितने नए भवन बनवाने हेतु शासन से धन स्वीकृत हुआ इसमें कितने विद्यालयों के भवन दिनांक 24-2-83 तक बन चुके हैं ? और जो नहीं बने हैं वह कब तक बनकर तैयार हो जायगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

167—श्री भूधर नारायण मिश्र—

[4थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्रामोद्योगिक इंटर कालेज, भरसवां, जिला फतेहपुर में साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति एवं समाप्ति

168—श्री भूधर नारायण मिश्र—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इंटर कालेज भरसवां, फतेहपुर में साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति किन अभियोगों पर और कब हुई ? साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति कब और क्यों समाप्त कर दी गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

ग्रामोद्योगिक इंटर कालेज, भरसवां, फतेहपुर में प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति निम्न अभियोगों एवं अनियमितताओं के कारण शासनादेश संख्या 9(1)-6206/15-2001(455)/74, दिनांक 16-6-82 द्वारा की गई थी तथा नियन्त्रक ने दिनांक 20-6-82 को अपना कार्यभार ग्रहण किया था :—

1—श्री आनन्द शंकर तिवारी, सहायक अध्यापक को सेवा में दर्शाते हुए प्रबन्धतन्त्र ने रु0 3691 की धनराशि गलत तरीके से प्राप्त किया ।

2—श्री जयराम सिंह, व्यायाम अध्यापक को प्रशिक्षण पर भेजा गया किन्तु सिंह को वेतन का भुगतान नहीं किया गया ।

3—बिना विभागीय अनुमति के उप विभाग खोले गये ।

4—प्रबन्धक ने शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा पत्रिकायें जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मांगने पर प्रस्तुत नहीं की ।

5—विद्यालय के प्रधानाचार्य, अध्यापकों एवं कर्मचारियों को जी0 पी0 एफ 0 के लाभ से वंचित रखा गया ।

6—बिना अनुमति के कक्षा संचालन किया गया ।

7--आडिट में पायी गयी आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया ।

8--प्रबन्धक द्वारा विभाग के आदेशों एवं नियमों का पालन न किया जाना तथा मनमाना कार्य करते रहना ।

शासनादेश संख्या 9(1)450/15-2001(455)-74, दिनांक 4-2-83 द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति मुख्य अनियमितता का निराकरण हो जाने पर समाप्त कर दी गयी ।

कानपुर के असहायता प्राप्त प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या

169--श्री भूधर नारायण मिश्र--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के असहायता प्राप्त प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में कितनी छात्र एवं छात्राएं अध्ययन कर रही हैं और इनकी संख्या कानपुर के माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31-3-83 तक कितनी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रामवीर सिंह, प्रधान, ग्राम बासरभकण्डी, जिला मथुरा का सड़क निर्माण कराने सम्बन्धी पत्र

170--श्री सरदार सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामवीर सिंह, प्रधान, ग्राम सभा बासरभकण्डी, ब्लाक राया, जिला मथुरा का सड़क बनाने के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति के साथ दिनांक 1-2-83 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, उक्त सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी मथुरा एवं विभागीय अधिकारियों को लिखा गया है । इन कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्ध में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

प्राइमरी पाठशाला अमीरपुर, जिला मथुरा के भवन की मरम्मत

171--श्री सरदार सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा अमीरपुर के प्रधान श्री छोतर सिंह का एक प्रार्थना-पत्र प्राइमरी पाठशाला अमीरपुर, जिला मथुरा को जीर्ण-शीर्ण इमारत के मरम्मत के सम्बन्ध में दिनांक 3-2-83 को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

172--श्री सरदार सिंह--

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।]

श्री उदय राम, प्रधान, ग्राम तालगढ़ी, जिला मथुरा का ग्राम सभा की विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित पत्र

173--श्री सरदार सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उदयराम प्रधान, ग्राम सभा तालगढ़ी, पो० सौंख खेड़ा, विकास खण्ड राया, जिला मथुरा का पत्र ग्राम सभा की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु दिनांक 1-2-83 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस आवेदन-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

श्री उदय राम प्रधान का दिनांक 27-1-83 का एक पत्र प्राप्त हुआ था । सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित होने के कारण उसे आवश्यक कार्यवाही हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेज दिया गया है ।

चन्द्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध एनीमल हसबेन्ड्री एवं वेटनरी कालेज, मथुरा में प्रवक्ता तथा डिमान्स्ट्रेटर्स के रिक्त पद एवं उन पर नियुक्ति

श्री सरदार सिंह--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्द्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध (अफिलिएटेड) एनीमल हस्बेंड्री एवं वेटनरी कालेज, मथुरा में विभिन्न श्रेणी के प्रोफेसर, प्रवक्तागण एवं डेमोस्ट्रेटर्स के कितने-कितने पद 15-4-83 को रिक्त चल रहे हैं ? क्या शासन रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कृपा करेगी ?

श्री यशपाल सिंह--

दिनांक 15-4-83 को प्रोफेसर का कोई पद रिक्त नहीं था, प्रवक्ता के 2 पद तथा डिमान्स्ट्रेटर्स के 16 पद रिक्त हैं ।

कृषि विश्वविद्यालय स्वशासी संस्था है इसके पदों को शासन द्वारा भरे जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर में जिला योजना द्वारा प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण की स्वीकृति

175—श्री केदारनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 में जिला योजना द्वारा गोरखपुर जिले में कितने प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल के भवन के निर्माण की योजना स्वीकृत की गयी तथा उनमें से उक्त वित्तीय वर्ष में कितने विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु रुपया दिया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

वर्ष 1982-83 में जनपद गोरखपुर में जिला योजना द्वारा निम्न अनुसार प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई :—

प्राइमरी स्कूल—35

जू0 हा0 स्कूल—8

उक्त वित्तीय वर्ष में उपरोक्त सभी स्कूलों के भवन निर्माणार्थ सम्पूर्ण धन-राशि बेसिक परिषदीय स्कूल भवनों का निर्माण एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग को उपलब्ध करायी जा चुकी है ।

176—श्री रूपराम—

(स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।)

जनपद मथुरा में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति

177—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित वर्ष 1973 की सामान्य सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति अभी तक नहीं की जा सकी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि जनपद के अधिकतर प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों का अभाव चल रहा है जिससे छात्रों के पठन-पाठन के कार्य का अहित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या शासन शीघ्र प्रशिक्षित बेरोजगार बी0 टी0 सी0 अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

जी हां, अभी नहीं की जा सकी है ।

क्योंकि अभी वर्ष 1972 के सामान्य सूची के अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति करना शेष है ।

जी हां । प्रदेश के समस्त जिलों के बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में बढ़े हुए नामांकन के आधार पर अतिरिक्त अध्यापकों के पदों के सृजन का मामला शासन के विचाराधीन है । इसमें मथुरा जनपद भी शामिल है । अभी उसमें समय लगने की संभावना है ।

मेरठ विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय लीडरशिप परियोजना में स्वीकृत पद

178--श्री रूप राम--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति के पत्र संख्या 103/07/देव/21, दिनांक 9 जून, 1982 में विश्वविद्यालय लीडरशिप परियोजना में स्वीकृत पदों के अन्तर्गत 30-9-82 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सहयोग समाप्त हो जाने पर समस्त पदों को स्थायी रूप से समायोजित करने एवं निरन्तरता जारी रखने की संस्तुति की थी जबकि शासनादेश संख्या 4863/15 (13)-82-39/(23)81, दिनांक 21-10-82 शिक्षा अनुभाग-15 द्वारा सिर्फ एक प्रवक्ता के पद की निरन्तरता दी गयी ? क्या प्रवक्ता से परियोजना के अन्तर्गत 4 शोध कार्य, शोध छात्रों का अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य, पुस्तकालय आदि का कार्य पूर्ण हो जायगा ? यदि नहीं तो शिक्षा (15) अनुभाग, द्वारा उपरोक्त परियोजना में समस्त स्टाफ की निरन्तरता जारी क्यों नहीं की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, इस प्रकार की संस्तुति प्राप्त हुई थी। किन्तु भौतिक शास्त्र विभाग, जिसके अंतर्गत लीडरशिप परियोजना चलाई गई थी, के कुल कार्यभार के आधार पर केवल एक प्रवक्ता के पद के सृजन का औचित्य पाया गया और उसका सृजन अस्थायी रूप से किया गया। शेष पदों के संबंध में इस परियोजना के द्वितीय फेज की मूल्यांकन आख्या प्राप्त होने पर विचार करना आवश्यक समझा गया था। यह आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। विश्वविद्यालय से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार इस परियोजना के सभी उद्देश्य अधिकांशतः पूर्ण किये जा चुके हैं और यह योजना 31-3-1983 को सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अब समस्त स्टाफ के समायोजन करने की प्रत्यक्षतः का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है।

इन्टर कालेज सुहवल, जिला गाजीपुर में गबन के विरुद्ध कार्यवाही

179--श्री ऊदल--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जो स्थिति स्पष्ट कराई जा रही थी तो वह स्पष्ट हुई ? यदि हुई, तो क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अभी नहीं सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री सरजू प्रसाद, सेवानिवृत्त परिचालक, राजकीय दीक्षा विद्यालय, सारनाथ, वाराणसी के पुत्र की मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर नियुक्ति

180--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में रिटायर कर्मचारियों के पुत्रों एवं पुत्रियों में से किसी को मानवीय दृष्टिकोण से रखने का

प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो राजकीय दीक्षा विद्यालय, सारनाथ, वाराणसी के परिचालक सरजू प्रसाद, जो दिनांक 31-12-1982 को रिटायर हो गए उसके लड़के राजनाथ सिंह, जो इन्टर पास हैं, उसको उक्त परिचालक के पद पर रखा गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सरजू प्रसाद 31-12-1982 को रिटायर हो गये हैं ।

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, वाराणसी द्वारा प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के भवनों का निर्माण

181--श्री ऊदल--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, वाराणसी को बेसिक शिक्षा विभाग, वाराणसी ने कई प्राइमरी पाठशालाओं एवं जूनियर हाई स्कूलों की इमारतों हेतु धन सन् 1981 तथा 1982 में दे दिया था ? यदि हां, तो अब तक निर्माण कार्य पूरा न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार पूरी लिस्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, वाराणसी के शिक्षा विभाग के ग्यारह प्राइमरी पाठशाला भवन तथा दो जूनियर हाई स्कूल वर्ष 1980-81 में स्वीकृत हुए थे जिसके निर्माण के लिए धनराशि 1980-81 में तथा 1982-83 में प्राप्त हुई ।

जो धनराशि प्राप्त हुई उसमें से केवल आठ प्राइमरी पाठशाला के भवन ही निर्मित हो सकते थे जिनमें से एक भवन निर्मित किया जा चुका है तथा शेष सात भवनों का निर्माण कार्य प्रगति में है । दो जूनियर हाई स्कूल भवनों में से केवल एक को स्थल प्राप्त हुआ है जिसका निर्माण कार्य प्रगति में है । उक्त निर्माण कार्यों के अब तक पूर्ण न होने का कारण निर्माण स्थलों का अत्यंत विलम्ब से प्राप्त होना रहा है। उपरोक्त निर्माण कार्य फरवरी, 1984 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। निर्माण कार्यों की सूची एवं सम्बन्धित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ 666 पर।)

जनपद वाराणसी में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत उधोपुर व कठरवा मार्ग का निर्माण तथा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान

182--श्री ऊदल--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उधोपुर व कठरवा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के मार्ग का निर्माण कार्य खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कराया गया था ? यदि हां, तो उसका भुगतान (मजदूरों का) आज तक नहीं किया गया ? इसका क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच करके भुगतान कराने की कृपा करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इस सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त मार्ग का निर्माण बिना स्वीकृति के किया गया है, जिसके सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

जनपद वाराणसी के बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप जिला विद्यालय निरीक्षक तथा अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों का निलम्बन एवं उसकी जांच

183—श्री ऊदल—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के तीसरे सोमवार के (ता0 21-2-1983) अतारांकित प्रश्न संख्या 107 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उपजिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी को गबन, दुरुपयोग, फर्जी नियुक्तियों के सम्बन्ध में, जो अक्तूबर, 1982 से निलम्बित किया गया है उनके अलावा और कौन-कौन हैं ? क्या सरकार ने इसकी जांच कराई है ? यदि हां, तो जांच किसके द्वारा कराई गई ? क्या यह भी सही है कि कुछ कागजात गायब पाये गये हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव तथा उप विद्यालय निरीक्षक श्री बांके सिंह को वाराणसी जनपद के बेसिक परिषदीय विद्यालयों में फर्जी अन्तर्जनपदीय स्थानांतरण आदेशों के आधार पर अनधिकृत व्यक्तियों को अध्यापक के पद पर पदस्थित कराने एवं वेतन भुगतान के आरोप में अक्तूबर, 1982 में निलम्बित किया गया था । इनके विरुद्ध गबन का आरोप नहीं है । इस प्रकरण में अन्य निलम्बित अधिकारी/कर्मचारी निम्नलिखित हैं :

1—श्रीमती कालिन्दी पान्डे, अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (म0), वाराणसी ।

2—श्री राम विकल सिंह, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ।

3—श्री विजय शंकर राय, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ।

4—श्री प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ।

5—श्री अमर देव, लिपिक, कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी ।

6—श्री राम लखन, लिपिक, कार्यालय, उप विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ।

7—श्री मधु सूदन, लिपिक, कार्यालय, उप विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ।

8—श्री कृष्ण कुमार, लिपिक, कार्यालय, उप विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ।

जी हां। प्रारम्भिक जांच मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी द्वारा करायी गयी थी।

जी नहीं। कागजात गायब होने की कोई सूचना नहीं है।

वाराणसी जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों के फर्जी स्थानान्तरण व नियुक्ति आदेश

184--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में बेसिक शिक्षा विभाग में 6 अध्यापकों का फर्जी ट्रांसफर आदेश नियुक्ति आदेश बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के सचिव के आदेश से किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने 1981 व 1982 में लिखित पत्र भेजा कि वे फर्जी ट्रांसफर आदेश व नियुक्ति आदेश हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद वाराणसी के बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों के जीवन बीमा की धनराशि में गड़बड़ी एवं उसकी जांच

185--श्री ऊदल--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के तीसरे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1969-70 से जीवन बीमा का कटा हुआ 10 रुपया प्रति माह के हिसाब से वाराणसी बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों का 30 अक्तूबर 1982 तक 3,35,920.79 रु0 बनारस स्टेट बैंक में जमा है, जो काटे गए धन से बहुत ही कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर हिसाब ठीक करायेगी और बाकी धन जमा करायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

बेसिक शिक्षा विभाग, जौनपुर में अध्यापकों के फर्जी स्थानान्तरण आदेशों की जांच

186--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1980 व 1981 तथा 1982 में 15 फर्जी अध्यापक ट्रांसफर कराकर फर्जी आदेश लेकर बेसिक शिक्षा विभाग जौनपुर में वाराणसी उप जिला विद्यालय, निरीक्षक के आदेश से गए हैं ? यदि हां, तो क्या उनकी छान-बीन की गई ? क्या उनके एल0 पी0 सी0 एवं सेवा पुस्तिका पर श्री बांके सिंह, डी0 आई0 वाराणसी के हस्ताक्षर हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बेसिक विद्यालय, मढ़वा, जिला वाराणसी में श्रीमती विमला श्रीवास्तव द्वारा फर्जी स्थानान्तरण आदेश के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने के सम्बन्ध में सूचना

187--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक प्राइमरी पाठशाला, मढ़वा गोसाईपुर शिक्षा क्षेत्र बेसिक शिक्षा विभाग, वाराणसी में श्रीमती विमला श्रीवास्तव फर्जी ट्रांसफर आदेश गाजीपुर का बनाकर ता0 30-7-80 से कार्यभार ग्रहण किया था ? क्या यह सही है कि पद स्थापन आदेश श्रीमती कालिन्दी पान्डेय बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला), वाराणसी के आदेश से था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि बे0 प्रा0 पा0 मढ़वा ब्लाक हरहुआ, जिला वाराणसी के प्रधान अध्यापक अमरनाथ लाल ने 20-7-82 को एक रिपोर्ट प्रति उपविद्यालय निरीक्षक हरहुआ, वाराणसी को लिखित दिया है कि उक्त आदेश को उन्होंने श्रीमती कालिन्दी पान्डेय को दिखाया तो उन्होंने कहा कि मेरा हस्ताक्षर है उनको कार्यभार ग्रहण करा दीजिए । क्या लाग बुक पर भी सभी आदेश संख्या अंकित हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद वाराणसी के निर्वाचन क्षेत्र कोलअसला का शिक्षा विभाग द्वारा सर्वेक्षण

188--श्री ऊदल--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के तीसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 115 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1974 से लगायत सन् 1977 तक कोई सर्वेक्षण विधान सभा क्षेत्र कोल-असला का तत्कालीन शिक्षा मन्त्री के आदेश पर उपनिदेशक, शिक्षा, वाराणसी ने कराया था ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । कोल असला निर्वाचन क्षेत्र के दो विकास खन्ड पिंडरा एवं बड़ागांव का सर्वेक्षण 1976 में कराया गया था ।

रिपोर्ट संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "त" आगे पृष्ठ 668 पर ।

जनपद मिर्जापुर में कृषि विभाग के बीज भंडार प्रभारी श्री संकटा प्रसाद सिंह तथा जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध आरोप-पत्र

189—श्री ऊदल—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के तीसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 108 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विभाग, मिर्जापुर में गबन (कई लाख) के बारे में उपनिदेशक कृषि, वाराणसी की चार्जशीट कृषि निदेशालय में कब प्राप्त हुई और कब अनुमोदित करके किन-किन कर्मचारियों को कब हस्तगत की गई ? क्या यह सत्य है कि मिर्जापुर के जिला कृषि अधिकारी के खिलाफ भी चार्जशीट उपनिदेशक ने भेजी थी ? यदि हां, तो उनको किस तारीख को हस्तगत की गयी ?

श्री यशपाल सिंह—

कृषि विभाग के बीज भंडार चिल्ह, जनपद मिर्जापुर में हुई कई लाख रुपये के गबन के मामले में केवल बीज भंडार प्रभारी श्री संकटा प्रसाद सिंह के विरुद्ध उप निदेशक कृषि, वाराणसी द्वारा भेजी गई चार्ज शीट कृषि निदेशालय में दिनांक 11-1-82 को प्राप्त हुई थी और यह चार्ज शीट अनुमोदनोपरान्त 13-1-82 को वापस कर दी गई थी तथा श्री संकटा प्रसाद सिंह को दिनांक 15-1-82 को हस्तगत करा दी गई थी ।

जी हां । मिर्जापुर के जिला कृषि अधिकारी के खिलाफ भी चार्ज शीट उप निदेशक वाराणसी ने 17-5-82 को भेजी थी परन्तु जांच करने पर जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का मामला नहीं बनता था । अतएव आरोप-पत्र को उनको हस्तगत नहीं कराया गया था ।

विशारद तथा साहित्यरत्न की क्रमशः इन्टर तथा बी0 ए0 के समकक्ष मान्यता

190—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग ने एक आदेश शिक्षा अनुभाग संख्या क0-9170, दिनांक 15-7-76/2 (18), 1975, लखनऊ, दिनांक 26 नवम्बर, 1976 के द्वारा यह अधिसूचना जारी किया है कि विशारद की योग्यता इन्टर के समकक्ष तथा साहित्यरत्न की बी0 ए0 के बराबर मान्यता दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या उसको लागू किया जा चुका है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी है । अतः उसे लागू करने का प्रश्न नहीं उठता ।

कन्या जूनियर हाई स्कूल, नगरपालिका शाहाबाद, जिला हरदोई की अध्यापिकाओं के वेतन का भुगतान

191—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कन्या जूनियर हाई स्कूल, नगरपालिका शाहाबाद, जिला हरदोई की कितनी अध्यापिकाओं को मास अगस्त, 1982 से वेतन नहीं मिला है ? क्या सरकार उन्हें अविलम्ब भुगतान के आदेश देगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

कन्या जूनियर हाई स्कूल, नगरपालिका शाहाबाद, जिला हरदोई की एक अध्यापिका को अगस्त, 1982 से तथा उसकी प्रतिद्वन्दी दूसरी अध्यापिका को सितम्बर, 1982 से मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका था। अब उनके सम्पूर्ण अवशेष वेतन का भुगतान किये जने हेतु बैंक ड्राफ्ट निर्गत कर दिया गया है।

अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा छात्राओं की तलाशी लेने विषयक ज्ञान भारती कन्या विद्यापीठ अरौल, जनपद कानपुर (देहात) की प्रधानाचार्या के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

192—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या अप्रैल सन् 1983 के प्रथम सप्ताह में परीक्षा केन्द्र पर दिनांक 26-3-83 को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा छात्राओं की तलाशी लेने विषयक ज्ञान भारती कन्या विद्यापीठ, अरौल, जनपद कानपुर (देहात) की प्रधानाचार्या का कोई आवेदन-पत्र विशेष सचिव, शिक्षा व जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पत्र में किस-किस के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ? इस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी तथा कृत कार्यवाही पर परिणाम क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मथुरा के ग्राम पीलीगढ़ी के लिये सड़क तथा ब्योही बिजाहरी ड्रेन पर पुल निर्माण की मांग

193—श्री सरदार सिंह—

क्या ग्राम विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जय नारायण सिंह, प्रधान, ग्राम सभा नुनेरा, पो० आफिस नगोड़ा, जिला मथुरा का एक पत्र ग्राम पीलीगढ़ी के लिए रास्ता निकालने के लिए व ब्योही बिजाहरी ड्रेन पर पुल का निर्माण करने के लिए प्रश्नकर्ता की सिफारिश के साथ दिनांक 1-2-83 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, माननीय विधायक की सिफारिश के साथ उक्त पत्र प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र में इंगित सड़क एवं पुल निर्माण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मथुरा एवं विभागीय अधिकारियों को लिखा गया है।

इन कार्यों की स्वीकृति जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा दी जाती है।

श्री के0 डी0 दुबे, प्रभावी किसान संघ, कुमारगंज, फैजाबाद द्वारा कुलपति नरेन्द्र देव कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद को प्रस्तुत ज्ञापन एवं विश्वविद्यालय द्वारा भूमि अध्याप्ति से प्रभावित कृषकों को नौकरी देने के सम्बन्ध में कार्यवाही

194--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री के0 डी0 दुबे, प्रभावी किसान संघ, कुमारगंज, फैजाबाद द्वारा कुलपति नरेन्द्र देव कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद को दिनांक 19-2-83 को कोई ज्ञापन दिया गया है ? यदि हां, तो ज्ञापन का पूर्ण विवरण क्या है ? अब तक कितनी मांगों को सरकार स्वीकार करते हुए कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां।

ज्ञापन का पूर्ण विवरण संलग्न "क" में अंकित है।

कृषि विश्वविद्यालय एक स्वशासी संस्था है और इन मांगों पर उसके द्वारा ही समुचित विचार किया जाता है। शासन स्तर पर इस पर फिलहाल कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'थ' अ.गे पृष्ठ 670 पर।)

195--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री गुलाम हुसैन, कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के अ0 शा0 पत्रांक 1858/एम-3/आर0 ए0-वी0 सी0, दिनांक 3 फरवरी, 1983 द्वारा कोई पत्र श्री के0 डी0 दुबे, अध्यक्ष, प्रभावी किसान संघ, कुमारगंज, पो0 आ0 कुमारगंज, फैजाबाद को दिया गया है, जो उक्त विश्वविद्यालय के प्रभावित परिवारों की सूची बनाने व नौकरी देने के सम्बन्ध में है ? यदि हां, तो क्या प्रभावित परिवारों की सूची बनायी गयी तथा सूची में से अब तक कितने परिवार को नौकरी दी गयी है ? उनके नाम व पता तथा पद व वेतन क्या है ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां ।

भूमि अध्याप्ति से प्रभावित कृषकों की सूची विश्वविद्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार बना ली गई है । चूंकि भूमि अध्याप्ति से प्रभावित कृषकों का अभिलेख जिला प्रशासन स्तर पर ही उपलब्ध है । अतः पुष्टि हेतु जिला प्रशासन से भी प्रभावित कृषकों की सूची विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । विश्वविद्यालय द्वारा जो सूची तैयार की गई है उसमें से अब तक 37 प्रभावित कृषकों के आश्रितों को (विश्वविद्यालय की सेवा में दैनिक श्रमिकों के रूप में कार्यरत के अतिरिक्त) नियमित रूप से नियुक्त किया जा चुका है ।

भूमि अध्याप्ति से प्रभावित नियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों के नाम, पद व वेतन का विवरण संलग्न सूची "क" में अंकित है ।

(देखिए नत्थी 'द' आगे पृष्ठ 672 पर ।)

196—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री के0 डी0 दुबे, अध्यक्ष, प्रभावी किसान संघ, कुमारगंज, फैजाबाद द्वारा कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद को कोई ज्ञापन 28-2-1983 को दिया गया है ? यदि हां, तो ज्ञापन का पूर्ण विवरण क्या है और अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां ।

ज्ञापन का पूर्ण विवरण और उसके संदर्भ में कृत कार्यवाही की सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ 675 पर ।)

197—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री के0 डी0 दूबे, अध्यक्ष, प्रभावी किसान संघ, कुमारगंज, फैजाबाद द्वारा कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद को दिनांक 20-10-1982, 9-12-1982 एवं 10-2-1983 तथा 24-1-1983 को प्रभावित परिवारों को नौकरी दिए जाने आदि सम्बन्धी कोई ज्ञापन दिया गया है ? यदि हां, तो क्या ज्ञापन में दिए गए मांगों को पूरा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां ।

जिन कृषकों की भूमि कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा ग्रहण की गयी है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को विश्वविद्यालय में नौकरी में रखने की बात सैद्धान्तिक रूप से विश्वविद्यालय द्वारा मानी गयी है और

विश्वविद्यालय में होने वाली रिक्तियों में ऐसे परिवारों के सदस्यों को वरीयता के आधार पर शनैः शनैः खपाया जा रहा है ।

ज्ञापन के अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में कृषि विश्वविद्यालय द्वारा यथा सम्भव सुविधा प्रदान की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के जूनियर हाई स्कूल, सिकन्दरपुर के भवन निर्माण की मांग

198 —श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में जूनियर हाई स्कूल, सिकन्दरपुर, शिक्षा क्षेत्र अकबरपुर का विद्यालय कितने वर्षों से चल रहा है ? उक्त विद्यालय भवन-विहीन होने के कारण छात्रों की शिक्षा सुचारु रूप से नहीं की जा पा रही है ? यदि हां, तो क्या नए सत्र में भवन निर्माण हेतु धन स्वीकृत करते हुए भवन निर्माण कराए जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

30 वर्षों से ।

जी हां ।

शासन द्वारा किसी स्कूल विशेष के भवन के निर्माण, पुनर्निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाता है वरन् उपलब्ध संसाधनों के अनुसार जनपदवार अनुदान स्वीकृत किया जाता है । उक्त स्वीकृत अनुदान से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा ही विद्यालय भवनों का निर्माण हेतु चयन किया जाता है । अतः शासन द्वारा इस विषय पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री प्रकाश श्रीवास्तव, भूतपूर्व स्टोर कीपर/कैशियर, ब्लाक हरन्दिनगंज, जनपद फैजाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत एवं जांच

199—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ब्लाक हरन्दिन गंज, जनपद फैजाबाद के भूतपूर्व स्टोरकीपर/कैशियर (श्री प्रकाश श्रीवास्तव) के विरुद्ध भ्रष्टाचार की गम्भीर शिकायतों के आधार पर 1982 में जिला विकास अधिकारी द्वारा जांचोपरान्त 7,000 हजार रुपए वसूली हेतु आदेश पारित किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि की वसूली नियमानुसार करायी गयी है ? क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारी ब्लाक टांडा पर स्टोर कीपर/कैशियर पद पर स्थानान्तरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो शिकायतों एवं भ्रष्टाचार किए जाने के पश्चात् किस अधिकारी द्वारा पुनः जिम्मेदार पद पर कार्य करने हेतु आदेश किया गया ? क्या सम्पूर्ण मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

कथित कर्मचारी का स्थानान्तरण विकास खण्ड, टाण्डा प्रशासनिक कारणों से किया गया था। अब उनका स्थानान्तरण विकास खण्ड, टाण्डा से विकास खण्ड, भियांव के लिये कर दिया गया है उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में जांच करायी जा रही है। अतः शेष प्रश्न अभी नहीं उठते।

जनपद फैजाबाद के इल्फात गंज बाजार के पुल निर्माण का ठेका व उसकी प्रगति

200—श्री गोपी नाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के सातवें सोमवार के अता0 प्रश्न संख्या 110 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्क आर्डर किस तिथि को किस व्यक्ति के नाम जारी किया गया उसका नाम व पता क्या है? तथा वर्कआर्डर के कितने दिनों के पश्चात् निर्माण शुरू किया गया? क्या उक्त प्रश्न से सम्बन्धित पुल निर्माण हेतु धन उपलब्ध हो गया है? यदि हां, तो पुल निर्माण की प्रगति क्या है और अब तक कितना धन किन-किन मदों पर व्यय किया जा चुका है?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण का वर्क आर्डर दिनांक 5 मार्च, 1983 को श्री विजय प्रताप सिंह, ग्राम सरैयां, पोस्ट सरैयां, जिला फैजाबाद को जारी किया गया। ठेकेदार द्वारा मार्च, 1983 के वित्तीय सप्ताह में कार्य प्रारम्भ किया गया।

पुल के निर्माण हेतु अभी आवश्यक धनराशि उपलब्ध नहीं है।

आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई की प्राचार्या के विरुद्ध अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच

201—श्री रामधनी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई की प्राचार्या, श्रीमती सुधा चौधरी के विरुद्ध इस समय किन-किन गम्भीर अनियमितताओं, भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच प्रबन्ध समिति द्वारा की जा रही है? क्या सरकार शासन स्तर से इसकी जांच करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

महाविद्यालय प्रबन्धक की सूचनानुसार प्राचार्या के विरुद्ध भवन निर्माण, बिजली फिटिंग तथा स्टेशनरी के सम्बन्ध में कालेज की प्रबन्ध समिति द्वारा गठित जांच समिति जांच कर रही है। अतएव शासन स्तर से जांच कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

शासन के अशासकीय महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों का नियुक्ति अधिकारी न होने के कारण प्रचार्या के विरुद्ध शासन द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई की बी0 ए0 की छात्राओं के परीक्षाफल की घोषणा

202--श्री रामधनी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई की वर्ष 1982 की बी0 ए0 द्वितीय वर्ष की कितनी छात्राओं का परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया है, जिसके कारण छात्राओं को वर्ष 1983 की परीक्षा में प्रवेश पाना असम्भव हो गया है ? क्या सरकार उक्त छात्राओं का परीक्षाफल तुरन्त घोषित कराकर छात्राओं को आगे प्रवेश के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

विश्वविद्यालय से प्राप्त नवीन तम सूचना के अनुसार केवल तीन व्यक्तिगत परीक्षार्थियों (अनुक्रमांक 24464, 24533 तथा 24618) के परीक्षाफल उनके द्वारा बी0 ए0 प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होने के प्रमाण स्वरूप विवरण प्रस्तुत न करने के कारण घोषित नहीं हो सके हैं ।

विश्वविद्यालय को इन परीक्षार्थियों का परीक्षाफल शीघ्र घोषित करने के सम्बन्ध में लिखा गया है ।

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अधीनस्थ कृषि सेवा के कर्मचारियों का स्थायीकरण व नया वेतनमान

203--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 के कर्मचारी विश्व-विद्यालय घोषित होने के पूर्व से कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत निरन्तर कार्यरत हैं और उनकी सेवाओं को लोक सेवा आयोग ने अपने विज्ञापन दिनांक 24-2-68 के अनुसार स्थायी पद हेतु अनुमोदित करके दिनांक 20-1-70 को सूची भेजी थी, जिसे कृषि निदेशक ने दिनांक 26-2-70 को लागू किया था, परन्तु आज 16 वर्षों से अधिक निरन्तर सेवा पूर्ण करने के बाद भी कृषि निदेशक ने उनके स्थायीकरण के आदेश जारी नहीं किए और न ही उन्हें नए वेतन-मान व सलेक्शन ग्रेड दिए हैं ? ऐसा क्यों ? उस सूची के शेष सभी अस्थायी राज्य कर्मचारियों को सरकार की स्थायीकरण राजाज्ञा के अनुसार सरकार द्वारा कब तक स्थायीकरण के आदेश जारी किए जायेंगे ? इस विलम्ब के लिए कौन दोषी व उत्तरदायी है ?

श्री यशपाल सिंह--

जी नहीं । चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 1 के कर्मचारी न तो कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कार्यरत हैं और न लोक सेवा आयोग ने अपने विज्ञापन दिनांक 24-2-68 के अनुसार स्थायी पद हेतु अनुमोदित करके 20-1-70 को कोई सूची भेजी थी ।

अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

प्रगति आश्रम, हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच

204—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनाचार, वित्तीय अनियमितताओं, शिक्षा विभाग के अधिनियमों, विनियमों आदि के उल्लंघन आदि के विषय में श्री राम आसरे वर्मा, एम0 एल0 ए0 के ज्ञापन दिनांक 23-6-82, 6-7-82, 3-8-82, 10-8-82, 23-8-82 एवं 16-9-82 जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो ज्ञापनों में उल्लिखित आरोपों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

विभागीय कार्यवाही की जा रही है । संस्था को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-घ(2) का निर्देश तथा 16-घ(3) की नोटिस क्रमशः दिनांक 11-4-83 तथा 17-8-83 को निर्गत कर दी गई है । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

बुन्देलखंड के विकास हेतु बुन्देलखंड विकास प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय व उनका क्रियान्वयन

205—प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश वर्मा—

क्या सरकार कृपया बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखंड विकास प्राधिकरण की दिनांक 21-8-81 की बैठक में बुन्देलखंड के विकास हेतु क्या निर्णय लिए गए ? 31 मार्च, 83 तक उक्त निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

21-8-81 की बैठक में लिए गए निर्णयों सम्बन्धी कार्यवृत्त मेरे कार्यालय में उपलब्ध हैं । माननीय सदस्य अपनी सुविधानुसार निर्णयों से अवगत हो सकते हैं ।

जहां तक निर्णयों के क्रियान्वयन का प्रश्न है उक्त निर्णयों के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु बुन्देलखंड विकास प्राधिकरण की दिनांक 26-2-82 को समीक्षात्मक बैठक भी हो गई ।

जिला परिषद्, मथुरा द्वारा संचालित मानव चिकित्सालय, राया के चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण

206—श्री सरदार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद मथुरा के अधिकार में चलने वाले अस्पताल, राया में नियुक्त वर्तमान डाक्टर को कितने

वर्ष इसी अस्पताल में ही गए हैं ? क्या यह डाक्टर स्थानीय है ? यदि हां, तो क्या शासन इस डाक्टर का जिले से बाहर शीघ्र स्थानान्तरण करने की कृपा करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिला परिषद्, मथुरा द्वारा संचालित मानव चिकित्सालय, राया एक एकीकृत चिकित्सालय है। उसमें नियुक्त वर्तमान चिकित्साधिकारी उसी चिकित्सालय में 15 वर्ष से कार्यरत हैं। वह राया के स्थानीय निवासी नहीं हैं। एकीकृत चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण शासन अथवा जिला परिषद द्वारा जिले के बाहर नही किया जा सकता। यद्यपि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायत नही है, फिर भी जिलाधिकारी/अध्यक्ष को आदेश दिए जा चुके हैं कि वे सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण जिले के अन्दर अन्यत्र कर दें।

[विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1982 के प्रथम सोमवार दिनांक 23 अगस्त, 1982 श्री प्रभु नारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के मूल उत्तर में संशोधन।]

जनपद जौनपुर के प्राथमिक शिक्षकों का प्रावीडेन्ट फंड व पेन्शन का भुगतान

16--श्री प्रभु नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के प्राथमिक शिक्षकों का प्रावीडेन्ट फंड और पेन्शन के प्रकरण वर्ष 1975 से अपूर्ण हैं और अवकाश ग्रहण करने वाले शिक्षकों को उनका भुगतान समय से नहीं होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अनियमितता को दूर कर शिक्षकों को पेंशन और प्राविधायी निधि का भुगतान समय से कराने की व्यवस्था करेगी ?

मूल उत्तर

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद जौनपुर में वर्ष 1975-76 से वर्ष 1980-81 तक सभी अध्यापकों को प्रावीडेन्ट फंड की लेजर प्राविष्टियां पूर्ण हैं तथा वर्ष 1975 से वर्ष 1981 तक अवकाश ग्रहण करने वाले अध्यापकों को नियमित रूप से पेन्शन का भुगतान हो रहा है तथा भविष्य निर्वाह निधि का भी भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

संशोधित उत्तर

जी नहीं।

जनपद जौनपुर के प्राथमिक शिक्षकों के प्राविडेन्ट फंड और पेन्शन के प्रकरण वर्ष 1975 से पूर्ण है और अवकाश ग्रहण करने वाले शिक्षकों को उनका भुगतान किया जा रहा है। सम्बन्धित अध्यापकों द्वारा परिषदीय अंशदान, पेन्शन

फंड न जमा करने के कारण वर्ष 1981 के 52 प्रकरणों में पेन्शन स्वीकृत नहीं की जा सकी है। वर्ष 1977 से वर्ष 1981 तक 99 प्रकरणों से सम्बन्धित अध्यापकों के आवेदन-पत्र प्राप्त न होने अथवा अपूर्ण होने के कारण उनके भविष्य निधि का भुगतान नहीं हो पाया है।

भूतपूर्व सदस्य, श्री अवधेश प्रताप सिंह के निधन पर शोकोद्गार

(12 बजकर 20 मिनट)

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

माननीय अध्यक्ष जी, अत्यन्त दुख के साथ इस माननीय सदन को यह सूचना देनी पड़ रही है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री अवधेश प्रताप सिंह का निधन 28 अगस्त, 1983 को प्रातः 7 बजकर 5 मिनट पर जिला चिकित्सालय, फैजाबाद में हो गया। वे 61 वर्ष के थे। 25 दिसम्बर, 1922 को जनपद फैजाबाद में खजुरहट नामक स्थान में वे पैदा हुए थे। वे एक शिक्षित व्यक्ति थे। पहली बार सन् 1952 में एक निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से वे चुनकर आये थे तथा सन् 1957 में भी इस विधान सभा में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनकर आये थे और सन् 1962 तक इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में वे रहे। जिला परिषद् के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने सन् 1963 से 1971 तक कार्य किया। श्री अवधेश प्रताप सिंह फैजाबाद जनपद के एक अत्यन्त प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति थे तथा एक प्रभावशाली व सेवा भावना से युक्त व्यक्ति थे। उनकी, फैजाबाद जनपद में उनके अध्यक्षकाल की ओर इस सदन की सदस्यताकाल की छाप बहुत अच्छी तरह से पड़ी। मुझे उनके साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और राजनीतिक कार्य करने का भी मुझे उनके साथ मौका मिला था। उनके देहान्त से बहुत बड़ी क्षति हुई है, प्रदेश की। उनकी आयु भी ऐसी नहीं थी, 61 वर्ष की उम्र में ही उनका देहावसान हो गया। अभी भी अपने दैनिक कार्यों के अतिरिक्त वे समाज सेवा और राजनीतिक कार्यों में वे भाग लेते थे। जैसा कि आपने देखा कि वे उस पीढ़ी के राजनीतिक व्यक्ति थे कि वे दो बार यहां पर निर्दलीय सदस्य के रूप में चुनकर आए थे। निर्दलीय के रूप में चुनकर आना स्वयं इस बात का द्योतक है कि वे वहां की जनता के कितने जनप्रिय व्यक्ति थे और वे जनता के कितने अनुप्राणित थ कि जनता ने उन्हें अपना जन-प्रतिनिधि बनाया। मैं आपके माध्यम से उनके शोक संतप्त परिवार को अपनी और अपने दल की ओर से समवेदना भेजना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारी इन भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अध्यक्ष जी, श्री अवधेश प्रताप सिंह के निधन के सम्बन्ध में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन ने व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, श्री अवधेश प्रताप सिंह ने अपने जनपद में जो जन-सेवायें की हैं, उनके लिए उन्हें स्मरण किया जाता रहेगा। यह बात सही है कि किसी दल से सम्बद्ध न होते हुए भी वे स्वयं एक संस्था के रूप में कार्य करते थे। उनकी लोकप्रियता इस बात को सिद्ध करती है कि वे किसी दल से सम्बद्ध

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न होते हुए भी दो-दो बार इस माननीय सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। उन्होंने जो सामाजिक और शैक्षिक संस्थाओं में योगदान दिया उनको तथा उनकी सेवाओं को दीर्घकाल तक स्मरण किया जाता रहेगा। इन शब्दों के साथ में अपनी और अपने दल की समवेदना प्रकट करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी इन भावनाओं को शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

अध्यक्ष जी, श्री अवधेश प्रताप सिंह के बारे में माननीय नेता सदन तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो भाव व्यक्त किए हैं उनके साथ में अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी भावनायें पहुंचाने का कष्ट करें। श्री अवधेश प्रताप सिंह दो बार इस आदरणीय सदन में निर्दलीय विधायक के रूप में आये और जिला परिषद् के अध्यक्ष चुने गए जो स्वयं इस बात का नमूना है कि वे अत्यन्त लोकप्रिय थे और सामाजिक व्यक्ति थे और उनकी समाज सेवाओं ने उन्हें यहां तक पहुंचाया। मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी और हमारे दल की भावनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दें।

श्री फखरे आलम--

अध्यक्ष महोदय, स्व० श्री अवधेश प्रताप सिंह के निधन पर माननीय नेता सदन तथा अन्य नेताओं ने जिन ख्यालात का इजहार किया है, उनसे मैं अपने को और अपने दल को पूरी तरह से सम्बद्ध करता हूं। माननीय अवधेश प्रताप सिंह एक जानी मानी हस्ती थे। उन्होंने जो अपने जिले में समाज का काम किया वह इस बात की दलील है कि वे दो बार निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से चुनकर आये। वे ऐसे कार्यकर्ता थे जिनका सीधा जनता से सम्पर्क था। ऐसे लोगों का हमारे बीच से चला जाना बड़े दुख की बात है। अभी बहुत अर्से तक वे काम कर सकते थे क्योंकि उनकी अवस्था 61 साल की थी। उनके चले जाने का हमें बड़ा दुख है। मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारी और हमारे दल की तरफ से समवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

श्री भीखा लाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्व० अवधेश प्रताप सिंह के सम्बन्ध में जो विचार माननीय नेता सदन और अन्य नेताओं से व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे और हमारे दल के विचार उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता सदन और अन्य नेताओं ने जो विचार स्व० अवधेश प्रताप सिंह के बारे में प्रकट किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। 1952 में जब वे पहली बार इस आदरणीय सदन में चुन कर आये थे तो मैंने उनकी कार्यप्रणाली को देखा था। वे बहुत परिश्रम करते थे। जहां तक दिन प्रति दिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष—]

की डिबेट का सम्बन्ध है, वे पूरी तरह से उसमें हिस्सा लेते थे । उनका जनप्रिय होना इस बात का प्रतीक है कि वे दो बार निर्दलीय सदस्य के रूप में चुन कर यहां आये । उनकी कार्यशैली इस प्रकार की थी कि समाज में उनको लोग बहुत चाहते थे, ऐसे व्यक्ति का चला जाना दुख की बात है । जो विचार यहां पर आदरणीय सदन में प्रकट किये गए हैं, उनको मैं उनके दुखी परिवार तक पहुंचा दूंगा । अब हम दो मिनट उनके सम्मान में मौन खड़े होंगे ।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए ।)

नेता विरोधी दल के स्थान पर श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा शोक संवेदना पर भाषण देने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं एक जानकारी चाहूंगा । अभी जब शोक संवेदना के सम्बन्ध में प्रकरण चल रहा था आपने नेता विरोधी दल को कहा इस पर माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी खड़े हो गये । तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी को मुख्य दल मानने लगे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, हम लोग भ्रमित हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसका प्रबन्ध कर रहा हूं ।

ईंट निर्माताओं में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 में 15 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री मीती लाल देहलवी, श्री पंचानन राय, श्री गोपी नाथ वर्मा एवं श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री भोखा लाल की सूचनाओं को स्वीकार किया, शेष अस्वीकार की गयी हैं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन के संज्ञान में उ० प्र० के ईंट निर्माताओं में शासन की दुर्नीतियों के कारण व्याप्त असंतोष से उत्पन्न समस्या लाना चाहता हूं । मान्यवर, भट्टों पर कार्यरत श्रमिकों के शोषण से बचाकर उन्हें सेवा की सुरक्षा एवं लाभप्रद वेतन दिलाने हेतु नियमन तथा उनका प्रभावी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्यान्वयन तो आवश्यक है परन्तु ईंट निर्माताओं को शिकायत है कि इसके आवरण में फक्टरी ऐक्ट बैठक की तनखा आदि कानूनों को इतने अव्यवहारिक ढंग से आरोपित किया जा रहा है कि भट्टा चलाना सम्भव नहीं है। असंतोष इतना गहन है कि आगामी सीजन में उन्होंने भट्ठा न चलाने का फैसला कर लिया है और आज प्रदेश के समस्त ईंट निर्माता विधान भवन के सामने धरना तथा प्रदर्शन कर रहे हैं।

यदि समस्या का तत्काल हल न निकाला गया तो ईंट उद्योग ठप होने से निर्माण कार्य प्रभावित हो जायेगा और प्रदेश के विकास को बहुत धक्का लगेगा।

अतएव लोकमहत्व के इस प्रश्न पर मांग है कि शासन ईंट निर्माताओं को न्यायोचित मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उन्हें उचित राहत प्रदान करे।

जनपद कानपुर (देहात) के शिवली क्षेत्र में नील गायों के शिकार से व्याप्त रोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोती लाल देहलवी--

अध्यक्ष महोदय, जनपद कानपुर (देहात) के शिवली क्षेत्र में 2 नील गायों को बन्दूकों से मार दिया गया है। नील गायों के मारने से क्षेत्रीय जनता में साम्प्रदायिक भावनावश रोष व्याप्त हो गया है। यदि नील गायों का मारना न बन्द किया गया तो साम्प्रदायिकता भड़क सकती है और किसी भी दिन कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो सकती है। चूंकि एक धर्म के अनुयायी नील गाय को भी गायों की ही तरह मानते हैं, इसलिये नील गायों के बध से क्षेत्रीय जनता में रोष व्याप्त हो रहा है। 11 मई, 1983 को थाना मंगलपुर से सम्बन्धित गांव जिगना के समीप धारिया नाला पर स्व0 हरनारायण बाजपेयी ने नील गायों के शिकार से क्षुब्ध होकर ही चिता लगा कर आत्मदाह कर लिया था और तब जनता आंदोलित हुई थी।

अस्तु, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और नील गायों के शिकार सम्बन्धी नीति निर्धारित कर नील गायों के शिकार को रोके।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा प्रस्तावित आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन तथा राज्य सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पंचानन राय--]

उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रस्तावित आन्दोलन के प्रथम चरण के रूप में कल दिनांक 4 सितम्बर, 1983 को प्रदेश के लगभग एक लाख माध्यमिक शिक्षकों ने अपने-अपने जिला मुख्यालयों पर शिक्षा के क्षेत्र से व्यक्तिगत प्रबन्धकीय व्यवस्था को समाप्त कर शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था धर्म निरपेक्षता, जनतंत्र एव समाजवाद के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप नागरिक तैयार करने में पूर्णतया अक्षम सी हो चुकी है बल्कि इसके विपरीत इससे राष्ट्रीय मूल्यों को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। इसका एक कारण व्यक्तिगत प्रबन्धकीय व्यवस्था है। शासन स्वयं भी बिचौलियों की व्यवस्था समाप्त करने के लिये प्रयत्नशील है और जबकि शिक्षक के क्षेत्र में इन बिचौलियों की उपादेयता शून्य है, उन्हें तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। अपने आंदोलन के अगले चरण में 12 नवम्बर, 1983 को लखनऊ में लगभग 50 हजार शिक्षकों की विशाल रैली आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है।

हमारी राज्य सरकार से मांग है कि शिक्षा के क्षेत्र से व्यक्तिगत प्रबन्धकीय व्यवस्था समाप्त कर शिक्षा का राष्ट्रीकरण किया जाय।

कतिपय वाहनों के परमिटों के नवीनीकरण रोक दिये जाने से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम आसरे वर्मा--

अध्यक्ष महोदय, इस समय उ0 प्र0 में लगभग बीसों हजारों आदमी विभिन्न अंचलों में टैक्सियां चला रहे हैं। जीपें, मिनी बस, स्टैन्डर्ड 20, एप0 सी0 (360 डी) गाड़िया, 7 सीटर टैक्सी के रूप में प्रदेश भर में चल रही हैं इसमें हजारों बेरोजगार नवयुवक, सेना निवृत्त कर्मचारी, सेवा निवृत्त कर्मचारी तथा विभिन्न समुदाय के लोग इस पैसे से अपना जीविकोपार्जन विभिन्न बैंकों से ऋण लेकर कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में करोड़ों रुपया टैक्सियों के मद में बढ़ा हुआ है। वर्तमान परिस्थिति में परिवहन अनुभाग-4 ने एक नोटीफिकेशन नं0 4171-टी/एक्स एक्स एक्स/4-45-के0 एम0-79, 31 अगस्त, 1981 को जारी किया है, जिसके तहत प्रदेश में चलने वाली हजारों टैक्सियों का नवीनीकरण (परमिट) रुक जायेगा और टैक्सियां बेकार हो जायेंगी। इस नोटीफिकेशन से प्रदेश में हजारों परिवार भुखमरी के शिकार हो जायेंगे और अरबों रुपये की गाड़ियां खड़ी होकर सड़ जायेंगी।

सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए शासन से मांग करता हूं कि उक्त नोटीफिकेशन वापस लिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्नाव जनपद के हसनगंज निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड औरास, हसनगंज तथा नवाबगंज में विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत होने वाले कार्यों को पूरा न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीखा लाल—

अध्यक्ष महोदय, उन्नाव जनपद के हसनगंज निर्वाचन क्षेत्र के विकास खंड, औरास, हसनगंज तथा नवाबगंज में विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत जिला योजना तथा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा वर्ष 1982–83 के लिये स्वीकृत पैधिकांश निर्माण कार्य अभी तक पूरे नहीं किये गये। कतिपय कार्यों में एक असा भी व्यय नहीं किया गया। क्षेत्र की जनता को भय है कि इन कार्यों पर स्वीकृत धन अन्य विकास खंडों के कार्यों पर व्यय कर दिया गया है। इस प्रकार विकास के कार्यों में इस क्षेत्र के पिछड़े रह जाने की सम्भावना है। क्षेत्र की जनता में काफी रोष है। अतएव, इस महत्वपूर्ण विषय को शासन के संज्ञान में लाकर अनुरोध है कि इस बात की विस्तृत जांच की जाय कि विभिन्न विभागों में कौन–कौन से निर्माण कार्य वर्ष 1982–83 के लिये स्वीकृत हुए थे। उनके लिये कितना धन आवंटित किया गया था। कौन कार्य पूरे किये गये, किन कार्यों पर कोई काम नहीं कराया गया और स्वीकृत धन में से कितना धन अन्य विकास खंडों में हस्तांतरित कर दिया गया।

माननीय सदस्यों द्वारा जारी किये जाने वाले विविध प्रकार के प्रमाण–पत्रों की वैधता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राम आसरे वर्मा—

मैं मान्यवर, एक औचित्य और व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं और उसके लिये आपकी अनुमति चाहता हूं। इस समय पूरे प्रदेश में माननीय विधायकों द्वारा जाति प्रमाण–पत्र, चरित्र–प्रमाण पत्र, आय प्रमाण–पत्र, निवास सम्बन्धी प्रमाण–पत्र आदि जारी किये जाते हैं। कुछ विभाग तो इन प्रमाण पत्रों को मानते हैं और कुछ विभाग उनको मानने से इनकार कर देते हैं। कुछ विभागों द्वारा माननीय विधायकों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को वापस कर दिया जाता है। इससे, मान्यवर, माननीय विधायकों की मर्यादा जुड़ी हुई हुई है। शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति घोषित न होने के कारण बड़ी कठिनाइयां सामने आ रही हैं। मैं इसको इस सदन के सामने रखते हुए औचित्य का प्रश्न यह उठाना चाहता हूं कि शासन द्वारा यह स्पष्ट आदेश जारी होने चाहिए कि किस–किस प्रकार के प्रमाण–पत्र माननीय विधायक जारी कर सकते हैं और किन–किन विभागों द्वारा या सभी विभागों द्वारा उनकी मान्यता स्वीकार होगी। शिक्षा विभाग में, हरिजन कल्याण विभाग में, जहां छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकार की जाती है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम आसरे वर्मा--]

वहां पर तथा हाई स्कूल के फार्म्स पर लिखा रहता है कि आय का प्रमाण-पत्र किसी जन प्रतिनिधि द्वारा दिया जाना चाहिए। लेकिन इन्टरमीडिएट में वहां के अधिकारी विधायकों के प्रमाण-पत्र को नहीं मानते हैं, वे कहते हैं राजस्व अधिकारी का प्रमाण-पत्र लाओ। तो मान्यवर, इसमें विधायकों की मर्यादा का प्रश्न है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, यह प्रश्न औचित्य के प्रश्न की परिधि में तो आता नहीं है। लेकिन यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्राब्लम है जो माननीय सदस्य ने बतलायी है। अब किस जगह किस माननीय सदस्य के प्रमाण-पत्र को वापस कर दिया या नहीं माना, उसकी अगर इन्डीविजुअल शिकायत कोई हमारे पास आयेगी तो उसे देख लिया जायेगा और उस पर कार्यवाही की जायेगी। यह प्रश्न औचित्य का स्वीकार करने योग्य नहीं है।

एक सदस्य--

यह आम बात है, अक्सर यह देखा गया है, मैं इलाहाबाद के बारे में उठाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठिए। आपको (श्री राम आसरे वर्मा) दुबारा बोलने का मौका क्यों दिया जाए?

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं एक और बात आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। चाहे जैसा प्रमाण-पत्र हो। प्रमाण-पत्र चाहे जाति का हो, आय का हो या निवास के सम्बन्ध में हो, यह परम्परा के आधार पर, जानकारी के आधार पर विधायक जारी करते रहे हैं, यद्यपि इस विषय में शासन की ओर से कोई भी स्पष्ट रूपरेखा या हिदायत नहीं है कि माननीय विधायक इस तरह के प्रमाण-पत्र जारी कर सकते हैं। तो यह जानकारी शासन को विधायकों को दे देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

मैंने राम आसरे वर्मा जी को और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना है। जहां तक औचित्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, न तो इसमें संविधान का और न हमारी प्रक्रिया नियमावली का कोई उल्लंघन हुआ है। लेकिन फिर भी मैं शासन से कहूंगा कि वह विशेष रूप से इस बात को देखें कि कहां गड़बड़ी है और उसमें कहां किस तरह से सुधार हो सकता है और वह उसको ठीक करने की कोशिश करें। अब मैं इस प्रश्न को समाप्त करता हूं।

बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु गठित समितियों में विपक्ष के सदस्यों को प्रतिनिधित्व न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आज यहां पर एक ऐसे औचित्य के प्रश्न को प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका सम्बन्ध नेता सदन द्वारा इस आदरणीय सदन में की गई घोषणा से है और प्रतिपक्ष के सभी विधायकों से उसका सम्बन्ध है। यह जो प्रधानमंत्री की ओर से बीस सूत्री कार्यक्रम के नाम से एक प्रोग्राम चलाया जाता है, उसका सत्तारूढ़ दल राजनैतिक लाभ उठाता है मैं उसके खिलाफ हूं। चूंकि इसमें शासन का पैसा लगता है और गरीब जनता के हित के लिए काम होना है, नौकरशाही के भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने के लिए हम लोगों ने कहा था कि इनके कार्यान्वयन के लिए बनने वाली समितियों में हम अपना योगदान करना चाहते हैं।

मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि 7 अप्रैल को यह मामला इस आदरणीय सदन में उठा था और प्रतिपक्ष के सभी विधायक इस बात के लिए आन्दोलित थे कि 20 सूत्री कार्यक्रम के संचालन में सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष के बीच भेदभाव बरता जा रहा है, जो कि प्रतिपक्ष के लिए अपमानजनक और आपत्तिजनक है। इसके फलस्वरूप मुख्य मंत्री ने सदन में यह घोषणा की थी, जो 7 अप्रैल के संक्षिप्त कार्य विवरण के पृष्ठ 4 के कंडिका-2 में दिया हुआ है, मुख्य मंत्री ने स्थिति-स्पष्ट करते हुए कहा कि जो राजाज्ञा जारी हुई वह 17 तारीख को हस्त क्षरित हो गई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम सम्बन्धी समितियों का पुनर्गठन किया जायेगा और उनमें विरोधी पक्ष के विधायकों को सम्मिलित करने हेतु राजाज्ञाओं को संशोधित किया जाए। मुख्य मंत्री जी की इस प्रकार की स्पष्ट घोषणा होते हुए भी आज तक उसका कोई पालन नहीं किया गया है, जिलों में जो समितियां बनी हैं, उनमें आज तक प्रतिपक्ष के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। इससे बढ़कर बात यह है कि जो विकास खण्ड स्तर पर समितियां बननी हैं, उनके बारे में यह था कि जहां पर शासन पक्ष के विधायक नहीं हैं, परगनाधिकारी उसकी अध्यक्षता करेंगे, लेकिन अब उसके स्थान पर यह कर दिया गया है कि जहां पर गैर कांग्रेस वाले विधायक हैं, जहां पर कमेटी बनेगी, उसकी अध्यक्षता ब्लाक कांग्रेस (आई) के प्रेसीडेन्ट करेंगे। इस प्रकार आप देखें कि उसमें किसी जनप्रतिनिधि को स्थान नहीं दिया गया है, वहां के ग्राम प्रधान को भी स्थान नहीं दिया गया है।

इसके अलावा, एक राजाज्ञा मैंने इनकी देखी है, जिसके अनुसार विरोध पक्ष के विधायकों से एक अनुमति-पत्र लिखाया जा रहा है कि हम इसमें जाने को सहमत हैं। यह भी हम विरोधपक्ष के विधायकों के लिए अवमानना की बात है। हमने स्पष्ट कह दिया है कि हम इसका राजनैतिक लाभ उठाने के विरोधी हैं और उसमें होने वाले भ्रष्टाचार पर निगरानी करना चाहते हैं, इसलिए मैं इसमें जानना चाहता हूं कि अलग से एक अनुमति-पत्र लेने का क्या औचित्य है? सदन में घोषणा हो जाने के बाद भी सरकार अपने वायदे से विमुख हो रही है। इसलिए मैं अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए इसमें आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि पूर्व

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

का निर्णय तत्काल उसी स्प्रिट में लागू किया जाना चाहिए और पूरी तरह से उसका कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। यह बात मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने जो प्रश्न उठाया है, उसके संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि 7 अप्रैल को माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया था उसी के अनुसार कार्यवाही हो रही है। आपके माध्यम से मैं उन्हें सूचित करना चाहूंगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम की तीन स्तरीय कमेटियां हैं, जैसा कि वह जानते हैं, एक राज्य स्तरीय, दूसरी जिला स्तरीय और तीसरी ब्लाक स्तरीय। मान्यवर, राज्य स्तरीय कमेटी में माननीय नेता विरोधी दल का नामांकन हो चुका है, माननीय गुप्ता जी स्वयं जानते हैं। उनकी जगह अपना प्रयास कर रहे हों तो बात दूसरी है। मान्यवर, डिस्ट्रिक्ट कमेटी का जहां तक संबंध है, उसमें जो पत्र का हवाला दिया है तो माननीय गुप्ता जी ने जो कहा है, उसमें विरोधाभास है। मुख्य मंत्री जी ने जो कहा था इसमें उसी के अनुसार कार्यवाही हो रही है। माननीय गुप्ता जी संसदीय प्रणाली के बड़े विशेषज्ञ हैं। वह जानते हैं कि जब भी किसी विधायक का किसी कमेटी में नामांकन करना होता है तो उसके लिये दो स्टेजेज होती हैं। पहले आपसे इजाजत लेनी पड़ती है और फिर जिस व्यक्ति को रख रहे हैं, उससे इजाजत लेनी पड़ती है कि आप इस कमेटी में रहेंगे या नहीं। मान्यवर, यह प्रोफार्मा मेरे पास है, उन्होंने अभी स्वीकार किया है कि यह ईसू हो चुका है और बहुत से लोग नामांकित हो चुके हैं। तो राज्य स्तरीय और डिस्ट्रक्ट स्तरीय कमेटी, दोनों में कार्यवाही हो चुकी है। ब्लाक स्तरीय की रह गयी है, इसमें अभी नामांकन नहीं हुये हैं। इस वक्त चुनाव हो रहे थे, इसकी वजह से कुछ बाधा पड़ी।

लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही यह कार्यवाही जिला स्तर की पूरी हो जाती है, ब्लाक स्तर के ऊपर वैसे ही कार्यवाही की जायेगी, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया था। 20 सूत्री कार्यक्रम की एक बात उन्होंने कही है कि हम इसमें इसलिये जाना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार इसमें बहुत है। आप भ्रष्टाचार के विशेषज्ञ हैं आप को इसके अन्दर आना चाहिए, आकर देखें कि इसमें कितना कार्य हो रहा है। जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया था, उसी के अनुसार कार्यवाही हो रही है, किसी प्रकार की अलग कार्यवाही नहीं हो रही है, रही औचित्य की मान्यवर, बात तो धारा उन्होंने लिखी नहीं है की किस धारा की ओर राजेन्द्र कुमार गुप्त जी चले जायेंगे, यह पता नहीं है। मान्यवर, इसमें संविधान की धारा का उल्लंघन नहीं हुआ है। यह एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। जैसा आश्वासन दिया गया था, उसी के अनुसार कार्यवाही हो रही है। जो कार्य बाकी है, वह पूरा हो जायगा।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि विधायकों की अनुमति मांगी गयी। तो क्या आप बतायेंगे कि जितने भी कांग्रेस (आई) के विधायक हैं, क्या उनसे भी लिखकर अनुमति मांगी गयी है या सिर्फ इसी पक्ष के विधायकों पर य बात लागू की गयी है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इसमें कांग्रेस (आई) के विधायकों का ही गया है, बाकी और लोगों का होना है इसलिये उनकी अनुमति लेना जरूरी है ।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, मार्च में यह मामला उठा था और आपके कक्ष में बैठक हुयी थी, मुख्य मन्त्री जी के साथ तो मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था । अब मार्च की बजाय अगस्त आ गया है, हमसे अनुमति मांगी जा रही है । 20 सूत्रीय कार्यक्रम के जो स्पेशल सचिव हैं, उनका अखबार में बयान पढ़ा कि 1 हजार करोड़ वार्षिक योजना से बीस सूत्रीय कार्यक्रम को दिया गया है तो मैंने उनको पत्र लिखा कि 1 हजार करोड़ दिया जा रहा है लेकिन इसमें विधायकों को सम्बद्ध नहीं किया गया है । अब विधायकों से पूछा जा रहा है । इतने विलम्ब से कार्यवाही हो रही है । वार्षिक योजना जिला सेक्टर की बन चुकी है और विधायकों से कोई परामर्श नहीं लिया गया है । यह विलम्ब जान बूझकर किया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 2 मुख्य बिन्दु उठाये थे, उनका उत्तर अम्मार साहब नें नहीं दिया लन्तरानी उड़ाते रहे । मैंने एक बिन्दु तो यह रखा था कि इसकी सदन में चर्चा हुई और काफी उत्तेजना का वातावरण हुआ । उस समय यह बात तय हुई कि इसमें प्रतिपक्ष के विधायक रखे जायेंगे । जैसा भीखालाल जी ने शंका व्यक्त की कि जानबूझ कर इसमें विलम्ब किया गया । जब कांग्रेस के विधायक रखे गये तो अनुमति-पत्र नहीं भरवाया तो प्रतिपक्ष से अनुमति-पत्र क्यों भरवा रहे हैं, यह दो तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है ? जो बात तय हुई थी उसको स्प्रिट में क्यों इसको नहीं किया जा रहा है दूसरा ब्लाकों में परगनाधिकारी की जगह कांग्रेस (आई) के सदस्य को ब्लाक अध्यक्ष नामित किया जायेगा, यह तो और वैसा कार्य है । ब्लाक स्तर की कमेटी बनायी जायेगी पहले एक, फिर दो । दोनों एक साथ किया जा सकता है । ब्लाक स्तर पर क्या प्रारूप होगा, उनका अध्यक्ष ब्लाक प्रमुख होगा, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया ।

दूसरी चीज मान्यवर, कार्य संचालन नियमावली को आप देख लें जो चीज हमारे सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित है, विधायक से सम्बन्धित है वह मामले जो व्यवस्था के प्रश्न के रूप में नहीं उठाये जा सकते हैं, वह औचित्य के रूप में आ सकते हैं । श्रीमन् यह न्यायसंगत और नियमित है । जो दो बिन्दु मैंने उठाये हैं, उनका स्पष्टीकरण दिला दें ।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्लाकों का सम्बन्ध है । ब्लाक की कार्यवाही शीघ्र पूरी की जायेगी । रूपरेखा क्या होगी, अध्यक्ष कौन हो, ब्लाक प्रमुख या एम0 एल0 ए0 ब्लाक प्रमुख का चुनाव हो गया है, ब्लाक प्रमुख को होना चाहिये । सारी रूप रेखा तैयार की जा रही है । जो दूसरी बात औचित्य वाली है । आप नियम 300 को देखें । औचित्य का प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के

[श्री अम्मार रिजवी--]

सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो। किसी समस्या पर ध्यान आकृष्ट करने के लिये औचित्य का प्रश्न नहीं उठेगा। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं औचित्यपूर्ण होने का निश्चय कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

फिर मेरी बात का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--

उनको मजबूर नहीं किया जा सकता कि जो आप कह रहे हैं उसका उत्तर वे दें ही। मैंने श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, संसदीय कार्यमंत्री और अन्य लोगों को सुना। जहां तक औचित्य के प्रश्न की बात है न तो संविधान का और न ही कार्यसंचालन नियमावली जो है, उसका उल्लंघन हुआ, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सदन में अश्वासन दिया गया है, जो मेरे कक्ष में निर्णय लिया गया है, उनके विपरीत यदि कोई कार्य हो रहा है तो उसको मुख्य मन्त्री जी देखें और उचित कार्यवाही करें।

श्री अम्मार रिजवी--

उसी के अनुसार कार्य हो रहा है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष--

प्रभारी जिला मैजिस्ट्रेट, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 3 सितम्बर, 1983, जो उसी दिन इस सचिवालय में प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही, सदस्य, विधान सभा को दिनांक 3 सितम्बर, 1983 को लगभग 1·00 बजे रात्रि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत दारुलशफा के पूर्वी गेट के पास गिरफ्तार करके जिला कारागार, लखनऊ में रखा गया है।

इस सम्बन्ध मे अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ ने भी अपने दिनांक 3 सितम्बर, 1983 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही, सदस्य, विधान सभा दिनांक 3 सितम्बर, 1983 को उपरोक्त धाराओं में उक्त कारागार में प्रविष्टि हुई है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (1982-83) का सत्रहवां प्रतिवेदन†

श्री भूप सिंह केन--

मैं सभापति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (1982-83) का सत्रहवां प्रतिवेदन (उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग के अधीन शिक्षा निदेशालय/

†छापा नहीं गया।

अधीनस्थ कार्यालय की सेवाओं/पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों का प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित समिति के पंचम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन) प्रस्तुत करता हूं ।

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री के विरुद्ध श्री राम आसरे वर्मा द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

मैंने अपने कक्ष में माननीय सदस्यों को बुलाया और उनकी बातों को सुना और सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, पहला निर्णय इस प्रकार है--

श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 4 मई, 1982 को राज्य मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण के विरुद्ध गलत उत्तर देने के आधार पर विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है । माननीय सदस्य का कहना है कि दिनांक 24 फरवरी, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या--4 के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर सही नहीं था ।

उपरोक्त प्रश्न तथा उसका उत्तर निम्नवत् है :--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में कार्यरत (30-6-81) तक कितने अध्यपकों/कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धियों/अवकाश वेतन/वेतन-भत्ते आदि के बकाया देय भुगतान लम्बित थे ? बकाया देयों का भुगतान कराये जाने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में कार्यरत (30-6-81) अध्यापकों/कर्मचारियों में से केवल एक अध्यापिका की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गयी है । इस अध्यापिका का कार्य असंतोषजनक पाये जाने के कारण उसकी वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की गयी है और इसी कारण उनकी वेतनवृद्धि का भुगतान नहीं किया गया है ।

उपरोक्त प्रश्नोत्तर के अवलोकन से यह स्पष्ट हो गया कि प्रश्नकर्ता सदस्य वास्तव में यह जानना चाहते थे कि दिनांक 30 जून, 1981 तक बकाया देय के कितने मामले भुगतान हेतु लम्बित थे, चाहे उपरोक्त देय वार्षिक वेतन वृद्धियों के सम्बन्ध में हो, अथवा अवकाश वेतन के सम्बन्ध में हो, अथवा अन्य वेतन वृद्धियों के सम्बन्ध में हो । सदन में जो उत्तर दिया गया है उसमें सिर्फ एक अध्यापिका की वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने की बात कही गयी है । अपने पत्र दिनांक 18 फरवरी, 1983 में माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि अन्य कर्मचारियों और अध्यापकों की वार्षिक वेतन वृद्धियों को किसी दन्ड अथवा शास्ति के फलस्वरूप नहीं रोका गया था, बल्कि आर्थिक कारणों से संस्था द्वारा वेतन वृद्धियां स्वीकार होने के बावजूद भुगतान नहीं किया जा सका ।

[श्री अध्यक्ष---]

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर गलत नहीं था, किन्तु उनका उत्तर अपूर्ण था। अतः विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना को निरस्त करते हुए मैं यह निर्देश देता हूं कि माननीय राज्य मंत्री जी उपरोक्त प्रश्न का पूर्ण उत्तर शोधन वक्तव्य के रूप में सदन में दें तथा सम्बन्धित अधिकारियों को भी निर्देशित करें कि भविष्य में प्रश्नों का इस प्रकार अपूर्ण उत्तर न भेजा जाए।

राज्य मन्त्री हरिजन एवं समाज कल्याण के विरुद्ध श्री गोपीनाथ वर्मा द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

दूसरा निर्णय इस प्रकार है। श्री गोपी नाथ वर्मा (सदस्य, विधान सभा) ने दिनांक 3 सितम्बर, 1982 को माननीय राज्य मन्त्री, हरिजन एवं समाज कल्याण के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि दिनांक 25 अगस्त, 1982 को श्री राम आसरे वर्मा द्वारा पूछित अतारांकित प्रश्न संख्या 128 के उत्तर में माननीय राज्य मंत्री ने जो उत्तर दिया था, वह गलत था और सदन को गुमराह करने के उद्देश्य से दिया गया था। उपरोक्त प्रश्न में निम्नांकित बातें पूछी गई थीं :--

(क) प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज की प्रबन्ध समिति का गठन कब हुआ था ?

(ख) वर्ष 1970-80 के बीच उसकी प्रबन्ध समिति का चुनाव कब-कब हुआ ?

(ग) नव गठित प्रबन्ध समिति का अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कराया गया अथवा नहीं ?

माननीय राज्य मन्त्री जी ने उपरोक्त प्रश्न का निम्नांकित उत्तर दिया था :--

"प्रगति आश्रम, बालागंज, लखनऊ की प्रबन्ध समिति अलग नहीं है, बल्कि अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति द्वारा यह विद्यालय संचालित है। इसका गठन वर्ष 1952 में हुआ था।

वर्ष 1970 से 1980 तक प्रत्येक वर्ष प्रबन्ध समिति का चुनाव हुआ। नव गठित प्रबन्ध समिति का अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक से नहीं कराया गया, क्योंकि यह विशेष प्रकार की संस्था है और हरिजन कल्याण विभाग से शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त है।"

माननीय सदस्य का कहना है कि माननीय राज्य मंत्री जी द्वारा प्रदत्त उत्तर तीन कारणों से गलत है :--

(1) दिनांक 25 अगस्त, 1982 को उपरोक्त तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में कहा गया था कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के

अनुदानों से पोषित विद्यालयों को इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, बेसिक शिक्षा अधिनियम तथा शिक्षा संहिता के प्राविधानों से मुक्त नहीं किया गया है ।

(2) प्रश्नगत विद्यालय को अक्तूबर, 1975 तथा दिसम्बर, 1975 में पारित आदेशों द्वारा स्थायी मान्यता प्रदान की गयी थी और इन आदेशों में भी इस संस्था को कोई छूट नहीं दी गयी थी ।

(3) इण्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट के अधीन प्रत्येक विद्यालय को प्रशासन योजना तैयार करना अनिवार्य है, पर इस विद्यालय द्वारा उक्त प्राविधान का उल्लंघन किया गया है ।

मेरी राय में उपरोक्त तीनों तर्क निराधार प्रतीत होते हैं और उनके आधार पर राज्य मन्त्री, हरिजन तथा समाज कल्याण द्वारा दिये गये प्रश्नगत उत्तर को गलत नहीं ठहराया जा सकता । माननीय मंत्री जी के इस कथन में कि कोई विशिष्ट संस्था शिक्षा विभाग के कतिपय अधिनियमों से विमुक्त नहीं हैं तथा उनके इस बयान में कि उस संस्था की प्रबन्ध समिति का जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमोदन नहीं प्राप्त किया गया है, कोई पारस्परिक विरोध नहीं है । यदि किसी विद्यालय के सम्बन्ध में इण्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट अथवा बेसिक शिक्षा अधिनियम के किसी प्राविधान का पूर्णरूपेण अनुपालन नहीं किया गया तो इस आधार पर कि माननीय मन्त्री जी द्वारा दिया गया उत्तर, जो तथ्यों पर आधारित है, को गलत नहीं कहा जा सकता ।

सम्पूर्ण मामले पर विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में उठाने की अनुमति न दी जाय । पर मैं माननीय मन्त्री जी से यह अवश्य कहना चाहूंगा कि यदि प्रश्नगत संस्था के मामले में अधिनियमों का पालन नहीं किया जा रहा हो तो वे उसका अनुपालन कराने का प्रयास करें ।

गोरखपुर के सी0 ओ0 सिटी, श्री चन्द्रिका राय तथा कोतवाल इन्स्पेक्टर, श्री लोकनाथ यादव के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

तीसरा निर्णय इस प्रकार है । श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 30 जुलाई, 1982 को लिखित शिकायत के माध्यम से गोरखपुर के श्री चन्द्रिका राय (सी0 ओ0 सिटी) तथा श्री लोकनाथ यादव (कोतवाल इन्स्पेक्टर) गोरखपुर के विरुद्ध अवमानना के प्रश्न की सूचना दी थी। इससे पूर्व इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने 24-7-82 को एक तार भी भेजा था । अवमानना की सूचना में माननीय सदस्य का कहना है कि दिनांक 23 जुलाई, 1982 को जब उन्हें गोरखपुर में जानकारी मिली कि किसी व्यक्ति को गोली लग गयी है, तब घायल व्यक्ति को देखने के लिये वे श्री मारकन्डेय चन्द्र, विधायक के साथ सबर अस्पताल गये । उक्त सूचना में की गयी शिकायत के अनुसार जिस आदमी को गोली लगी थी, उसे पुलिस बेरहमी के साथ मार रही थी और उसकी अंगुलियां तोड़ रही थी । साथ ही किसी अज्ञात व्यक्ति से एफ0 आई0 आर0 भी लिखवा रही थी । माननीय सदस्य का कहना है कि जब उन्होंने पुलिस अधिकारियों से

[श्री अध्यक्ष--]

इस सम्बन्ध में जानकारी चाही और घायल के साथ किये जा रहे उक्त अमानवीय व्यवहार पर आपत्ति की, तो सी0 ओ0 सिटी, श्री चन्द्रिका राय तथा कोतवाल इन्स्पेक्टर, श्री लोकनाथ यादव, जो वहां मौजूद थे, उनसे रुष्ट हो गये। माननीय सदस्य के कहने पर कि वे जानकारी इसलिये चाहते हैं ताकि इस प्रकार की घटनाओं की ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित कर सकें, उक्त श्री चन्द्रिका राय ने माननीय सदस्य के प्रति अनुचित शब्दों का प्रयोग किया और यह कहा कि यदि श्री शाही ने इस सम्बन्ध में दखलंदाजी की, तो उन्हें विधान सभा में जाने लायक नहीं रहने दिया जायगा।

इस सम्बन्ध में शासन से जानकारी प्राप्त की गयी। शासन के पत्र दिनांक 22-2-82 में निम्नांकित तथ्यों का उल्लेख किया गया है :--

(क) दिनांक 24 जुलाई, 1982 को सेन्ट्रल बैंक के परिसर में गोली चलने की घटना घटी जिसमें कमलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ बब्लू को गोली लगी। उसी समय थाना कोतवाली के सब इन्स्पेक्टर घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने घायल व्यक्ति से पूछताछ की और उसकी तलाशी ली।

(ख) तलाशी के फलस्वरूप घायल व्यक्ति के पास देशी रिवाल्वर एवं कुछ कारतूस मिले जिस पर मिसफायर के निशान थे। अतः उक्त कमलेश कुमार के विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया और उसे जिला अस्पताल में ले जाया गया।

(ग) मामले की सूचना के आधार पर श्री चन्द्रिका राय, क्षेत्राधिकारी एवं तत्कालीन पुलिस निरीक्षक कोतवाली, श्री लोकनाथ यादव भी कुछ फोर्स के साथ वहां पहुंचे और मजिस्ट्रेट को भी बयान के लिए बुलाया गया।

(घ) इसी अवधि में माननीय श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंच गये और उन्होंने कहा कि जो एफ0 आई0 आर0 वह दें, वहां लिखी जाय, क्योंकि घायल व्यक्ति इनका आदमी है।

(ङ) शासन द्वारा करायी गयी उक्त जांच के अनुसार माननीय सदस्य ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि घायल व्यक्ति के विरुद्ध धारा 25 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत कायम किये गये मुकदमें को न चलाया जाय।

(च) सरकारी जांच रिपोर्ट में बतायी गयी स्थिति के अनुसार माननीय सदस्य से अपने मुख्य सहयोगी, श्री अशोक वर्मा से एक नामजद एफ0 आई0 आर0 लिखवायी और घायल व्यक्ति का निशान अंगूठा उस पर लगवाया। इस मामले में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

3--इस मामले में मैंने माननीय श्री शाही से व्यक्तिगत रूप से बात की माननीय श्री मारकन्डेय चन्द्र से भी जानकारी प्राप्त की है। पूरे मामले पर गम्भीरता से विचार करने के उपरान्त मुझे माननीय सदस्य की शिकायत में कुछ आंतरिक त्रुटियां प्रतीत होती हैं, जो निम्नवत् हैं :--

(1) घायल व्यक्ति, जिसको देखने के लिए माननीय सदस्य अस्पताल गये थे, का नाम व पता प्रश्नगत सूचना में अंकित नहीं किया गया है।

माननीय मारकन्डेय चन्द्र ने भी अपने पत्र दिनांक 29-4-83 में घायल व्यक्ति के नाम और पते का उल्लेख नहीं किया है ।

(2) विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना में घटना की तिथि 23-7-82 अंकित की गयी है । पर टेलीग्राम में माननीय सदस्य ने 24-7-82 को घटना बतायी है ।

(3) कथित घटना का कोई सम्बन्ध इस माननीय सदन अथवा उसकी सदस्यता से नहीं है । श्री शाही उपरोक्त तिथि को विधान सभा के सदस्य की हैसियत से घटना स्थल पर नहीं गये थे ।

(4) दिनांक 22 अगस्त, 1974 को विकास खन्ड अधिकारी, जलालपुर के विरुद्ध इसी प्रकार विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी गई थी और तत्कालीन अध्यक्ष के निर्णयानुसार, चूंकि विशेषाधिकार की सूचना सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं थी और न सदस्य के रूप में किये गये कुल कार्यों से सम्बन्धित थी । अतः उस मामले में अपेक्षित अनुज्ञा प्रदान नहीं की गई थी । इसी प्रकार दिनांक 22 सितम्बर, 1977 को अनुसचिव, गृह विभाग के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर तत्कालीन अध्यक्ष ने निर्णय दिया था कि चूंकि माननीय सदस्य जब उपरोक्त अधिकारी से मिले थे, उस समय वे उनसे सदन के सदस्य की हैसियत या सदन के किसी कार्य के सम्बन्ध में नहीं मिले थे । अतः इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्गत नहीं है ।

5--उपरोक्त परिस्थिति में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत मामले में दोषारोपित पुलिस कर्मचारियों द्वारा माननीय श्री शाही की सदन में उपस्थिति या उसमें किये जाने वाले किसी कार्य में व्यवधान या बाधा उत्पन्न करने का आरोप प्राग्दर्शन में सिद्ध नहीं होता । अतः मैं इसे विशेषाधिकार या अवमान के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री राम हर्ष राय व श्री हरी किशन श्रीवास्तव द्वारा दल परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मुझे दो अतिरिक्त सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जो इस प्रकार हैं :--

1--मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि श्री राम हर्ष राय, सदस्य, विधान सभा, जिला गाजीपुर, जिन्हें दिनांक 7 अप्रैल, 1983 की सूचना के अनुसार इन्डियन कांग्रेस (सोशलिस्ट) दल का सदस्य घोषित किया गया था, ने लिखित रूप से यह सूचित किया है कि वे इन्डियन कांग्रेस (सोशलिस्ट) के सदस्य नहीं हैं । अतः पूर्व सूचना को संशोधित करते हुए श्री राम हर्ष राय को निर्दलीय सदस्यों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है ।

2--मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि श्री हरी किशन श्रीवास्तव, (जिला कानपुर) जो कि विधान सभा में निर्दलीय सदस्य के रूप में कार्य करते थे, ने कांग्रेस (आई) दल की सदस्यता ग्रहण कर ली है ।

[श्री अध्यक्ष--]

तदनुसार श्री हरी किशन श्रीवास्तव का नाम अब निर्दलीय सदस्यों की सूची से हटाकर कांग्रेस (आई) दल के सदस्यों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है ।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983†

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 के पुरःस्थापन पर आपत्ति

(संसदीय कार्य मन्त्री को पुकारे जाने पर)

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न था । यह जो आपने माननीय मन्त्री जी को बुलाया है, विधेयक प्रस्तुत करने के बाबत, उसका जो वित्तीय ज्ञापन है, उसमें लिखा हुआ है - इसमें कितना व्यय अन्तर्गस्त है, इस समय इस बात की पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है और इसी प्रकार कितने भूतपूर्व विधायकों को कितनी पेंशन दी जानी होगी, इसका प्रयास किया जा रहा है कि निश्चित जानकारी मिल सके । इसलिए इस विषय पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाना संभव नहीं है । मान्यवर, मैंने भी विधेयक दिये हैं और मुझे आपके ही विभाग ने मजबूर किया है कि वित्तीय ज्ञापन सही-सही होने का आंकलन होना ही चाहिए। मैं इसकी पृष्ठभूमि में धारा 118 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । धारा 118 में यह पाबंदी है - "विधेयकों का वित्तीय ज्ञापन और विधेयकों में धन खण्ड" - जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन किया जायेगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो ।

---

†दिनांक 8 सितम्बर, 1983 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसमें कहीं नहीं लिखा है कि कितना व्यय अन्तर्ग्रस्त है । उसमें परेशानी यह है कि यह सदन विचार क्या करेगा जब यह पता नहीं है कि कितना धन इसमें अन्तर्ग्रस्त है, कितना बोझ सरकार के कंसालिडेटेड फंड पर पड़ेगा । मान्यवर, यह दो तरह की बात हो जाती है । अगर कोई असरकारी सदस्य अपना विधेयक पेश करता है तो उसमें बराबर जोर दिया जाता है कि निश्चित संख्या होनी चाहिये कि कितना व्यय अन्तर्ग्रस्त हो जायेगा । मैं इसका शिकार हो चुका हूं । लेकिन, जब सरकारी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें गोल माल लिखा जाता है, इसमें कितना व्यय अन्तर्ग्रस्त है, इसका आंकलन नहीं दिखाया जाता । तो, मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस अव्यवस्था को रोकें और सरकार को किसी तरह से अनुज्ञा इस विधेयक को पेश करने की न दें, जब तक सरकार आंकलन करके आवर्तक और अनावर्तक व्यय को स्पष्ट करके न लिखे ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, जो स्थिति थी, वह स्पष्ट कर दी गई है । अब इसमें जैसी आप आज्ञा दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसके बारे में कल निर्णय दूंगा । इसके बाबत जानकारी करके और जो तथ्य माननीय वर्मा जी ने पेश किये हैं, उसके ऊपर बाद में निर्णय दिया जायेगा ।

श्री हुकम सिंह--

आज पेश नहीं होने देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

पेश कहां माना जायेगा, कल मेरे निर्णय के बाद यदि अनुमति हुई तो पेश करेंगे ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत आज मुझे 17 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री शंकर सिंह की-- बांदा जनपद में पुलिस की सह पर पत्रकार की हत्या के सम्बन्ध में है, उसके आगे श्री सरदार सिंह की है -- अतिवृष्टि के कारण मथुरा जनपद के 800 गांव जलमग्न होने के सम्बन्ध में, उसके आगे श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है-- लखनऊ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ एडवोकेट, श्री लल्लू सिंह के अपहरण के बारे में, यही सूचना श्री मोहन सिंह जी की भी है, उससे आगे, श्री हरगोविन्द वर्मा, श्री सन्त बख्श रावत, श्री जमुना प्रसाद की-- जनपद सीतापुर में शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत बनी नहर से हुई क्षति के सम्बन्ध में है, उसके आगे श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की-- श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में है, उसके आगे श्री रामगोविन्द की -- बलिया जनपद में सूखे से हुई क्षति के सम्बन्ध में है, उसके आगे श्री बदन सिंह की-- आगरा के समस्त अदालतों का बहिष्कार के सम्बन्ध में है, उसके आगे श्री कुबेर भण्डारी की -- गन्ना किसानों को गन्ने का मूल्य न दिए जाने के सम्बन्ध

[श्री अध्यक्ष--]

में हैं, उसके आगे श्री भीखा लाल एवं श्री मित्रसेन की--श्री लल्लू सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा पर प्राणघातक हमला किये जाने के सम्बन्ध में हैं, इसी पर श्री राम आसरे, श्री गोपी नाथ वर्मा, श्री खैरूल बशर, श्री परमाई लाल, श्री मसरूर जाफरी की भी हैं, उसके आगे, श्री हरिवंश सहाय की - ईंट भट्ठों के बंद हो जाने से मजदूरों के समक्ष उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में हैं, उसके आगे, श्री ऊदल की-- वाराणसी मण्डल में अनावृष्टि से फसल सूखने के सम्बन्ध में हैं; उसके आगे श्री चन्दन सिंह, श्री कन्हैया लाल, की-- मथुरा में बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में हैं, उसके आगे श्री रेवती रमण सिंह की-- बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय में उत्पन्न अशांति के सम्बन्ध में हैं, उसके आगे श्री कुंवर सिंह नेगी और श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी की -- सतर्कता विभाग द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के अवैधानिक शस्त्र निर्माण कार्य में लिप्त होने के सम्बन्ध में हैं ।

अन्तिम सूचना है श्री विद्यासागर नौटियाल की--पर्वतीय क्षेत्र में राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा वर्षों से कार्यरत कुलियों के स्थान पर मैदानी क्षेत्र में कुलियों की नियुक्ति ।

मैंने इसमें से....

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मेरी सूचना पहले नम्बर पर है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठे । जो हमारे यहां परिपाटी चली आती थी जब मैं खड़ा हुआ हूं, बोल रहा हूं तो आपको कोई अधिकार नहीं है । इस तरह से बोलने का ।

(श्री शंकर सिंह का नाम पुकारे जाने पर ।)

*श्री शंकर सिंह--

मुझे यह कहना है कि बांदा में जो पत्रकार था, 13 जुलाई को पुलिस ने उसे गोली से मार डाला । यह बहुत महत्वपूर्ण समस्या है । इससे महत्वपूर्ण सूचना कोई हो नहीं सकती । जब पिछली सरकार थी, शासन था विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का तो हजारों लोगों को फर्जी इनकाउन्टर कराकर गोली से उड़ा दिया गया । अब मिश्रा जी की सरकार ने दूसरा तरीका अपनाया है, फर्जी इनकाउन्टर तो यह कराते हैं, लेकिन अखबार में न छापे जायं, इसलिये पत्रकारों को भी गोली से उड़ाना शुरू कर दिया । 9/10 को रात को बसा का इनका-उन्टर कर दिया । यह पत्रकार था, बांदा के पत्र का सम्पादक था । आपके झांसी से "दैनिक भास्कर" निकलता है, उसका सम्वाददाता था । यह पहले भी पुलिस के खिलाफ समाचार देता रहा । उसने पुलिस के खिलाफ समाचार दिया । 12 को ईद थी । उसके खिलाफ वहां के क्षेत्राधिकारी ने, एस0 ओ0, अरुण शुक्ला ने और एस0 डी0 एम0, तीनों ने मिलकर योजना बनायी कि इसको समाप्त कर दिया जाय । उसको बुलाया गया, वह गया नहीं । उसको पता लग जाता है कि उसकी हत्या का षड्यन्त्र बन गया है । उसने तार दिये, पोस्ट आफिस में पुलिस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के इशारे पर उसके तार रोक दिये गये । दूसरे दिन उसको धमकी दी जाती है । दूसरे दिन सबेरे 11 या 11-30 बजे, मैंने बांदा के बबेरू इलाके में घटनास्थल देखा है, बिल्कुल बाजार के बीचोबीच में है, वह पोस्ट आफिस गया, वह बाबू से कहता है कि तार क्यों नहीं भेजा गया, उसने जवाब दिया 5 मिनट रुक जाइए । इसी बीच में कोई सज्जन उसे बाहर से बुलाते हैं पान खाने के लिये । वह पान खाने जाता है । वहां पर 20 आदमियों का गुट है । वे उसको मारते हैं, उसके हाथ तोड़ देते हैं, पैर तोड़ देते हैं, सीने पर चढ़ कर हड्डियां तोड़ देते हैं । पुलिस तमाशा देख रही होती है । उसे भाई और पिता जब बचाने जाते हैं, उनको भी मारा जाता है । उसके मित्र उसको ले जाना चाहते हैं कि चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाय, चिकित्सालय में पुलिस ताला डाल देता है । डाक्टर के क्वार्टर पर सिपाही तैनात हैं । इसके बाद....

श्री अध्यक्ष--

आप इसकी ग्राह्यता पर बोलिये । दो मिनट से ज्यादा समय नहीं दूंगा ।

श्री शंकर सिंह--

कहना यही है कि पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से उसकी जान ली है । थाने में भी उसकी एफ0 आई0 आर0 तब लिखी गयी जब क्षेत्राधिकारी पर दबाव पड़ा ।

(1 बजकर 20 मिनट)

इसके पश्चात् वह बांदा नहीं जा सके और कानपुर जाकर दम तोड़ दिया तथा इसी प्रकार की और भी घटनाएं कई जगह हो रही हैं, इससे कुछ दिन पहले यहीं बांदा में अजय दुर्ग के सम्वाददाता, हजारी जी पर भी पुलिस ने अत्याचार किये थे और जो इस समय कानपुर में इलाजग्रस्त हैं, इसी प्रकार की और घटनाएं कई स्थानों पर देखी-सुनी गयी हैं । पुलिस ने मान्यवर, अब योजनाबद्ध तरीके से अपने कु-कृत्यों और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए एक नया तरीका ऐसा निकाल रखा है, इसलिए ऐसे तरीकों के रोक-थाम की अत्यन्त आवश्यकता है, इस लिये यह बहुत ही लोक-महत्व का प्रश्न है । मान्यवर, इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराएं ।

(शोर)

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, जहां तक घटना का प्रश्न है वह अपने आप में बहुत दुखद है, मैं बीच में न बोलता अगर माननीय सदस्य जो कुछ सरकार की ओर से किया गया है, उस पर भी कुछ कह देते । मान्यवर, घटना पर तुरन्त माननीय मुख्य मंत्री जी के अलावा सम्बन्धित पुलिस के सभी अधिकारी गये और जो भी कार्यवाही हो सकती थी, वह की गयी और दूसरे इस घटना से सम्बन्धित लोग जो हैं, श्री द्विवेदी और राय के ऊपर मुकदमे कायम कर दिये गये हैं और इन लोगों को वहां से हटा दिया गया है, और एस0 ओ0, शुक्ला जी उनके खिलाफ भी कार्यवाही की गयी है और इन्होंने 16-8-83 को आत्म समर्पण भी कर दिया है, इसके बाद यदि यह कहा जाए कि योजनाबद्ध तरीके से पुलिस ऐसे काम कर रही है, वह गलत होगा और जहां तक पत्रकारों की स्वतंत्रता और सुरक्षा का सवाल है, सरकार इस ओर पूरी तरह से वचनबद्ध है कि उनको हर तरह की सुरक्षा दी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अम्मार रिजवी--]

जायेगी और जो लोग भी इस तरह की घटनाएं उत्पन्न करेंगे, उनके प्रति कठोर कार्यवाही अवश्य की जायेगी । इसलिए अब इसमें सदन रोक कर किसी प्रकार की कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है । मामले की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच हो रही है और जांच से जो भी निष्कर्ष निकलेंगे, उस आधार पर आगे सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री कदल--

मान्यवर, वाराणसी मण्डल के समस्त जिले अनावृष्टि के कारण धू-धू करके जल रहे हैं, इस पर आज्ञा दीजिए मान्यवर, बोलने के लिए इसकी महत्ता को समझिए ।

(व्यवधान)

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, मथुरा जनपद के 800 गांव जल-प्लावन और बाढ़ से पीड़ित हैं, वहां के हर कच्चे-पक्के मकानों में पानी घुस गया है और लोग बाहर मैदानों और सड़कों पर आ गये हैं गांव छोड़कर, बड़ी भंयकर स्थिति वहां पर इस समय व्याप्त है, लाखों लोगों की परेशानियों का मसला है, शासन इस सम्बन्ध में कोई मदद नहीं कर रहा है उल्टे बड़ी निर्दयता और निरंकुशता से वसूली वहां पर की जा रही है । इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस मामले पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाये और वक्तव्य दिलाया जाये ।

(श्री चन्दन सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय सरदार सिंह को सुन लिया है, अब आप बैठें, यह सम्भव नहीं है कि एक ही विषय पर मैं सबको सुन सकूं, आप कृपया बैठें ।

श्री चन्दन सिंह--

मान्यवर, मथुरा जिले में बाढ़ का प्रकोप है ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें । मैंने सरदार सिंह को इस विषय पर सुन लिया है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने एक महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है कि श्री लल्लू सिंह, एडवोकेट का अपहरण प्रदेश की राजधानी, लखनऊ में दिन-दहाड़े किया गया । यह इस बात की पुष्टि करता है कि इस प्रदेश के जन-जीवन की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है । पांच दिन व्यतीत हो गये, जब उनका अपहरण किया गया था लेकिन आज तक उनका पता नहीं लग पाया है । एक घटना की ओर मैंने संकेत किया है जो कि हाल ही में घटी है और इसके बारे में शहर में बड़ी उत्तेजना फैली हुई है । लखनऊ में और सीतापुर में सारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वकीलों ने हड़ताल कर दी है और वकील हड़ताल करके बाहर सड़कों पर आ गये हैं कि अभी तक लल्लू सिंह का कुछ पता नहीं चल सका है। इससे महत्व-पूर्ण कोई विषय नहीं हो सकता है कि यहां के ला एण्ड आर्डर की गन्दी से गन्दी व्यवस्था है, इस बात का पर्दाफाश हो चुका है।

मैंने जो यह कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया है। मैं जानता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री इसको काटने का प्रयत्न करेंगे तो मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के पहले ही उस बात का जवाब दिये देता हूं कि शायद वे यह कहना चाहते हैं कि नियमों में दिया हुआ है कि जिस विषय पर चर्चा हो चुकी हो, उस पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन मेरे इस कार्य स्थगन प्रस्ताव का सन्दर्भ बदला हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस दिन अपने भाषण में कहा था कि हम इसका पता लगा कर छोड़ेंगे। आज सन्दर्भ बदल गया है, मुख्य मंत्री जी की बात के दो दिन व्यतीत हो गये और आज तक उनका पता नहीं चला है। मैं कहता हूं कि उनके अपहरण में लखनऊ के विधायकों, भूतपूर्व मंत्रियों तथा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की साजिश है, यह मेरा आरोप है। यह बात मैं चर्चा की पृष्ठ भूमि में बतऊंगा कि यहां के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों, सत्तारूढ़ दल के लोगों के हाथ लल्लू सिंह के अपहरण में है जिनका अपहरण राजधानी में दिन-दहाड़े कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में सारे तथ्य मैं चर्चा के समय प्रस्तुत करूंगा, इसलिये मेरा निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आप अवश्य करा दें।

(श्री मोहन सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठिये, मैंने गुप्ता जी को सुन लिया है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं चार वाक्य केवल कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

सबको सुनना मेरे लिये संभव नहीं है, कृपया आप ऐसी परिपाटी न डालिये, आप बैठिये। मैंने राजेन्द्र कुमार गुप्त को सुन लिया है।

*श्री मोहन सिंह--

उसी के सम्बन्ध में मैं चार वाक्य कहना चाहता हूं, गलत परिपाटी नहीं डाल रहा हूं। मान्यवर, ए० एस० आई० का सेलेक्शन जिन लोगों का हुआ था, उन लोगों को प्रत्यावर्तित करके फिर से हेड कांस्टेबिल बना दिया है। उनके मामले का मुकदमा, श्री लल्लू सिंह लड़ रहे थे। लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस कप्तान ने उच्च न्यायालय के आदेश को न मानते हुए सभी लोगों को उनके पद पर बहाल नहीं किया जबकि और जगह सब बहाल कर दिये गये थे, केवल लखनऊ के एस० एस० पी० ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर उनको प्रत्यावर्तित नहीं किया था। लल्लू सिंह जी इस सम्बन्ध में कन्टेम्प आफ कोर्ट दाखिल करने वाले थे। यह अपहरण लखनऊ के एस० एस० पी० ने करवाया है। तत्काल इस मामले की जांच करके लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस कप्तान को हटा कर जांच की जाय तभी सारे तथ्य सामने आ सकेंगे। वरना लल्लू सिंह का मामला इस सदन में नहीं आ पायेगा और सदन रुठ जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, जो अभी भी स्थिति है वह यह है कि जैसे ही घटना की इत्तिला मिली, पूरी कार्यवाही की गयी । सी0 आई0 डी0 और पुलिस विभाग द्वारा जांच का जा रही है । हम काफी हद तक कामयाब हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जो मुलजिम हैं, जिस तरह की साजिश है, वह बिल्कुल बेनकाब होगी । कोई व्यक्ति वह चाहे कितने ही ऊंचे पद पर हो, अगर उसका इसमें हाथ है तो उसका प्रोटेक्शन नहीं किया जायेगा । मगर राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी से और मोहन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि चर्चा से जो विवेचना है, उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा और उस चर्चा से हमें कोई मदद नहीं मिलेगी, बल्कि नुकसान ही होगा । इस समय मामले की गम्भीरता को देखते हुए और जब विवेचना ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है तो मेरा निवेदन है कि इस पर चर्चा न की जाय । थोड़े समय प्रतीक्षा कर ली जाय । अगर उससे आपको सन्तोष न हो तो आप चर्चा करा सकते हैं और वक्तव्य की भी मांग कर सकते हैं । जो चाहे करें ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह बड़ा ही अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मैं यह मांग करता हूं कि सदन अविलम्ब इस प्रकरण के सम्बन्ध में चर्चा करे । श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही एक नवयुवक, गोरखपुर के विधायक हैं और उन्होंने अपनी कतिपय मांगों को लेकर विधान सभा के सामने 2 सितम्बर से अनशन प्रारम्भ किया है । उनकी मांगे क्या हैं, इस सन्दर्भ में मुझे कुछ नहीं कहना है, वह विवाद का प्रश्न हो सकता है, उस पर शासन की अपनी नीति हो सकती है और मैं उस सन्दर्भ में यह कहना चाहता हूं कि तीन मांगें--एक तो गन्ना कीमतों का प्रश्न, छात्रों के सम्बन्ध में तथा कतिपय अधिकारियों के सम्बन्ध में, जिनके विषय में अभी विशेषाधिकार का निर्णय दिया गया है, के सम्बन्ध में है । मुझे जानकारी है कि आपने निर्देश दिया था कि ऐसे अधिकारी को गोरखपुर में नहीं रहना चाहिए । यह आश्चर्य का विषय है और श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही का आरोप है कि उस अधिकारी ने जिस व्यक्ति को उनकी रक्षा के लिए दिया था, उसने गोली चलाई । यह देश के इतिहास में अपने आप में बेमिशाल है कि जिसको आप रक्षा के लिए देते हैं वह गोली चलाता है । उस व्यक्ति ने गोली चलायी जो गार्ड के रूप में रखा गया था । सत्याग्रह, अहिंसा के मामले में गांधी जी ने कहा था कि जब सारे अस्त्र फेल हो जायें, सारा संघर्ष बन्द हो जाय, जब हड़ताल का रास्ता बन्द हो जाय, तो एक ही रास्ता रह जाता है, जब सरकार बहरी हो जाय, अंधी हो जाये, सच्चाई को देख न सके उसे सुन न सके तो उस अन्धी, बहरी और गूंगी सरकार के खिलाफ अगर कोई हथियार है तो वह अहिंसा है । हम मरेंगे, मारेंगे नहीं, यह लोहिया जी ने कहा था । उसी रास्ते पर चल कर शाही जी अनशन पर बैठे थे । रात के दो बजे उनको गिरफ्तार किया गया । मैं जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में उनको गिरफ्तार किया गया है । जब डाक्टर अनशन करने वाले के सम्बन्ध में यह रिपोर्ट करता है कि इसकी स्थिति खराब है यह कभी भी कोलेप्स कर सकता है, तभी यह बात समझ में आती है । लेकिन दोपहर में ही अनशन शुरू किया गया और रात के दो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बजे बड़ी मिस्टीरियस परिस्थिति में उनको गिरफ्तार कर लिया गया । इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा सरकार की अकर्मण्यता का उदाहरण और क्या हो सकता है कि जो सरकार अपने माननीय सदस्य को इस आदरणीय सदन के सामने उसकी सुरक्षा न कर सके, उस सरकार को इस कुर्सी पर एक मिनट भी बैठने का अधिकार नहीं है ।

हम सुरक्षा नहीं कर सकते हैं इसलिये जेल में भेज देंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रदेश को 11 करोड़ जनता असुरक्षित है, उनको जेल में भेज दिया जाय इस तरह से मुख्य मन्त्री जो असुरक्षित हैं । सदन की स्वीकृति से उनको शैडो दिया जाता है । उनकी सुरक्षा के सवाल को लेकर ही माननीय सदस्य को शैडो दिया जाता है । जितने सदस्यों ने भी सौ-सवा सौ सदस्यों ने शस्त्रों के लिये या शैडो के लिये आवेदन-पत्र दिया है उन सबको आप जेल भेज दें, यह अत्यन्त गलत है, जनतांत्रिक मान्यताओं के विपरीत है, मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है । संविधान द्वारा हमें कुछ अधिकार प्रदत्त हैं । राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी ने हमें एक अधिकार दिया था, उसको छीड़कर यह सरकार हमें कहां ले जा रही है । इसलिये नैतिक दृष्टि से, सैद्धान्तिक दृष्टि से, मानवीय मूल्यों की दृष्टि से जो संवैधानिक अधिकार, जिसको हमारे राष्ट्रपिता ने हमें दिये थे, उनको जिस प्रकार से छीना जा रहा है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें कि तत्काल वह वीरेन्द्र प्रताप शाही को, जेल से रिहा करें और जिन परिस्थितियों में उनको गिरफ्तार किया गया, जो उनकी मांगे हैं जो एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, जिस पर मतभेद हो सकता है, दो राय हो सकती हैं, उनकी गिरफ्तारी निश्चित रूप से इस प्रदेश में प्रजातंत्र की हत्या है महात्मा गांधी के उसूलों की हत्या है । इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि, आप शासन को निर्देश दें क्योंकि आज यह सवाल केवल वीरेन्द्र प्रताप शाही का नहीं है विपक्ष में बैठने वाले प्रत्येक माननीय सदस्य का है ।

जब प्रदर्शन करने से घिराव करने से, लिखने-पढ़ने से या अन्य माध्यमों से काम नहीं चलता तो हमें बाध्य होकर अहिंसात्मक मान्यताओं में आस्था रखने वाले जो लोग हैं, उनके लिये एक ही रास्ता अनशन का रह जाता है । जब आप अनशनकारियों को इस तरह से जेल में बन्द कर देंगे तो इससे बेहतर रास्ता सरकार को चुनौती देने का रास्ता हम अख्तियार करेंगे । इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सरकार को आदेश दें कि वे तुरन्त श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही तथा उनके सहयोगियों को तत्काल रिहा कर दें तथा जिन परिस्थितियों में यहां के अधिकारियों ने उनको गिरफ्तार किया है दो बजे रात में, उसकी जांच करके उनकी मांगों के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करके कोई रास्ता निकालें ।

(व्यवधान)

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठें । मैंने भीखा लाल जी को बुलाया है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, इसके सम्बन्ध में मुझे व्यक्तिगत जानकारी है । कृपया सुन लें । मान्यवर, जहां पर ये लोग अनशन कर रहे थे, उसी के करीब में मेरा आवास

[श्री राम आसरे वर्मा--]

है । दो बजे रात में जिस समय पुलिस ने गिरफ्तारी के लिये उनके ऊपर छापा मारा तब उनके समूचे समर्थकों में हाहाकार मच गया । मैं भी नीचे उतरकर आया लेकिन जब तक मैं वहां पर पहुंचा तब तक वे उन्हें ले जा चुके थे । उनको रहस्यात्मक ढंग से ले जाया जा रहा था । मैंने उनके कार्यकर्त्ताओं से पूछा तो मालूम हुआ कि उनको बंथरा थाने तक ले जाया गया ।

श्री अध्यक्ष--

आप तो सूचना दे रहे हैं, क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, एक माननीय सदस्य की जिन्दगी और मौत का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है । जब कार्यकर्त्ताओं ने उन्हें विवश किया तो उन्हें बन्थरा थाने से वापस लाकर जेल भेज दिया गया । यह एक अहम मसला है और उसका सम्बन्ध इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से है । यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि जिस समय उनके साथ यह व्यवहार किया जा रहा था, उस समय उनके कार्यकर्ताओं में चीत्कार मच गयी और वे तरह-तरह के नारे लगा रहे थे । उनको पकड़ पकड़ कर बेरहमी के साथ खींचा गया । इस तरह का दुर्व्यवहार विधान भवन के सामने अनशन करने वाले माननीय सदस्य के साथ किया जाय तो कहां तक उचित है । इसकी उपयुक्तता के बारे में आप स्वयं समझ सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं कोई शब्द नहीं लिखा जायेगा ।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, मैंने कार्य स्थगन के बारे में एक प्रश्न उठाया था जो आपके लिए भी बहुत चिंता का विषय होगा और इस सदन और शासन के लिए भी । परसों तीन तारीख को इस विधान सभा के एक माननीय सदस्य, मैनपुरी के श्री लल्लू सिंह चौहान के मकान पर कुछ गुन्डों ने हमला कर दिया और बंदूक से लल्लू सिंह पर फायर किया । संयोग की बात थी कि वह बच गये । उनके गुंडो ने जो व्यक्ति गोली चला रहा था, उसको गोली से घायल किया जिसकी पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई । जितने भी हमलावर थे, वे अभी तक पकड़े नहीं गये । सब फरार हैं । श्री लल्लू सिंह की जान खतरे में है और वे यहां विधान सभा के सत्र में नहीं उपस्थित हो रहे हैं क्योंकि चारों तरफ से वे घिरे हैं । सरकार इस संबंध में जो स्थिति हो आपके सामने रखे और माननीय लल्लू सिंह को मैनपुरी से यहां सदन में लाने की व्यवस्था करें । हमलावरों को पकड़ा जाय और उनके हथियारों के लाइसेंस वगैरह हैं उनको निरस्त करने की कार्यवाही की जाय तथा लल्लू सिंह जी को यहां तत्काल लाने की व्यवस्था की जाय वर्ना मैनपुरी में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जो बहुत दुखद हो ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इसमें मुकदमा अपराध धारा 147, 148, 452, 307 भारतीय दंड विधान में पंजीकृत हो गया है। इसकी पूरी इन्क्वायरी की जा रही है और इस बात की व्यवस्था की गयी है कि सम्मानित सदस्य की जान पूरी तरह से सुरक्षित रहे। मैं आपके माध्यम से माननीय भीखालाल जी को बताना चाहता हूं कि हर प्रकार के प्रयत्न किये गये हैं कि किसी प्रकार से माननीय सदस्य को हानि न हो।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

(कई सदस्यों के खड़े होने पर) आप लोग बैठिये माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न मैं इसलिए उठा रहा हूं, मुझे दुख हो रहा है शायद आप भी दुखी होंगे कि इस आदरणीय सदन के एक सदस्य के साथ जिसके लिए कार्यस्थगन का प्रश्न माननीय ओझा जी ने उठाया है, श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही, मुझे अफसोस है और शासन की नीति की मैं निंदा भी करना चाहता हूं। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने सब कार्यस्थगन प्रस्तावों का जवाब दिया और श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही के साथ जो जघन्य दुर्व्यवहार किया गया, जिसका जिक्र माननीय ओझा जी ने और वर्मा जी ने किया जिसको शासन ने स्वीकार किया है। मुझे स्वयं जानकारी है श्री शाही ने जेल से मुझे पत्र दिया है ....

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का क्या प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

हर कार्य स्थगन का जवाब माननीय संसदीय कार्य मन्त्री दे रहे हैं लेकिन इस प्रश्न पर माननीय मंत्री जी कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। यह शासन की नीति स्पष्ट नहीं करना चाहते हैं। एक विधायक के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है क्योंकि इनके आदमियों में गोरखपुर में पार्टी बंदी है सत्तारूढ़दल के लोग उनकी हत्या करना चाहते हैं, वहां की पुलिस उनकी हत्या करना चाहती है। उनको यह लोग प्रोटेक्शन देते हैं, इसलिए आरोप है कि चूंकि शासन की ओर से श्री अम्मार रिजवी, संसदीय कार्य मंत्री जी ने शासन की कोई नीति स्पष्ट नहीं करना चाही श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही के मामले में, जबकि उन्होंने जेल से लिखा है कि पुलिस ने उनको मारा है और घसीटा है जिसकी मैं निंदा करता हूं और आपके द्वारा संसदीय कार्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे गम्भीर मामले में वह कोई बात नहीं कहना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था के रूप में आपने अपनी बात कह दिया, लेकिन यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। (श्री रेवती रमण सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री हर गोविन्द वर्मा--

लखीमपुर, बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ में सीपेज की गम्भीर समस्या है।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी--

गन्ना किसानों का पैसा मिलों पर बकाया है।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं। मैंने श्री रेवती रमण जी को बुला लिया है। आप लोग बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री हरगोविन्द वर्मा--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं, आपका कुछ नहीं लिखा आयेगा।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी--

गन्ना बकाया देने के संबंध में मुख्य मन्त्री ने झूठा वक्तव्य दिया है।

(व्यवधान)

(श्री कुबेर भंडारी, श्री हरगोविन्द वर्मा, श्री विद्या सागर नौटियाल, श्री जमुना प्रसाद और श्री रुद्र प्रताप सिंह सदन के बीच में आ गये)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

श्री कुबेर भंडारी कृपया आप अपने स्थान पर जायं। श्री हर गोविन्द वर्मा आप अपने स्थान पर जायं। मैंने आप लोगों की बात को सुन लिया। अभी इस प्रकरण को समाप्त नहीं किया है। सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर जायं।

(सदन के बीच माननीय सदस्यों के खड़े होकर व्यवधान उत्पन्न करते रहने पर)

नोट—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपकी बातों को सुन लिया है, आप लोग कृपया अपनी-अपनी सीटों पर जायं। मैं निर्णय बाद में दूंगा। माननीय रुद्र प्रताप सिंह जी, कृपया अपनी सीट पर जायं।

(किसी सदस्य के सीट पर वापस न जाने और व्यवधान करते रहने पर)

मैं सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 1 बज कर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित हुई।)

(2 बज कर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रेवतीरमण सिंह--

मान्यवर, बनारस में बनारस विश्वविद्यालय आज 10 रोज से बन्द कर दिया गया है, न केवल उसे बन्द कर दिया गया है, बल्कि वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति बड़ी विस्फोटक हो गई है। वहां पर विद्यार्थियों के जन जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विश्वविद्यालय बन्द करके हास्टलस को, वहां के रहने वाले छात्रों से मारपीट कर जबरदस्ती खाली कराया गया है। विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया गया है उनको बुरी तरह पीटा गया है, और उनका सामान तोड़फोड़ दिया गया है। उनके समर्थन में पूरा बनारस शहर बन्द था पूरी तरह से वह बन्द था और जनता ने उनकी मांगों का समर्थन किया है और यह आन्दोलन अब न केवल काशी विश्वविद्यालय तक सीमित है, बल्कि काशी सम्पूर्णानन्द संस्कृत विद्यालय और काशी विद्यापीठ के छात्रों में भी यह विस्फोटक स्थिति पैदा हो गयी है और वहां के छात्र भी आन्दोलित हैं। यह स्थिति क्यों पैदा हुई है? यह इसलिए है कि वहां के वाईस चांसलर साल में 9 महीने विदेश में रहते हैं। अन्य स्थानों पर भी यही स्थिति है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 8 महीने से कोई परमानेन्ट वाईस चांसलर नहीं है। जो वर्तमान हैं उनका नाम आया था, लेकिन उनको स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि वह काबिल नहीं हैं। फिर भी उन्हीं को वाईस चांसलर बनाए हुए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में 5 साल से छात्र यूनियन के चुनाव नहीं हुए हैं, वे भी आन्दोलित हैं। यदि विद्यार्थी अपने जायज हक को मांगते हैं तो वह भी उन्हें नहीं दिया जाता है। गोरखपुर में भी यही स्थिति है। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यदि बनारस विश्वविद्यालय में सरकार ने तुरन्त हस्तक्षेप नहीं किया तो पूरी तरह से छात्र आन्दोलित होंगे ....

डाक्टर बृजकिशोर मिश्र--

यह किस विषय पर बोल रहे हैं, इन्हें तो केवल ग्राह्यता पर ही बोलना चाहिए...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप संक्षेप में बोलें।

श्री रेवतीरमण सिंह--

यह ठीक है, लेकिन अध्यक्ष आप हैं या माननीय सदस्य, देवरिया हैं ? तो मेरा आग्रह है कि आज ही इस विषय पर तुरन्त कार्यवाही की जाए और सब काम रोक कर इस पर चर्चा करा दी जाए, क्योंकि यह पूरे प्रदेश का सवाल है न केवल बनारस विश्वविद्यालय का ।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक सर्वश्री हरगोविन्द वर्मा, संतबख्श रावत और यमुना प्रसाद जी को जनपद सीतापुर में शारदा सहायक परियोजना में बनी नहरों से सीपेज और क्षति होने के सम्बन्ध में चर्चा का प्रश्न है और इसी में मुख्तार अनीस का भी है, इस विषय पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में आज शाम को निश्चय हो जाएगा कि कब इसमें और किस तरह से चर्चा करेंगे । इस आदरणीय सदन को मालूम है कि जब चर्चा इस पर निर्धारित की जाएगी तो इस पर कार्यवाही होगी ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, आगरा जनपद की समस्त अदालतें 23 अगस्त से लेकर आज तक 14 दिन हो गये, बन्द पड़ी हैं, वहां के वकीलों ने अदालतों का पूरा बहिष्कार कर रखा है और अब वकीलों ने यह भी निर्णय ले लिया है कि वह अदालतों में बैठकर अनशन करेंगे । ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका कारण यह है कि आगरा जनपद के थाना अछनेरा के ग्राम अमुआपुर के वकील फौरनसिंह की हत्या थाना शमसाबाद के थानाध्यक्ष एवं अछनेरा पुलिस की उपस्थिति में कर दी गयी है । 26/27 जून, 1983 को फौरन सिंह के भतीजे, सहदेव सिंह की हत्या शमसाबाद के निकट कुछ लोगों द्वारा की गई थी । उनके हत्यारों को पकड़ने के लिये उनके घर वाले बराबर यह निवेदन कर रहे थे कि हत्यारों को पकड़ा जाय । उनमें से कुछ हत्यारों को पकड़ा जा चुका था और कुछ को नहीं पकड़ा गया था । तो मान्यवर, शमसाबाद थाने की पुलिस ने कहा कि आप हमारे लिये एक गाड़ी की व्यवस्था कीजिये । घरवालों ने गाड़ी की व्यवस्था की । शमसाबाद थाने की पुलिस ने घरवालों को साथ लिया और श्री फौरन सिंह, वकील से कहा कि हमारे साथ आप भी चलिये । श्री फौरन सिंह ने कहा आप हमको साथ न ले जायें लेकिन उन्होंने फौरन सिंह को अपने साथ लिया और गाड़ी में बैठाकर ले गये । जब किरावली पहुंचे तो उनके घर वालों से पुलिस वालों ने कहा कि जाकर देखो अभियुक्त अपने खेत पर है या नहीं है और पकड़ो । जब उनके घर वालों ने जाकर देखा तो अभियुक्त किशन सिंह को पकड़ लिया ।

श्री अध्यक्ष--

आप संक्षेप में कहें ।

श्री बदन सिंह--

मैं संक्षेप कह रहा हूं । जब किशन सिंह को पकड़ लिया तो यह अफवाह कर दी गयी अमुवापुरा के लोग किशन सिंह को पकड़ कर ले गये हैं और उनकी हत्या कर दी गयी है । उस कार में श्री फौरन सिंह और 5 पुलिस के कर्मचारी तथा शमसाबाद के थानाध्यक्ष थे । पुलिस कर्मचारियों के पास दो राइफलें, दो रिवाल्वर और दो लाठियां थीं । जब किशन सिंह के बारे में अफवाह फैली तो लोगों ने कार को घेर लिया और रोक लिया । गाड़ी में पुलिस की उपस्थिति में

उन लोगों ने फौरन सिंह, वकील को खींच लिया और उनकी हत्या कर दी । इस विषय को लेकर वकीलों में रोष है और वह बराबर हड़ताल कर रहे हैं । उनका यह कहना है कि पुलिस इस हत्या के लिये दोषी है, उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज हो और उनको जेल भेजा जाय । तो सवाल यह नहीं है कि दोषी कौन है, सवाल यह है कि पुलिस के साथ बैठे होने पर भी उनको खींच कर ले जाया गया और हत्या की गयी । अगर पुलिस की गाड़ी होती तो उस गाड़ी का कुछ डर लोगों पर होता और इतना ही नहीं, अगर पुलिस वालों ने वहां पर हवाई फायर कर दिया होता तो अनियंत्रित भीड़ भाग सकती थी । उन लोगों ने जैसे फौरन सिंह को पकड़ा गाड़ी में बैठी हुयी पुलिस भागकर चली आयी । इस बात को लेकर जन असंतोष है । आगरे में अदालतें बन्द हैं, उनका कारोबार ठप हो गया है । यह विस्फोटक स्थिति उत्तर प्रदेश में फैलने वाली है क्योंकि बार एसोशियेशन, उत्तर प्रदेश ने निर्णय किया है कि जब तक पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाती है और मुकदमें दर्ज नहीं किये जाते हैं, उन्हे जेल नहीं भेजा जाता है, तब तक वह अदालतों में जाने के लिये तैयार नहीं हैं । पूरे जिले में हाहाकार मचा है । इसलिये यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है । सदन की कार्यवाही रोककर इस पर विचार करने की कृपा करें ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मुझे यह कहना है कि माननीय भोखालाल जी ने जिस प्रश्न को उठाया माननीय लल्लू सिंह चौहान के सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ कहा है । लेकिन मैं इतना और पूछना चाहता हूं कि माननीय लल्लू सिंह चौहान आना चाहते हैं और सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहते हैं लेकिन उनको आशंका है कि कहीं उनके साथ कोई अप्रिय घटना न घट जाय । तो इस बात का आश्वासन दे दें कि अगर वह आना चाहते हैं तो कोई खतरा नहीं होगा ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय लल्लू सिंह चौहान के सम्बन्ध में मैंने पहले निवेदन किया है उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है और किसी प्रकार से कोई शंका नहीं होनी चाहिये कि उनको किसी प्रकार की हानि होगी । जैसा कि मित्रसेन जी ने कहा है मैं फिर इस चीज को सुनिश्चित कर लूंगा कि इसमें किसी प्रकार का विघ्न न पड़े ।

श्री ऊदल---

मान्यवर, मैंने जो नियम 56 की नोटिस आपकी सेवा में प्रस्तुत की है । उसमें यह है कि बनारस मण्डल का वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया और जौनपुर, उसके अलावा गोरखपुर मण्डल का गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, फैजाबाद मण्डल का फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद मण्डल का, इलाहाबाद, बांदा में वर्षा 15 प्रतिशत नहीं हुई है । अगस्त का महीना बीत गया इसमें पूरा सूखा रहा । कल मैं घर से आया हूं आज तक वर्षा नहीं हुई । 15 मिलीमीटर वर्षा अब तक हुई । भदई की सारी फसल नष्ट हो गई । धान 40 प्रतिशत लगा नहीं है और जो लगा है, वह भी सूख रहा है । बंधों में पानी नहीं है, नलकूप 40 प्रतिशत खराब हैं बिजली अस्तव्यस्त है, किसानों में हाहाकार मचा है इसी के साथ-साथ बाढ़ की विभीषिका पूरे प्रदेश में है । मण्डल स्तर के जितने अधिकारी हैं कमिश्नर सहित सब बाढ़ से बचाव की मीटिंग कर रहे हैं ।

[श्री ऊदल--]

सूखे से बचाव का कार्यक्रम नहीं बनाया गया है । 50 लाख रुपया प्रत्येक जिले को दिया गया है, जो बहुत नाकाफी है । इससे कोई सहायता नहीं हो सकती है । किसानों के देयों की मुलतबी होते-होते वह इतना लद गया है कि अब उसमें देने की शक्ति नहीं है । सरकार उसको माफ भी नहीं कर रही है । अतः मेरा अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आप चर्चा करावें ताकि सारी चीज स्पष्ट हो जाय ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

श्रीमन् मुझे भी सुन लें ।

श्री खैरुल बशर--

90 प्रतिशत फसल आजमगढ़ में सूख गयी है ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

हमारे यहां सारी फसल नष्ट हो गयी है । मुझे भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

सूखे के बारे में निर्णय हो गया है । सूखे के बारे में चर्चा होगी । समय आज निर्धारित कर दिया जायेगा कार्यमंत्रणा समिति में । जो निर्णय समिति करेगी उसके हिसाब से कार्यवाही हो जायेगी ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मैंने जो नियम 56 के अन्तर्गत सूचना दी है, उसका सम्बन्ध पहाड़ के अन्दर काम करने वाले बिजली के कुलियों से है । यह पहाड़ विरोधी सरकार बार-बार यह घोषणा करती है कि पहाड़ के अन्दर पर्वतीय फैक्टर लागू करेगी । लेकिन पिछले 3 वर्षों से पहाड़ के अन्दर काम करने वाले आदमियों को नौकरी से निकाला जा रहा है । इस समय राज्य विद्युत् परिषद् ने 439 कुलियों को जो पहाड़ के थे, हटाकर उनके स्थान पर हरदुआगंज और पनकी से लोगों को भेजा है । 3 सौ रुपये महवार मजदूरी इनकी होती है । 3 सौ रुपये पाने वाला मजदूर पहाड़ में जायेगा तो डेढ़ सौ रुपये में कमरा लेगा तो डेढ़ सौ में वह अपना पेट भी नहीं पाल पायेगा । लेकिन राज्य विद्युत् परिषद्, जिसके बारे में श्रीमन्, आप भी जानते हैं, मुख्य मंत्री को इतनी फुरसत नहीं होती कि वह बिजली के बारे में सोच सकें । जो चेयरमैन बैठाया है, वह सालों साल घाटा दे रहा है । यहां इस आदरणीय सदन में वित्त मन्त्री जी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि और कर्ज दे दिया जाय, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को । मैंने इस सदन में कहा था कि आप धन मंत्री से ऋण मंत्री हो गये हैं । पहाड़ के आदमी को हटाकर हरदुआगंज और पनकी से मजदूर भेजा जाय, इससे भयानक जुल्म कोई और नहीं हो सकता है । इसलिए मैंने जो सूचना दी है, मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर बहुत गम्भीरता से विचार किया जाय । पहाड़ में जितनी यूनीयनें हैं हाइडिल इम्पलाइज की सब ने आन्दोलन शुरू कर दिया है । टूल डाउन स्ट्राइक है । पहाड़ पर काम ठप हो गया है । वर्षों से कार्यरत वहां के कुली हटाये जा रहे हैं । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा, इस विषय पर चर्चा करायी जाए ।

*श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, हमारे यहां गन्ना किसानों का बहुत ज्यादा बकाया है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कोई बकाया नहीं है, गन्ने का। लेकिन मान्यवर, लगभग 9 करोड़ रुपया एक मिल है, उस पर बकाया है, गन्ना किसान गन्ना समितियों के माध्यम से कर्जा लेता है, खाद, बीज इत्यादि। मान्यवर, जब गन्ना तैयार हो जाता है तो गन्ना किसान उसे मिल को दे देता है। श्रीमन्, उसका पैसा भुगतान नहीं किया जा रहा है। किसान ने गन्ना दे दिया और उनका बकाया पड़ा है। वह मूलधन तो ले ही रहे हैं मान्यवर, सूद भी लगा देते हैं और 15 दिन बाद भुगतान करते हैं। यह तो उल्टा कर रहे हैं। किसानों के बकाये की बात नहीं सोच रहे हैं, लगभग दो करोड़ रुपया एक मिल पर बकाया है, मैं चाहता हूं आप चर्चा करायें किसानों का जो बकाया है, वह सूद सहित मिले।

श्री अध्यक्ष--

मैं नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उन सभी को अस्वीकार करता हूं, लेकिन श्री सरदार सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा की सूचनाओं के विषय को वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं और माननीय भीखालाल तथा माननीय मित्रसेन की जो सूचना है, इस सम्बन्ध में शासन का ध्यान खासतौर से आकर्षित करना चाहता हूं कि इस मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुये जिस प्रकार माननीय सदस्य ने इस सदन में निवेदन किया है, उसके अनुसार कार्यवाही की जाए: जहां तक श्री रेवतीरमण जी का प्रश्न है, मैं वैसे तो इसको अस्वीकार न करता, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शासन से इस मामले को खासतौर से दिखाकर कार्यवाही करायें।

(2 बजकर 20 मिनट)

इसके अलावा विद्यासागर नौटियाल की सूचना को शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये भेज रहा हूं।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, आपने आश्वासन दिया था। मान्यवर, इसके ऊपर आपका कुछ निर्णय नहीं है मान्यवर, इसे स्वीकार करिए।

श्री अध्यक्ष--

निर्णय उचित है।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 1983†

श्री राम गोविन्द--

श्रीमन्, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†दिनांक 5 सितम्बर, 1983 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[श्री राम गोबिन्द—]

श्रीमन्, आज जो माननीय मन्त्री जी ने इस विधेयक को लिया, इसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। मान्यवर, यह केवल संजय गांधी का नाम जोड़कर श्रीमती इन्दिरा गांधी का कृपापात्र होने की साजिश है। श्रीमन्, इस संस्थान की कोई उपयोगिता नहीं है। क्योंकि मान्यवर, इस प्रदेश में कई ऐसे मेडिकल कालेज खुले हुये हैं और वह मेडिकल कालेज ही पर्याप्त हैं। मान्यवर, मेडिकल कालेजों की ही आप व्यवस्था देखें।

(इस समय 2 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्याम सूरत उपाध्याय पीठासीन हुए।)

उनकी जो व्यवस्था है, उसको उच्चीकृत करके ही रिसर्च का कार्य कराया जा सकता है। लेकिन इस आयुर्विज्ञान संस्थान को खोल करके इस गरीब प्रदेश का अरबों रुपया खर्च करने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि इसका कोई उपयोग ही नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में तीन पी0 जी0 आई0 संस्थान हैं। एक दिल्ली में है, एक चंडीगढ़ में है। इन तीनों के विषय में जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार उनका कोई उपयोग नहीं है। इनमें कोई बड़ा रिसर्च का कार्य भी नहीं हुआ है। इनमें जो मरीज भरती होते हैं। वे इनसे लौट करके अलग दवा करा करके ठीक हो पाते हैं। इसलिए इनका उपयोग नहीं रह गया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो इस तरह का संस्थान खोलना चाहते हैं तो यहां मेडिकल कालेज मौजूद है, उसे ही उच्चीकृत कर दें और उसका एक विभाग खोल दें। अलग से अरबों रुपया खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह इनके गठन के सम्बन्ध में है। इनके संचालन की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, उनकी योग्यता इतनी नहीं है कि ऐसा संस्थान चला सकें। न तो कोई मेडिकल का ज्ञान है न ही विज्ञान के क्षेत्र में ही ज्ञान है। वह इस संस्था को चलाने योग्य हैं, इसमें मुझे सन्देह है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, यह जो संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जो खुलने जा रहा है, हमारी समझ में, इस प्रदेश की गरीब जनता की समझ में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जहां इस देश के गरीब लोग अच्छी तरह दवा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अगर आप जनता का लाभ करना चाहते हैं तो इन मेडिकल कालेज में ऐसी व्यवस्था करें जहां अच्छी तरह से देख-रेख हो। योग्य डाक्टरों की कमी हो तो बाहर से मंगवाए जायं, उनकी नियुक्ति की जाय और मेडिकल कालेजों को ही उच्चीकृत किया जाय।

यह संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान खोलने का कोई औचित्य मुझे नहीं प्रतीत होता। यह केवल इसलिए बनाया जा रहा है कि संजय गांधी के नाम से श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रसन्न हो जाएंगी, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको आप वापस लें। मैं इस अध्यादेश का अननुमोदन करता हूं।

जनस्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, हमारे माननीय विधायक, श्री राम गोविन्द चौधरी जी ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि वे यह जानते

ही नहीं कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान क्या चीज है। उत्तर प्रदेश का मेडिकल कालेज और यह आयुर्विज्ञान संस्थान दो भिन्न चीजें हैं। दिल्ली, चन्डीगढ़ और केरल मे जो पी0 जी0 आई0 इन्सटीट्यूटस हैं, उनसे भी यह इन्सटीट्यूट भिन्न है। जहां तक पी0 जी0 के कोर्स का सवाल है, वह तो हमारे मेडिकल कालेजेज में दी जाती है जैसे एम0 एस0 और एम0 डी0 की डिग्री आदि। इस संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य यह था कि भारतवर्ष में आज तक कोई भी ऐसा चिकित्सा का केन्द्र स्थापित नहीं हुआ है, जिसमें उन चीजों पर खोज हो जिनसे बीमारियां पैदा होती हैं। खोज करने वाले जो खोज करेंगे, वह उनकी शिक्षा का एक अंग होगा तथा उनको डाक्टर की डिग्री से विभूषित किया जायेगा। वह खोज, उत्तर प्रदेश के चिकित्सको के लिए, उत्तर प्रदेश की चिकित्सा संस्थाओं के लिये, जिनमें चिकित्सा की शिक्षा दी जाती है तथा भारतवर्ष में जो अन्य इस प्रकार की चिकित्सा सस्थायें हैं, जहां इसकी शिक्षा दी जाती है और पश्चिम मध्य एशिया और सुदूर पूर्वी एशिया मे जहां कोई ऐसी जगह नहीं है, वे इससे लाभान्वित हो सकें, इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की जा रही है।

वैसे इस प्रकार के संस्थान की परिकल्पना 1980 में हुई थी कि उत्तर प्रदेश में एक पी0 जी0 आई0 इन्सटीट्यूट हो। हालांकि इसकी बात सन् 1960 से चल रही थी, जब स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू भारतवर्ष के प्रधान मंत्री थे, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लखनऊ मेडिकल कालेज को उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट बनाने का विचार रखा था, किन्तु किन्हीं कारणवश उत्तर प्रदेश सरकार उसे उस समय स्वीकार नहीं कर पाई। जिस पी0 जी0 आई0 इन्स्टीट्यूट की स्थापना लखनऊ में होनी चाहिये थी, वहीं बाद में दिल्ली में आल इन्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज के नाम से स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश की खुद की अपनी बहुत सी समस्यायें हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब एक नया बीमार अभ्यर्थी का आवेदन आता हो कि उन्हें विदेश जाना है इलाज के लिए। इसलिए उन्हें सहयोग दिया जाय, जिसके लिये वह विदेश जाना चाहते हैं। उस कार्य को पूरा करने के लिए इस आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में हो रही है। जिसका कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। मुझे यह विश्वास है कि यह सदन, जिसका यह औचित्य है कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को वह सारी सुविधायें उपलब्ध करायें, जिसके कारण आज के आधुनिक वातावरण में जो भिन्न-भिन्न बीमारियां भिन्न भिन्न कारणों, जैसे, जल प्रदूषण, वायू प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि-आदि से पनप रही हैं, जिन्हें आज तक हमारे मेडिकल कालेज हल करने में अक्षम थे, उन सारे कार्यों को यह संस्थान पूरा करेगा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों से आशा करता हूं कि वे इसे स्वीकार करेंगे।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 1983 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

मान्यवर, जहां तक इस विधेयक का सवाल है, मैं समझता हूं कि उससे किसी को भी असहमति नहीं होगी। इसकी आवश्यकता का अनुभव भी सभी

वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-]

लोग किया करते थे कि उत्तर प्रदेश में एक उच्च स्तर का चिकित्सा संस्थान बने, जो कि हमारे मेडिकल साइन्स के क्षेत्र में श्रेष्ठ स्तर का शोध करे। जैसा कि अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि आज जो हमारी वर्तमान परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जो नयी-नयी बीमारियों का सृजन हो रहा है, उन बीमारियों के निराकरण हेतु सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो सके, जिससे उन बीमारियों की रोकथाम हो सके। इस क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर शोध की आवश्यकता है। इस बात का हम अनुभव करते हैं कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, जो घातक हैं, लेकिन उनकी सुलभ और सस्ती दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं।

जहां तक इस विशेष संस्थान का सवाल है, मैं उसके बारे में दो-चार बातें कहना चाहूंगा। बहुत दिनों से बात सुनते आ रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने सन् 1980 की बात कही, इसके पहले से भी सुनते आ रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई निश्चयात्मक बुद्धि का परिचय नहीं मिलता है। कभी किसी स्थान का चयन होता है, कभी किसी का। टीमें बनती हैं, टीम में ऐसे लोग रखे जाते हैं, जिनको शोध, मेडिकल साइन्स के बारे में कोई विशिष्ट ज्ञान नहीं, प्रशासनिक ज्ञान अपनी जगह पर हो सकता है, लेकिन विज्ञान का विशिष्ट ज्ञान नहीं। रिपोर्ट जो सामने आयी है, उसमें जिस आधार पर यह बना, दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट है उसका जो मूल अधिनियम है, उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जो जो उद्देश्य इसमें दिखाये गये हैं, लगभग वही उद्देश्य वहां के भी हैं। 2-4 बार मुझे वहां जाने का मौका मिला। ठीक है, उन्होंने भी, कुछ ऐसे श्रेष्ठ कार्य अपने स्तर पर किये हैं, जिससे प्रतिष्ठा बढ़ी है। लेकिन उस हास्पिटल का रंग एक बड़े हास्पिटल जैसा हो गया है, वह एक बड़े हास्पिटल जैसा बन गया है।

आज प्रदेश में कहीं पर भी बड़े हास्पिटल की आवश्यकता महसूस हो सकती है होती भी रहती है लेकिन जिस उद्देश्य से आप इस इंस्टीट्यूट की स्थापना करने जा रहे हैं पैसा खर्च करने जा रहे हैं कहीं ऐसा न हो जाय कि वे उद्देश्य तिरोहित होकर, वह एक बड़े हास्पिटल का रूप धारण कर लें। आपने एक कमेटी गठित की है, उस कमेटी में जहां तक मैं समझ पाया हूं, जिस हिसाब से काम करेंगे, प्राध्यापक होंगे या शोधकर्ता होंगे, जो भी डिजिगनेशन दिये जा रहे हैं, उनके प्रतिनिधि उसमें नहीं हैं। तब उनकी समस्याओं पर विचार कैसे हो सकेगा? नामांकन बहुत ज्यादा कर दिये गये हैं। नामांकन का मैं समय-समय पर विरोध करता रहा हूं, वह इसलिए कि कोई भी सरकार हो, हो सकता है कल हम शासन करें, नामांकन करने के बाबत राजनीतिक गंध जरूर आ जाती है, उसको हटा नहीं सकते। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि नामांकन कम करें, और जो उनके इंस्टीट्यूशन्स हैं जगह-जगह पर, उनके प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाय, ताकि अच्छा टेलेन्ट और मेरिट हमारे सामने आ सके। इस पर विचार करने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ एक बात और भी देखने की जरूरत है कि कहीं वे केवल ऐसा न बन जाय कि सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए एक सबार्डिनेट सी बाडी बन जाय, हर चीज जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, उनको माननी पड़े।

वित्तीय स्थिति के बारे में जब विचार हो रहा था, उस समय मैंने कहा है कि जो वित्तीय प्राविधान करना है, पैसा दिया जा रहा है, उसमें जनता का पैसा जाता है, उसका दुरुपयोग न हो। इसलिए उसका आडिट और फाइनेन्शियल

कंट्रौल अच्छे ढंग से सरकार के मातहत होना चाहिए। लेकिन, जहां तक उसके एकडेमिक का सवाल है, उसमें स्वायतता होना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया जाय ताकि यह श्रेष्ठ संस्थान के रूप में हमारे सामने आ सके। एक बात और है इसमें इतना विलम्ब हो रहा है, यह विलम्ब क्यों हो रहा है? क्या परिस्थितियां हैं, एक निश्चियात्मक बुद्धि हमारे सामने आयी नहीं। कभी यहां जगह चयनित की जाती है, तो कभी कोई दूसरी जगह चयनित की जाती है।

इसलिए इस विधेयक के उद्देश्य से पूरा सहयोग देते हुए उसके कार्यान्वयन का कैसा तरीका बनाया जाय और वह अपने में श्रेष्ठ कार्य कैसे करे, इसके लिये आवश्यक है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजे और उसमें इस आदरणीय सदन के सदस्य बैठकर विचार विमर्श कर इसको मूर्त रूप दे सकें। मेरा तो यह भी कहना है कि अच्छा तो यहां होता कि विचार करने के पहले समय-समय पर जो रिपोर्ट्स आयी हैं, हमारे लोग विदेश भी गये हैं, उनकी रिपोर्ट सदन को देखने को मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर एक सेलेक्ट कमेटी गठित होनी चाहिए, इसमें मैंने कोई बहुत लम्बी अवधि भी नहीं मांगी है। बाहर न जायें, लेकिन कम से कम जो उन लोगों की रिपोर्ट्स हैं, उनको देखकर के और एक्सपर्ट्स से बातचीत करके इसमें हम लोग अपना सहयोग दे सकें। यह एक श्रेष्ठ संस्थान के रूप में बन सकें। इसके लिए आवश्यक है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजें मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उद्देश्य में मतभेद नहीं है, प्रभावी कार्यान्वयन कैसे किया जाय, इस पर अपने मतभेद हो सकते हैं, इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजेंगे, ताकि विचार आदि करने के बाद इसे सुन्दर रूप से बनाकर प्रदेश और देश की सच्ची सेवा में समर्पित कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में, अपने सेलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, यह जो संशोधन लाया गया है, उसका इस समय कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। हां, अगर पहले लाया गया होता तो ज्यादा उपयुक्त होता। आज योजना और कार्य जो चल रहा है, बहुत आगे बढ़ चुका है। काफी काम भी शुरू हो चुका है। मैं यह जरूर चाहूंगा कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो सुझाव दिये हैं, वे व्यावहारिक हैं। इस सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं।

यह उत्तर प्रदेश के लिये एक बहुत ही प्रतिष्ठा का प्रश्न है। न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि पूरी दुनियां में, जिस इंस्टीट्यूट की स्थापना करने जा रहे हैं। उससे उत्तर प्रदेश का और हिन्दुस्तान का नाम आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस मिशन को लेकर, उद्देश्य को लेकर इसकी स्थापना की जा रही है, उसमें तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक इस क्षेत्र के जो विशिष्ट डाक्टर्स हैं, उनको इसमें सम्मिलित न किया जाय। जहां तक शोध कार्य का प्रश्न है, चाहे वह मिडिसिन हो, सर्जरी हो या न्योरो सर्जरी हो, उस क्षेत्र के माने हुए लोगों को इसमें रखना चाहिये। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ही इन क्षेत्रों के बड़े-बड़े डाक्टर्स और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—]

हस्तियां हैं, जो पूरे हिन्दुस्तान के डाक्टरों से कम नहीं हैं। विशिष्ट क्षेत्रों में उनके पुराने अनुभव हैं। उनकी सेवायें ली जायं, चाहे वे काम कर रहे हों या सेवा निवृत्त हो चुके हों। जो फैकल्टीज बनाने जा रहे हैं उनकी जो महान हस्तियां हैं, उनको जरूर सम्मिलित किया जाय।

दूसरी बात, यह इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं नहीं समझता कि प्रदेश के पास इतने संसाधन हैं कि इसे समय पर और जल्द पूरा कर सकें। मैं तो यही चाहूंगा कि विधान सभा में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास करें कि इसमें केन्द्र सरकार से भी अनुरोध किया जाय कि इसे जल्द और समय से पूरा करने के लिये केन्द्र सरकार भी आर्थिक सहायता दे। जब तक केन्द्र सरकार से इतने बड़े संस्थान के लिये आर्थिक सहायता नहीं ली जायगी तब तक इसमें बहुत समय लगेगा और जिस उद्देश्य के लिये बनाया जा रहा है, वह पूरा नहीं हो पायगा। इसके साथ ही मैं इस प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

मान्यवर, आयुर्विज्ञान संस्थान खुले, बहुत अच्छी बात है, परन्तु मन्त्री जी की बुद्धिमत्ता का सबूत कि जो पहले संस्थान हैं चाहे वह आयुर्वेदिक के हों या होम्योपैथिक के हों, वे उसके शिकार हो रहे हैं। इनकी बुद्धिमत्ता देख रहा हूं 81, 82 और अब 83 से आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कालेजों में भी सी0 पी0 एम0 टी0 शुरू कर दिये गये हैं। उसमें जितनी सीट हैं वे 80 प्रतिशत पिछले दो सालों से खाली हैं। जो भी लोग सी0 पी0 एम0 टी0 में सेलेक्ट किये जाते हैं, वे एम0 बी0 बी0 एस0 को प्राथमिकता देते हैं और जो वेटिंग लिस्ट में आते हैं उनको होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में ले लिया जाता है लेकिन बाद में ये छोड़कर चले जाते हैं। यह मंत्री जी की साजिश का नतीजा है—आगे दौड़ पिच्छा छोड़। जो पहले आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक संस्थान हैं उनको तबाह होने से बचाइए और जो सी0 पी0 एम0 टी0 की योजना बनायी है, उसको खत्म करके मैरिट लिस्ट पर दाखिले करवाइए।

आयुर्विज्ञान संस्थान खोलने की बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन नामांकन वाली जो बात कही गयी है, वह समझ में आने वाली नहीं है, मेरिट के आधार पर विज्ञापन निकालकर नियुक्तियां की जायं और मा0 सदस्य, कौशल साहब ने जो सुझाव दिये हैं कि रिटायर्ड डाक्टर्स और साइन्टिस्ट लिए जायं का मैं समर्थन करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय गुप्ता जी ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का रखा है, का मैं समर्थन करता हूं।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

अधिष्ठाता महोदय, विरोधी दलों की ओर से जो संशोधन प्रस्ताव आया है, वह बहुत ही अव्यवहारिक है, इससे इनके दिमाग का दिवालिया पन जाहिर होता है और जितने भी इस संबंध में संशोधन प्रस्तुत किये गये, वह सब तथ्यों से परे हैं और जिस भावना के साथ रखे गये हैं वह भी स्पष्ट है कि इस संस्थान का नाम संजय गांधी के नाम से क्यों रखा गया है। लेकिन जो सुझाव माननीय गुप्ता जी ने प्रस्तुत किये हैं वह काबिले गौर हैं। मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो इस संस्था का निर्माण किया गया है, वह केवल मानव सेवा से संबंधित है और पूरे विश्व के मानव की सेव इस संस्थान द्वारा होगी, लेकिन हमारे जिन साथियों ने इस विधेयक के प्रति विरोध प्रकट किया है, वह ऐसा उन्होंने बगैर सोचे-समझे किया है, कि यह इनके दिमाग की बीमारी है, इससे पहले इन्हें मौका मिला था कि इस पर यह चाहे जितनी अलोचनाएं करते और उस विभाग के कार्य कलाप पर अपने विचार रखते, उस पर तो कुछ किया नहीं, लेकिन इससे जबकि इनका कोई सम्पर्क नहीं, कोई जोल जोल नहीं तब इस पर विरोध कर रहे हैं । वैसे माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं, अभी हमारे एक साथी यह कह रहे थे कि यह सब श्रीमती इन्दरगाधी को खुश करने की बात है, तो यह उनके अपने दिमाग से निकली हुई बात है । श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की ही मेहरबानी से तो यहां पर मंत्री के रूप में विराजमान है, और यह कार्य जो मा0 मंत्री जी ने किया है, वह बहुत ही सराहनीय इस पर जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है, क्योंकि इससे मानव सेवा का एक बहुत बड़ा काम हो सकेगा । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जिन्होंने इस संशोधन को रखा है, वह कृपया प्रक्रियावादी ताकतों का साथ ना दें और जो इस ओर प्रगतिशील कदम उठाया गया है, इसका साथ देते हुए, सर्वसम्मत से इसका समर्थन करें और इस संशोधन को वापस ले लें। बल्कि आपको चाहिये कि इसके लिये केन्द्र सरकार से बजट देने की मांग रखें ताकि उत्तर प्रदेश का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके और सारे लोग यह देख सके कि उत्तर प्रदेश में जो लोग बैठे हुए हैं, वह कितने प्रगतिशील हैं । इन्हीं शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, अभी जो संशोधन चौधरी साहब ने रखा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, आसमान नहीं टूटा जा रहा है, जमीन नहीं फटी जा रही है । उद्देश्य अपने आप में पाक है । हां, माननीय मंत्री जी के इरादे नापाक हो सकते हैं । मान्यवर, एक सवाल मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर किंग जार्ज मेडिकल कालेज को ही उच्चीकृत कर दिया गया होता जितने संसाधन आप अपनी इस नई सृष्टि में लगाने जा रहे हैं, जितना पैसा इसके लिये उसको दिया जायेगा, उसे यदि इसी किंग जार्ज मेडिकल कालेज में ही लगा दिया गया होता तो इसमें आपको क्या परेशानी थी ?

आप जिस जगह पर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान बनाने की तैयारी कर रहे हैं और जैसा कि अभी डाक्टर कौशल ने कहा कि काम बहुत आगे बढ़ चुका है, तो मैं कहता हूं कि जमीन ही वहां की तीन हजार से पांच हजार के ऊपर की है । जब यह फैसला हो चुका कि यहां यह संस्थान बनेगा तो तमाम अधिकारियों ने अपने नातेदारों और रिश्तेदारों के नाम से उसका बैनामा करा लिया जो कि 3 से लेकर 5 हजार तक का था और फिर आपको वह जमीन दी गयी 25 हजार में । इसका सबूत यह है कि आप देख लें कि जो जमीन आपने खरीदी है, वह उससे तीन-चार साल पहले किसके नाम थी और जब आपने एक्वायर की है तो वह किसके नाम से है जहां पर शुरू में ही भ्रष्टाचार दिखायी दे रही हो तो जहां की राजनीति इतनी संकुचित हो रही हो तो उसका अंजाम क्या होगा, यह आप स्वयं ही विचार कर लें । वैसे यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि प्रदेश की उन्नति के

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--]

लिये स्नातकोत्तर संस्थान की स्थापना के लिये विधेयक आया है, फिर उसका नाम संजय गांधी पर रखा जा रहा है। संस्थान का नाम संजय गांधी हो या राजीव गांधी, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है। थोड़े दिनों के बाद आप स्वयं ही उसके नाम को बदल कर राजीव गांधी करेंगे, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं। मुझे तो यह कहना है कि आपके प्रदेश के जो डाक्टरी के एक्सपर्ट्स हैं, आप उनकी एक कमेटी बनाइये। खुले दिल से आप उनकी सूझ-बूझ को, विवेक को, सराहिये। इस तरह से आप वैज्ञानिकों की एक कमेटी बनाइये और इस संबंध में उसका मार्गदर्शन लीजिये और जो आपके एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उसी में आप उच्चीकृत करने के लिये अपने संसाधनों को लगाइये जहां भी कोई काम शुरू हुआ और पैसे की बात आयी तो उसमें उस पैसे का 3/4 भाग ही खर्च होता है और काम वहां पर देखिये तो कुछ भी नहीं हुआ आप जनता के हमदर्द हैं, उसकी बेहतरी के लिये सोच रहे हैं तो फिर आपको इसमें जनता की राय लेने में क्या परेशानी है। वैज्ञानिकों की राय इसमें ली जानी बहुत जरूरी है : इसलिये इस विधेयक को प्रवर समिति को आप सौंप दीजि, फिर जैसा आप चाहेंगे, रिपोर्ट तो वैसी आनी ही है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय चौधरी साहब आपको कुछ कहना है ?

श्री राम गोविन्द--

अधिष्ठाता महोदय, आश्चर्य तो तब होता है कि मैंने माननीय मंत्री जी से केवल इतना ही कहा कि इस गरीब प्रदेश का जो इतना धन है, इसे आप अलग एक संस्था खड़ा करके खर्च कर रहे हैं, जैसे कि अभी ओझा जी ने कहा, मैंने भी पहले वही कहा था कि जो वर्तमान मेडिकल कालेज है, उसे ही उच्चीकृत करके आयुर्वेदिक संस्थान का काम कराया जा सकता है। जो तीन पी0 जी0 आई0 इस देश में हैं उनकी जो रिपोर्ट आयी है, उसे पढ़ने से कोई ऐसा लाभ प्रतीत नहीं होता जिससे कि उन्होंने बहुत बड़ा कोई रिसर्च का काम किया हो या जो मरीज भर्ती किए गए हों, उन्हीं पर प्रयोग ठीक किया गया हो। इसलिए हमको इसमें कुछ नहीं कहना है। इसको उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान के जो जाने माने एक्सपर्ट हैं, उनकी एक कमेटी गठित करके उनसे फिर से दुबारा राय मसविरा ले लिया जाय। इतना धन खर्च करना ठीक नहीं है। इसको मेडिकल कालेज में एक विभाग खोल कर बना दिया जाए जो काम करे, इसको अलग से खोलना ठीक नहीं है। इन शब्दों के साथ में अपने प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जिन सदस्यों ने मेरे प्रस्ताव के पक्ष में अपने विचार प्रकट किए हैं मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। दो बातें मेरे भाषण के बारे में कही गयी। एक तो मेरे आदरणीय सदस्य, आगरा जिनका कि मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उन्होंने यह कहा कि यह सुझाव का समय नहीं है। अगर देना था तो पहले देना चाहिए था। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार की जो कार्य शैली है वह आर्डीनेन्स के आधार पर चलने की है। अगर यथासमय विधेयक रखा जाता तो उसी समय हमको सुझाव देने का मौका मिलता। यह तो आप के

कारण ही है कि हमको मौका नहीं मिला । आप समय पर मौका क्यों नहीं देते हैं । इसलिए अगर मैंने इस समय सुझाव देने की चेष्टा की है तो यह मेरी अनाधिकार चेष्टा नहीं है ।

मान्यवर, दूसरी बात मैंने नामांकन के बारे में कही थी, यह मैंने स्वीकार किया है कि जिसकी सरकार होगी उसको कुछ न कुछ राजनैतिक लाभ होगा ही, लेकिन अगर हम कमिटेड हैं डेमोक्रेसी के लिए तो उसी तरह की परम्परायें बनायी जानी चाहिए । इसमें आपने लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों के जो अनुभव हैं, उनको उठाने की कोशिश नहीं की है, उनका लाभ आपको नहीं मिलेगा । आप नामांकन करें । यह हमारे चरित्र का हनन करता है कि लोक सभा और राज्य सभा के किसी माननीय सदस्य को न लिया जाये । आप यह कर दें कि जो उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होकर गए हैं, वह अपने में से एक-एक प्रतिनिधि चुन कर भेज दें ।

एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपका आयुर्विज्ञान संस्थान अपना शोध कार्य करेगा, लेकिन हमें इस प्रकार का प्राविधान करना चाहिये कि जो हमारे यहां पर एलोपैथिक पद्धति है, यूनानी पद्धति है, होम्योपैथिक पद्धति है और जो और बहुत सी पद्धतियां हैं, उनको विकसित करना चाहिये । उन पर शोध करना चाहिये और उनको एक वैज्ञानिक आधार देना चाहिये । मान्यवर, चीन या जापान की चीज है, एक सज्जन वहां गए और उन्होंने हर डिसपेन्सरी को देखा और उनको हर डिसपेंसरी के दरवाजे पर हब्जे के नाम दिखायी दिये । वहां की जड़ी-बूटियां क्या हैं, हर डाक्टर उन दवाओं पर शोध कर रहा है । हमें इस बात का शोध करना चाहिये कि किस क्षेत्र की हवा क्या है । उत्तर प्रदेश में ही पहाड़ों पर कुछ ऐसी पत्तियां हैं जिन पर शोध किया जा सकता है । मुझे याद है कि बचपन में जब कोई बीमार होता था या बुखार आता था तो अमुक प्रकार की पत्ती पिला दी जाती थी और बुखार ठीक हो जाता था । इसलिए इसमें इस प्रकार का शोध किया जाये । आयुर्वेदिक हैं, यूनानी हैं, होमियोपैथिक हैं और जितनी भी अन्य ब्रांचेज हैं, उन सब के बारे में विशेष व्यवस्था की जाय । मैं स्वयं इसके बारे में इतना ज्ञाता नहीं हूं किन्तु इस सम्बन्ध में जितने भी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, उन्हें भी आप देख लें ।

एक बात और कहना चाहता हूं इस अवसर का लाभ उठाकर । वह यह है कि सर्विसेज में असन्तोष न होने पाये । अभी यह आयुर्विज्ञान संस्थान तो नहीं बना है, उसका उदाहरण देना तो अप्रासंगिक हो जायेगा किन्तु हमारा जो लखनऊ का मेडिकल कालेज है, उसके कुछ प्रोफेसर्स मुझे मिले । उनके सम्बन्ध में आपकी ओर से एक आदेश गया । अब तक तो यह प्रथा थी कि किसी डाक्टर के रिटायर होने के बाद यदि उसने अपने क्षेत्र में कोई श्रेष्ठ कार्य किया हो तो उसको री-इम्पलायमेन्ट दिया जाता था और यह कहा जाता था कि हम आपको शोध कार्य करने के लिये री-इम्पलायमेन्ट देंगे यदि उसका शोध कार्य पूरा न हुआ हो तो वह उसे पूरा कर दे । अब आपने आदेश द्वारा एक नई विधि कर दी है और 60 साल के बाद एक्सटेंशन दिया जा रहा है । उनको उसी वेतन पर और वेतन वृद्धियां भी दे रहे हैं । उस आदेश की प्रतिलिपि मेरे पास है । हो सकता है मंत्री जी की जानकारी में यह बात न हो । विधायक को डी0 आर0 डी0 ए0 कमेटी से निकाल दिया जाय, ऐसा कर दिया है, तो इसे आप देख लें ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

इसके अलावा मेरे पास श्री ज्ञान बाजपेयी, रजिस्ट्रार का एक सरकुलर भी है । वास्तविकता इसमें यह है कि कोई भी आदमी जो 60 साल की उम्र का हो गया हो, उसका एक्सटेन्शन नहीं होगा, उसको री-इम्पलायमेन्ट मिलेगा । इस नये आदेश के अनुसार आपने अन्य शर्तों के साथ-साथ पूरी सुविधायें उनको वही दे दीं, जो वह पा रहा था । इससे यह होगा कि जो डाक्टर्स पीछे से आ रहे हैं, उनको निराशा होगी, उन्हें उच्च पद नहीं मिल सकेगा, लिहाजा वे अच्छा काम कैसे कर पायेंगे । शासन की भी यही नीति है कि लोगों को रिटायर करके जो नये लोग हैं, वे आयें और उनको भी काम का मौका मिले । दूसरी तरफ आप यह कह रहे हैं कि उनको ही एक्सटेंशन दे रहे हैं । इसलिए उनके लिए रूल्स बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो शोध कार्य करते हैं, और इस तरह से सेवा करते हैं, जो प्रतिभावान डाक्टर्स हैं, उनको मौका मिल सके ।

आज देश में यह स्थिति हो रही है कि जो प्रतिभावान और इस क्षेत्र में कुशल व्यक्ति हैं, वे विदेश जा रहे हैं । यह एक साजिश है जो उनको यहां से विदेशों में ले जाती है । उनको वहां अच्छा पैसा मिल जाता है । इसलिए इस तरह की नीति यदि आपकी रही तो इस देश से प्रतिभावान लोग निकल कर बाहर चले जायेंगे । ऐसे जो लोग बाहर जाते हैं उनमें राष्ट्रीय चरित्र का अभाव रहता है । उनको यहां रह कर कम पैसों में काम करना चाहिए । अपने देश के लिए कुछ तकलीफ उठाकर काम करना चाहिये । यह सही है कि किसी भूखे आदमी को वेद नहीं पढ़ाया जा सकता फिर भी इस चीज को देखना होगा । उनको सुख-सुविधा मिले, अच्छा पैसा मिले, उनकी सेवायें सुरक्षित हों जिससे वे विदेशी साजिश से प्रभावित न हों और उन्हें यहीं पर काम करने का मौका मिले और देश की सेवा कर सकें ।

मान्यवर, यही-दो-चार बिन्दु थे जिनके बारे में मैं खुलासा कहना चाहता था । मैं अपने नौजवान विधायक, सहारनपुर से एक बात कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि हम संशोधन के प्रस्ताव रखते हैं । यह कोई रिचुअल नहीं है कि हम सब जगह प्रस्ताव दें । हमारे पास किसी विधेयक में संशोधन लाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं होता जिससे हम सरकार पर आरोप लगा सकें । यह एक संसदीय पद्धति है और उसी के तहत हम संशोधन प्रस्तुत करते हैं । प्रवर समिति में भेजने का जो हमारा प्रस्ताव होता है, वह नियमों में है । हम समझते हैं कि ऐसे प्रस्ताव भार साधक मंत्री के द्वारा सदन में आने चाहियें । मान्यवर, मुझे दो-तीन प्रवर समितियों में काम करने का मौका मिला । मुझे इसका अनुभव भी है कि किस तरह से प्रवर समिति किसी विधेयक पर छानबीन कर उसे संशोधित करती है । मैं राजस्व की प्रवर समिति में सदस्य रहा हूं । जैसा कि आपने कहा है कि वहां पर सत्ता का कोई सवाल नहीं है । वहां पर किसी सदस्य के सत्तारूढ़ होने अथवा न होने का प्रश्न नहीं उठता । न जाने कितने सवाल वहां पर आते बल्कि संसदीय पद्धति का यह तकाजा है कि बिल आने से पहले विभाग की सलाह कार समिति में वह जाय । यह बात मैं आपको ताकत देने के लिए कह रहा हूं । संसदीय कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है कि कोई भी विधेयक आये उससे पहले वह सलाहकार समिति में जायेगा । जब हमारी सरकार थी उस समय भी यह नहीं किया गया और आज की सरकार भी नहीं कर रही है । जो भी पीछे गल्ती हो गयी है, उसको छोड़ कर आगे के लिये हम यह कर दें कि विभाग की सलाह कार समिति में विधेयक पहले जाय और वहां पर विचार होकर आये । मूल

विधेयक प्रवर समिति में जायेगा तो वहां पर अच्छे ढंग से विचार होगा। हमने जो प्रवर समिति मे जाने के लिए यह कहा है, मेरी बात का आप लोग समर्थन करेंगे वहां भेज कर सुन्दर रूप में यह आयेगा। इन शब्दों के साथ में अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री लोकपति---

माननीय गुप्ता जी ने बहुमूल्य सुझाव दिए मगर पहले ही यह कार्यवाही हो चुकी है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बना इस पर 1980 में विचार हुआ। 14 सितम्बर, 1980 को राष्ट्रपति के द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास किया गया। 31 दिसम्बर, 1980 को डा0 डी0 एन0 शर्मा की रिपोर्ट आई। 31 अक्तूबर, 1981 को हिन्दुस्तान के जो जाने माने वैज्ञानिक हैं चिकित्सा जगत के, उनकी एक समिति बनी थी, जिनके सम्मुख डी0 एन0 शर्मा की रिपोर्ट पेश की गई। उन्होंने उस पर अपनी आख्या दी और वह आख्या उत्तर प्रदेश मंत्रि-परिषद के सम्मुख 1981 में आई। दिसम्बर, 1981 में इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति हो गयी और उसके भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया। भारतवर्ष के तीन पी0 जी0 आई0 और चौथा बन रहा है। चारों पी0 जी0 आई0 के डायरेक्टर्स उसमें थे--दिल्ली, त्रिवेन्द्रम, चण्डीगढ़ और जम्मू कश्मीर। इसके अलावा आई0 एस0 आर0 और आई0 एम0 आर0 आई0 के डायरेक्टर भी थे, उनकी रिपोर्ट पर यह संचालित किया और जो हमारे आई0 आई0 टी0, कानपुर, दिल्ली पी0 जी0 आई0, चंडीगढ़ हैं उनकी विभिन्न जो रूपरेखा है उनको दृष्टि में रखकर तथा प्रदेश की जो वर्तमान आवश्यकता है, उसको परिवेक्ष्य में रखकर सब बातें ली गई हैं। माननीय गुप्ता जी ने एक और बात उठाई इसमें नामित व्यक्ति बहुत हैं, उन्होंने हवाला दिया लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यगण नामित हैं। तो नामित व्यक्ति नहीं हैं बल्कि नामित संस्थायें हैं। भारतवर्ष की जो संस्थायें हैं, उनसे सम्बन्धित डायरेक्टर्स या उनके हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट्स हैं, वह हैं व्यक्ति नामित नहीं हैं। फिलहाल एक कमेटी बना रखी है, जिसमें नामित लोग हैं उसमें आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डाक्टर टंडन हैं, त्रिवेन्द्रम के वैद्यनाथन हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मैं एक मिनट लूंगा, मैं शायद अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाया, यह आप उस कमेटी का हवाला दे रहे हैं जो आज बना रखी है लेकिन बिल बन जायेगा उसके बाद की बात कह रहा हूं। यह जो विधेयक है, इसके अंदर आप देखें जो आपने (ङ) या (ग) दिया है, उसमें आपने राज्य सरकार द्वारा नामित रखे हैं। जो कमेटी आज गठित कर रखी है उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, वह तो अपनी रिपोर्ट देकर खतम हो जायेगी मैं तो बिल में क्लाज-4 की बात कर रहा हूं जिसमें राज्य सभा या लोक सभा का एक सदस्य होगा।

श्री लोकपति---

इसमें तीन समितियां हैं। एक शिक्षा समिति, एक शासकीय विकास समिति और एक वित्त समिति है। शिक्षा एकेडेमी काउन्सिल में भारतवर्ष के माने-जाने संस्थान हैं जिनके पदाधिकारियों को नामित करने का प्राविधान है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

बिल के क्लाज-4 को देखें ।

श्री लोकपति--

दो सदस्य संस्थान में उ0 प्र0 के मेडिकल कालेजों से आयेंगे, दो इंस्टीट्यूट के हेड आफ दि डिपार्टमेंट्स से और दो इंस्टीट्यूशन के अध्यापकों में से और दो मिनिस्टर द्वारा नामित होंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

बिल के क्लाज-4 को देखें । बिल की कापी शायद आपके पास नहीं है, उसको लें और उसमें देखें ।

श्री लोकपति--

बिल की ही बात मैं कह रहा हूं । इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है ।

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ओझा जी ने जमीन पर निर्माण के सम्बन्ध में कहा तो 400 बीघे जमीन गांव सभा की है, किसी को कम्पेन्सेशन नहीं देना है । 200 बीघा जमीन किसानों की है, जिसको कंपेन्सेशन देकर लिया जा रहा है और उनको आश्वासन दिया गया है कि उनके परिवार के एक व्यक्ति क स्वास्थ्य विभाग में लिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने ठीक बात कही कि आल इंडिया इंस्टीट्यूट, दिल्ली की तरह यह एक बड़ा चिकित्सालय न बन जाय तो इसको भी दृष्टि में रखा गया है और इसलिए इसके अंदर एक छोटा चिकित्सालय दिया गया है, उस चीज से बचने के लिये ।

इसके अलावा जो श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री जनार्दन प्रसाद ओझा ने कहा उच्चीकरण के बारे में, तो मैं इसमें कहना चाहता हूं कि के0 जी0 एम0 सी0 में स्वयं ही जगह की कमी है और उसमें कुछ विभागों के उच्चीकरण करने के लिए जगह अपर्याप्त है, उसमें इसका समायोजन नहीं हो सकता था, इसलिए इसको अलग ले जाना ही एक उपाय था और लखनऊ मेडिकल कालेज में ही 14 डिपार्टमेंट्स को अपग्रेडेड किया है । इसी प्रकार आगरा में किया है, कानपुर में किया है । इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा नहीं है, इसके ऊपर की शिक्षा इसमें होगी । इस प्रकार का संस्थान हमारे पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि एशिया में कहीं नहीं है । भारतवर्ष में अपने प्रकार का यह प्रथम संस्थान होगा । किसी भी बीमारी का निराकरण, उस पर पूरा शोध यहीं सम्भव हो सकेगा ।

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने अपनी जिन भावनाओं को व्यक्त किया है, उनसे मैं अवगत हूं । 1980 से 1983 तक इस पर स्थिर दृष्टि लाने का ही काम होता रहा और जब स्थिर दृष्टि हो गई, स्थिर प्रारूप तैयार हो गया, तभी काम शुरू किया गया । मेरा विश्वास है माननीय गुप्ता जी अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगे और इसे स्वीकार होने देंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

आप गुप्ता जी, क्या अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि यह सदन संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 1983 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 42 तक तथा खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 1983

उत्तर प्रदेश में लखनऊ में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की और उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) धारा 4 और 18 तुरन्त प्रवृत्त होंगी और अधिनियम के शेष उपबन्ध 18 अक्तूबर, 1982 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे ।

परिभाषायें

2--जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,--

(क) "निदेशक" का तात्पर्य धारा 12 के अधीन नियुक्त संस्थान के निदेशक से है ;

(ख) "निधि" का तात्पर्य धारा 24 में निर्दिष्ट संस्थान की निधि से है ;

(ग) "शासी निकाय" का तात्पर्य धारा 18 के अधीन गठित शासी निकाय से है ;

(घ) "संस्थान" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान से है ;

(ङ) "सदस्य" का तात्पर्य संस्थान के सदस्य से है ;

(च) "अध्यक्ष" का तात्पर्य धारा 11 में निर्दिष्ट संस्थान के अध्यक्ष से है ;

(छ) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन संस्थान द्वारा बनाये गये विनियम से है ;

(ज) "नियम" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम से है ;

(झ) "अध्यापक" के अन्तर्गत आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य या संस्थान में शिक्षण या शोध कार्य या चिकित्सा शिक्षा देने के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी है ।

संस्थान की स्थापना

3--(1) ऐसे दिनांक से, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, लखनऊ में एक आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की जायेगी जिसे संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ कहा जायेगा ।

(2) संस्थान एक निगमित निकाय होगा और राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा ।

संस्थान की रचना

4--(1) संस्थान के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्--

(क) मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार, पदेन;

(ख) सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, पदेन;

(ग) चिकित्सा शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश, पदेन;

(घ) संस्थान का निदेशक, पदेन;

(ङ) सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
वित्त विभाग, पदेन;

(च) सात व्यक्ति जो समाज विज्ञान के, वैज्ञानिक या प्राविधिक शिक्षा या शोध के कार्य में निरत हैं या उसका विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हैं, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(छ) राज्य विश्वविद्यालयों के चिकित्सा संकायों के तीन प्रतिनिधि जो राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ज) राज्य विधान मण्डल के तीन सदस्य, जिनमें से दो विधान सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से, और एक विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने में से, निर्वाचित किये जायेंगे ;

(झ) संसद का एक सदस्य, उनमें से जो उत्तर प्रदेश से राज्य सभा या लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ञ) भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जो उस सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ट) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि जो भारत सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ठ) दो प्रख्यात शिक्षाविद् जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ड) संस्थान के संकायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए संस्थान के अध्यापकों में से चार व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन सात व्यक्तियों में से पांच व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत चार चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैं, राज्य सरकार द्वारा एक ऐसे पैनल में से जिसे निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति द्वारा बनाया जायेगा, नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे--

(एक) निदेशक, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ;

(दो) प्रेसिडेंट, नेशनल अकादमी आफ मेडिकल साइन्सेज;

(तीन) प्रेसिडेन्ट, इंडियन अकादमी आफ साइन्सेज, बंगलौर;

(चार) प्रेसिडेन्ट, नेशनल अकादमी आफ साइन्सेज, इलाहाबाद ;

(पांच) प्रेसिडेन्ड, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्;

(छः) किसी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निदेशक जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(सात) महानिदेशक, कौंसिल आफ साइन्टीफिक एन्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च या उसका नामांकिती;

(आठ) निदेशक, इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च;

(नौ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (संयोजक) ।

(3) उपधारा (2) के अधीन समिति द्वारा बनाये गये पैनल में कम से कम पन्द्रह व्यक्ति होंगे जिनमें से कम से कम आठ व्यक्ति चिकित्सा विशेषज्ञ होंगे और प्रति दो वर्ष में पैनल का पुनरीक्षण किया जायेगा ।

सदस्यों की पदावधि और रिक्तियां

5--(1) जैसा कि इस धारा में उपबन्धित है उसके सिवाय, पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि, यथास्थिति, नाम-निर्देशन या निर्वाचन के दिनांक से पांच वर्ष होगी ।

(2) धारा 4 के खण्ड (ज) के अधीन निर्वाचित या खण्ड (झ) के अधीन नाम-निर्दिष्ट सदस्य की पदावधि समाप्त हो जायेगी जैसे ही वह, यथास्थिति, राज्य विधान मण्डल के सदन का जिससे वह निर्वाचित किया गया था, सदस्य या संसद का सदस्य न रह जाय ।

(3) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह पद, जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है, धारण किये रहे ।

(4) किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए नाम-निर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य की पदावधि उस सदस्य के कार्यकाल की, जिसके स्थान पर वह नाम-निर्दिष्ट या निर्वाचित किया गया है, शेष अवधि तक बनी रहेगी ।

(5) धारा 4 के खण्ड (ज) के अधीन निर्वाचित या खण्ड (झ) के अधीन नाम-निर्दिष्ट सदस्य से भिन्न कोई बहिर्गामी सदस्य, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट न कर दिया जाय ।

(6) बहिर्गामी सदस्य पुनः नाम-निर्देशन या पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा ।

(7) कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित और स्व-हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है किन्तु वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका त्यागपत्र उस सरकार द्वारा स्वीकार न कर लिया जाय ।

(8) सदस्यों की रिक्तियों की पूर्ति की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाय ।

संस्थान की बैठकें

6--संस्थान की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी, जैसा अध्यक्ष समय-समय पर अवधारित करे, और ऐसी बैठकों में कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में ऐसी प्रक्रिया का पालन किया जायेगा जैसी विनियमों में निर्धारित की जाय :

परन्तु संस्थान की प्रति वर्ष कम से कम एक बैठक होगी :

परन्तु यह और कि संस्थान अपनी प्रथम बैठक में कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जैसी राज्य सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

7--संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे-- संस्थान के उद्देश्य

(क) चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में वर्तमान अतिविशिष्ट विषयों के लिए और ऐसे अन्य विषयों के लिए जिनका भविष्य में आविर्भाव हो, चिकित्सा परिचर्या, शिक्षा और उच्च स्तर की शोध सुविधाओं को जिसके अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा को जारी रखना भी है, व्यवस्था करने के लिए एक उत्कृष्ट केन्द्र का सृजन करना;

(ख) अतिविशिष्ट विषयों में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में शिक्षण के प्रतिरूपों का विकास करना जिससे चिकित्सा शिक्षा का उच्च स्तर स्थापित हो सके;

(ग) पैरा मेडिकल और सम्बद्ध क्षेत्रों में, विशेष रूप से अतिविशिष्ट विषयों के सम्बन्ध में, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

8--धारा 7 में निर्दिष्ट उद्देश्यों की समुन्नति के लिए संस्थान, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,-- संस्थान के कृत्य

(क) परामर्श अस्पताल के रूप में कार्य करेगा;

(ख) आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और अन्य सजातीय विज्ञान की सुसंगत शाखाओं में स्नातकोत्तर शिक्षण और शोध कार्य की व्यवस्था कर सकेगा, जिसके अन्तर्गत भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का अन्तर्विषयक शिक्षण भी है;

(ग) चिकित्सा शास्त्र की नई प्रणाली का प्रयोग इस उद्देश्य से कर सकेगा कि उसके शिक्षण का सन्तोषजनक मानक प्राप्त किया जा सके;

(घ) स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या विहित कर सकेगा;

(ङ) चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा प्रदान करने के लिए अध्यापकों का प्रशिक्षण कर सकेगा;

(च) स्नातकोत्तर चिकित्सा शास्त्र की परीक्षायें ले सकेगा और ऐसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य शैक्षिक विशिष्टता और पदवी प्रदान कर सकेगा, जैसी विनियमों में निर्धारित की जाय;

(छ) सरकार से अनुदान और यथास्थिति, दानी व्यक्तियों, उपकारी व्यक्तियों, वसीयतकर्ता या हस्तान्तरणकर्ता के दान, संदान, उपकृति, वसीयत और जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति का अन्तरण स्वीकार कर सकेगा;

(ज) जो सम्पत्ति संस्थान की है या उसमें निहित है, उसकी व्यवस्था किसी ऐसी रीति से कर सकेगा जो धारा 7 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की समुन्नति के लिए आवश्यक समझी जाय;

(झ) ऐसी फीस की अपेक्षा कर सकेगा और उसे स्वीकार कर सकेगा, जैसी विनियमों द्वारा निर्धारित की जाय;

(ञ) चिकित्सा के क्षेत्र में शोध कार्य के संचालन और उच्च शिक्षा में अन्य संस्थाओं से सहयोग कर सकेगा;

(ट) संस्था के कार्यकलाप के प्रशासन और कार्यप्रणाली से सम्बन्धित नीति के प्रश्नों पर विनिश्चय कर सकेगा;

(ठ) ऐसे अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को, जो संस्था के कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो, इस अधिनियम के अनुसार सेवायोजित करा सकेगा;

(ड) ऐसे अन्य सभी कार्य कर सकेगा जो संस्थान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों ।

संस्थान के अधिकारी

9--संस्थान के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्--

(क) कुलाध्यक्ष,

(ख) अध्यक्ष,

(ग) निदेशक,

(घ) संकायाध्यक्ष,

(ङ) वित्त अधिकारी,

(च) कार्यपालक कुल सचिव,

(छ) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें नियमों में संस्थान का अधिकारी विनिर्दिष्ट किया जाय ।

कुलाध्यक्ष

10--(1) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल संस्थान के कुलाध्यक्ष होंगे ।

(2) कुलाध्यक्ष प्रति पांच वर्ष के पश्चात् संस्थान की प्रगति की समीक्षा ऐसी रीति से करायेंगे जिसे वह उचित समझें ।

(3) संस्थान की प्रगति की समीक्षा करने पर कुलाध्यक्ष राज्य सरकार को धारा 34 के अधीन कार्यवाही करने के लिए निर्देश प्रेषित कर सकते हैं या, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे निदेश दे सकते हैं जो वह आवश्यक समझें और संस्थान ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा ।

(4) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किन्तु धारा 36 के उपबन्धों के अधीन रखते हुए, कुलाध्यक्ष लिखित आदेश द्वारा संस्थान को किसी ऐसी कार्यवाही को निष्प्रभावी कर सकते हैं जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अनुकूल न हों :

परन्तु कोई ऐसा आदेश देने के पूर्व वे संस्थान से कारण बताने को कहेंगे कि क्यों न ऐसा आदेश दिया जाय और यदि कोई कारण ऐसे युक्तिसंगत समय के भीतर दर्शित किया जाय जिसकी अनुमति इस निमित्त दी गई हो तो वह उस पर विचार करेंगे ।

अध्यक्ष

11--(1) उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य सचिव संस्थान का अध्यक्ष होगा और वह शासी निकाय का सभापति भी होगा ।

(2) अध्यक्ष संस्थान की बैठकों की, जब उपस्थित हो, अध्यक्षता करेगा और उसकी शक्ति और उसके कर्तव्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्--

(क) यह सुनिश्चित करना कि संस्थान के कार्यों का प्रशासन इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अनुसार सम्पादित किया जा रहा है और इस उद्देश्य की अभिपूर्ति के लिए ऐसे कदम उठाना, जिसे वह आवश्यक समझें;

(ख) संस्थान के कार्यों के प्रशासन से सम्बन्धित ऐसी सूचनायें या अभिलेख प्राप्त करना, जिसे वह उचित समझें ;

(ग) ऐसी अन्य शक्ति का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम के द्वारा उन्हें सौंपे जायें या जो नियमों द्वारा विहित किये जायं या विनियमों में निर्धारित किये जायं ।

निदेशक

12--(1) संस्थान का एक निदेशक होगा जो एक समिति, जिनमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, की संस्तुति पर कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायगा, अर्थात्--

(क) संस्थान का अध्यक्ष;

(ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा;

(ग) कुलाध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति, जो समिति का संयोजक भी होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित समिति के सलाहकार के रूप में दो चिकित्सा विशेषज्ञ होंगे जो कुलाध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

(3) जब कभी निदेशक का पद रिक्त हो या होने की संभावना हो, तब उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति तीन व्यक्तियों के नाम का एक पैनल तैयार करेगी जो उसकी राय में उक्त पद धारण करने के लिए उपयुक्त हो ।

(4) समिति जो पैनल तैयार करेगी उसे एक संक्षिप्त विवरण सहित जिसमें उस पैनल में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षणिक अर्हता और अन्य विशिष्टतायें अंकित की जायेंगी, कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी, किन्तु कोई अधिमान-क्रम इंगित नहीं करेगी ।

(5) कुलाध्यक्ष उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किये गये पैनल में से निदेशक की नियुक्ति करेंगे ।

(6) उपधारा (1) से (5) में किसी बात के होते हुए भी, संस्थान का प्रथम निदेशक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा और वह तब तक के लिए पद धारण करेगा जब तक कि उपधारा (1) से (5) के अनुसार निदेशक नियुक्त न कर दिया जाय ।

(7) जहां निदेशक के पद में कोई रिक्ति हो और उसे उपधारा (1) से (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा और शीघ्रता से भरा न जा सकता हो या कोई अन्य आपातिक स्थिति हो, वहां कुलाध्यक्ष किसी उपयुक्त व्यक्ति को निदेशक नियुक्त कर सकते हैं और इस उपधारा के अधीन नियुक्ति के कार्यकाल को समय-समय पर इस प्रकार बढ़ा सकते हैं कि ऐसी नियुक्ति का सम्पूर्ण कार्यकाल, जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत कार्यकाल भी है, एक वर्ष से अधिक न हो ।

(8) निदेशक की सेवा की शर्तें, जिसके अन्तर्गत उसे अनुमन्य वेतन, भत्ता, छुट्टी, पेंशन और भविष्य निधि भी हैं, ऐसी होंगी, जैसी विहित की जायं और जब तक इस प्रकार विहित न की जाय तब तक जैसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायें ।

निदेशक की शक्तियां और कर्तव्य

13--(1) निदेशक शासी निकाय का उप सभापति होगा और संस्थान का मुख्य कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा । वह अध्यक्ष की अनुपस्थित में शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निहित उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निदेशक--

(क) संस्थान के कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा;

(ख) संस्थान के प्राधिकारियों के विनिश्चयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा;

(ग) संस्थान में शिक्षा देने और अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) जहां कोई मामला अविलम्बनीय प्रकार का हो जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन सशक्त संस्थान के किसी अधिकारी, या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके, वहां निदेशक ऐसी कार्यवाही कर सकता है जिसे वह उचित समझे और अपने द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट कुलाध्यक्ष और उस अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी तत्काल देगा जो सामान्य-क्रम में उस मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते :

परन्तु यदि ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की यह राय हो कि निदेशक द्वारा ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट कर सकता है जो या तो निदेशक द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि कर सकेंगे या उसे निष्प्रभावी कर सकेंगे या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकेंगे जिसे वह उचित समझें और तदुपरान्त वह, यथास्थिति, प्रभावी न रह जायगा या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा :

परन्तु यह और कि ऐसे निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से, जैसा कि अन्तिम पूर्वगामी परन्तुक में निर्दिष्ट है, निदेशक के आदेश के द्वारा या अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(4) जहां निदेशक द्वारा उपधारा (3) के अधीन शक्ति के प्रयोग में किसी व्यक्ति की नियुक्ति अन्तर्ग्रस्त हो, वहां ऐसी नियुक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियुक्ति की जाने पर या निदेशक के आदेश के दिनांक से दो मास की अवधि की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी ।

(5) निदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन सौंपे जायें या जो उसे संस्थान या अध्यक्ष या शासी निकाय द्वारा प्रत्यायोजित किये जायें ।

संकायाध्यक्ष की नियुक्ति

14--(1) संस्थान का एक संकायाध्यक्ष होगा जो संस्थान के आचार्यों में से शासी निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

(2) संकायाध्यक्ष संस्थान के शैक्षिक कार्यों में निदेशक की सहायता करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विनियमों में निर्धारित किये जायें ।

वित्त अधिकारी

15--(1) संस्थान के लिए एक वित्त अधिकारी होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का, यदि कोई हो, भुगतान संस्थान द्वारा किया जायगा ।

(2) वित्त अधिकारी शासी निकाय के समक्ष बजट और लेखा विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) वित्त अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह—

(क) यह सुनिश्चित करे कि संस्थान द्वारा ऐसा कोई व्यय न किया जाय जो बजट में प्राधिकृत न हो,

(ख) किसी प्रस्तावित व्यय की अनुज्ञा न दे, जिससे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन होता है,

(ग) यह सुनिश्चित करे कि कोई वित्तीय अनियमितता न की जाय और लेखा परीक्षा के दौरान इंगित किसी अनियमितता को ठीक करने के लिए कार्यवाही की जाय,

(घ) यह सुनिश्चित करे कि संस्थान की सम्पत्ति और विनिधान का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(4) वित्त अधिकारी संस्थान के ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और उसके कार्यों से सम्बन्धित ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकता है जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हो ।

(5) वित्त अधिकारी संस्थान की ओर से सभी संविदाओं का निष्पादन और उन पर हस्ताक्षर करेगा ।

(6) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किये जायें ।

(7) वित्त अधिकारी निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा ।

कार्यपालक कुल सचिव

16.—(1) कार्यपालक कुल सचिव संस्थान द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो विहित किये जायं, नियुक्त किया जायगा ।

(2) कार्यपालक कुल सचिव की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात्—

(क) वह संस्थान और शासी निकाय के सचिव के रूप में कार्य करेगा,

(ख) वह संस्थान के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा,

(ग) वह संस्थान और शासी निकाय और संस्थान के प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी सभी सूचना प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक हों,

(घ) वह निदेशक के नियंत्रण में रहते हुए, परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा और तत्सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) कार्यपालक कुल सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन सौंपे जायें या जो उसे संस्थान, अध्यक्ष, निदेशक या शासी निकाय द्वारा प्रत्यायोजित किये जायं ।

(4) कार्यपालक कुल सचिव अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा ।

संस्थान के प्राधिकारी

17--संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्--

(क) शासी निकाय;

(ख) विद्या परिषद्;

(ग) वित्त समिति;

(घ) संस्थान के आचार्यों और विभागाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए चयन समिति;

(ङ) खण्ड (घ) में जो अध्यापक विनिर्दिष्ट हैं उनसे भिन्न अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति;

(च) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें नियमों में संस्थान का प्राधिकारी विनिर्दिष्ट किया जाय ।

शासी निकाय

18--(1) शासी निकाय में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्--

(क) अध्यक्ष;

(ख) निदेशक;

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, पदेन;

(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग, पदेन;

(ङ) चिकित्सा शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, पदेन,

(च) उत्तर प्रदेश में राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्यों में से, बारी-बारी से, दो प्राचार्य, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(छ) संस्थान के विभागाध्यक्षों में से दो व्यक्ति जिनका नाम-निर्देशन विहित रीति से बारी-बारी से, किया जायगा;

(ज) संस्थान के अध्यापकों में से दो व्यक्ति जिनका चयन विहित रीति से किया जायगा;

(झ) दो व्यक्ति जो कुलाध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

(2) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह पद धारण किये रहे जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है ।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (च) या खण्ड (छ) या खण्ड (झ) के अधीन नाम-निर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि उसके नाम-निर्देशन के दिनांक से तीन वर्ष होगी ।

(4) उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन किसी सदस्य की पदावधि उस वर्ष की जिसमें उसका चयन किया जाय, पहली जनवरी से दो वर्ष होगी ।

(5) किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये नाम-निर्दिष्ट सदस्य की पदावधि उस सदस्य के कार्यकाल की, जिसके स्थान पर वह नाम-निर्दिष्ट किया गया है, शेष अवधि तक बनी रहेगी ।

(6) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन नाम-निर्दिष्ट कोई सदस्य तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट न कर दिया जाय ।

(7) शासी निकाय की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी जैसा सभापति समय-समय पर अवधारित करें :

परन्तु शासी निकाय की बैठक तीन मास में कम से कम एक बार होगी ।

(8) शासी निकाय द्वारा किसी बैठक में या अन्य प्रकार से कार्य के सम्पादन के लिए या अपनी शक्तियों के प्रयोग या कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विनियमों में निर्धारित की जाय ।

(9) ऐसे नियंत्रण और निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, जैसा विहित किया जाय, शासी निकाय इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए ऐसी समितियों का, जिन्हें वह उचित समझे, गठन कर सकता है ।

शासी निकाय के कृत्य

19- (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, शासी निकाय संस्थान के कार्यों के सामान्य अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, बिना, शासी निकाय--

(क) संस्थान के कार्य-प्रशासन और कार्य-प्रणाली से सम्बन्धित नीति के प्रश्नों पर विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही करेगा;

(ख) संस्थान में पाठ्यक्रम की व्यवस्था करेगा और विद्या परिषद् की सलाह पर सभी शैक्षणिक विषयों पर, जिसके अन्तर्गत संस्थान द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी हैं, निर्णय लेगा;

(ग) संस्थान की सम्पत्ति और निधि को धारण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा;

(घ) संस्थान की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पति का अर्जन या अन्तरण कर सकता है;

(ङ) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संस्थान के अधिकार में दी गई किसी निधि का प्रशासन करेगा;

(च) संस्थान के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों का पद सृजित या समाप्त कर सकता है;

(छ) संस्थान के वित्त, लेखा, विनिधान, सम्पत्ति, कारबार और अन्य सभी प्रशासनिक कार्यों का प्रबन्ध और विनियमन कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है जिसे वह उचित समझे;

(ज) संस्थान के किसी धन को (जिसके अन्तर्गत न्यास और विन्यासित सम्पत्ति से कोई आय भी है) ऐसे स्टाक, निधि, अंश (शेयर) या प्रतिभूतियों में जिसे वह समय-समय पर उचित समझे, विनिधानित कर सकता है;

(झ) संस्थान की ओर से संविदा कर सकता है, उसे परिवर्तित, कार्यान्वित और निरस्त कर सकता है;

(ञ) संस्थान से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों को इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित और अवधारित कर सकता है।

20--(1) एक विद्या परिषद् होगी जो संस्थान का मुख्य शैक्षणिक निकाय होगी।

विद्या परिषद्

(2) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्--

(एक) निदेशक, जो परिषद् का सभापति भी होगा;

(दो) संस्थान का संकायाध्यक्ष, जो परिषद् का सदस्य सचिव होगा;

(तीन) चिकित्सा शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(चार) एक व्यक्ति, जो भारत में किसी स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान का निदेशक हो जिसे राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(पांच) संस्थान के विभागाध्यक्ष;

(छः) संस्थान के सह-आचार्यों में से दो व्यक्ति जिनका नाम-निर्देशन विहित रीति से बारी-बारी से किया जायेगा;

(सात) संस्थान के सहायक आचार्यों में से दो व्यक्ति जिनका नाम-निर्देशन विहित रीति से, बारी-बारी से किया जायेगा;

(आठ) तीन व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (च) में निर्दिष्ट संस्थान के सदस्यों में से दो चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैं, जिनका निर्वाचन संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(3) इस धारा के अधीन नाम-निर्दिष्ट या निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि, यथास्थिति, नाम-निर्देशन या निर्वाचन के दिनांक से तीन वर्ष होगी ।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विद्या परिषद्--

(क) संस्थान में शिक्षा और अनुसंधान कार्य के स्तर को बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगी और उसका नियन्त्रण और सामान्य विनियमन करेगी;

(ख) शासी निकाय को सभी शैक्षणिक विषयों पर जिसके अन्तर्गत संस्थान द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी हैं, सलाह दे सकेगी;

(ग) ऐसी अन्य शक्तियां और ऐसे अन्य कर्तव्य से युक्त होगी जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त या उस पर आरोपित किये जाय ।

वित्त समिति

21--(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे :--

(क) निदेशक, जो समिति का सभापति भी होगा;

(ख) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग या उनका नामांकिती;

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग या उनका नामांकिती;

(घ) दो व्यक्ति, जिनका नाम-निर्देशन शासी निकाय द्वारा अपने सदस्यों में से किया जायेगा;

(ङ) कार्यपालक कुल सचिव;

(च) वित्त अधिकारी, जो समिति का सचिव भी होगा ।

(2) वित्त समिति शासी निकाय को संस्थान की सम्पत्ति और निधि के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर जिसके अन्तर्गत संस्थान की आय और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिये आवर्तक और अनावर्तक व्यय की सीमा और उनके सम्बन्ध में पालन किये जाने वाले सिद्धांत भी हैं, सलाह देगी ।

(3) वित्त समिति को ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जो विहित किये जायें ।

अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

22--(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उतने आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य और प्रथम वर्ग के अधिकारी, जितने आवश्यक हों, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और द्वितीय वर्ग के उतने अधिकारी जितने आवश्यक हों, निदेशक द्वारा नियुक्त किये जायेंगे ।

(2) जैसा उपधारा (1) में उपबन्धित है उसके सिवाय, संस्थान के अधिकारी, अध्यापक और अन्य कर्मचारी ऐसी रीति और पदनाम से और श्रेणियों में नियुक्त किये जायेंगे जैसा विनियमों में निर्धारित किया जाय ।

(3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त संस्थान के अधिकारी, अध्यापक और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगे जैसी विनियमों में निर्धारित की जायें ।

(4) कोई भी व्यक्ति संस्थान का अध्यापक तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि वह विनियमों में इस निमित्त निर्धारित अर्हतायें पूरी न करता हो और, जैसा कि उपधारा (9) में उपबन्धित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त गठित चयन समिति द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिये संस्तुत न किया जाय ।

(5) संस्थान के आचार्य या विभागाध्यक्ष की नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे--

(क) निदेशक;

(ख) चिकित्सा शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश;

(ग) तीन विशेषज्ञ, जो कुलाध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(घ) ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विहित किये जायं :

परन्तु आचार्य की नियुक्ति की स्थिति में, सम्बद्ध विभागाध्यक्ष भी चयन समिति का सदस्य होगा ।

(6) संस्थान के आचार्य या विभागाध्यक्ष से भिन्न अध्यापक की नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे--

(क) निदेशक;

(ख) चिकित्सा शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश;

(ग) विभागाध्यक्ष;

(घ) दो विशेषज्ञ, जो कुलाध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ङ) ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विहित किये जायें ।

(7) इस अधिनियम के अधीन गठित चयन समिति ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जैसे नियमों द्वारा विहित की जाय या विनियमों में निर्धारित की जाय ।

(8) चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति तब तक विधिमान्य नहीं समझी जायगी जब तक कि उसे उपस्थित सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त न हो :

परन्तु उपधारा (5) के अधीन गठित चयन समिति की स्थिति से कम से कम दो विशेषज्ञों की उपस्थिति, और उपधारा (6) के अधीन गठित चयन समिति की स्थिति में कम से कम एक विशेषज्ञ की उपस्थिति आवश्यक होगी ।

(9) जहां चयन समिति उपधारा (8) के उपबन्धों के अनुसार संस्तुति करने में विफल रहे, वहां चयन समिति का कार्य-वृत्त अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायगा जो उसे अपने विचारों के साथ कुलाध्यक्ष को उसके विनिश्चय के लिये अग्रसारित करेगा और कुलाध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(10) जहां चयन समिति की संस्तुति नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार न हो, वहां वह ऐसी संस्तुति के प्रति आपत्ति के आधार को सुस्पष्ट रूप में विनिर्दिष्ट करते हुए, सम्पूर्ण मामला कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट करेगा, और कुलाध्यक्ष का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु कुलाध्यक्ष के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह पुनः विचार के लिये मामला चयन समिति को भेजे या मामले पर विचार करने के लिये दूसरी चयन समिति के गठित किये जाने की अपेक्षा करें ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिये, प्रथम वर्ग के अधिकारी और द्वितीय वर्ग के अधिकारी ऐसे वर्ग के अधिकारी होंगे जैसा विनियमों में तदैव विनिर्दिष्ट या पदाभिहित किये जायें ।

संस्थान को भुगतान

23--राज्य सरकार इस निमित्त विधि द्वारा विनियोग किये जाने के पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशि और ऐसी रीति से संस्थान को देगी जैसी इस अधिनियम के अधीन उसको अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिये आवश्यक समझी जाय ।

संस्थान की निधि

24--(1) संस्थान एक निधि रखेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायगी--

(क) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सभी धनराशि;

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी फीस और अन्य प्रभार;

(ग) अनुदान, दान, संदान, उपकृति, वसीयत या अन्तरण के रूप में संस्थान द्वारा प्राप्त सभी धनराशि;

(घ) किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से संस्थान द्वारा प्राप्त सभी धनराशि ।

(2) निधि में जमा की गयी सभी धनराशि ऐसे बैंक में जमा की जायगी या उसका विनिधान ऐसी रीति से किया जायेगा जिसे संस्थान राज्य सरकार के अनुमोदन से विनिश्चित करे

(3) निधि का उपयोग संस्थान के व्यय को पूरा करने के लिये किया जायगा जिसके अन्तर्गत धारा 8 के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में उपगत व्यय भी है।

संस्थान का बजट

25—(1) प्रतिवर्ष, आगामी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में, ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाय, एक बजट तैयार किया जायगा जिसमें संस्थान की अनुमानित आय और व्यय दर्शित किया जायेगा और उसे ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, राज्य सरकार को अग्रसारित किया जायगा।

(2) शासी निकाय ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा दिये जायं और बजट का अन्तिम रूप से अनुमोदन करेगा।

(3) संस्थान के लिये यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि कोई ऐसा व्यय करे, जो बजट में स्वीकृत न हो या बजट की स्वीकृत के पश्चात्, संस्थान को जो निधि राज्य सरकार, भारत सरकार या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या प्रतिष्ठान या किसी अन्य अभिकरण के अनुदान से प्राप्त हो उसके सम्बन्ध में उस अनुदान की शर्तों के अनुसार न हो :

परन्तु आकस्मिक या अप्रत्याशित परिस्थितियों में पन्द्रह हजार रुपये से अनधिक ऐसा अनावर्तक व्यय, जो बजट में स्वीकृत न हो, निदेशक द्वारा किया जा सकता है और वह ऐसे सभी व्यय के सम्बन्ध में सूचना राज्य सरकार को तुरन्त देगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

26—(1) संस्थान समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्रपत्र में जैसा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, वार्षिक लेखा-विवरण पत्र जिसके अन्तर्गत तुलन-पत्र भी है, तैयार करायेगा।

(2) वार्षिक लेखा विवरण पत्र और तुलन-पत्र की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी, जो उसकी लेखा-परीक्षा करायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

27—संस्थान वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों की एक रिपोर्ट प्रति वर्ष तैयार करेगा और रिपोर्ट राज्य सरकार को ऐसे प्रपत्र में और ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व, जैसा विहित किया जाय, प्रस्तुत करेगा और इस रिपोर्ट की एक प्रति राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

पेंशन और भविष्य निधि

28—(1) संस्थान अपने अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विनियमों में निर्धारित की जाये, ऐसी पेंशन और भविष्य निधि को, जैसी वह उचित समझे, संस्थापित करेगा।

(2) जहां कोई ऐसी पेंशन या भविष्य निधि संस्थापित की गयी है, वहां राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबन्ध ऐसी निधि पर लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो ।

संस्थान के आदेशों और लिखतों का अधिप्रवाणीकरण

29--संस्थान के समस्त आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणीकरण अध्यक्ष या संस्थान द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य या अधिकारी के हस्ताक्षर से किया जायगा और अन्य सभी लिखतों का अधिप्रमाणीकरण निदेशक या इस निमित्त इसी प्रकार प्राधिकृत संस्थान के किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से किया जायगा ।

रिक्तियों आदि के कारण कार्य और कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी

30--संस्थान, शासी निकाय वा संस्थान के किसी प्राधिकारी या गठित किसी समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन कृत किसी कार्य या कार्यवाही पर केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि संस्थान, शासी निकाय, प्राधिकारी या ऐसी समिति में कोई रिक्त या उसके गठन में कोई त्रुटि थी ।

संस्थान द्वारा चिकित्सा उपाधि, डिप्लोमा आदि प्रदान करना

31--तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, संस्थान को इस अधिनियम के अधीन चिकित्सा सम्बन्धी उपाधि, डिप्लोमा और अन्य शैक्षिक विशिष्टतायें और पदवी प्रदान करने की शक्ति होगी ।

संस्थान द्वारा प्रदत्त की गयी चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता

32--भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संस्थान द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गयी चिकित्सा सम्बन्धी उपाधि और डिप्लोमा उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये मान्यता प्राप्त चिकित्सा सम्बन्धी अर्हता होगी ।

राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रण

33--संस्थान ऐसे निदेशों को, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, कार्यान्वित करेगा जो इस अधिनियम के अधीन संस्थान के कार्य-कलापों के कुशल प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये जायें ।

संस्थान के कार्यकलाप का निरीक्षण कराने की राज्य सरकार की शक्ति

34--(1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निदेश दे, संस्थान के जिसके अन्तर्गत उसका भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला और उपस्कर भी हैं और संस्थान द्वारा संचालित या ली गयी परीक्षा, अध्यापन-कार्य और अन्य कार्य का निरीक्षण कराने या संस्थान के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा ।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने का विनिश्चय करे, वहां वह उसकी सूचना निदेशक के माध्यम से संस्थान को देगी और शासी निकाय द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित हो सकता है और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच के लिये नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित होने के लिये बाध्य करने और दस्तावेज और महत्वपूर्ण वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिये विवश करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 46 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायगा और उनके समक्ष कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायगी ।

(4) राज्य सरकार निदेशक को ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के सन्दर्भ में सम्बोधित करेगी और निदेशक शासी निकाय को राज्य सरकार का दृष्टिकोण और राज्य सरकार का उस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही के सम्बन्ध में परामर्श संसूचित करेगा ।

(5) तत्पश्चात् निदेशक ऐसे समय के भीतर जैसा राज्य सरकार नियत करे, शासी निकाय द्वारा की गयी कार्यवाही या किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट उसे प्रस्तुत करेगा ।

(6) यदि संस्थान के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के सन्तोषानुसार कार्यवाही न करें तो राज्य सरकार किसी स्पष्टीकरण पर जो ऐसे प्राधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश दे सकती है जिसे वह उचित समझे, और संस्थान के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का पालन करेंगे ।

(7) राज्य सरकार अध्यक्ष की उपधारा (1) के अधीन कराये गये प्रत्येक निरीक्षण या जांच की रिपोर्ट की और उपधारा (5) की अधीन निदेशक से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन दिये गये प्रत्येक निदेश की और ऐसे निदेश के पालन या अपालन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट की भी एक प्रति सूचना के लिये भेजेगी ।

संस्थान और राज्य सरकार के बीच विवाद

35—यदि इस अधिनियम के अधीन संस्थान द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में या उनके सम्बन्ध में संस्थान और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो राज्य सरकार का ऐसे विवाद पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।

कुलाध्यक्ष का निर्देश

36--यदि कोई प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति संस्थान, शासी निकाय, संस्थान के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य है या नहीं या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं, या संस्थान, शासी निकाय या संस्थान के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई विनिश्चय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अनुरूप है या नहीं, तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायगा और उस पर कुलाध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश उस दिनांक से जबकि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक होने के पश्चात् नहीं किया जायगा :

परन्तु यह और कि कुलाध्यक्ष, आपवादिक परिस्थितियों में स्व-प्रेरणा से कार्य कर सकते हैं या पूर्वगामी परन्तुक में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात् निर्देश ग्रहण कर सकते हैं ।

विवरणी और सूचना

37--संस्थान राज्य सरकार को ऐसे रिपोर्ट, विवरणी (रिटर्न), विवरण-पत्र और अन्य सूचनायें प्रस्तुत करेगा जिसकी अपेक्षा वह समय-समय पर करे ।

अधिभार

38--(1) संस्थान, शासी निकाय, संस्थान के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई सदस्य, या, यथास्थिति, संस्थान का कोई अधिकारी, अध्यापक या अन्य कर्मचारी संस्थान के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिये अधिभार का देनदार होगा यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो ।

(2) अधिभार आरोपित करने की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाय ।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

39--यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि में, गजट में आदेश प्रकाशित करके, ऐसे उपबन्ध बना सकती है जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुकूलन या उपान्तर, यदि कोई हो, भी है, जिससे उसके सार पर कोई प्रभाव न हो और जो उसे कठिनाई दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

नियम बनाने की शक्ति

40--राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

विनियम बनाने की शक्ति

41--(1) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संस्थान, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी विषय की व्यवस्था करने के लिये, जिसे विनियमों द्वारा किया जाना है या किया जा सकता है, विनियम बना सकती है और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :--

(क) संस्थान की प्रथम बैठक से भिन्न बैठक बुलाना और करना और ऐसी बैठकों में कार्य-संचालन और गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या;

(ख) शासी निकाय या इस अधिनियम के अधीन गठित की जाने वाली किसी समिति या अन्य निकाय के गठन के सम्बन्ध में कोई विषय;

(ग) संस्थान के अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किये जाने वाले कृत्य;

(घ) शासी निकाय और इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति या अन्य निकाय के सभापति और सदस्यों को भुगतान किया जाने वाला भत्ता, यदि कोई हो;

(ङ) शासी निकाय और इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति या अन्य निकाय द्वारा अपने कार्य-संचालन, अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(च) संस्थान के अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की, पदावधि, वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें;

(छ) शासी निकाय के सभापति और उप-सभापति की शक्तियां और कर्तव्य;

(ज) संस्थान के निदेशक और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(झ) संस्थान की सम्पत्तियों का प्रबन्ध;

(ञ) उपाधि, डिप्लोमा और अन्य शैक्षिक विशिष्टतायें और पदवी जो संस्थान द्वारा प्रदान की जा सकती हैं;

(ट) संस्थान के आचार्यों, विभागाध्यक्षों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों, प्रथम वर्ग के अधिकारियों, द्वितीय वर्ग के अधिकारियों के पदों और अन्य अध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों का सृजन और ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति जिसके अन्तर्गत इन पदों के लिये अपेक्षित अर्हताय भी हैं;

(ठ) फीस और अन्य परिव्यय, जिनकी संस्थान द्वारा मांग की जाय और उसे प्राप्त किया जाय;

(ड) रीति जिसके अनुसार और शर्त जिनके अधीन संस्थान के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये पेंशन और भविष्य निधि का गठन किया जा सकता है;

(ढ) कोई अन्य विषय जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा व्यवस्था की जा सकती है ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रथम विनियमावली राज्य सरकार द्वारा बनायी जायगी, और इस प्रकार बनायी गयी किसी विनियमावली में संस्थान द्वारा उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके परिवर्तन या उसे विखंडित किया जा सकता है ।

निरसन और अपवाद 42--(1) संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23 सन् 1983 (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझा जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 42 तक तथा खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री लोकपति--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 1983 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 1983 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

[समय 3 बजकर 19 मिनट]

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1983

श्री राम गोविन्द--

मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 का अनुमोदन करता है ।

मान्यवर, 1981 की जनगणना के आंकड़े सभी उपलब्ध हैं पर मन्त्री जी का कहना है कि इस जनगणना के अनुसार परसीमन करने में विलम्ब होगा । इसलिये वे चुनाव पुराने, सन् 1971 की जनगणना के अनुसार कराना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

---

*दिनांक 9 फरवरी, 1983 के असाधारण बजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

इस विधेयक में यही मंशा है और मेरा यह कहना है कि हमको यह शक हो रहा है कि माननीय मन्त्री जी चुनाव को टालने के लिए. .

नगर विकास एवं आवास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

यह विधेयक तो एक रूपता लाने के लिए है। जो आप कह रहे हैं वह यह नहीं है। वह तो आगे आयेगा।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

यह क्या रटा हुआ पर्चा है, जो आप कह रहे हैं।

श्री राम गोविन्द--

तो श्रीमन्, मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो एक रूपता लाने की बात कह रहे हैं, यह इससे आ ही नहीं सकता है। यह 71 और अब 81 है। तो आप किस आधार पर और किस तरह से एकरूपता लाने की बात कर रहे हैं। यह दोनों विभिन्न मुद्दे हैं।

इसी को मैं पढ़ रहा था, तो मन्त्री जी ने लटका दिया बीच में जब सन् 81 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हो गये हैं, तो फिर...

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इसमें एकरूपता लाने के लिए कुछ संशोधन किये गये हैं महापालिका अधिनियम, नगरपालिका अधिनियम और टाउन एरिया अधिनियम में, पीपुल्स अफ रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट में यह दिया हुआ है कि जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार या अनियमितता या राज द्रोह के लिए दंडित किया जाएगा, तो 6 साल तक वह कोई सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे यहां पांच साल का है। तो उसमें एकरूपता लाने के लिए हमने यह संशोधन इसमें किया है कि इसमें भी 6 वर्ष कर दिया जाय।

नगर महापालिकाओं और नगरपालिकाओं में केन्द्रीय सेवा प्रचलित है, उनकी सेवा नियमावली बनी हुई है, इस सेवा में आने के पूर्व की सेवा में जिनके खिलफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई, वह विधि की कठिनाई के कारण कार्यान्वित नहीं हो पा रही है। अतः इसमें दूसरा यह प्राविधान किया गया है कि केन्द्रीयित सेवा नियमावली के अनुसार ही उनकी पूर्व सेवाओं में किये कार्यों के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। अर्थात् जिस जगह होंगे, उसी तरीके से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। इस विषय में विधि में कोई प्राविधान नहीं था, वह इसमें किया गया है। इसके अलावा तीसरी बात यह है कि शुरू से अबतक जो नियुक्तियां की गई हैं उसके कोई नियम नहीं हैं कि उसको किस तरीके से सही और नियमबद्ध कर सकते हैं। इसकी हमें कोई शक्ति नहीं थी, इसके द्वारा उस शक्ति को भी लिया गया है। चौथी बात यह है कि जो एडहाक नियुक्तियां करने की प्रथा है, उसकी भी नियमावली बनायी जाय और नियमानुसार कार्य किया जाय, इसका भी प्राविधान किया गया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहन सिंह--

यह न करिये। तमाम भर दिये गये हैं।

श्री राम सिंह खन्ना--

एक भी नहीं भरे हैं साल भर के अंदर। दूसरी बात यह है कि कभी ऐसा हुआ जैसे फैजाबाद और अयोध्या नगर पालिकायें अलग-अलग हो गयीं तो जो नयी बनी उसको अपने एम्बिट के अंदर वही सारे अस्तियार हासिल हो जाते जो फैजाबाद नगर पालिका को शुरू से थे। तो इस तरह अधिकार देने की व्यवस्था की गयी है। दूसरी बात यह की गयी है कि 31 दिसम्बर, 1982 को प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त होने वाला था तो इसको 31 दिसम्बर, 1983 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इसमें कोई विशेष बात नहीं है। यह बहुत ही अविवादित बिल है, एक भी जगह पर कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिये इसको पारित करें।

श्री राम गोबिन्द--

श्रीमन्, मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एज के बारे में इसमें एकरूपता नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि इसमें एकरूपता लाने का प्रयास क्यों नहीं किया। एज विधान सभा में अलग है और नगर पालिकाओं में अलग है। दूसरी बात आपने जो भ्रष्टाचार की कही तो एडहाक नियुक्तियों में ही भ्रष्टाचार है। आप देख लें। आपको जानकारी है या नहीं है, पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि आपके विभाग में एडहाक नियुक्तियां आपकी गैर जानकारी में कर ली जा रही हैं। इसको आप कैसे दूर करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार दूर हो लेकिन भ्रष्टाचार केवल विधेयक से दूर नहीं होगा। आपको तत्परता से देखना होगा। मेरा कहना है कि एक दो भ्रष्टाचार के उदाहरण जो आपको मिलें, उनको ऐसा दंड दें जिससे महसूस हो कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसको कड़ा दंड दिया जायगा। जांच हो जाती है, जांच निष्कर्ष आ जाता है लेकिन कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं होती है। ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ होने वाला नहीं है। मेरा कहना है कि इस विधेयक में इसको ले आना चाहिये था कि भ्रष्टाचार में हम इस तरह से इतना बड़ा दंड देंगे तो बात साफ होती। इन शब्दों के साथ में पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें तमाम त्रुटियां मौजूद रह गयी हैं। इनको ठीक करने के लिए आप इसे जनता में, विशेषज्ञों की जानकारी के लिए तमाम लोगों से राय लेने हेतु आप इसको पुनः वापस कर दें। मैं अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री राम सिंह खन्ना--

जैसा चौधरी साहब ने वर्ष 18 से 21 की एकरूपता की बात कही, इसमें पीछे जाना होगा इसलिए नहीं किया। दूसरी बात जो नियमित करने की कही यही कोशिश है कि हम इसको नियमित करें। जहां तक दन्डित करने का सवाल है अभी तक पूरी तरह जैसा विधि में दिया हुआ है, दन्डित किया जाता था और पूरी कोशिश की जाती थी लेकिन जो कानून बना है चालाक और होशियार लोग उसका इस्तेमाल करके कभी कोर्ट में जाकर, कभी एक काम, कभी दूसरी काम करके फायदा उठाते थे। यह मालूम नहीं पड़ पाता था कि सजा दी गई। जो इसमें त्रुटियां थी और जो जानकारी में आयी, उनको दूर करने का प्रयास किया गया और जो त्रुटि होगी जिसकी तरफ माननीय सदस्य इंगित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करेंगे, उसको दूर किया जायेगा । और गलती रह जाती है तो फिर यह आयेगा, यह दुबारा खराबी दूर करने के लिए आ सकता है । मैं अनुरोध करुंगा कि माननीय सदस्य इसको स्वीकार करें और इसे पास करें ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 18 तक

अध्याय--दो

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 को, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 25 में, उपधारा (1) में, खण्ड (छ) में, शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "छः वर्ष" रख दिये जायेंगे । उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 25 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 112-क में,-- धारा 112-क का संशोधन

(क) उपधारा (2) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि सेवा में ऐसे आमेलन से सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध ऐसे आमेलन के दिनांक के पूर्व किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई अनुशासन की कार्यवाही करने या जारी रखने में कोई रुकावट न होगी ।"

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (4) बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"(4) पूर्ववर्ती उपधारा (1), (2) और (3) में या अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, विहित दिनांक

के पूर्व की गयी अस्थायी और तदर्थ नियुक्तियों को, राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किये बिना विनियमित करने के लिये भी नियमों द्वारा उपबन्ध कर सकती है।"

धारा 140 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 140 में,—

(क) शब्द "महापालिका निधि में समय-समय पर जमा की जाने वाली धनराशियों का निम्नलिखित अधिमान-क्रम (Orper of Preference) के अनुसार उपयोग किया जायगा" के स्थान पर शब्द "महापालिका निधि में समय-समय पर जमा की जाने वाली धनराशियों का उपयोग, सर्व प्रथम सफाई मजदूरों के वेतन और भत्तों का भुगतान करने के लिए और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिमान-क्रम में किया जायगा" रख दिए जाएंगे ;

(ख) तृतीय अधिमानता के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(घ) सफाई मजदूरों से भिन्न महापालिका के पदाधिकारियों और सेवकों के वेतन और भत्ते, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन महापालिका के समस्त पदाधिकारियों और सेवकों को देय समस्त निवृत्ति-वेतन, उपदान, अंशदान और कारुण्य अधिदेय ;"

(ग) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ, ऐसे किसी व्यक्ति को सफाई मजदूर समझा जायगा यदि वह महापालिका की सड़कों, गलियों, रास्तों, नालियों, सीवरों, शौचालयों और मूत्रालयों में झाड़ू लगाने और उनकी सफाई करने, मृत पशुओं और कूड़ा करकट को ढोने के प्रयोजनों के लिए और इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिए महापालिका द्वारा नियोजित हो।"

अध्याय—तीन

संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 13-घ का संशोधन

5—संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 13-घ में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिए जाएंगे, अर्थात्—

"(क) वह किसी स्थानीय प्राधिकारी का कोई पदच्युत सेवक हो और उसके अधीन पुनः सेवायोजन के लिए विवर्जित किया गया हो; या

(कक) वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण किये हो और भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत कर दिया गया हो, जब तक कि उसकी पदच्युति से छः वर्ष की अवधि समाप्त न हो गयी हो; या"

धारा 69-बी का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 69-बी में,—

(क) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्—

"परन्तु सेवा में ऐसे आमेलन से सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध ऐसे आमेलन के दिनांक के पूर्व किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई अनुशासन की कार्यवाही करने या जारी रखने में कोई रुकावट न होगी।"; और

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (4) बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

"(4) पूर्ववर्ती उपधारा (1), (2) और (3) में या अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, विहित दिनांक के पूर्व की गयी अस्थायी और तदर्थ नियुक्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किये बिना विनियमित करने के लिए भी नियमों द्वारा उपबन्ध कर सकती है।"

धारा 70 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 70 में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(क) अध्यक्ष, ऐसी शक्ति के प्रयोग में,—

(एक) ऐसे किसी सामान्य या विशेष निदेश का, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर जारी करे,

(दो) बोर्ड के ऐसे किसी आदेश का, जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के लिए अस्थायी सेवकों को सेवायोजित करने का प्रतिषेध किया गया हो,

उल्लंघन करते हुए कार्य न करेगा; और"

धारा 74 का प्रतिस्थापन

8—मूल अधिनियम की धारा 74 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"74—धारा 57 से 73 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अकेन्द्रीयित सेवाओं में, जिन पदों का वेतनमान लिपिक कर्मचारीवर्ग को अनुमन्य निम्नतम वेतनमान के बराबर या उससे अधिक हो, उन पर अध्यक्ष द्वारा सेवकों को नियुक्त किया जायगा और उन्हें पदच्युत किया जा सकता है, हटाया जा सकता है या अन्यथा दंडित किया जा सकता है या परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा समाप्त की जा सकती

स्थायी वरिष्ठ कर्मचारीवर्ग की नियुक्ति और पदच्युत

है, किन्तु किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा समाप्ति के मामले के सिवाय अन्य मामलों में ऐसे प्राधिकारी को, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, अपील करने का अधिकार होगा :

परन्तु कर अधीक्षक, सहायक कर अधीक्षक, निरीक्षक, प्रधान लिपिक, अनुभागीय प्रधान लिपिक, अनुभागीय लेखाकार, डाक्टर, वैद्य, हकीम और नगरपालिका के अग्निशमन केन्द्राधिकारी के पदों पर नियुक्तियां बोर्ड के अनुमोदन के अधीन होगी ।"

धारा 75 का प्रतिस्थापन

9—मूल अधिनियम की धारा 75 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

स्थायी अवर कर्मचारीवर्ग की नियुक्ति

"75—जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, कार्यपालक अधिकारी धारा 74 में निर्दिष्ट निम्नतम वेतनमान से न्यून वेतनमान पाने वाले सेवकों की नियुक्ति करेगा;

परन्तु कार्यपालक अधिकारी न होने की स्थिति में उक्त नियुक्तियां अध्यक्ष द्वारा की जायेगी ।"

धारा 76 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 76 में, शब्द और अंक "बोर्ड के ऐसे सेवकों को जो 50 रु0 या नगर में 75 रु0 मासिक वेतन से अधिक न पाते हों," के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 75 में निर्दिष्ट बोर्ड के सेवकों" रख दिये जायेंगे ।

धारा 120 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 120 में, उपधारा (3) में,—

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिए जायेंगे, अर्थात्—

"(क) सफाई मजदूरों के वेतन और भत्तों का भुगतान;

(क-1) बोड पर वैध रूप से अधिरोपित या उसके द्वारा स्वीकृत न्यास से उत्पन्न दायित्व और बाध्यतायें"

(दो) खण्ड (ग) में, शब्द "स्थापना व्यय का भुगतान" के स्थान पर शब्द "खण्ड (क) के अधीन भुगतान को छोड़कर स्थापना व्यय का भुगतान" रख दिए जायेंगे ; और

(तीन) अन्त में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, ऐसे किसी व्यक्ति को सफाई मजदूर समझा जायगा यदि वह नगरपालिका की सड़कों, गलियों, रास्तों, नालियों, सीवरों, शौचालयों और मूत्रालयों में झाड़ू लगाने और उनकी सफाई करने, मृत पशुओं और कूड़ा करकट ढोने के प्रयोजनों के लिए और इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिए बोर्ड द्वारा सेवायोजित हो ।"

नई धारा 333-ख का बढ़ा जाना

12—मूल अधिनियम की धारा 333-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी और दिनाँक 7 जनवरी, 1978 से बढ़ायी गयी समझी जायगी, अर्थात्—

वर्तमान नगर-पालिका से किसी क्षेत्र को निकाल कर सृजित नगर-पालिका की स्थापना का परिणाम

"333-ख—जहां धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए कोई नगरपालिका ऐसी नगरपालिका से (जिसे आगे इस धारा में अविभाजित नगरपालिका कहा गया है) ऐसे स्थानीय क्षेत्र को निकालने के तुरन्त पश्चात् सृजित की जाय, वहां नगरपालिका के सृजन के दिनांक से (जिसे आगे इस धारा में उक्त दिनांक कहा गया है) निम्नलिखित परिणाम होंगे—

(क) अविभाजित नगरपालिका के बोर्ड द्वारा उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को अधिरोपित, विहित या उद्गृहीत समस्त कर, फीस, लाइसेन्स, जुर्माने या शास्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नव-सृजित नगर-पालिका के बोर्ड द्वारा अधिरोपित, विहित या उद्गृहीत समझा जायगा ;

(ख) नवसृजित नगरपालिका में सम्मिलित क्षेत्र के सम्बन्ध में अविभाजित नगरपालिका के बोर्ड द्वारा उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को या उसके पूर्व अपनी निधि से उपगत किया गया कोई भी व्यय, नव-सृजित नगरपालिका के बोर्ड द्वारा उसी प्रकार उपगत किया जाता रहेगा मानों वह इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत कोई व्यय रहा हो ;

(ग) नव-सृजित नगरपालिका के क्षेत्र के भीतर ऐसी समस्त सम्पत्ति जिसके अन्तर्गत किसी विलेख, संविदा, बन्ध, प्रतिभूति या वाद प्राप्य वस्तु के अधीन कोई अधिकार या फायदा भी है जो उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को अविभाजित नगरपालिका में निहित थी, नव-सृजित नगर-पालिका को अंतरित और उसमें निहित हो जायेंगी और उसके फायदे के लिए प्रवृत्त हो जायेगी ;

(घ) नव-सृजित नगरपालिका में सम्मिलित क्षेत्र के सम्बन्ध में ऐसे समस्त दायित्व, चाहे वे संविदा के कारण या अन्य प्रकार से उत्पन्न हुए हों, जो अविभाजित नगरपालिका के बोर्ड के प्रति प्रोद्भूत हुए हों, और उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को बकाया हो, तत्पश्चात् नव-सृजित नगर-पालिका के बोर्ड के दायित्व हो जायेंगे;

(ङ) अविभाजित नगरपालिका को निधि का ऐसा भाग और अविभाजित नगरपालिका के बोर्ड द्वारा उद्गृहीत या

वसूल किए गए कर, पथकर, फीस या जुर्माना का व्यय न किए गए आगम का ऐसा भाग जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जायगा, नव-सृजित नगरपालिका की नगर-पालिका निधि को अन्तरित हो जायगा और उसका भाग बन जायगा ;

(च) अविभाजित नगरपालिका के ऐसे सेवक जिनका स्थानान्तरण विहित प्राधिकारी के परामर्श से नव-सृजित नगरपालिका में किया जाय, नव-सृजित नगरपालिका बोर्ड के सेवक हो जायेंगे मानो उन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और अध्यधीन रहते हुए, नव-सृजित नगरपालिका के बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया है ;

(छ) नव-सृजित नगरपालिका में सम्मिलित क्षेत्र के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही जिसके अन्तर्गत की गयी कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी की गई कोई अधि-सूचना, जारी किया गया कोई आदेश या निदेश, बनाया गया कोई नियम, विनियम, प्रपत्र, उपविधि या स्कीम, स्वीकृत किया गया अनुज्ञा-पत्र या लाइसेन्स या किया गया कोई रजिस्ट्री-करण भी है, नव-सृजित नगरपालिका के बोर्ड द्वारा किया गया या की गयी समझी जायगी ।"

अध्याय चार

संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधि-नियम संख्या 2 सन 1914 की धारा 6-ट का संशोधन

13--संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6-ट में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिए जायेंगे, अर्थात्--

"(क) वह किसी स्थानीय प्राधिकारी का पदच्युत कर्मचारी हो और उसके अधीन पुनः सेवायोजन से विवर्जित कर दिया गया हो; या

(कक) वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण किए हो और भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के लिए पदच्युत कर दिया गया हो, जब तक उसकी पदच्युति से छः वर्ष की अवधि समाप्त न हो गयी हो, या"

धारा 23 का संशोधन

14--मूल अधिनियम की धारा 23 में,--

(एक) खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्--

"(क) सफाई मजदूरों के वेतन और भत्तों का भुगतान;

(क-1) किसी ऐसी धनराशि के मूलधन और ब्याज का चुकाना जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऋण के रूप में दिया गया हो;

(ख) खण्ड (क) के अधीन भुगतान से भिन्न इस अधिनियम के अधीन रखे गए अधिष्ठान के वेतन और भत्तों का भुगतान ;"

(दो) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ, ऐसे किसी व्यक्ति को सफाई मजदूर समझा जायगा यदि वह टाउन एरिया की गलियों, रास्तों, नालियों, शौचालयों और मूत्रालयों में झाड़ू लगाने और उनकी सफाई करने, मृत पशुओं और कूड़ा करकट के ढोन के प्रयोजनों के लिए और इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिए टाउन एरिया कमेटी द्वारा सेवा-योजित हो।"

अध्याय पांच

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का संशोधन

15—उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, जहां-जहां भी शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1982" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1983" रख दिये जायेंगे। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन 1977 की धारा 2 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1982" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1983" रख दिये जायेंगे। धारा 3 का संशोधन

अध्याय छः

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 का संशोधन

17—उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1982" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1983" रख दिए जायेंगे। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन 1978 की धारा 24 का संशोधन

अध्याय सात

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 1983

निरसन और अपवाद

18--(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो, तीन, चार, पांच और छः में निर्दिष्ट किसी अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1983 के खण्ड 18 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय :--

उत्तर प्रदेश अध्य देश संख्या 18, सन् 1983

निरसन और अपवाद

"18--(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित अध्याय, दो, तीन, चार, पांच और छः में निर्दिष्ट किसी अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उस समय अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।"

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी, क्या आप सहमत हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड 18 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 1983

निरसन और अपवाद

"18--(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित अध्याय दो, तीन, चार,

पांच और छः में निर्दिष्ट किसी अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उस समय अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 17 तक और संशोधित खंड 18 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1983

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959, संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916, संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914, उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्प कालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 और उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

1.—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) धारा 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 दिनांक 29 नवम्बर, 1982 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी, धारा 15, 16 और 17 दिनांक 30 दिसम्बर, 1982 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी और धारा 4, 11 और 14 ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 1 के उपखण्ड (2) में शब्द तथा अंक "धारा 4, 11 और 14 ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 4, 11 और 14 दिनांक 1 अगस्त, 1983 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी" रख दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मन्त्री जी, यह आपको स्वीकार है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी, स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 के उपखण्ड (2) में शब्द तथा अंक "धारा 4, 11 और 14 ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 4, 11 और 14 दिनांक 1 अगस्त, 1983 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राम सिंह खन्ना--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाए ?

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् विधेयक, 1982†

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, यह सदन उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, अभी तक गांव को कैसे बसाया जाए इसके बारे में कोई ठोस कार्यक्रम या कोई ठोस उपाय माननीय मंत्री ने उपलब्ध नहीं कराया । जैसे नगरों के विषय में नगरपालिका ऐक्ट बने हैं, नगरों को कैसे बसाया जाएगा, इन बातों का प्राविधान किया गया हो । श्रीमन्, आज तक गांव को बसाने के लिए ऐसी कोई परियोजना नहीं है जैसे कम्पनी ऐक्ट ला करके गांवों को किस

†दिनांक 18 मार्च, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

तरह से बसायेंगे, इसकी योजना पहले बना देते तब विधेयक लाते । गांव को कैसे योग्य गांव बनाया जाए । गांव के कैसे आवागमन के साधन होंगे, इन बातों के विषय में जानकारी उस विधेयक में नहीं है । मन्त्री जी ने ग्रामीण विकास परिषद् का विधेयक प्रस्तुत कर दिया, इसमें कोई हर्ज नहीं है । इस बात को वे समझते हैं कि गांवों को भी वह सुविधा मिलनी चाहिए । गांवों को आवासीय सुविधा मिलनी चाहिए लेकिन मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को पहले पास कर लें और गांवों को अच्छी तरह से बसाने के विषय में कम्पनी एक्ट की तरह से एक्ट बनायें, उसके बाद यह विधेयक सदन में लावें तो यह मालूम होगा कि इनके सोचने के तरीके, गांव को बसाने के तरीके, गांव में लोगों को सुविधा देने के तरीके में, इनको कोई ज्ञान है । माननीय मंत्री जो बैठे हैं, वे जानते होंगे कि नगर आवास विकास परिषद् किस तरह से कार्य कर रहा है । आवास-विकास परिषद् का इस प्रदेश में जो प्रयोग किया गया वह ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा है । ग्रामीण आवास विकास परिषद् इस प्रदेश में कैसे ठीक तरह से कार्य करेगा और वह कौन सी उपलब्धियां इस प्रदेश की जनता को देगा, इसमें हमें शक है । अभी तक आवास विकास परिषद् की तरफ से जो कालोनियां बनी हैं, उनकी हालत कैसी है, उनमें भ्रष्टाचार किस तरह से चल रहा है, सब जानते हैं । मैं तो कहता हूं कि वर्तमान समय में मंत्री जी क्या, कोई भी सदस्य अगर भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करता है तो वह खुद समाप्त हो जायगा । तो ग्रामीण आवास विकास परिषद् उन तमाम भ्रष्टाचार के तरीकों से लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा, यह माननीय मन्त्री जी ने इसमें नहीं दर्शाया है । जो पैसा ग्रामीणों का इसमें जमा किया जायेगा, आप उस पर सूद देते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार से कैसे बचाएंगे ? ग्रामीण आवास विकास परिषद् की आवश्यकता तो है, जितनी नगर में नहीं है, उससे ज्यादा गांवों में है । शहरों में तो लोगों को मकान फिर भी किराये पर उपलब्ध हो जाते हैं किन्तु गांवों में लोग झोपड़ियों में रहते हैं । छप्परों के नीचे रहते हैं और कितने लोग तो मैदान में ही रह लेते हैं, उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

माननीय मन्त्री जी विधेयक लाए यह तो स्वागत योग्य है बशर्ते वे तमाम तरीके जो नगर आवास विकास परिषद् में लागू हैं, उनको समाप्त किया जाय । आवास विकास परिषद् की तरह से ग्रामीण आवास विकास परिषद् भी कहीं इंजीनियरों, ठेकेदारों की पाकेट में तो नहीं चला जायगा ? इसकी इन्क्वारी करा लीजिये । जहां तक मैंने विधेयक पढ़ा है, इसमें आप लोग ऐसा कोई नियम या प्राविधान नहीं दे रहे हैं जिससे उन तमाम भ्रष्ट तरीकों पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके । आप जो जमीन कालोनियों के लिये लेते हैं, आप जो जमीन एक्वायर करते हैं, उस पर लोग मुकदमा दायर करते हैं और जमीन एक्वायर नहीं करने देते । इससे तो गांव के आदमी को और परेशानी हो जायगी । शहर के आदमी के पास तो फिर भी पैसा होता है, लेकिन गांव के रहने वालों के खाने का तो प्रबन्ध है ही नहीं खेती की हालत ठीक नहीं है, कभी सूखा होता है तो कभी बाढ़ आती है, फसल चौपट हो जाती है । ऐसे में यदि उन लोगों से पैसा ले लिया जाय तो वे और भी मर जाएंगे ।

अतः मैं यह निवेदन करूंगा कि आप अपने विधेयक में इन तमाम बातों के विषय में जानकारी के लिये, जनता की कठिनाइयां जानने के लिये, जनता के धन का दुरुपयोग न हो, इसे जानने के लिये, जनता के पैसे का दोहन न हो

[श्री राम गोविन्द--]

और आवास विकास परिषद् के तमाम भ्रष्ट तरीके उधर न चले आवें, इन तमाम बातों के लिये आप इसको वापस ले लें। इस पर पूरी तरह से एक्सपर्ट्स की राय ले लें, एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बना दें, इसकी प्रतियां जनता में वितरित करा करके उसके विचार जान लें, उनकी टिप्पणियां मंगा लें, तब जा करके इस विधेयक को अच्छी शकल में लाया जाना अच्छा होगा। यह विधेयक आज भी स्वीकार्य है बशर्ते आप इसकी बुराइयां दूर कर दें जो नगर आवास विकास परिषद् में हैं तभी आपका विधेयक सही रूप से कार्य कर सकेगा। इन शब्दों के साथ में पुनः निवेदन करूंगा कि आप इसको जनता से राय जानने के लिये, एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिये इसको वापस ले लें और इसलिये मैं इस अध्यादेश के अननुमोदन का प्रस्ताव रखता हूं।

*पंचायती राज तथा ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, हमारे साथी चौधरी साहब ने जो काफी लम्बी स्पीच दी है, उससे सिर्फ ऐसा लगता है कि उन्होंने सिर्फ इसे विरोध करने के उद्देश्य से यहां पर रखा है। अन्त में ग्रामीण आवास परिषद् द्वारा प्रदेश के अन्दर जो कुछ हो रहा है, उन्होंने स्वतः इसे स्वीकार किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में ग्रामीण आवास विकास के क्षेत्र में सरकार विभिन्न योजनायें चला रही है और उसी दिशा में यह एक कड़ी है ग्रामीण आवास विकास परिषद् की स्थापना की। मान्यवर, शहरों में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आवास विकास परिषद् का गठन किया गया है और उससे शहरी जनता लाभान्वित हो रही है। इसलिये सरकार ने यह सोचा कि क्यों न हम गांवों में भी इस तरीके की सुविधायें, जैसा कि हम शहरी लोगों को आवास की सुविधा दे रहे हैं, ग्रामीण आवास विकास के जरिये से दें। निर्बल वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को और अल्प आय वर्ग के लोगों को, जिन्हें आवासीय असुविधा है, उन्हें ग्रामीण आवास परिषद् के जरिये से मकान उपलब्ध कराये जायं, इसलिये इसकी स्थापना इस प्रदेश के अन्दर की गई।

मान्यवर, अभी इसका स्वरूप सीमित होगा, अभी जो हमारे लाभार्थी होंगे उनको हम ऋण उपलब्ध करायेंगे हमारा नक्शा होगा, उस नक्शे के मुताबिक ब्लाकों के जरिये से आवासीय सुविधा के लिए जो ऋण होगा, उसे लाभार्थियों में वितरित किया जायेगा। मैं समझता हूं कि आगे जाकर इसका स्वरूप वही हो जायेगा जो शहरों में आवास-विकास परिषद् का है।

मान्यवर, जो मौजूदा पद्धति है, उसके अनुसार हम निर्बल वर्ग के लोगों को मैदानी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत कुल लागत का या 2 हजार रुपए, जो भी इसमें से कम हो, उसे अनुदान के रूप में देते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में 75 प्रतिशत कुल लागत का या 3 हजार रुपए, जो भी इसमें से कम हो, उसे अनुदान के रूप में लाभार्थियों को उपलब्ध कराते हैं।

मान्यवर, जो हमारी यह योजना है, इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण निवासियों को वर्गीकृत किया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्बल वर्ग के लोग वे होंगे जिनके पास 2.5 एकड़ भूमि उपलब्ध होगी और जिनकी पारिवारिक आय 25 सौ रुपए से कम होगी। इस प्रकार के लोगों को हम 5 हजार रुपए ऋण देंगे।

अल्प आय वर्ग के लोगों को लागत का 80 प्रतिशत हम ऋण देंगे जिनके पास 2.5 से 7.5 एकड़ तक भूमि होगी और जिनकी पारिवारिक आय 35 सौ से 12 हजार 5 सौ तक होगी।

मध्यम आय वर्ग के लोग वे जिनके पास 7.5 एकड़ से अधिक भूमि होगी और जिनकी पारिवारिक आय 12 हजार से 20 हजार तक होगी, उन्हें 20 हजार रुपए तक ऋण देंगे। मान्यवर, इसका गठन किया जा रहा है। इसके अध्यक्ष ग्राम्य विकास सचिव होंगे, इसके अतिरिक्त इसमें 15 सदस्य होंगे, जिसमें 3 असरकारी सदस्य भी होंगे। तो इस प्रकार मान्यवर, इस समिति का गठन किया गया है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई बहुत वाद विवाद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य जो है, चाहे उधर के बैठने वाले हों या इधर के बैठने वाले हों, ग्राम्य विकास का लक्ष्य है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह जो योजना है, यह प्रदेश में पहली बार शुरू की जा रही है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मैं चाहूंगा कि आप सभी इसको पारित करायें। मैं समझता हूं कि इसमें कोई वाद विवाद की आवश्यकता नहीं है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा कि उन्होंने बताया कि इसमें तीन असरकारी सदस्य होंगे, क्या विधान सभा और विधान परिषद् से भी कुछ सदस्यों को रखने की सोच रहे हैं या नहीं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

असरकारी में कोई भी हो सकता है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 30 दिन के भीतर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, अभी माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी का भाषण सुना। लेकिन, मैं उनके भाषण में एक भूल सुधार करना चाहता हूं और उन्हें बधाई भी देना चाहता हूं। पहले भूल सुधार बता दूं। जैसा मंत्री जी ने कहा कि इस योजना को पहली बार शुरू किया गया है। मुझे अच्छी तरह से तिथियां याद हैं, जिस समय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा था "चलो गांव की ओर"। वह पहली सरकार प्रदेश की जनता को मिली, जिस जनता सरकार ने अपने लक्ष्यों की प्राथमिकता में तय किया कि हमें गांव विकास को प्राथमिकता देनी है, उस समय यह योजना बनी थी। वर्ष 1979-80 में, उसके बाद वर्तमान सरकार आयी। उस वर्तमान सरकार के ग्राम्य विकास मंत्री बने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

हमारे सीतापुर के श्री अम्मार रिजवी साहब और उन्होंने इस योजना को तिरोहित कर दिया, ध्यान नहीं दिया और वह योजना खटाई में पड़ गयी। इसको मैं आंकड़ों से साबित करूंगा। मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि उसके बाद जब इस विभाग के माननीय बलराम सिंह यादव जी मंत्री बने, तो उन्होंने जनता पार्टी के द्वारा किये गये एक अच्छे काम को स्वीकार किया और उस चीज को आगे बढ़ाया। (मेजों की थपथपाहट) अब मैं आंकड़ों पर आ रहा हूं। 1979-80 में जनता पार्टी की सरकार ने योजना बनायी, 1980-81 का जो बजट था, आप तथ्यों को देख लें, 1980-81 के बजट में एक लाख रुपए का प्राविधान किया गया था, सरकार तो जनता पार्टी की चली गयी थी, आपने किया कुछ नहीं, वह बजट जैसे का तैसा रखा रहा। 1981-82 के बजट में एक नये पैसे का प्राविधान नहीं हुआ। क्योंकि शासन की नीति गांवों के खिलाफ थी।

एक सदस्य--

शासन की ही नहीं, पूरे दल की नीति गांवों के खिलाफ थी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

1981-82 का अनुपूरक अनुदान आया, उसमें फिर एक हजार रुपया का प्रतीक अनुदान लिया गया। फिजूलखर्ची की बात यह हुई कि परिषद् का गठन हुआ नहीं, 75 हजार रुपए इस काम पर खर्च किये गये। आंकड़ों में एक पैसे का गल्ती नहीं होगी। 1981-82 के अनुपूरक में एक हजार रुपए का प्रतीक अनुदान लिया, खैर यह बना, स्टाफ पर खर्च शुरू कर दिया, आर्डिनेन्स द्वारा इसे बना दिया। आज यह विधेयक आ रहा है, ठीक है। अब जो इसके बाबत आलोचना की बात है, वह मैं आगे लेता हूं। गांव का विकास हो, योजना चले इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन जिस ढंग से आप करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि उस पवित्र उद्देश्य में सफलता नहीं मिलेगी। मैं इसके लिये सुझाव देना चाहता हूं, जिसके आधार पर कार्य करने की चेष्टा करें। प्रवर समिति में भेज दें अच्छे सुझाव आयेंगे। अभी बस्ती के माननीय सदस्य चिन्ता व्यक्त कर रहे थे कि विधायकों को इसमें रखा गया है या नहीं, नहीं रखा गया है। केवल इसलिये गैर सरकारी व्यक्तियों के नामांकन की व्यवस्था की है। यह मेरा सुझाव है, यह बात सही है क्योंकि विधान मंडल, धन स्वीकृत करता है। इतनी बड़ी योजना बनाने का काम समिति को दे रहे हैं, इसलिये विधान मंडल के माननीय सदस्यों का रिप्रेजेन्टेशन इसमें जरूरी है।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

क्या आई० ए० एस० अधिकारी की अध्यक्षता में बैठना मन्जूर करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं इस बिन्दु पर भी आ रहा हूं।

दूसरी बात यह है कि मैंने बहुत पहले, जब इसकी कापी मिली थी, एक साल पहले, तो मुझे याद है कि गुजरात का हाउसिंग ऐक्ट, 1972 में बन गया था। इस पूरे विभाग में आपने इस पर कुछ नहीं रखा कि जिनके पैर में बिवाई फटी हुई है, यानी जो समस्या से ग्रस्त हैं, उनका भी प्रतिबिम्ब आएगा। आप जो सामन्त वर्ग के व्यक्ति हैं, उनको नामांकित कर देंगे। इसलिये मैं चेक लगाना

चाहता हूं कि गुजरात ऐक्ट में बना दिया, 10 लोगों का बोर्ड बना दिया, 5 का नामांकन रखा, उसमें भी तय कर दिया कि अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग यानी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े तथा महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। जब बोर्ड का गठन करें तो इसका प्राविधान जरूरी है कि अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं का भी उसमें प्रतिनिधित्व हो।

यह जो बात की है कि सचिव को चेयरमैन बना दें, तो सचिव के पास अपने विभाग की जिम्मेदारी पहले से होती है। यह एक साइड काम हो जायगा। मैं समझता हूं कि कोई पूर्ण-कालिक व्यक्ति इसके लिये नियुक्त करें। आपने जो व्यक्ति नियुक्त किया है, वह कमिश्नर है। सरकारी व्यक्ति कमिश्नर हो लेकिन इसके साथ पूर्णकालिक व्यक्ति भी होना चाहिये जो काम सम्भाल सके। आपने बोर्ड में नामांकित कर दिया। अब प्रश्न यह है कि जैसा कि श्री चौधरी ने अपने भाषण में कहा था कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, तो उसको दूर करने की नीयत होनी चाहिए। केवल भ्रष्टाचार का नाम लेने से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। वह तभी मिटेगा जब भ्रष्टाचार समाप्त करने की व्यवस्था पर बल दिया जायगा। हमें देखना है कि कोई ऐसी व्यवस्था तो नहीं बनायी जा रही है कि भ्रष्टाचारी व्यक्ति को फलन-फूलने का मौका मिल जाय। आपने जो व्यवस्था दी है उसके अन्तर्गत यदि कोई आदमी निहित स्वार्थों को लेकर काम करना चाहेगा, तो कर सकेगा। इसमें 7वीं धारा का खण्ड (2) देखें। आपने कह दिया है कि कोई बोर्ड का मेम्बर जब नामांकित कर दिया जायगा तो उस पर इस बात का प्रतिबन्ध नहीं होगा कि अगर उसका कोई स्वार्थ है, उसकी जमीन ली जा रही है, स्वयं उसका लड़का ठेकेदारी करने लगता है, तो उसके लिये अनर्हता नहीं होगी। किसी हकीम के नुस्खे में नहीं लिखा है कि आप उसको चेयरमैन बनायें। ऐसे लोग भी मिलेंगे जो समाज सेवा की भावना से इसमें काम करने को तैयार हो जायेंगे। आप स्पष्ट प्राविधान कर दीजिये कि अगर परिषद् के किसी व्यक्ति के बारे में सूचना मिलती है कि उसका किसी मामले में निहित स्वार्थ है, जैसे मान लीजिये किसी अखबार में विज्ञापन निकालना है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का, जो कि बोर्ड का मेम्बर है, उसका अखबार चलता है, तो विज्ञापन उसे नहीं देना चाहिये, चाहे जो कुछ हो और अगर वह किसी बोर्ड का मेम्बर है और उसकी अपनी जमीन जा रही है, तो वह इस मसले पर हस्तक्षेप करेगा, इसलिए ऐसे व्यक्ति को उस बोर्ड में नहीं होना चाहिए, तभी आप इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर काबू पा सकेंगे क्योंकि जहां पर पैसा इन्वाल्व होता है, वहां पर लोग अपना निजी फायदा उठाने की बात को अवश्य सोचेंगे। वैसे इसमें अभी बहुत सी खामियां रह गयी हैं। योजना तो आप बनायेंगे लेकिन उसका मास्टर प्लान कौन बनायेगा और यह मास्टर प्लान बनाते समय बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं एक बात बताता हूं, अगर आप ट्रेन, बस व कार आदि से यात्रा करें तो आपको गांवों की महिलाएं व अन्य लोग सड़कों के किनारे बैठे रहते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जो आपको देखकर अपनी इज्जत बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं, इन सारी चीजों को भी आपको प्राथमिकता देनी होगी।

दूसरे गांव के किसी काश्तकार की अगर कोई जमीन एक्वायर की गयी है तो उसमें यह प्राविधान कर दिया जाए कि जब तक उस किसान को उसकी भूमि का मुआवजा नहीं दे दिया जायेगा तब तक उसका कब्जा नहीं लिया जायेगा, वैसे आज हो यही रहा है कि किसी की जमीन एक्वायर कर ली गयी,

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]—

फिर कब्जा कर उस पर अपना कार्य भी शुरू कर दिया गया और उसको मुआवजा दिया नहीं गया बल्कि उससे उस भूमि का लगान भी वसूला जा रहा है, ऐसा कई जगह देखा गया है तो इस ओर भी आपको ध्यान देना है। इसके साथ ही मैं एक बात और बतलाना चाहूंगा कि बहुत से स्थानों पर सीलिंग की जमीन प्राप्त हो जाती है, लेकिन सीलिंग एक्ट में यह है कि सीलिंग की निकली हुई जमीन कृषि से भिन्न कार्यों के लिए नहीं दी जायेगी, हमारे यहां एक डिस्पेन्सरी बनवाने का मामला समाने आया। जमीन सीलिंग की थी, तो उन्होंने कहा कि कि हम नहीं दे सकते हैं सिवाय कृषि कार्य के अलावा। तो इसमें आप यह भी प्राविधान करिए कि अगर कहीं पर सीलिंग की जमीन आ गयी तो उसे इस कार्य के लिए लिया जा सकता है। इसके साथ-साथ हमें यह भी देखना होगा कि अगर किसी को भी भूमि को अर्जित करते हैं, तो उसकी सूचना अखबारों के जरिए देते हैं, जबकि आज भी गांवों में अखबार आम नहीं है, इसलिए इस ओर बेहतर यह है कि रेडियो द्वारा उनका प्रचार कर दिया जाए, इसका एक मैनडेटरी क्लाज होना बहुत जरूरी है और जिसकी जमीन लीजिए, उसके हस्ताक्षर सबके सामने करवाये जाएं और उनकी डुग्गी अवश्य आस पास पिटवा दी जाए ताकि अगर कोई बेइमानी किसी प्रकार की करना चाहे, तो न कर सके। इसके साथ ही साथ माननीय, जो यह सम्पूर्ण योजना बनायी गयी है, वह बहुत ही दोषपूर्ण है। योजना बनाने के बाद यदि पूरी नहीं होगी तो पर्सनल लेजरएकाउन्ट में जमा हो जायेगा। यदि योजना पूरी नहीं होगी तो निहित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। सीलिंग से निकली जमीन के बारे में मैंने आपको सुझाव दे दिया कि उसका नक्शा केवल यहां पर बैठकर मास्टरप्लान नहीं बनाया जाना चाहिये। इसका रीजनल प्लान होना बहुत जरूरी है, इसके साथ ही साथ शोध का कार्य भी होना चाहिये कि कहां की जमीन ठोस है और कहां की नम है, कहां की उर्वरक है और कहां की पथरीली है इत्यादि। इसके लिये शोध करके रीजनल प्लान जब तक चेक नहीं होगा तब तक यह ठीक नहीं होगा।

हरिजनों के आवास की व्यवस्था गांवों में हो रही है। आदमी गांव में जाता है, वहां वह बसता है। उसके पास बैल हैं तो अपने बैल कहां खड़ा करेगा, बैलगाड़ी कहां खड़ी करेगा? गांव की व्यवस्था के अनुरूप, वहां की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप रीजनल प्लान का बनाया जाना बहुत ही आवश्यक है।

एक गम्भीर बात और है कि जिस आदमी को खुद लेना है, वह योजना तैयार करता है। जो आर्थिक लेखा जोखा होगा, उसका आडिट कौन तैयार करेगा? आडिट की पूरी रूपरेखा होनी चाहिये। एक बात यह कर दी गयी है कि अधिकारियों द्वारा कोई गलत काम क्रियान्वित हो गया हो तो उसे सदाशयता से दण्डित नहीं किया जायेगा। कोई भी पदाधिकारी उसके तहत काम करेगा और उसकी कृति में यदि कुछ गड़बड़ी हो गयी तो वह दण्ड का भागीदार नहीं होगा मैं समझता हूं कि यह प्रणाली भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो यह परिषद बनाया गया है, इसको प्लानिंग ढंग से हो। ग्रामों में आवास की व्यवस्था सुलझे और सुन्दर रूप में गांव बन कर आ जायें। इसलिये इसको प्रवर समिति को भेज दीजिये। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी ने बड़ी उदारता के साथ इस योजना को स्वीकार किया है तो इसको सुन्दर रूप में प्रस्तुत करने का भी प्रयत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संशोधन का समर्थन करता हूं।

* श्री राम औतार दीक्षित—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, निश्चय ही गांव की समस्या हमारे सामने एक समस्या है और महात्मा गांधी का वह सपना जो कभी उन्होंने देखा था कि हम गांव को बनायेंगे, हम गांव की उन्नति करेंगे और गांव के लोगों को सुख-सुविधा देंगे, वह सपना बहुत दिनों के बाद पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। उस सपने को इस योजना के अन्तर्गत रख कर सार्थक बनाया जा रहा है। इस योजना से, जैसा कि अभी गुप्ता जी ने कहा निश्चित ही चाहे जिस गांव की ओर हम चलें, हमें इसकी आवश्यकता महसूस होगी। चाहे "आओ गांव की ओर चलें" हो या चाहे महात्मा जी का सपना हो या उनके सपने को साकार करने की बात हो। इस योजना का हमारे प्रदेश में बनना नितान्त आवश्यक था। गांव में रहने वाले न तो सिस्टेमेटिक ढंग से रह पाते हैं और न उनको सिस्टेमेटिक ढंग से रहना आता है। इसके साथ ही साथ हमारी कुछ समस्याएं भी हैं जैसा कि अभी गुप्ता जी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि जिस गांव की ओर शाम या रात्रि के समय निकल जाइये सड़कों पर जो दृश्य दिखाई देता है जिसकी ओर गुप्ता जी ने इंगित किया और उसे हमारे सामने रखा। यह सत्य है कि आजादी के 36 साल के बाद भी हम इस समस्या को दूर करने में सफलीभूत नहीं हो सके हैं। अब हमारा यह पहला कदम है 1983 से समय-समय पर इसमें जो कमियां होंगी, वह भी इसमें पूरी की जा सकती हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि अपने में ऐसा सफल विधेयक बन जायेगा कि इसमें कमी नहीं रह जायेगी। निश्चय ही बहुत सी कमियां होंगी लेकिन वह निकट भविष्य में दूर हो जायेंगी, वह दूर की जा सकती हैं। हमारी आवासीय जो योजना है, इसके अन्तर्गत बहुत सी समस्यायें हैं, न तो सिस्टेमेटिक ढंग से लोग रह पाते हैं और साथ ही साथ गांव में सफाई की व्यवस्था नहीं है, पानी की निकासी और नालियों की व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, हमें इस तरह की बहुत सी समस्याओं का निपटारा करना है। आज तक हम गांवों में अपनी नजर नहीं दौड़ा पाये हैं। इससे मैं समझता हूं कि गांव की ओर दृष्टिपात हम कर सकेंगे। इस समस्या को दूर करने के लिए जो भी थोड़ी बहुत भूमिका अदा की गयी है, उसके माध्यम से हम गांवों में कुछ सुधार कर सकेंगे और जो श्रेणियां निश्चित की गयी हैं, उनसे लोगों को अपने मकान के लिए कुछ सुख सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

श्री राम गोविन्द—

वकील बहुत अच्छा है।

* श्री राम औतार दीक्षित—

मेहनताना चौधरी साहब से ले लेंगे। लेकिन हमारे सामने जो समस्या है और निश्चित रूप से गांव को बनाने के लिए चाहे इधर के लोग हों, चाहे उधर के लोग हों, अभी तक इस ओर दृष्टिपात नहीं कर सके हैं। जो गांव के रहने वाले हैं, वह इन कमियों को महसूस करते हैं कि गांव को बनने के लिए कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। कम से कम ग्राम स्तर पर रहने की जो व्यवस्था है, उस ओर यह कदम उठाया गया है और श्रेणियां निश्चित की गयी हैं, इससे गांव में रहने वालों में ऐसी भावना को जागृत करने जा रहे हैं कि वह कायदे से रहने के बारे में सोच सकें और इस ओर वह निकट भविष्य में और भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम औतार दीक्षित]--

जागरुक होंगे । यह बहुत ही अच्छा कदम है और इस ओर हमलोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए और जिससे गांव के लोगों को भी रहने के लिए उनको कुछ सुख सुविधायें प्राप्त हो सके ।

इस समय गांव के लोग शहरों की ओर आ रहे हैं । इसका कारण यह है कि गांव में रहने वाले जब कुछ पढ़ लिख जाते हैं तो वह उस गांव के बजाय शहर में ज्यादा रहना पसन्द करते हैं । अगर गांव को बनायेंगे तो हमारी बहुत सी समस्यायें सल्व हो जायेंगी, लोग गांव में रहेंगे, शहरों की ओर नहीं जायेंगे । मान्यवर, शहरों में एक प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गयी, शहर में, यह बहुत बड़ी समस्या है । जब हम गांवों में रहने लगेंगे तो प्रदूषण की समस्या से हम वंचित रहेंगे । मेरी समझ से सरकार इसी आशय से यह बिल लायी है और माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी के माध्यम से यह लाया गया है, यह बहुत अच्छा है और इस पर किसी विवाद या टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है । महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए और उनके सपनों को पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया है, जो बहुत अच्छा है और इसको सर्व सम्मति से पारित किया जाना चाहिए ।

श्री राम गोविन्द—

श्रीमन्, मैं उन सभी साथियों का आभारी हूं जिन्होंने पक्ष या विपक्ष में बैठकर अपने-अपने मत व्यक्त किए हैं । मान्यवर, जिन पर मैं आशंका व्यक्त कर रहा था, उन्हीं चीजों का माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में उल्लेख किया है और उनकी पुष्टि की है । सारा विधान मंडल इस बात से अवगत होगा कि जो ब्लाक हैं, वहां तो जनता को दुहने का ही काम किया जाता है । थोड़े दिन सीमेंट वितरण का काम दिया गया था । वे सारा सीमेंट खा गये । उनको चीनी वितरण का काम दिया गया, सारी चीनी खा गये । मंत्री जी उन्हीं से ऋण वितरण का काम भी करायेंगे । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि आप ग्रामीण आवास परिषद् को मजबूत बनाना चाहते हैं और वाकई में गांवों की गरीब जनता, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनको रहने के लिये जगह उपलब्ध कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी इस परिषद् में एक सेल गठित करें जो ऋण देने का काम करे । इसे आप ब्लाक को न दें ।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि हम इस परिषद् में तीन गैर सरकारी व्यक्तियों की नियुक्ति करेंगे । हमें पुनः शंका होती है कि कहीं मंत्री जी अपने दल के ही लोगों को उसमें भर्ती तो नहीं करेंगे जिसमें प्रदेश के छुटभय्ये कांग्रेसी नेता हों । यह सारा ऋण उनकी थैली में ही चला जायेगा । इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है । इससे अच्छा यह होगा कि आप ऋण देने का काम न करें बल्कि उन गरीब लोगों को, जिनको आप आवास की सुविधा देना चाहते हैं, उनके लिये आवास बना करके ही दें तथा उनसे शेड्यूल्ड रेट पर उनके रहन-सहन और आर्थिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुये लागत की उनसे वसूली का काम करें । हमारा अनुभव यह है कि कोआपरेटिव से भूमि विकास बैंक से ऋण अथवा सरकारी तकावी जो आप देते हैं, वह पैसा उनके हाथ में नहीं जाता है और वे अधिकारी खा जाते हैं तथा लेने वाला दूसरी मदों में वह पैसा खर्च कर देता है और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये आप उन्हें पैसा देते हैं, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती । इसलिये मेरा सुझाव है कि आप उन गरीबों के लिये आवास बनाकर ही उन्हें उपलब्ध करायें, ऋण देने की प्रथा ठीक प्रतीत नहीं होती ।

तीसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि जैसा मंत्री जी ने कहा हम अधिक से अधिक 25 हजार रु0 मध्यम वर्ग के लोगों को देंगे, यह कम है। मान्यवर, आपने देखा होगा कि जो हरिजन आवास कालोनी बन रही हैं उनका आपने निरीक्षण किया होगा, उसके अन्तर्गत जो मकान बने हैं, उनकी लागत में और जो आप अब बना रहे हैं, उनकी लागत में क्या कोई अन्तर है ? उसमें जमीन आसमान का अन्तर है। वे इस तरह के गड्ढे से बने हैं और बांस के डंडों से बनाये गये हैं, ऊपर से मिट्टी का लेप कर दिया गया है। थोड़े दिनों में वे चूने लगते हैं। वे रहने के काबिल नहीं होते। हम चाहते हैं कि आप इस ग्रामीण आवास विकास परिषद् से ऐसे लोगों के लिये मकान बनवायें जो निहायत गरीब हों, गांवों में रहने वाले हों और जिनके लिये इस परिषद् की स्थापना की गई है। साथ ही ऐसे लोगों को आप उसमें नियुक्त करें जिससे उनको भी, और आपको भी लाभ हो। तभी आपके उद्देश्य की पूर्ति होगी। हम देखते हैं कि इस विधेयक में इन बातों का अभाव है। इसलिये मैं पुनः आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप इस परिषद् को कुशलतापूर्वक काम करने के लिये बनाना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि इस विधेयक को आप पुनः वापस लें और इसे एक्सपर्ट्स की कमेटी में ग्रामीण जनता की राय जानने के लिये भेज दें। इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, हमारे जो भी माननीय सदस्य बोले हैं, और जो सुझाव दिये हैं उनमें उन्होंने कुछ आशंकायें भी व्यक्त की हैं। कोई भी काम यदि हम शंका की दृष्टि से ही सोचें तो वह होने वाला नहीं है। यह जो विधेयक लाया गया है, इस पर बहुत गम्भीरता से विचार किया गया है।

(4 बजकर 20 मिनट)

पहले हमारे विभाग ने इस पर विधि विभाग की राय से गम्भीरतापूर्वक विचार किया, उसके बाद मंत्रिपरिषद् में लाया गया और उसका अनुमोदन किया। इसके बाद भारत सरकार की भी स्वीकृति ली गयी। कहीं भी, किसी स्तर में ऐसी बात नजर में नहीं आई कि जो न्यायसंगत बात रह गयी हो। लेकिन फिर भी कोई खामी रह जाती है तो वह संशोधन करके दूर की जा सकती है जिसका पूरा अधिकार है। सरकार उसमें यथा समय संशोधन कर सकती है और करेगी। माननीय गुप्ता जी ने यह कहा कि जनता पार्टी की सरकार के समय ग्रामीण आवास परिषद् की बात सोची गयी थी, मैं उनकी बात मान लेता हूं कि इस बात को सोचा गया होगा लेकिन कार्यरूप में वह परिणत नहीं कर सके। हमारी सरकार बनी तो यह अध्यादेश आया। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए धन का प्राविधान भी किया गया लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि धन का प्राविधान नहीं किया गया। तो यह दोनों बातें सेल्फ कंट्राडिक्टरी है जिसको कह कर वह चले गये।

दूसरी बात, उन्होंने यह कही कि हमारी सरकार ने धन का कोई प्रावधान नहीं किया है, मैं यह बताना चाहता हूं कि एल0 आई0 सी0 से 3.87 करोड़ रु0 इस योजना के लिए स्वीकृत हो चुका है। जहां तक असरकारी व्यक्तियों को रखने का प्रश्न है, इसमें तीन व्यक्ति रहेंगे उसमें विधान सभा के सदस्य भी हो सकते हैं और बाहर के लोग भी हो सकते हैं।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलराम सिंह यादव]--

एक बात मुआवजे की कही वह ठीक है, हमारा प्रयत्न होगा कि जो जमीन एक्वायर की जाय, उसमें जहां तक संभव हो शीघ्रातिशीघ्र मुआवजा जिन किसानों की जमीन इस योजना के अंतर्गत ली गयी है, दिया जाय ।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है हर डिवीजन की अलग-अलग समस्यायें हैं और हर डिवीजन की अलग-अलग भौगोलिक स्थिति है, इसलिए जो मकान बनाये जायें वह सब जगह एक जैसे न हों तो यह जरूर काबिले गौर बात है, हम जरूर विचार करेंगे । और जहां भौगोलिक स्थिति में जैसे नक्शे उपयुक्त होंगे वह निर्देशित किया जा सकता है ।

चौधरी साहब ने यह कहा कि ब्लाकों के जरिये से यह काम न कराया जाय । फिलहाल जो हमारे साधन हैं, उसमें कोई दूसरी एजेंसी नहीं है जिसके जरिये से हम इस योजना को चला सकें । वैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि कार्य शुरू करने के लिए हम इनसे करायेंगे लेकिन आगे चल कर वही इसकी रूपरेखा होगी जो शहरी आवास विकास परिषद् की है । यह विभाग बहुत बड़ा विभाग बनेगा । लेकिन इस समय इस कार्य को शुरू करना है और हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि इस समय उतना बड़ा इस्टैब्लिशमेंट खड़ा कर सकें । इसलिए ब्लाकों के जरिये से काम शुरू किया जा रहा है । जहां तक ब्लाकों में करप्शन की बात है, मैं बतलाना चाहता हूं कि अब ब्लाक प्रमुखों के चुनाव हो चुके हैं । नियमित रूप से प्रति माह बैठकें होंगी । अतः मैं समझता हूं कि करप्शन की संभावना कम हो गयी है क्योंकि हमारे जन प्रतिनिधि बन गये हैं, जिसका वह देखभाल करेंगे । इसलिए मैं चाहूंगा कि गुप्ता जी अपने प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को वापस ले लें और सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित करें ।

श्री राम गोविंद--

मैं अपने संशोधन को वापस नहीं लेता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अध्या 1983 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 30 दिन के भीतर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खन्ड 2, 3, 4

2—इस अधिनियम में, परिभाषाएं

(क) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् से है ;

(ख) "अध्यक्ष" का तात्पर्य परिषद् के अध्यक्ष से है ;

(ग) "आवास योजना" का तात्पर्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तैयार की गयी आवास योजना से है ;

(घ) "भूमि" के अन्तर्गत भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ और भूमि से सम्बद्ध या भूमि से सम्बद्ध किसी वस्तु से स्थाई रूप से जुड़ी हुई वस्तु भी है ;

(ङ) "सदस्य" का तात्पर्य परिषद् के सदस्य से है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है ;

(च) "विहित" का तात्पर्य नियमों द्वारा विहित से है ;

(छ) "कार्यक्रम" का तात्पर्य धारा 25 के अधीन परिषद् द्वारा तैयार किए गए वार्षिक आवास कार्यक्रम से है ;

(ज) "ग्रामीण क्षेत्र" का तात्पर्य निम्नलिखित को छोड़कर, किसी जिले के क्षेत्र से है,

(एक) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में यथा परिभाषित प्रत्येक नगर ;

(दो) संयुक्त प्रांत नगरपालिका अधिनियम, 1916 में यथा परिभाषित प्रत्येक नगरपालिका (म्युनिसिपैलिटी) ;

(तीन) संयुक्त प्रांत नगरपालिका अधिनियम, 1916 में यथा परिभाषित प्रत्येक नोटीफाइड एरिया ;

(चार) संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम, 1914 के अधीन घोषित और परिभाषित प्रत्येक टाउन एरिया ;

(पांच) उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 के अधीन "विकास क्षेत्र" के रूप में घोषित क्षेत्र ;

(छः) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अधीन किसी आवास या सुधार योजना के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र ;

(सात) किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन किसी आवास या सुधार योजना के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र ;

जब तक कि राज्य सरकार उपर्युक्त सुसंगत अधिनियमिति के अधीन सक्षम प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् ऐसे क्षेत्र या क्षेत्र के भाग को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ग्रामीण क्षेत्र न घोषित करें ;

(झ) "अधिकरण" का तात्पर्य धारा 40 के अधीन गठित अधिकरण से है ।

अध्याय--दो

परिषद् की स्थापना

ग्रामीण आवास परिषद् स्थापित करने की शक्ति।

3--(1) ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें, राज्य के ग्रामीण-क्षेत्रों के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् के नाम से एक परिषद् की स्थापना की जायेगी ।

(2) परिषद् एक निगमित निकाय होगी और इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के जिसके अन्तर्गत भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 भी है, प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकारी समझा जायेगा ।

परिषद की संरचना।

4--(1) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् --

(क) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, पदेन ; .. अध्यक्ष

(ख) तीन गैर-सरकारी सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम सदस्य-निर्दिष्ट किया जायेगा ; .. सदस्य

(ग) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, पदेन ; .. सदस्य

(घ) निदेशक, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की (सहारनपुर), पदेन ; .. सदस्य

(ङ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग, पदेन ; .. सदस्य

(च) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नियोजक विभाग, पदेन ; .. सदस्य

(छ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, संस्थागत वित्त विभाग, पदेन ; .. सदस्य

(ज) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, हरिजन सहायक तथा समाज कल्याण विभाग, पदेन ; .. सदस्य

(झ) प्राचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, लखनऊ, पदेन ; .. सदस्य

(ञ) निदेशक, राष्ट्रीय निर्माण-कार्य संगठन, निर्माण-कार्य एवं आवास मंत्रालय, भारत सरकार पदेन ; .. सदस्य

(ट) मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियांत्रिक सेवा, पदेन ; .. सदस्य

(ठ) ज्येष्ठ वास्तुविद, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, पदेन ; .. सदस्य

(ङ) सलाहकार, प्रोजेक्ट प्लानिंग, उत्तर प्रदेश .. सदस्य
डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड, पदेन ;

(ढ) ग्रामीण आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश .. सदस्य
ग्रामीण आवास परिषद्, पदेन ;

(2) उपधारा (1) के खंड (ङ), (च), (छ) और (ज) में निर्दिष्ट अधिकारी परिषद् की किसी बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय, अपने विभाग में अपने से ठीक बाद वाले उपलब्ध कनिष्ठ अधिकारी को बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी की बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने का और मत देने का भी अधिकार होगा।

(3) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों का नाम-निर्देशन गजट में अधिसूचित किया जायेगा।

(4) पदेन सदस्य से भिन्न परिषद् का कोई सदस्य, किसी भी समय राज्य सरकार को स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है, किन्तु त्याग-पत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसे स्वीकार न कर लिया जाय।

श्री शम्भू नाथ--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 4 के उपखंड (1) में--

(क) कंडिका (ख) में शब्द "नाम सदस्य निर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "सदस्य नाम-निर्दिष्ट" रख दिये जायं,

(ख) कंडिका (च) में शब्द "नियोजक" के स्थान पर शब्द "नियोजन" रख दिया जाय,

(ज) कंडिका (ञ) में शब्द "राष्ट्रीय निर्माण कार्य संगठन" के स्थान पर शब्द "भवन संगठन" रख दिये जायं।

श्री बलराम सिंह यादव--

मुझे स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 4 के उपखंड (1) में--

(क) कंडिका (ख) में शब्द "नाम सदस्य निर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "सदस्य नाम-निर्दिष्ट" रख दिए जायं,

(ख) कंडिका (च) में शब्द "नियोजक" के स्थान पर शब्द "नियोजन" रख दिया जाय,

(ग) कंडिका (ञ) में शब्द "राष्ट्रीय निर्माण कार्य संगठन" के स्थान पर शब्द "भवन संगठन" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खन्ड 2, खन्ड 3 तथा संशोधित खन्ड 4 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खन्ड 5 से 13 तक

सदस्यता के निबन्धन और शर्तें

5--(1) पदेन सदस्य से भिन्न प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष होगा जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा किसी अधिसूचित आदेश से, पहले ही समाप्त न कर दिया जाय ।

(2) परिषद् के सदस्यों को ऐसा भत्ता दिया जायेगा जैसा विहित किया जाय ।

(3) इस धारा के अधीन देय भत्तों का भुगतान परिषद् की निधि से किया जायेगा ।

अध्यक्ष के पद में अस्थायी रिक्ति को भरने की शक्ति

6--(1) जब अध्यक्ष के पद में अस्थायी रिक्ति हो, तब राज्य सरकार ऐसी रिक्ति की अवधि में किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकती है, और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष समझा जायेगा ।

(2) यदि अध्यक्ष से भिन्न परिषद् का कोई सदस्य अशक्तता के कारण या अन्य प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करने में अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाय या छुट्टी पर होने या ऐसे किसी अन्य कारण से जिससे उसकी सदस्यता समाप्त न हो, अनुपस्थित हो तो राज्य सरकार किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर कार्य करने और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के अधीन उसके कृत्यों का सम्पादन करने के लिए नियुक्त कर सकती है ।

सदस्यता के लिए अनर्हता

7--(1) कोई व्यक्ति परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने या बने रहने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह :--

(क) धारा 5 और 6 में की गई व्यवस्था को छोड़कर, परिषद् के अधीन किसी लाभप्रद पद पर हो ;

(ख) विकृत चित्त का हो ;

(ग) अनुन्मुक्त दिवालिया हो ;

(घ) नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्धदोष हुआ हो ;

(ङ) स्वयं या किसी भागीदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गयी किसी संविदा या सेवायोजन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित रखता हो ;

(च) किसी ऐसी निगमित कम्पनी का, जिसका परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित हो, निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या अन्य वैतनिक अधिकारी हो ।

(2) कोई व्यक्ति केवल इस कारण से कि उसका या उस निगमित कम्पनी का जिसका वह निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या अन्य वैतनिक अधिकारी है,

(क) किसी स्थावर सम्पत्ति की बिक्री, क्रय, उसे पट्टे पर देने या उसके विनिमय या उसके लिए किए गए किसी करार में,

(ख) धन की ऋण के लिए किसी करार में या केवल धन के भुगतान के लिए किसी प्रतिभूति में,

(ग) किसी ऐसे समाचार-पत्र में, जिसमें परिषद् के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है,

(घ) परिषद् को किसी एक वर्ष में दस हजार रुपये से अनधिक मूल्य तक की किसी ऐसी वस्तु की, जिसमें वह या कम्पनी नियमित व्यापार करती है, यदा-कदा बिक्री में,

कोई अंश या हित है उपधारा (1) के खण्ड (ङ) या खण्ड (च) के अधीन अर्नहित नहीं होगा या यह नहीं समझा जायगा कि उक्त खण्डों के अर्थान्तर्गत किसी संविदा या सेवायोजन में उसका कोई अंश या हित है ।

स्पष्टीकरण :—किसी व्यक्ति के बारे में केवल इस कारण से कि वह किसी ऐसी कम्पनी का अंशधारी है, जिसका कि ऐसा अंश या हित है, यह नहीं समझा जायगा कि उसका परिषद् के साथ, या उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित है ।

परिषद् की कार्यवाहियों में भाग लेने से अनर्हता

8—(1) परिषद् का या परिषद् द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई सदस्य—

(क) जिसका किसी मामले के सम्बन्ध में धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) या खण्ड (च) में वर्णित प्रकार का कोई अंश या हित है, या

(ख) जिसने किसी मामले के सम्बन्ध में ऐसे किसी व्यक्ति की ओर से, जिसका उसमें उपर्युक्त प्रकार का कोई अंश या हित है, व्यावसायिक रूप से कार्य किया है,

धारा 7 की उपधारा (2) में किसी बात के होते हुये भी, परिषद् की या उसकी समिति की ऐसे मामले से सम्बन्धित किसी कार्यवाही में न तो मत देगा और न भाग लेगा ।

(2) यदि परिषद् या उसकी समिति के किसी सदस्य का इस अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी भी योजना में समाविष्ट, किसी क्षेत्र में स्थित किसी भूमि में या ऐसे किसी क्षेत्र में जिसमें इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई हित है तो वह परिषद् या उसकी समिति की किसी ऐसी बैठक में जिसमें ऐसी भूमि से सम्बधित किसी मामले पर विचार किया जाय, भाग नहीं लेगा ।

कतिपय कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे

9—परिषद् के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की किसी अनर्हता या दोष से या परिषद् में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई दोष होने से परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाही दूषित या अविधिमान्य नहीं होगी यदि ऐसा कार्य या कार्यवाही अन्य प्रकार से इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हो ।

ग्रामीण आवास आयुक्त

10—(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक ग्रामीण आवास आयुक्त होगा ।

(2) ग्रामीण आवास आयुक्त की सेवा-शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें । उसे परिषद् की निधि से पारिश्रमिक दिया जायगा ।

परिषद् के अधिकारी और सेवक

11—(1) ऐसे नियन्त्रण और निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, जिसे राज्य सरकार द्वारा विशेष या सामान्य आदेश से समय-समय पर आरोपित किया जाय, परिषद् अपने कृत्यों के दक्ष सम्पादन के लिए ऐसे अधिकारियों और सेवकों को नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और सेवकों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें ।

(3) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, अपने अधीन किसी पद पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी सेवक को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी सहमत हो, नियुक्त कर सकती है ।

परिषद् के कर्मचारियों पर नियंत्रण

12—इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ग्रामीण आवास आयुक्त परिषद् के सभी अधिकारियों और सेवकों का पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियन्त्रण रखेगा ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

13—(1) इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद्, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त के या ऐसी शर्तों पर जिसके अन्तर्गत अपने द्वारा पुनर्विलोकन करने की शर्त भी है, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति या ग्रामीण आवास आयुक्त या परिषद् के किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रत्यायोजित कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

(2) इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ग्रामीण आवास आयुक्त, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त के या ऐसी शर्तों पर जिसके अन्तर्गत अपने द्वारा पुनर्विलोकन करने की शर्त भी है, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, परिषद् के किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को, जो उपधारा (1) के अधीन उसे प्रत्यायोजित शक्तियों और कर्तव्य न हो, प्रत्यायोजित कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

श्री शम्भू नाथ--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 13 के उपखण्ड (1) में चतुर्थ पंक्ति में शब्द "किसी अधिकारी" के स्थान पर शब्द "किसी अन्य अधिकारी" रख दिए जायं,

श्री बलराम सिंह यादव--

मुझे स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड (13) के उपखंड (1) में चतुर्थ पंक्ति में शब्द "किसी अधिकारी" के स्थान पर शब्द "किसी अन्य अधिकारी" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 5 से 12 तक तथा संशोधित खंड 13 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 14

अध्याय तीन

आवास योजना

14--(1) जब कभी परिषद् की यह राय हो कि किसी क्षेत्र में आवास गृह स्थान की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक योजन बनाना या समीचीन है, तो परिषद् आवास योजना बना सकती है।

(2) ऐसी योजना में इसका विन्यास विनिर्दिष्ट किया जायगा जहां पर गृह निर्माण किया जाना हो और उसमें परिषद् और अन्य व्यक्तियों द्वारा गृह निर्माण करने की व्यवस्था की जा सकती है।

(3) परिषद् अपने द्वारा इस प्रकार निर्मित किसी गृह को पट्टे पर दे सकती है या उसका विक्रय कर सकती है जिसके अन्तर्गत अवक्रय के आधार पर विक्रय भी है।

(4) परिषद् उस क्षेत्र में मार्गों, सड़कों, जलोत्सारण, जल-सम्भरण, सड़कों पर रोशनी, सामुदायिक भवनों और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर सकती है।

श्री शम्भू नाथ—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 14 के उपखंड (3) में शब्द "अवक्रय के आधार पर विक्रय भी है" के स्थान पर शब्द "अवक्रय (हायर परचेज) भी है" रख दिये जायं ।

श्री बलराम सिंह यादव—

मुझे स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 14 के उपखंड (3) में शब्द "अवक्रय के आधार पर विक्रय भी है" के स्थान पर शब्द "अवक्रय (हायर परचेज) भी है" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 14 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 15 तथा 16

योजना में ग्रामीण क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों का सम्मिलित किया जाना

15—यदि परिषद् किसी ग्रामीण क्षेत्र के सम्बन्ध में आवास योजना बनाते समय, योजना के अधीन गृह निर्माण करने के प्रयोजनार्थ ऐसे किसी क्षेत्र को, जो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से आसन्न है किन्तु जो ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, योजना में सम्मिलित करना आवश्यक समझती है तो, इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार ऐसे सक्षम प्राधिकारी से जिसकी अधिकारिता में ऐसी भूमि पड़ती है, परामर्श करने के पश्चात् ऐसी भूमि को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ग्रामीण क्षेत्र घोषित कर सकती है और ऐसी घोषणा के पश्चात् ऐसे क्षेत्र को योजना में सम्मिलित करना परिषद् के लिए विधिपूर्ण होगा ।

विषय जिनकी व्यवस्था आवास योजना में की जायगी

16—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी आवास योजना में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) योजना के लिए आवश्यक या उसके निष्पादन से प्रभावित होने वाली किसी सम्पत्ति का क्रय, विनिमय या अन्य प्रकार से अर्जन ;

(ख) योजना में समावेष्ट किसी भूमि का विन्यास या पुनर्विन्यास ;

(ग) योजना में समाविष्ट सम्पत्ति के स्वामियों के स्थलों का वितरण या पुनर्वितरण ;

(घ) मानव निवास के लिए अनुपयुक्त निवास स्थानों या निवास स्थानों के भागों को गिराना या हटाना ;

(ङ) प्रस्तावित विन्यास में बाधा डालने वाले भवनों या भवनों के भागों को गिराना ;

(च) भवनों का निर्माण या पुनर्निर्माण ;

(छ) योजना में समाविष्ट किसी सम्पत्ति का विक्रय (जिसके अन्तर्गत अवक्रय के आधार पर विक्रय भी है) पट्टे पर देना या विनिमय ;

(ज) मार्गों, सड़कों, गलियों, पुलों, पुलियों और उपसेतुओं का निर्माण या उनमें परिवर्तन ;

(झ) योजना में सम्मिलित क्षेत्र में जलोत्सारण, जल सम्भरण या रोशनी की व्यवस्था ;

(ञ) योजना में समाविष्ट किसी क्षेत्र के या किसी मिले हुए क्षेत्र के लाभार्थ दुकानों, विद्यालयों, पार्कों, खेल के मैदानों और खुले स्थानों की व्यवस्था और वर्तमान पार्कों, खेल के मैदानों, खुले स्थानों और उपमार्गों को विस्तृत करना ;

(ट) योजना में समाविष्ट क्षेत्र के लिए अपेक्षित सफाई का प्रबन्ध करना, जिसके अन्तर्गत नदियों या जल सम्भरण के अन्य स्रोतों और साधनों का संरक्षण और उन्हें क्षति पहुंचने या दूषित होने से बचाना भी है ;

(ठ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों, कृषि श्रमिकों, आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के व्यक्तियों और किसी अन्य वर्ग के निवासियों के लिए आवास स्थान ;

(ड) योजना के प्रयोजनों के लिए ऋण देना ;

(ढ) संचार और परिवहन सम्बन्धी सुविधाएं ;

(ण) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सूचना और आंकड़े एकत्र करना ;

(त) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय ।

श्री शम्भूनाथ--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 16 की कंडिका (छ) में शब्द "अवक्रय के आधार पर विक्रय भी है" के स्थान पर शब्द "अवक्रय भी है" रख दिये जायं ।

श्री बलराम सिंह यादव--

स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 16 की कंडिका (छ) में शब्द "अवक्रय के आधार पर विक्रय भी है" "के स्थान पर शब्द "अवक्रय भी है" रख दिये जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 15 तथा संशोधित खंड 16 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 17 व 18

आवास योजनाओं पर निर्बन्धन

17--(1) धारा 15 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी क्षेत्र के लिए जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन कोई आवास या सुधार योजना स्वीकृत की गई है, न तो कोई आवास योजना बनायी जायगी और न ऐसी आवास योजना में कोई ऐसी बात होगी जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किसी नगर नियोजन योजना में सम्मिलित किन्हीं विषयों से असंगत हो ।

(2) यदि कोई ऐसा विवाद उत्पन्न हो कि इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी किसी आवास योजना में ऐसा कोई क्षेत्र सम्मिलित है जो किसी आवास या सुधार योजना में सम्मिलित है या उसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी नगर नियोजन, योजना में सम्मिलित किसी विषय से असंगत कोई बात है, तो राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

आवास योजनाओं के लिये नोटिस

18--(1) जब कोई आवास योजना बना ली जाय, तब परिषद् इस आशय की एक नोटिस तैयार करेगी जिसमें निम्नलिखित बातें विनिर्दिष्ट की जायेंगी :--

(क) योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमा ;

(ख) दिनांक, समय और स्थान, जब और जहां पर क्षेत्र का नक्शा, योजना की विशिष्टियां और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का ब्योरा देखा जा सकता है; और

(ग) दिनांक जब तक योजना के सम्बन्ध में आपत्तियां की जा सकती हैं ।

(2) परिषद्--

(क) उक्त नोटिस को सप्ताहवार लगातार तीन सप्ताह तक,

(एक) गजट में और (दो) ऐसे दो दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का समाचार-पत्र होगा, प्रकाशित करायेगा, जिनका योजना में समाविष्ट क्षेत्र में परिचालन हो ; और

(ख) उक्त नोटिस की एक प्रतिलिपि ऐसे स्थानीय प्राधिकारी या प्राधिकारियों को भेजेगी जिनकी अधिकारिता के भीतर योजना में समाविष्ट क्षेत्र पड़ता हो ।

(3) ग्रामीण आवास आयुक्त उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि किसी भी आवेदक को ऐसी फीस का जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय, भुगतान करने पर दिलायेगा ।

श्री शम्भूनाथ--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 18 के उप खंड (2) में, कंडिका (क) में शब्द "उक्त नोटिस को सप्ताहवार लगातार तीन सप्ताह तक" के स्थान पर शब्द "उक्त नोटिस को लगातार तीन सप्ताह तक प्रत्येक सप्ताह" रख दिए जायं ।

श्री बलराम सिंह यादव--

स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 18 के उप खंड (2) में, कंडिका (क) में शब्द "उक्त नोटिस को सप्ताहवार लगातार तीन सप्ताह तक" के स्थान पर शब्द "उक्त नोटिस को लगातार तीन सप्ताह तक प्रत्येक सप्ताह" रख दिए जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 17 तथा संशोधित खंड 18 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 19 से 32 तक

प्रस्तावित अर्जन का नोटिस

19--किसी आवास योजना के सम्बन्ध में धारा 18 के अधीन किसी नोटिस के पहली बार प्रकाशित किए जाने के दिनांक से छः सप्ताह के भीतर परिषद ऐसे प्रपत्र में, उन व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों पर और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, नोटिस तामील करेगी जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि परिषद योजना के निष्पादन के लिए किसी विनिर्दिष्ट भूमि या भवन का अर्जन करने का प्रस्ताव करती है ।

आपत्तियां

20--(1) कोई स्थानीय प्राधिकारी जिसे धारा 18 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन नोटिस की एक प्रतिलिपि भेजी गई हो, नोटिस की प्रतिलिपि प्राप्त होने के दिनांक से साठ दिन के भीतर योजना के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

(2) कोई व्यक्ति जिस पर धारा 19 के अधीन नोटिस तामील की गई हो, नोटिस की तामील के दिनांक से तीस दिन के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जिसके लिए परिषद पर्याप्त कारण से अनुमति दे, योजना या प्रस्तावित अर्जन के विरुद्ध परिषद को लिखित आपत्ति कर सकता है ।

(3) कोई अन्य व्यक्ति धारा 18 के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर योजना के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

योजना का परित्याग, उपान्तर या स्वीकृति

21--(1) पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात और आपत्तिकर्त्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात परिषद, यथा सम्भव, ऐसी अन्तिम आपत्ति की प्राप्ति के दिनांक से छः मास के भीतर या तो योजना का परित्याग कर सकती है या उसे ऐसे उपान्तर सहित, यदि कोई हो, जैसा परिषद सुझाव दे, स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकती है ।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन उसे प्रस्तुत की गई किसी योजना को उपान्तर सहित या उपान्तर रहित, स्वीकृत कर सकती है, या स्वीकृत करने से इन्कार कर सकती है या उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकती है ।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन पुनर्विचार के लिए वापस की गई योजना में परिषद द्वारा उपान्तर कर दिया जाय तो उसे धारा 18 के अनुसार पुनः प्रकाशित किया जायगा,--

(क) यदि उपान्तर के कारण योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं पर प्रभाव पड़ता है या उसमें पूर्व प्रस्तावित अर्जन से भिन्न किसी भूमि या भवन को अर्जित करना अन्तर्ग्रस्त है; या

(ख) यदि परिषद की राय में उपान्तर इतना महत्वपूर्ण है कि उसका पुनः प्रकाशन अपेक्षित है,

तो इस प्रकार पुनः प्रकाशित किए जाने पर, धारा 19 और धारा 20 में विहित प्रक्रिया का, जहां तक प्रयोज्य हो, अनुसरण किया जायगा मानों पुनः प्रकाशन धारा 18 के अधीन किया गया मूल प्रकाशन है ।

योजना का प्रारम्भ

22--(1) जब कभी राज्य सरकार किसी आवास योजना को स्वीकृत करे, तब उसे गजट में अधिसूचित किया जायगा ।

(2) किसी योजना के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना इस बात की निश्चायक साक्ष्य होगी कि योजना सम्यक् रूप से बनाई और स्वीकृत की गई है ।

(3) योजना उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

योजना में परिवर्तन

23--(1) किसी आवास योजना के प्रवृत्त होने के पश्चात और उसके पूर्णरूप से निष्पादित किए जाने के पूर्व, किसी भी समय परिषद् उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, उसमें परिवर्तन कर सकती है या उसे निरस्त कर सकती है :

परन्तु--

(क) किसी आवास योजना में कोई ऐसा परिवर्तन करने के पूर्व जिसमें किसी भूमि या भवन का जिसे मूल योजना के अन्तर्गत अर्जन करने का प्रस्ताव न हो, करार से भिन्न अर्जन अन्तर्ग्रस्त हो, तो परिषद् प्रस्तावित परिवतन की एक नोटिस ऐसे प्रपत्र मे, ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों पर और ऐसी रीति से जिसे विहित किया जाय, तामील करेगी, और नोटिस तामील किए जाने के दिनांक से तीस दिन या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के जिसके लिए परिषद् पर्याप्त कारण से अनुज्ञा दे, भीतर नोटिस के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी और आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देगी;

(ख) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी योजना में परिवर्तन या उसे निरस्त नहीं किया जायगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी योजना म कोई परिवर्तन या निरस्तीकरण गजट में अधिसूचित किया जायगा और वह ऐसी अवधि सूचना के दिनांक से इस प्रकार प्रभावी होगा कि किसी ऐसे उपान्तर का मूल योजना के अधीन पहले से की गई किसी कार्यवाही की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

योजना के लिए प्रस्तावित या उस में समाविष्ट क्षेत्र में भवन निर्माण पर निर्बन्धन

24--(1) जहां किसी आवास योजना के सम्बन्ध में धारा 18 के अधीन कोई नोटिस प्रकाशित की गई हो, वहां कोई व्यक्ति, जब तक कि योजना परित्यक्त या स्वीकृत न कर दी जाय, और यदि योजना प्रवृत्त हो गई हो तो उसके प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के दौरान योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्द्धन या परिवर्तन या अन्य प्रकार से भूमि का विकास योजना के विरुद्ध और ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के प्रतिकूल जिन्हें ग्रामीण आवास आयुक्त इस निमित्त अनुज्ञा के लिए आवेदन-पत्र दिए जाने पर आदेश द्वारा आरोपित करे, नहीं करेगा ।

(2) ग्रामीण आवास आयुक्त के उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा न देने या निर्बन्धन या शर्तें आरोपित करने के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे समय के भीतर जैसा विहित किया जाए, परिषद् को अपील कर सकता है जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।

वार्षिक बजट और आवास कार्यक्रम

25--(1) प्रत्येक वर्ष पहली दिसम्बर से पूर्व परिषद्--

(एक) एक कार्यक्रम,

(दो) अगले वर्ष का बजट,

ऐसे प्रपत्र में जैसा विहित किया जाय, तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार को अग्रसारित करेगी।

(2) कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें होंगी :--

(क) ऐसी आवास योजना की, जिसे परिषद् अगले वर्ष आंशिक या पूर्ण रूप से निष्पादित करने का प्रस्ताव करे, ऐसी विशिष्टियां जैसी विहित की जायं;

(ख) ऐसे किसी उपक्रम की विशिष्टियां जिन्हें परिषद् भवन निर्माण सामग्री के उत्पादन के प्रयोजनार्थ अगले वर्ष के दौरान संगठित या निष्पादित करने का प्रस्ताव करे; और

(ग) ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसी विहित की जायं।

(3) बजट में ऐसा विवरण होगा जिसमें अगले वर्ष के लिए पूंजीगत और राजस्व लेखे पर अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दिखाया जायगा।

कार्यक्रम और बजट का स्वीकृत किया जाना

26--राज्य सरकार भेजे गए कार्यक्रम और बजट को ऐसे उपान्तर के साथ जैसा वह उचित समझे, स्वीकृत कर सकती है। इस प्रकार स्वीकृत कार्यक्रम और बजट को उनके स्वीकृत किए जाने के पश्चात, यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

अनुपूरक कार्यक्रम और बजट

27--परिषद् उस वर्ष के दौरान जिसके सम्बन्ध में धारा 26 के अधीन कोई कार्यक्रम स्वीकृत किया गया हो, किसी भी समय, राज्य सरकार को अनुपूरक कार्यक्रम और बजट प्रस्तुत कर सकती है और धारा 25 के उपबन्ध ऐसे अनुपूरक कार्यक्रम और बजट पर लागू होंगे।

कार्यक्रम में परिवर्तन

28--परिषद् किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किसी कार्यक्रम या उसके किसी भाग में परिवर्तन कर सकती है:

परन्तु ऐसा परिवर्तन जिससे ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित किसी आवास योजना के कार्यक्षेत्र या प्रयोजन पर प्रभाव पड़े, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा और धारा 26 के उपबन्ध ऐसे परिवर्तन पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

आवास योजना का निष्पादन

29--(1) धारा 26 के अधीन राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम स्वीकृत किए जाने के पश्चात्, परिषद् धारा 28 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कार्यक्रम में सम्मिलित आवास योजना को निष्पादित करने की कार्यवाही करेगी।

(2) परिषद् किसी आवास योजना में दिए गए किसी कार्य का निष्पादन किसी स्वतन्त्र अभिकरण के माध्यम से कर सकती है ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) को किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह परिषद् को किसी आवास योजना के निष्पादन में, यथास्थिति, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सहमति से उक्त सरकार या प्राधिकारी के किसी अभिकरण को नियोजित करने से निषिद्ध करती है ।

परिषद् में गांव सभा की भूमि का निहित होना

30--(1) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकारी का या उसमें निहित कोई सड़क, स्क्वायर या अन्य भूमि या उसका भाग राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किसी आवास योजना में सम्मिलित क्षेत्र में स्थित हो, और ऐसी योजना के प्रयोजनार्थ अपेक्षित हो, वहां परिषद्, यथास्थिति, ऐसी गांव सभा या स्थानीय प्राधिकारी को यह नोटिस देगी कि उसकी योजना के प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है ।

(2) यदि गांव सभा या स्थानीय प्राधिकारी सहमति दे तो ऐसी सड़क, स्क्वायर या अन्य भूमि या उसका भाग ऐसी सहमति के दिनांक से परिषद् में निहित हो जायगा ।

(3) यदि गांव सभा या स्थानीय प्राधिकारी सहमति न दे तो यह विवाद राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा और राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(4) इस धारा की किसी बात का प्रभाव ऐसी सड़क, स्क्वायर या भूमि में किसी नाली या जल-कल पर गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के अधिकार या शक्ति पर नहीं पड़ेगा ।

प्रतिकर कब देय होगा

31--(1) जहां कोई भूमि धारा 30 के अधीन परिषद् में निहित है और परिषद् यह घोषणा करे कि वह ऐसी भूमि को तब तक प्रतिधृत करेगी जब तक वह धारा 34 के अधीन किसी सड़क या खुली जगह के भाग के रूप में सम्बद्ध गांव सभा या स्थानीय प्राधिकारी में पुनः निहित नहीं हो जाती, वहां ऐसी भूमि के सम्बन्ध में परिषद् द्वारा कोई प्रतिकर देय नहीं होगी ।

(2) जहां कोई भूमि धारा 30 के अधीन परिषद् में निहित है और भूमि के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा न की जाय, वहां परिषद् सम्बद्ध गांव सभा या स्थानीय प्राधिकारी को भूमि के बाजार मूल्य के बराबर धनराशि प्रतिकर के रूप में देगी ।

(3) जहां परिषद् ने उपधारा (1) के अधीन किसी भूमि के सम्बन्ध में घोषणा की है और परिषद् घोषणा के निबन्धनों के प्रतिकूल भूमि को इस प्रकार प्रतिधारित करती है या उसका निस्तारण करती है कि भूमि गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकारी में पुनः निहित न हो, वहां परिषद् उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर देगी ।

परिषद् में निहित सार्वजनिक सड़क को मोड़ने या बन्द करने की परिषद् की शक्ति

32--(1) परिषद् अपने में निहित किसी सार्वजनिक सड़क या उसके किसी भाग को मोड़ सकती है, पथान्तर कर सकती है, सार्वजनिक उपयोग के लिए रोक सकती है या उसे स्थायी रूप से बन्द कर सकती है।

(2) जब कभी परिषद् अपने में निहित किसी सार्वजनिक सड़क या उसके किसी भाग को सार्वजनिक उपयोग के लिए रोक दे या स्थायी रूप से बन्द कर दे, तो वह, यथासाध्य, उसके बदले में पहुंचने के किसी अन्य युक्तियुक्त साधन की व्यवस्था करेगी और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो जन-समुदाय के एक सदस्य मात्र से भिन्न रूप में पहुंचने के साधन के रूप में ऐसी सड़क या भाग का उपयोग करने के लिए हकदार है और जिसे इस प्रकार रोकने या बन्द करने के कारण क्षति हुई है, युक्तियुक्त प्रतिकर का भुगतान करेगी।

(3) जब परिषद् में निहित कोई सार्वजनिक सड़क या उसका कोई भाग उपधारा (1) के अधीन स्थायी रूप से बन्द कर दिया जाए, तब परिषद् उसका उतना भाग जिसकी उसे कोई आवश्यकता न हो, बेच सकती है या पट्टे पर दे सकती है।

श्री शम्भू नाथ--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 32 के उपखंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप खंड रख दिया जाय--

"परिषद किसी सार्वजनिक सड़क जो उसमें निहित हो उसको या उसके किसी भाग को मोड़ सकती है, पथान्तर कर सकती है, सार्वजनिक उपयोग रोक सकती है या स्थायी रूप से बन्द कर सकती है।"

श्री बलराम सिंह यादव--

स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 32 के उप खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप खंड रख दिया जाय--

"परिषद् किसी सार्वजनिक सड़क जो उसमें निहित हो उसको या उसके किसी भाग को मोड़ सकती है, पथान्तर कर सकती है, सार्वजनिक उपयोग रोक सकती है या स्थायी रूप से बन्द कर सकती है?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 19 से 31 तक तथा संशोधित खण्ड 32 इस विधेयक के अंग माने जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 33 से 36 तक

कतिपय विवाद अधिकरण को निदेश करना

33—यदि धारा 31 या धारा 32 के अधीन किसी प्रतिकर की देयता या उक्त धाराओं के अधीन देय प्रतिकर की धनराशि के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो इस मामले को अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

गांव सभा में कतिपय सड़कों और खुले स्थानों का निहित होना

34—(1) जब कभी राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि—

(क) धारा 21 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योजना में यथाव्यवस्थित रीति से परिषद् द्वारा विन्यासित या परिवर्तित किसी सड़क को सम्यक् रूप से समतल कर दिया है, खड़ंजा बिछा दिया गया है, पक्का बना दिया गया है, सीमाबद्ध कर दिया गया है, नाली, मलवहन और जल-निकासी की व्यवस्था कर दी गई है ; और

(ख) ऐसे लैम्प, रोशनी के खम्भों और अन्य उपकरणों की जिन्हें गांव सभा ऐसी सड़कों पर रोशनी के लिए आवश्यक समझा और जिनकी परिषद् द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए, व्यवस्था कर दी गई है ; और

(ग) ऐसी सड़क पर जल और अन्य स्वच्छता सुविधाओं की सम्यक् रूप से व्यवस्था कर दी गयी है;

तब राज्य सरकार ऐसी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित कर सकती है और तदुपरान्त सड़क गांव सभा में निहित हो जायेगी और उसके पश्चात् ऐसी गांव सभा द्वारा उसका अनुरक्षण, मरम्मत, प्रकाश और सफाई की जायगी ।

(2) जब किसी आवास योजना का निष्पादन करते समय परिषद् द्वारा संवातन या मनोरन्जन के प्रयोजनों के लिए किसी खुले स्थान की व्यवस्था की गयी हो, तब योजना पूरी होने पर, उसे परिषद् के संकल्प द्वारा सम्बद्ध गांव सभा को अन्तरित कर दिया जायगा, और तदुपरान्त यह ऐसी गांव सभा में निहित हो जायगा और उसके व्यय पर उसका अनुरक्षण किया जायगा ।

(3) यदि इस धारा में निर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिषद् और गांव सभा के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

परिषद् के अन्य कर्तव्य

35—परिषद् का यह कर्त्तव्य होगा कि वह भवनों का शीघ्र और सस्ता निर्माण करने की दृष्टि से कार्यवाही करें, और परिषद् इस प्रयोजन हेतु निम्नलिखित के लिए सभी कुछ कर सकती है :

(क) भवन निर्माण सामग्रियों का एकीकरण, सरलीकरण और मानकीकरण करना ;

(ख) गृह संघटक वस्तुओं की पूर्व गढ़ाई (प्री-फेब्रीकेशन) और बड़े पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहित करना ;

(ग) आवास योजनाओं के लिए अपेक्षित भवन निर्माण सामग्रियों के उत्पादन की सुव्यवस्था करना या उत्तरदायित्व लेना ;

(घ) सस्ती भवन निर्माण सामग्रियों की खोज करने के लिए अनुसंधान-कार्य को प्रोत्साहित करना और सस्ते निर्माण की नई विधियों का विकास करना ;

(ङ) भवनों के निर्माण-कार्य में प्रशिक्षित श्रमिकों की लगातार और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना ;

(च) पूर्व उल्लिखित कर्तव्यों का पालन करने के लिए यथा-आवश्यक समस्त अन्य कार्य करना ।

भू-खंड का पुनर्गठन

36--परिषद् को निम्नलिखित की व्यवस्था करने की शक्ति होगी--

(क) किसी मूल भू-खण्ड की सीमा में परिवर्तन कर के पुनर्गठित भू-खण्ड बनाना ;

(ख) स्वामियों की सहमति से दो या अधिक मूल भू-खण्ड जिनमें से प्रत्येक पर अलग-अलग या संयुक्त रूप से स्वामित्व हो, सीमा में परिवर्तन कर के या परिवर्तन किए बिना पुनर्गठित भू-खण्ड के रूप में सामान्य स्वामित्व में रखे जायेंगे ;

(ग) किसी ऐसे स्वामी को जो आवास योजना के कार्यान्वयन में भूमि से वंचित हो गया हो भू-खण्ड का आवन्टन करना ;

(घ) एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी भू-खण्ड के स्वामित्व का अन्तरण करना ।

श्री शम्भूनाथ--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 36 में--

(क) कंडिका (ख) में द्वितीय पंक्ति में शब्द "सीमा में" के स्थान पर शब्द "उनकी सीमा में" रख दिये जायें,

(ख) कंडिका (ग) में अन्त शब्द में "और" बढ़ा दिया जाये ।

श्री बलराम सिंह यादव--

स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 36 में--

(क) कंडिका (ख) में द्वितीय पंक्ति में शब्द "सीमा में" के स्थान पर शब्द "उनकी सीमा में" रख दिये जायें,

(ख) कंडिका (ग) में अन्त में शब्द "और" बढ़ा दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 33 से खंड 35 तक तथा संशोधित खंड 36 इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 37

अध्याय--4

भूमि का अर्जन और निस्तारण

37--(1) परिषद् किसी व्यक्ति से ऐसी किसी भूमि का जिसकी करार द्वारा किसी आवास योजना के प्रयोजनों के लिए आवश्यकता हो या ऐसी क्रय करने भूमि में किसी हित का क्रय करके, पट्टे पर लेकर या विनिमय या पट्टे पर द्वारा अर्जन करने के लिए या उसके किसी स्वामी को उससे वंचित देने की शक्ति रखने या उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप के सम्बन्ध में किसी ऐसे अधिकार की क्षतिपूर्ति के लिए उससे करार कर सकती है ।

(2) इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिए परिषद् द्वारा अधिनियम अपेक्षित किसी भूमि या उसमें किसी हित को भी उत्तर प्रदेश में संख्या 1 अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भूमि अर्जन अधिनियम, सन् 1894 1894 के उपबन्धों के अधीन अर्जित किया जा सकता है जो इस प्रयोजन के लिए इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्तर के अधीन होगा ।

श्री शम्भूनाथ--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 37 के उपखंड (2) के अन्त में आये शब्द "जो इस प्रयोजन के लिए इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्तर के अधीन होगा" निकाल दिया जाए ।

श्री बलराम सिंह यादव--

यह संशोधन मुझे स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड 37 के उपखण्ड (2) के अन्त में आये शब्द "जो इस प्रयोजन के लिए इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्तर के अधीन होगा" निकाल दिया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 37 इस विधेयक का अंग माना जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 38 से 43 तक

भूमि आदि का निस्तारण करने की शक्ति

38--इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, परिषद् अपने न निहित और इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत किसी आवास योजना में समाविष्ट क्षेत्र में स्थित किसी भूमि, भवन या अन्य सम्पत्ति को प्रतिधारित कर सकती है, पट्टे पर दे सकती है, बेंच सकती है, विनिमय कर सकती है या उसका अन्य प्रकार से निस्तारण कर सकती है।

भू-खण्डों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में विवाद

39--(1) जहां किसी आवास योजना के निष्पादन के फलस्वरूप किसी भूखण्ड का पुनर्गठन किया जाय या किसी व्यक्ति को किसी भूमि से बेदखल किया जाय, वहां ऐसे पुनर्गठन या बेदखली से प्रभावित कोई व्यक्ति प्रतिकर के लिए विहित रीति से परिषद् को आवेदन कर सकता है।

(2) परिषद् ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, आवेदक को देय प्रतिकर की धनराशि, यदि कोई हो, अवधारित कर सकती है।

(3) यदि आवेदक उपधारा (2) के अधीन परिषद् के विनिश्चय से असन्तुष्ट हो तो वह अधिकरण को ऐसी रीति से, जसी विहित की जाय, अपील कर सकता है।

(4) परिषद्, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन अवधारित प्रतिकर की धनराशि का भुगतान उस व्यक्ति को करेगा जिसे उसका हकदार पाया जाय।

अध्याय-पांच

अधिकरण

अधिकरण का गठन

40--(1) प्रत्येक जिले का जिला न्यायाधीश इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिकरण का गठन करेगा।

(2) अधिकरण ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जैसी विहित की जाए।

(3) किसी धनराशि का भुगतान करने या किसी स्थावर सम्पत्ति पर कब्जा दिलाने या ऐसी सम्पत्ति से किसी संरचना को हटाने का अधिकरण का प्रत्येक आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायगा और इस रूप में उसका निष्पादन किया जायगा।

(4) अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जायगा।

(5) अधिकरण का सदस्य ऐसे पारिश्रमिक का हकदार होगा जैसा विहित किया जाय।

अधिकरण की शक्ति

41--अधिकरण धारा 31 और 32 के अधीन देय प्रतिकर अधिकरण से सम्बन्धित समस्त प्रश्नों और धारा 39 के अधीन प्रस्तुत समस्त के कर्तव्य अपीलों का विनिश्चय करेगा और अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

42--इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने या किसी अपील की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए अधिकरण को वही शक्तियां होंगी जो निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं :--

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(ग) किसी भवन या उसके परिक्षेत्र का निरीक्षण करना या साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा या स्थानीय अन्वेषण के लिए कमीशन जारी करना ;

(घ) दस्तावेजों को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ङ) विधिपूर्ण करार, समझौता या तुष्टि को अभिलिखित करना और तदनुसार आदेश देना ;

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

अध्याय--छः

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

वित्तीय उपबन्ध

43--(1) परिषद की अपनी निधि होगी जिसे स्थानीय निधि समझा जायगा और जिसमें परिषद् द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त समस्त धनराशि जमा की जायगी ।

(2) परिषद् की निधि भारतीय स्टेट बैंक में या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक या किसी अनुसूचित बैंक में रखी जायगी :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि वह परिषद् को ऐसी नकद धनराशि रखने से जो चालू भुगतान के लिए आवश्यक हो, या निधि के किसी ऐसे भाग को जो तुरन्त व्यय करने के लिए अपेक्षित न हो, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 में वर्णित किन्हीं प्रतिभूतियों में विनियोजित करने से प्रवारित करती है ।

(3) ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाये, परिषद् समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऋण ले सकती है या वित्तीय प्रबन्ध कर सकती है ।

(4) ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाये, परिषद् किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी, किसी सहकारी समिति या किसी अन्य व्यक्ति को गृह-निर्माण के लिए ऐसी निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें वह अवधारित करें, ऋण और अग्रिम दे सकती है ।

श्री शम्भू नाथ--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 43 के उपखंड (4) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "ऐसी" के स्थान पर शब्द "ऐसे" रख दिया जाय ।

श्री बलराम सिंह यादव--

यह मुझे स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 43 के उपखंड (4) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "ऐसी" के स्थान पर शब्द "ऐसे" रख दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 38 से खंड 42 तक तथा संशोधित खंड 43 इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 44 से 48 तक

ऋण-पत्र

44--(1) परिषद् समय-समय पर, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, ऐसी धनराशि के लिये और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी विहित की जाय, ऋण-पत्र जारी कर सकती है ।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए किन्हीं भी ऋण-पत्रों के मूलधन और ब्याज या मूलधन या ब्याज के भुगतान की ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझे, प्रत्याभूति दे सकती है :

परन्तु राज्य सरकार जब तक कोई ऐसी प्रत्याभूति प्रवृत्त हो, प्रतिवर्ष बजट सत्र के दौरान राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष चालू वित्तीय वर्ष में दी गयी प्रत्याभूतियों का, यदि कोई हो, एक विवरण-पत्र और उन कुल धनराशियों का, यदि कोई हो, एक अद्यावधिक लेखा रखेगी जिनका भुगतान किन्हीं ऐसी प्रत्याभूतियों के कारण राज्य के राजस्व से किया गया हो जिनका भुगतान इस प्रकार दी गयी किसी धनराशि का प्रतिदान करने के लिये राज्य के राजस्व में किया गया हो ।

(3) इस धारा के अधीन परिषद् द्वारा जारी किए गए ऋण-पत्र ऐसी रीति से जारी किए जायेंगे, अन्तरित किए जायेंगे, उनके सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी और उनका मोचन किया जायगा, जैसी विहित की जाय ।

ऋण का प्रतिदान

45--(1) परिषद् अपने द्वारा लिए गए किसी ऋण के प्रतिदान के लिए ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, एक निक्षेप निधि स्थापित करेगी ।

(2) प्रत्येक ऐसी निक्षेप निधि का अनुरक्षण, विनियोजन और प्रयोग ऐसी रीति से किया जायगा जैसी विहित की जाय ।

(3) परिषद् निक्षेप निधि के विनियोजन के लिये और उस ऋण के प्रतिदान के लिए जिसके लिये निधि की स्थापना की गयी थी, विहित रीति से न्यास का सृजन कर सकती है और यदि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार निदेश दिया जाय तो वह सृजन करेगी ।

सरकार द्वारा अनुदान और ऋण

46--राज्य सरकार, समय-समय पर, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह अवधारित करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये परिषद् को अनुदान या ऋण दे सकती है ।

आवर्तक निधि

47--(1) परिषद् के लिये एक ऐसी परिक्रामी निधि का सृजन करना विधिपूर्ण होगा जिसमें ऐसे समस्त आगम जमा किए जायेंगे जो किसी आवास योजना के अधीन परिषद् द्वारा निर्मित या पुनर्निर्मित किसी भवन या उसमें किसी इकाई के किस्त के आधार पर बिक्री के सम्बन्ध में परिषद् द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त हो ।

(2) आवर्तक निधि किसी आवास योजना के अधीन भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण के प्रयोजनों के लिये ही रखी जायेगी और उसका प्रयोग किया जायगा ।

लेखा और लेखा-परीक्षा

48--(1) ग्रामीण आवास आयुक्त परिषद् के समक्ष किसी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के पूर्व होने वाली विशेष बैठक में उस वर्ष के लिये परिषद् का बजट रखेगा ।

(2) प्रत्येक ऐसा बजट ऐसे प्रपत्र में तैयार किया जायगा जैसा विहित किया जाय, और उसमें--

(एक) ऐसी आवास और सुधार योजना, जिन्हें परिषद् उस वर्ष में आंशिक या पूर्णरूप में निष्पादित करने का प्रस्ताव करती है,

(दो) परिषद् के समस्त दायित्वों को समयक् रूप से पूरा करने, और

(तीन) इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिये व्यवस्था की जायगी और उसमें एक ऐसा विवरण-पत्र होगा जिसमें उस वर्ष के लिये पूंजीगत और राजस्व लेखे पर अनुमानित प्राप्तियां और व्यय, और ऐसी अन्य विशिष्टियां दी जायेंगी, जैसी विहित की जायें ।

(3) परिषद् बजट पर विचार करने के पश्चात् उसे उपान्तर सहित या उसके बिना, स्वीकृत करेगी, और उसे राज्य सरकार को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगी ।

(4) राज्य सरकार परिषद् द्वारा यथा स्वीकृत बजट का या तो अनुमोदन कर सकती है, या उसे परिषद् को ऐसे उपान्तरों के लिये जैसा राज्य सरकार निदेश दें, वापस कर सकती है ।

(5) जहां बजट इस प्रकार वापस कर दिया जाय, वहां परिषद् तुरन्त ऐसे उपान्तर करेगी और इस प्रकार यथा उपान्तरित बजट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी जो तत्पश्चात् उसका अनुमोदन कर सकती है ।

(6) ग्रामीण आवास आयुक्त उस वित्तीय वर्ष के दौरान जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा बजट का अनुमोदन कर दिया गया है, किसी भी समय परिषद् के समक्ष अनुपूरक बजट रख सकता है और ऐसे अनुपूरक बजट के सम्बन्ध में इस उपधारा के पूर्ववर्ती उपलब्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(7) परिषद् ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति, से जैसी विहित की जाय, लेखा रखेगी और तुलन-पत्र तैयार करेगी ।

(8) परिषद् के लेखे की लेखा-परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे समय पर की जायेगी, जैसी विहित की जाय और इस प्रकार नियुक्त लेखा परीक्षक को ऐसे विषयों के सम्बन्ध में दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने और सूचना दिए जाने की अपेक्षा करने की ऐसी शक्ति और परिषद् की निधि या सम्पत्ति को अध्यक्ष ग्रामीण आवास आयुक्त और परिषद् के सदस्यों, अधिकारियों और सेवकों की उपेक्षा या उनके दुराचरण के कारण हुई किसी हानि, अपव्यय या दुर्विनियोग के लिये उनके विरुद्ध अस्वीकृत और अधिभार के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियां होंगी और अधिभार और अधिभारित धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे जैसी विहित की जाय, और उनके अस्वीकृति और अधिभार के सम्बन्ध में ऐसी अपील और ऐसी रीति से की जा सकेगी, जैसी विहित की जाय ।

(9) लेखा परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित परिषद् का लेखा और उसके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य सरकार को भेजे जायेंगे, जो उनके सम्बन्ध में परिषद् को ऐसे अनुदेश दे सकती है जिसे वह उचित समझें, और परिषद् ऐसे अनुदेशों का पालन करेगी ।

(10) राज्य सरकार--

(क) उपधारा (9) के अधीन प्राप्त परिषद् का लेखा और उनके सम्बन्ध में लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी;

(ख) परिषद् के लेखे को विहित रीति से प्रकाशित करायेगी और युक्तियुक्त मूल्य पर बिक्री के लिये उसकी प्रतिलिपियां उपलब्ध करायेगी ।

श्री शम्भू नाथ--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 48 में--

(क) उपखंड (8) की अष्टम पंक्ति में शब्द "और ऐसी रीति" के स्थान पर शब्द "ऐसी रीति" रख दिये जायं,

(ख) उपखंड (10) की कंडिका (क) के अन्त में शब्द "और" बढ़ा दिया जाय ।

श्री बलराम सिंह यादव--

यह मुझे स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 48 में--

(क) उपखंड (8) की अष्टम पंक्ति में शब्द "और ऐसी रीति" के स्थान पर शब्द "ऐसी रीति" रख दिये जायं,

(ख) उपखंड (10) की कन्डिका (क) के अन्त में शब्द "और" बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 44 से खंड 47 तक तथा संशोधित खंड 48 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 49

अध्याय सात

संविदा

49--परिषद् ऐसी समस्त संविदाएं कर सकती है और उनका निष्पादन कर सकती है जिन्हें वह इस अधिनियम के किसी प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक या समीचीन समझे । संविदा करने की शक्ति

श्री शम्भू नाथ--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 49 में द्वितीय पंक्ति में शब्द "किसी प्रयोजनों" के स्थान पर शब्द "किहीं" प्रयोजनों रख दिये जाएं ।

श्री बलराम सिंह यादव--

यह संशोधन मुझे स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 49 में द्वितीय पंक्ति में शब्द "किसी प्रयोजनों" के स्थान पर शब्द "किन्हीं प्रयोजनों" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 49 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 50

संविदाओं का निष्पादन

50—(1) परिषद् की ओर से प्रत्येक संविदा या सम्पत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण-पत्र लिखित रूप में होगा और उसका निष्पादन ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रपत्र में किया जायगा, जैसा विहित किया जाय :

परन्तु पच्चीस हजार रुपये या इससे अधिक व्यय वाली कोई संविदा परिषद् की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं की जायेगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध किसी संविदा या प्राक्कलन में किए गए प्रत्येक परिवर्तन या उसका परित्याग करने पर और किसी मूल संविदा या प्राक्कलन पर भी लागू होंगे ।

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में किसी बात के होते हुए भी, ग्रामीण आवास आयुक्त या परिषद् की ओर से किसी करार या अन्य लिखत का निष्पादन करने के लिये प्राधिकृत परिषद् के किसी अधिकारी के लिये यह आवश्यक न होगा कि वह किसी ऐसे करार या लिखत की रजिस्ट्री से सम्बद्ध किसी कार्यवाही के लिये या हस्ताक्षर करने के लिये, जैसा कि उस अधिनियम की धारा 58 में उपबन्धित है, में किसी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में स्वयं या किसी अभिकर्ता द्वारा उपस्थित हो या हस्ताक्षर करें जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 58 में उपबन्धित है :

परन्तु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जिसे ऐसा लिखत प्रस्तुत किया जाय, यदि वह उचित समझें तो लिखत के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के लिये उसे ग्रामीण आवास आयुक्त या ऐसे अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकता है और उसके निष्पादन के सम्बन्ध में समाधान हो जाने पर, उस लिखत का रजिस्ट्रीकरण करेगा ।

श्री शम्भूनाथ—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 50 के उपखंड (3) में शब्द "वह किसी ऐसे करार या लिखत की रजिस्ट्री से सम्बद्ध किसी कार्यवाही के लिये या हस्ताक्षर करने के लिये, जैसा कि उस अधिनियम की धारा 58 में उपबन्धित है, में किसी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में स्वयं या किसी अभिकर्ता द्वारा उपस्थित हो या हस्ताक्षर करें" के स्थान पर शब्द "वह किसी

ऐसे करार या लिखत की रजिस्ट्री से सम्बद्ध किसी कार्यवाही में किसी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में स्वयं या किसी अभिकर्त्ता द्वारा उपस्थित हो या हस्ताक्षर करें" रख दिये जायं ।

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, स्वीकार हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 50 के उप खंड (3) में शब्द "वह किसी ऐसे करार या लिखित की रजिस्ट्री से सम्बद्ध किसी कार्यवाही के लिये या हस्ताक्षर करने के लिये, जैसा कि उस अधिनियम की धारा 58 में उपबन्धित है, में किसी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में स्वयं या किसी अभिकर्त्ता द्वारा उपस्थित हो या हस्ताक्षर करें" के स्थान पर शब्द "वह किसी ऐसे करार या लिखत की रजिस्ट्री से सम्बद्ध किसी कार्यवाही में किसी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में स्वयं या किसी अभिकर्त्ता द्वारा उपस्थित हो या हस्ताक्षर करें" रख दिये जायं

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 50 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 51 से 66 तक

संविदा के सम्बन्ध में शक्ति का प्रत्यायोजन

51—ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार इस निर्मित बनाए परिषद् आदेश द्वारा, निदेश दे सकती है कि धारा 50 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग ग्रामीण आवास आयुक्त या परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जायगा ।

संविदा के निष्पादन के सम्बन्ध में अग्रतर उपबन्ध

52—कोई संविदा या सम्पत्ति का हस्तान्तरण-पत्र जो कि इस अध्याय और इसके अधीन बनाये गये नियमों में यथा उपबन्धित के अनुसार निष्पादित न हो, परिषद् पर बाध्यकारी न होगा ।

अध्याय आठ

अपराध और शास्तियां

संविदाकार के कार्य में रुकावट डालने या चिन्ह हटाने के लिये शास्ति

53—यदि कोई व्यक्ति—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके साथ परिषद् ने संविदा किया है, अपने कर्त्तव्य या किसी ऐसे काम का पालन या निष्पादन करने में रुकावट डाले या उत्पीड़ित करें जिसे इस अधिनियम या किसी नियम या विनियम के आधार पर या परिणामस्वरूप करने के लिये वह अधिकृत है या करने की उससे अपेक्षा की गयी है, या

(ख) किसी सतह या दिशा को इंगित करने के प्रयोजनों के लिये लगाए गए किसी ऐसे चिन्ह को हटाए जो इस अधिनियम या किसी नियम या विनियम द्वारा प्राधिकृत निर्माण-कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक हो सकती है, या जुर्माना से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से, दंडनीय होगा ।

परिषद् के साथ संविदा आदि में अंश या हित अर्जित करने के लिए शास्ति ।

54--यदि अध्यक्ष या परिषद् का कोई सदस्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या किसी भागीदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में अर्थ सम्बन्धी या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित अर्जित करें, जो ऐसा अंश या हित हो जो अध्यक्ष या सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्हित करता हो; या

यदि परिषद् का कोई अधिकारी या सेवक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या किसी भागीदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा में, या, जहां तक उसका सम्बन्ध ऐसे अधिकारी या सेवक के रूप में उसके सेवायोजन से है उसे छोड़कर, किसी सेवायोजन में धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (क) या खंड (ख) में उल्लिखित अंश या हित से भिन्न अर्थ सम्बन्धी या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित अर्जित करें, तो वह साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

अन्य मामलों में शास्ति

55--यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे तो वह यदि ऐसे उल्लंघन के लिये कोई अन्य शास्ति की व्यवस्था न हो, जुर्माना से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, दंडनीय होगा, और यदि उल्लघन जारी रहे तो अतिरिक्त जुर्माना से दन्डनीय होगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें प्रथम बार सिद्ध-दोष ठहराए जाने के पश्चात् उल्लंघन जारी रहे, पच्चीस रुपये तक हो सकता है ।

अपराधी का प्रतिकर भुगतान करने का दायित्व

56--(1) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया जाय, तब ऐसे व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने वाला न्यायालय परिषद् द्वारा इस निमित आवेदन-पत्र दिये जाने पर, ऐसे व्यक्ति से तुरन्त वह कारण बताने को कहेगा कि क्यों न वह अपने द्वारा किये गये कार्य से हुई क्षति के लिये, जिसके सम्बन्ध में वह सिद्धदोष ठहराया गया है, परिषद् को प्रतिकर का भुगतान करें ।

(2) न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा बताए गये किसी कारण पर विचार करेगा और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह उचित समझें, यह निदेश दे सकता है कि एक हजार रुपये से अनधिक ऐसे प्रतिकर का, जैसा वह अवधारित करें, भुगतान परिषद् को किया जाय ।

(3) उपधारा (2) के अधीन भुगतान किए जाने के लिए निर्देशित प्रतिकर की धनराशि जुर्माना के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

57--(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी दन्डनीय अपराध को करने वाला कोई व्यक्ति कम्पनी है तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का प्रभारी रहा है और उसके कार्य संचालन के लिए उसके प्रति उत्तरदायी रहा है, और कम्पनी को भी अपराध का दोषी समझा जायगा, और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दन्ड दिया जा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति दन्डनीय नहीं होगा यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिये पूर्ण रूपेण सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई ऐसा अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव एवं कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, वहां ऐसे प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव एवं कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दण्ड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है ; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है ।

प्रक्रिया

58—(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान अपराध किये जाने से छः मास के भीतर परिषद् या इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत परिषद् के किसी अधिकारी द्वारा परिवाद किये जाने या उससे सूचना प्राप्त हुए बिना नहीं करेगा ।

(2) प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य

59—प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित और प्रवर्तित करने के लिए ग्रामीण आवास आयुक्त को सहयोग दें ;

(ख) इस अधिनियम या किसी नियम के उपबन्धों के विरुद्ध किए जाने वाले या किये गये किसी अपराध की कोई सूचना, जो उसे प्राप्त हो, परिषद् के समुचित अधिकारी या सेवक को अविलम्ब दें ; और

(ग) ग्रामीण आवास आयुक्त या परिषद् के किसी अधिकारी या सेवक को ऐसी सहायता दें जिसकी वह इस अधिनियम या किसी नियम के अधीन ग्रामीण आवास आयुक्त या किसी ऐसे अधिकारी या सेवक में निहित किसी शक्ति का विधिसंगत प्रयोग करने के लिए उससे अपेक्षा करें ।

अपराधों का शमन

60—(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् ग्रामीण आवास आयुक्त द्वारा या ग्रामीण आवास आयुक्त द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसे निबन्धनों पर जिन्हें, यथास्थिति, ग्रामीण आवास आयुक्त या अन्य अधिकारी उचित समझें, किया जा सकता है ।

(2) जहां किसी अपराध का शमन किया गया हो, वहां अपराधी को, यदि अभिरक्षा में हो, यथास्थिति, उन्मोचित या दोष मुक्त कर दिया जायगा और शमनित अपराध के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायगी ।

अध्याय—नौ

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 1 सन् 1966 के कतिपय उपबन्धों की प्रयोज्यता

61—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 83 से 93 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन गठित परिषद् और उसके सदस्यों, अधिकारियों और सेवकों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे प्रथम उल्लिखित अधिनियम के अधीन गठित आवास एवं विकास परिषद् और उसके सदस्य/, अधिकारियों और सेवकों पर लागू होते हैं ।

नियम बनाने की शक्ति

62—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(क) परिषद् के सदस्यों को देय भत्ता, यदि कोई हो ;

(ख) ग्रामीण आवास आयुक्त की सेवा की शर्तें ;

(ग) परिषद् के आय—व्ययक का लेखा रखने की रीति ;

(घ) ग्रामीण आवास आयुक्त द्वारा परिषद् के अधिकारियों और सेवकों पर पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखना ;

(ङ) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् द्वारा या उप धारा (2) के अधीन ग्रामीण आवास आयुक्त द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन ;

(च) किसी आवास योजना में व्यवस्थित किये जाने वाले विषय ;

(छ) अधिकरण द्वारा अपने समक्ष कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ज) शर्तें और परिसीमाएं, जिनके अधीन रहते हुए परिषद् करार द्वारा भूमि का अर्जन और निस्तारण कर सकती है;

(झ) कोई विषय, जिसके लिए धारा 63 के अधीन परिषद् द्वारा विनियम बनाया जा सके ।

विनियम बनाने की शक्ति

63--(1) परिषद्, गजट में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए विनियम बना सकती है--

(क) समितियों की नियुक्ति, उनका गठन और प्रक्रिया ;

(ख) परिषद् और उसकी समितियों की बैठक का समय और स्थान और उनको बुलाने की रीति ;

(ग) परिषद् के अधिकारियों और सेवकों का कर्तव्य ;

(घ) परिषद् के अधिकारियों और सेवकों की शर्तें ;

(ङ) निर्माण कार्यों के लिए योजनाएं और अनुमान तैयार करना ;

(च) बजट और अनुमान तैयार करना ;

(छ) वह प्राधिकार जिसके आधार पर परिषद् की निधि से धन दिया जा सकता है ;

(ज) सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन की रीति ;

(झ) नोटिसों, बिलों और अन्य दस्तावेजों पर ग्रामीण आवास आयुक्त और परिषद् के अधिकारियों के हस्ताक्षरों के प्रतिरूप की मुहर लगाना ;

(ञ) परिषद् द्वारा जारी किये गये दस्तावेजों अनुमानों और योजनाओं की प्रतिलिपियों के लिए देय फीस ;

(ट) किसी आवास या सुधार योजना के अधीन निर्मित भवनों का प्रबन्ध, उपयोग और आवंटन ;

(ठ) कोई अन्य विषय जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम या नियमों के अधीन विनियमों द्वारा की जाने वाली हों या की जाय ।

(2) यदि कोई विनियम इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम के प्रतिकूल हो तो वह नियम, चाहे वह विनियम के पूर्व बनाया गया हो या उसके पश्चात् अभिभावी होगा और विनियम प्रतिकूल होने की सीमा तक शून्य होगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

64--(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को, इस अधिनियम में किसी बात के होने के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित के कारण प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अवसर की अपेक्षानुसार, आदेश द्वारा, निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वह उपान्तर, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया कोई आदेश इस प्रकार दिया जा सकता है कि वह किसी ऐसे दिनांक से, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से पहले का न हो, भूतलक्षी हो ।

(3) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष की समाप्ति पर नहीं दिया जायगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिया गया कोई आदेश, यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

(5) उप धारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में यथाभिदिष्ट ऐसी कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

निरसन और अपवाद

65--किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में जिसमें इस अधियियम के अधीन कोई योजना प्रवृत्त हो, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 162 से 171 का, और उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, 1962, उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 उन आवास या सुधार योजनाओं को छोड़ कर जिन्हें या तो इस अधिनियम के अधीन कोई योजना घोषित करने के पूर्व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 32 के अधीन अधिसूचित किया गया हो या जिन्हें उक्त घोषणा के पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन अधिसूचित किये जाने के पश्चात् उक्त अधिनियम के अधीन जारी रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाय या जिन्हें ऐसी घोषणा के पश्चात् राज्य सरकार के अनुमोदन से प्रारम्भ किया जाय और उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का प्रवर्तन निलम्बित रहेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 के उपबन्ध ऐसे निलम्बन के सम्बन्ध में इस प्रकार लागू होंगे मानों निलम्बन इस अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियमितियों का निरसन हो।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 23 सन् 1955 की धारा 3 का संशोधन

66--उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह व्यवस्था अधिनियम, 1955 में, धारा 3 में--

(क) उपधारा (1) में, शब्द "उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965" के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् या उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1982 के अधीन स्थापित "उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद्" रख दिए जायेंगे।

(ख) उपधारा (3) में शब्द "उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965" के पश्चात् शब्द "या उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1982" बढ़ा दिए जायेंगे।

श्री शम्भू नाथ--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 66 में शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1982" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983" रख दिये जायं ।

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, स्वीकार हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड 66 में शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1982" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 51 से खंड 65 तक तथा संशोधित खंड 66 इस विधेयक के अंग माने जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नया खण्ड 67

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् विधेयक, 1982 में खंड 66 के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय :

निरसन तथा अपवाद

67-(1) उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश, सं0 26 सन् 1983

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य वा कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, मुझे स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 66 के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय :

उत्तर प्रदेश अध्यादेश, सं0 26 सन् 1983

"67--(1) उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् निरस्त तथा अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि नया खंड 67 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची

(धारा 37 देखिए)

अधिनियम सं0 1 सन् 1894

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) में उपान्तर।

उक्त अधिनियम की धारा 3 का संशोधन

1--उक्त अधिनियम की धारा 3 के खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित नये खण्ड बढ़ा दिए गए समझे जायेंगे, अर्थात्--

"(झ) "स्थानीय प्राधिकारी" के अन्तर्गत परिषद् भी है,

(ञ) "परिषद्" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1982 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् से है।"

इस अधिनियम के अधीन नोटिस का प्रभाव

2--(1) इस अधिनियम की धारा 18 या धारा 21 की उप धारा (3) के अधीन किसी आवास योजना का सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशित नोटिस योजना के अधीन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित किसी भूमि के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी गजट में, और सम्बद्ध क्षेत्र में, प्रकाशित अधिसूचना का स्थान ले लेगा और उसी के समान प्रभावी होगा, सिवाय उस स्थिति के जब उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिसूचना या धारा 6 के अधीन घोषणा पहले की जा चुकी हो और उस समय भी प्रवृत हो, और उक्त अधिनियम की धारा 5-क के उपबन्ध ऐसी भूमि की स्थिति में लागू नहीं होंगे।

(2) इस अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी घोषणा का स्थान ले लेगी और उसी के समान प्रभावी होगी जब तक कि उक्त धारा 6 के अधीन घोषणा पहले न की जा चुकी हो और वह तब भी प्रवृत्त न हो।

(3) ऐसे मामले में जिस पर उप पैरा (1) या उप पैरा (2) लागू होता हो इस अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन या धारा 23 की उप धारा (2) के अधीन अधिसूचना का जिसमें अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि की सीमा में परिवर्तन करना अन्तर्ग्रस्त हो, यह प्रभाव होगा कि उससे उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना या धारा 6 के अधीन घोषणा तद्नुरूप उपान्तरित हो जायेगी, किन्तु इस प्रकार के किसी उपान्तर का मूल अधिसूचना या घोषणा के अधीन पहले की गयी किसी कार्यवाही की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 17 का संशोधन

3—उक्त अधिनियम की धारा 17 में,—

(एक) वर्तमान उपधारा (1) और (1-क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी गयी समझी जायेगी, अर्थात्—

"(1) जब कभी राज्य सरकार उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1982 के अधीन किसी आवास योजना के शीघ्र निष्पादन के हित में ऐसा निर्देश दें, तब यद्यपि ऐसा कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है, कलेक्टर किसी ऐसी भूमि पर, जिसकी उपर्युक्त अधिनियम, 1982 के प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, कब्जा, धारा 9 की उपधारा (1) में वर्णित सूचना के प्रकाशन से पन्द्रह दिन के अवसान पर ले सकता है तत्पश्चात् ऐसी भूमि सभी भारों से मुक्त हो कर सरकार में पूर्णतः निहित हो जायगी" ;

(दो) उपधारा (4) निकाल दी गयी समझी जायगी।

उक्त अधिनियम की नयी धारा 17-क का बढ़ाया जाना

4—उक्त अधिनियम की धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी गयी समझी जायगी, अर्थात्—

परिषद् को भूमि का अन्तरण

"17-क धारा 16 या धारा 17 में निर्दिष्ट प्रत्येक दशा में कलेक्टर, अर्जन की लागत का भुगतान किए जाने पर, भूमि ग्रामीण आवास आयुक्त या उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1982 के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को सौंप देगा और तदुपरांत भूमि परिषद् में उसके इस दायित्व के अधीन रहते हुए निहित हो जायगी कि वह किसी अग्रतर खर्चे का भुगतान करे जो उसके अर्जन के कारण उपगत हो।"

उक्त अधिनियम की धारा 23 का संशोधन

5—उक्त अधिनियम की धारा 23 में—

(एक) प्रथम खंड के वर्तमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया गया समझा जायगा :—

"स्पष्टीकरण—ऐसे किसी मामले में जहां उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1982 के अधीन कोई भूमि अर्जित की जाय, वहां उपर्युक्त बाजार मूल्य का अवधारण करने में, यदि ऊपर निर्दिष्ट अधिनियम की धारा 24 के उपबन्धों का

उल्लंघन करके किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्द्धन या परिवर्तन किया गया है तो ऐसे निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्द्धन या परिवर्तन के परिणामस्वरूप बाजार मूल्य में हो जाने वाली वृद्धि पर कोई ध्यान नहीं दिया जायगा।"

(दो) वर्तमान उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (2) बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"(2) भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर उपबन्धित किया गया है, न्यायालय प्रत्येक मामले में ऐसे बाजार मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर राशि अर्जन के अनिवार्य प्रकृति का होने के प्रतिफल-स्वरूप अधिनिर्णीत करेगा।"

उक्त अधिनियम की धारा 49 का संशोधन

6--उक्त अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी गयी समझी जायगी, अर्थात्--

"(1-क) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि को जिस पर कोई गृह स्थित हो और उससे संलग्न हो और जो गृह का उपभोग और उपयोग करने के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित हो, उस गृह का भाग समझा जायगा।"

श्री शम्भूनाथ--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अन्त में अनुसूची निकाल दी जाय।

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, मुझे स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अन्त में अनुसूची निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड-1

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1982 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार रक्षा के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में, उसके द्वारा अधिग्रहीत या पट्टे पर ली गई भूमि और छावनी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

श्री शम्भू नाथ--

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 1 के उपखंड (1) में अंक "1982" के स्थान पर अंक "1983" रख दिए जायं ।

श्री बलराम सिंह यादव--

स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 1 के उपखंड (1) में अंक "1982" के स्थान पर अंक "1983" रख दिए जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 1 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् विधेयक, 1982

उत्तर प्रदेश में मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवास एवं विकास परिषद् की स्थापना, निगमन और कार्य करने की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

श्री शम्भू नाथ--

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावना में "शब्द तैंतीसवें वर्ष" के स्थान पर शब्द "चौतीसवें वर्ष" रख दिए जायं ।

श्री बलराम सिंह यादव--

स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना में शब्द "तैंतीसवें वर्ष" के स्थान पर शब्द "चौतीसवें वर्ष" रख दिए जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि संशोधित प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलराम सिंह यादव--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् विधयक, 1982 जैसा सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री भीखा लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी 5 मिनट का समय है । मैं खड़ा हूं । कुछ कहना चाहता हूं । अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् विधेयक जो पास होने के अन्तिम चरण में है और कुछ समय में पास हो जायेगा, इसके सम्बन्ध में ग्राम्य विकास मंत्री जी और शासन से चेतावनी स्वरूप कुछ चन्द शब्द कहना चाहता हूं । इस परिषद्

(इस समय 4 बजकर 48 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

के पीछे विचार बहुत सुन्दर है । ग्रामीण आवास व्यवस्था में सुधार होना चाहिए । जिस तरह से शहरों की तरफ दौड़ शुरू हो रही है, ग्रामीण अंचलों में आवास की व्यवस्था और दूसरी सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जायगा तो शहरों में आबादी इतनी हो जायेगी कि किसी तरह नियमित करना सम्भव नहीं होगा । लेकिन चेतावनी स्वरूप कहना चाहता हूं कि यह परिषद्, निगम और बोर्ड बहुत बदनाम है । कोई बोर्ड परिषद् और निगम मुनाफे में नहीं चल रहा है । विद्युत् परिषद् का दिवाला पिट गया, परिवहन निगम का दिवाला पिट गया और दूसरे निगम और बोर्ड दिवाले की कगार पर हैं । कहीं इस परिषद् का, जो बनाई जा रही है, इसका भी यही हश्र न हो । मैं सरकारी अधिकारियों के प्रति कोई अनादर नहीं करना चाहता हूं लेकिन इसकी जो परिषद् बनाई जायगी, उसमें ज्यादातर सरकारी अधिकारी हैं, 3 गैर सरकारी सदस्य रखे जायेंगे । सरकारी अधिकारियों के प्रति इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरह से निगमों, बोर्ड को इन्होंने हैंडिल किया है, कार्य संचालन किया है, वह इनकी कार्यकुशलता का द्योतक नहीं है । इससे शंका उत्पन्न हो रही है क्योंकि यह सारे निगम अधिकारियों के लिए चरागाह बन गए हैं । जितना पैसा लगाया गया सब लूटखसोट कर खा गए । इसकी बहुत नजदीक से निगरानी रखने की जरूरत है ताकि जो पैसा शासन से या लोन के रूप में मिल रहा है, उसका सदुपयोग हो । जिस भावना से यह विधेयक लाया गया है उसी भावना के अनुसार इसका परिपालन हो ताकि इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र में पड़ सके । यही चन्द शब्द चेतावनी के स्वरूप कहना चाहता था ।

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, जो आशंका माननीय भीखालाल जी ने व्यक्त की है, मैं समझता हूं कि आशंका मात्र से ही कोई अच्छा काम, जो हम करने जा रहे हैं, एकदम उसको नहीं रोका जा सकता । जहां तक कारपोरेशन और परिषदों का सवाल है, बहुत से कारपोरेशन और परिषद् ऐसे हैं, प्रदेश में जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत से ऐसे भी हैं जो अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं । सम्भवतः वह यहां नहीं थे, इसलिए उनको पूरी जानकारी नहीं हो सकती है अभी फिलहाल जो हम इस कार्य को शुरू करने जा रहे हैं, वह ब्लाक्स के जरिये से होगा, बी० डी० ओ० से कार्य होगा और यह प्रयास होगा कि ईमानदारी से कार्य हो सके, ऐसे आदेश सरकार हर ब्लाक को देगी ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् विधेयक, 1982 जैसा सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनमें श्री मुख्तार अनीस, श्री मोहन सिंह तथा श्री भीखालाल की जो "बस्ती में जनता पार्टी के युवा शाखा के अध्यक्ष की हत्या के सम्बन्ध में है" स्वीकार की गयी, बाकी अस्वीकार की गयी ।

अवध विश्वविद्यालय, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, गढ़वाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रबन्धक बोर्ड/सभा में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्य मंत्री का पत्र प्राप्त हुआ है । उसमें उन्होंने कहा है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, चन्द्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड, महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड, गढ़वाल, इलाहाबाद तथा अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सभा में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि 7 सितम्बर, 1983 तक बढ़ाने की कृपा करें और माननीय नेता सदन की सहमति से तिथि बढ़ा दी जाय । तदनुसार उक्त संस्थाओं में कार्य करने हेतु कार्यक्रम निम्नवत् है :

1--गढ़वाल विश्वविद्यालय,

2--इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा

3--अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद ।

की सभा में कार्य करने के लिए प्रत्येक के वास्ते पांच-पांच सदस्यों, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड के लिए तीन सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्या भी होगी ।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड के लिए दो सदस्यों तथा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नाम-निर्देशन के लिए दिनांक 3 सितम्बर, 1983 के अपरान्ह 4 बजे तक का समय, नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा हेतु दिनांक 5 सितम्बर, 1983, नामों की वापसी के लिए 8 सितम्बर, 1983 तथा निर्वाचन होने की दशा में मतदान का समय दिनांक 13 सितम्बर, 1983 नियत किया गया था ।

श्री अध्यक्ष—]

उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में नाम-निर्देशन करने की तिथि 7 सितम्बर, 1983 रखे जाने के सम्बन्ध में, मुख्य सचेतक, कांग्रेस दल (आई) तथा माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की प्रार्थना पर अब उक्त विश्वविद्यालयों तथा बोर्डों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है ।

1—नाम-निर्देशन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय	दिनांक 7 सितम्बर, 1983 को 4 बजे अपरान्ह् तक ।
2—नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा का समय तथा तिथि	दिनांक 8 सितम्बर, 1983 को 3 बजे अपरान्ह् । (सचिव, विधान सभा के कक्ष में)
3—नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	दिनांक 10 सितम्बर, 1983 को 4 बजे अपरान्ह् तक ।

निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान दिनांक 13 सितम्बर, 1983 को पूर्वाह्न 10-30 बजे से अपराह्न 5 बजे तक विधान मन्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

श्री मुंशी लाल—

मान्यवर, मैंने नियम 52 के अन्तर्गत 2 तारीख को अपने क्षेत्र में पुलिस द्वारा···

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं । आपने जो नियम 52 की सूचना दी है, उसका परीक्षण हो रहा है, उस पर बाद में निर्णय होगा ।

श्री अध्यक्ष—

5 बजे अनुपूरक अनुदानों के लिए समय निर्धारित है । 5 बजने में अभी 4 मिनट शेष हैं । अतः 4 मिनट के लिए सदन स्थगित किया जाता है ।

(इस समय 4 बजकर 56 मिनट पर सदन की कार्यवाही 4 मिनट के लिए स्थगित हुई । 5 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

वित्तीय वर्ष 1983-84 के प्रथम अनुपूरक अनुदान

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1983-84 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं ।

(प्रतियां वितरित की गई ।)

वित्तीय वर्ष 1979-80 के अतिरिक्त अनुदान

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1979-80 के अतिरिक्त अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं ।

(प्रतियां वितरित की गई ।)

(5 बजकर 2 मिनट)

प्रदेश में प्रचलित बंधुवा मजदूरी की प्रथा समाप्त न होने तथा खेत मजदूरों की मजदूरी की दरों को लागू करने की मांग पर मजदूरों के प्रति अत्याचार तथा महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 26 जो प्रदेश में प्रचलित बंधुवा मजदूरी की प्रथा समाप्त न होने तथा खेत मजदूरों को शासन द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी की दरों को लागू करने की मांग पर मजदूरों के प्रति अत्याचार तथा महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं के सम्बन्ध में श्री भोखालाल द्वारा अभिसूचित सूचना पर नियम 52 के अन्तर्गत एक घंटे की चर्चा से सम्बिन्धित है, के सम्बन्ध में माननीय श्रम मन्त्री, श्री सुनील शास्त्री जी का जो पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है । इसलिए इसको टाल दिया जाय । क्योंकि कार्य मन्त्रणा समिति तथा इस सदन ने यह निर्णय लिया था कि इस पर बहस होगी, इसलिये माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी को इसके लिए अधिकृत किया गया है, इसकी सूचना मुझे प्राप्त हो गई है और वे इसका समाधान करेंगे तथा इस मद को लेंगे ।

श्री भोखा लाल--

अध्यक्ष महोदय, जो विषय यहां चर्चा के लिए प्रस्तुत किया , जिसको अभी आपने पढ़कर सुनाया, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और समाज में एक अभिशाप के रूप में विद्यमान है । हमारी प्रदेश की सरकार और भारत सरकार ने विशेष रूप से इस बंधुवा मजदूरी की प्रथा को समाप्त करने का संकल्प लिया और 1976 म इसके उन्मूलन के लिए एक कानून बनाया और तब से बराबर प्रयास हो रहे हैं कि इस बंधुवा मजदूरी की प्रथा को समाप्त किया जाय, इसका उन्मूलन किया जाय । लेकिन, खेद है कि यह कुप्रथा अभी तक समाप्त नहीं हो सकी है । प्रदेश शासन की ओर से शायद यह दावा माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी करेंगे कि बंधुवा मजदूरी प्रदेश में समाप्त हो गई है । लेकिन, वास्तविकता यह है कि अभी यह समाप्त नहीं हुई है । उसका कारण यह है कि कानून तो बन गया है, केन्द्रीय सरकार ने बना दिया, लेकिन इसको लागू करने के लिए सरकार ने कोई मशीनरी नहीं खड़ी की और जब कोई मशीनरी नहीं खड़ी की तो कानून में जो प्राविधान हैं, दन्ड के लिए बंधुवा मजदूरी को रोकने के लिए, उसकी क्रिया चली नहीं । इस वजह से लोगों में भी भय नहीं है कि अगर किसी को बंधुवा मजदूर रखेंगे, तो उन्हें दन्ड मिल सकता है ।

मान्यवर, एक यू0 पी0 डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन है, उसके द्वारा प्रदेश स्तर पर बंधुवा मजदूरी के सम्बन्ध में अध्ययन किया गया, उससे पता चला है कि हमारे प्रदेश में बांदा जिले में मानिकपुर ब्लाक और इलाहाबाद के शंकरगढ़ ब्लाक में अभी भी बंधुवा मजदूर मौजूद हैं । मानिकपुर में 2,310 परिवार बंधुवा मजदूर के रूप में पाये गये और यह पाया गया कि कोल परिवारों में 40 प्रतिशत बंधुवा मजदूर हैं, इसमें बहुत से 10 साल पहले के हैं । इसी प्रकार शंकरगढ़ में

[श्री भीखा लाल--]

5,221 बंधुवा मजदूर परिवार पाये गये । वहां भी कोल परिवारों में 80 प्रतिशत परिवार बंधुवा मजदूर के रूप में हैं । इसमें अध्ययन से यह भी मिला कि 1976 में कानून बन गया था, 1976 और 1979 के बीच में मानिकपुर में 19 फीसदी और शंकरगढ़ में 40 फीसदी परिवार बंधुवा मजदूर बनाये गये ।

मान्यवर, इसके निराकरण के लिए मानिकपुर में एक पुनर्वास कार्यालय खोला गया । उसने सर्वेक्षण किया, उसके सर्वेक्षण के अनुसार मानिकपुर में केवल 252 परिवार ही बंधुवा मजदूरों के निकले और जब एस0 डी0 एम0 की अदालत में मामला गया तो वह केवल 167 परिवार रह गए। इसी तरह से शंकरगढ़ में, जब एस0 डी0 एम0 के सामने मामला गया तो 104 परिवार ही रह गए। तो इससे यह बात सामने आई कि घटते-घटते कम रह गए, जबकि वास्तविकता को नजरअंदाज किया गया । उनको पुनर्वासित करने के लिए कुछ को बकरियां दे दी गई हैं और हास्यास्पद चीज यह है कि कुछ को बैन्ड बाजे दे दिए गए। वे कोल परिवार के लोग जो बैन्ड बाजे बजाना नहीं जानते, उनको बैन्ड बाजे दिए गए और उसको वे अपने घरों में रखे रहे, नतीजा क्या हुआ कि वे लोग पुनर्वासित नहीं हो सके और आज भी मजदूर हैं और उसी स्थिति में हैं ।

पर्वतीय क्षेत्र में तथा पूर्वांचल में भी यही स्थिति है । इसी तरह से मान्यवर, बंधुवा मजदूरी की प्रथा की समाप्ति में जब कभी भी कोई बंधुवा मजदूर मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं, तो आये दिन समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि उनके साथ सामन्त लोगों द्वारा क्या-क्या अत्याचार किए जाते हैं । हमारे उन्नाव जिले में एक गांव भदौना है जहां पर बंधुवा मजदूरी के कारण ही तीन हरिजनों की हत्या हो गई । एक प्यारे नाम के हरिजन ने एक मुन्नू महाराज से कर्ज लिया, उस कर्ज के बदले में उसके यहां 2 साल तक बंधुवा मजदूर रहा, उसके बाद उसने पन्डित जी से कहा कि हमने इतने दिन काम किया, एक पैसा भी नहीं लिया, अब तो एक-एक पैसा अदा हो गया, हमको मुक्त कर दो । उस पर पन्डित जी ने कहा कि पैसा अदा नहीं हुआ, तुमको काम करना पड़ेगा । प्यारे ने कहा कि अब तो हम नहीं करेंगे । पंडित जी ने उसकी भैंस खुलवा ली । उसने साहस किया कि थाने में रिपोर्ट लिखा दी जाय । लेकिन वे उसको कैसे बर्दाश्त कर सकते थे, घोड़े पर चढ़कर प्यारे के घर गये, उसे हण्टरों से पीटना शुरू किया । दो आदमी उसकी मदद को आये, उनको भी मारना शुरू किया । बाद में उनको अपने घर पकड़ कर ले गये और गोली मार दी । 2 आदमी घटनास्थल पर ही मर गये, एक आदमी अस्पताल में मर गया । इस प्रकार से बंधुआ मजदूरी अभी समाप्त नहीं हुई है ।

मजदूरों की दैनिक मजदूरी का प्रश्न है, वह शासन ने मुकर्रर कर दी है । जो मुकर्रर की है, वह शायद ही प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़कर, किसी में दी जाती हो । पश्चिमी क्षेत्रों में, पहाड़ के तराई के क्षेत्रों में, शायद मिलती हो, लेकिन मध्य उत्तर प्रदेश में तथा पूर्वी क्षेत्र में और बुन्देलखण्ड में अभी भी 2 रु0 2 1/2 रु0 और 3 रु0 रोजाना मजदूरी मिलती है । अगर आवाज उठाते हैं, तो उनको पुराने सामन्तों और धनी किसानों के अत्याचार का सामना करना पड़ता है । लखनऊ में ही एक माती गांव है, जहां आज भी हरिजन को 2 रु0 मजदूरी दी जाती है । जब उन्होंने कहा कि हम इस मजदूरी पर काम नहीं करेंगे, तो हर तरह के अत्याचार उन पर किये गये । एक दिन संगठित होकर वे मजदूरों के मुहल्ले पर गये और गोलीबारी की, जिससे दो हरिजन मजदूर मारे गये । यह

नियम तो बन गया है, लेकिन इसको लागू करने की व्यवस्था नहीं तैयार की। तमाम घटनायें रोज होती रहती हैं। उन्नाव में चमरौली गांव है, जो भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री, सच्चिदानन्द बाजपेयी का निर्वाचन क्षेत्र था। यहां पर एक गुरुप्रसाद, हरिजन को वीरपाल सिंह एवं एक अन्य ने कम मजदूरी पर काम करने के लिये कहा। उसने इन्कार किया, तो उस पर अत्याचार किये गये और उसे गांव छोड़कर भागना पड़ा। इसी प्रकार उन्नाव जिले के राम सनेही घाट का एक परिवार गांव छोड़कर भाग गया।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, उस गांव का नाम बता दें।

उस व्यक्ति का नाम बता दें।

श्री भीखा लाल--

हां, नाम भी बता दूंगा।

इसी प्रकार बलात्कार की घटनायें खेतों पर काम करने वाले मजदूरों और उनकी बहू बेटियों के साथ देखने को मिलती हैं। भट्ठे के मालिक पूर्वी जिलों से और दूसरे प्रदेशों से मजदूर लाते हैं और बंधुआ मजदूरों की तरह रखते हैं। उनकी महिलाओं और बहू बेटियों के साथ बलात्कार भी करते हैं। आज देश की हालत यह है कि केन्द्र सरकार की तरफ से सर्वे किया गया, उससे मालूम हुआ कि 81 से 83 के बीच में बलात्कार की घटनायें बढ़ी हैं, जिसमें अधिकांश अनुसूचित जाति और आदिवासियों के साथ हुई हैं। वर्ष 1981 में 864, वर्ष 1982 में 886 और वर्ष 1983 में पहले 4 महीनों में 400 घटनायें हुई हैं। बलात्कार की घटनाओं में मध्य प्रदेश का नम्बर एक है और उसके बाद दूसरा नम्बर उत्तर प्रदेश का है। दूसरे मामलों में तो हमारा प्रदेश पीछे है लेकिन बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नम्बर पर है। इसी अवधि में 20 प्रतिशत मामलों में 1 से लेकर 7 व्यक्तियों तक ने एक महिला के साथ बलात्कार किया। गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों और पुलिस कर्मियों ने ये बलात्कार किये हैं। हमारे समाज में यह भी एक दुर्व्यवस्था निरन्तर बढ़ी है कि पुलिस के थाने जहां पर कि संरक्षण मिलना चाहिये, वे बलात्कार के अड्डे बन गये हैं।

मान्यवर, एक महिला बासमति नामक, जिसके साथ गुंडों ने छेड़-छाड़ की और जब वह रपट सुल्तानपुर थाने रिपोर्ट लिखाने गयी तो वहां पर मौजूद स्टाफ ने कहा कि रिपोर्ट अभी नहीं लिखी जायेगी और दरोगा जी रात में आए, तब सबने मिलकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। इसी प्रकार का एक मामला ग्राम हथियार थाना दुद्धी की एक आदिवासी महिला के साथ नशे की हालत में पुलिस कर्मियों ने इसके घर में घुसकर बलात्कार किया और यही नहीं, जो लोग सफेदपोश हैं, शक्तिशाली लोग हैं, समाज में इज्जत वाले लोग हैं, वह भी इस कु-कृत्य को करते हैं, तो मान्यवर, इसका निराकरण कैसे हो ?

बंधुआ मजदूरी की प्रथा, कानून बन जाने के बाद भी आज जारी है। दैनिक मजदूरी जो शासन ने लागू कर दी है, उसको आज तक लागू नहीं किया गया। इन सारी चीजों पर मान्यवर, हमारे तीन सुझाव हैं। एक तो यह कि

[श्री भोखा लाल--]

खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में एक विस्तृत और व्यापक कानून बनाया जाए जिसमें उनकी मजदूरी की शर्तें निश्चित की जाएं, उनकी सेवा शर्तें बनाई जाएं, आवास व्यवस्था की जाएं, वृद्धावस्था में पेंशन दिये जाने की व्यवस्था की जाए और अगर कोई मजदूर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उसकी क्षति-पूर्ति की जाए तो इन सारी बातों का एक विस्तृत कानून बनाया जाए और जो सरकार ने खेतिहर मजदूरों के लिए दैनिक भत्ता निश्चित किया है, उसे लागू किया जाए इसके लिए एक अलग से निदेशालय बनाया जाए, जिस तरह से औद्योगिक मजदूरों की देख-रेख के लिए अलग विभाग बनाया गया है, उसी तरह से इन खेतिहर मजदूरों की समस्याओं को देखने के लिए एक अलग से निदेशालय बनाया जाए ताकि उसमें उनके अधिकारी हों, इंस्ट्रक्टर हों जो उनकी परेशानियों को देख सकें और उसमें जब किसी किस्म की कोई गड़बड़ी पायी जाए तो उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

अभी तक यह कार्य बी० डी० ओज व तहसीलदार आदि करते थे, जिनके पास अपनी तमाम समस्याएं हैं, जिसकी वजह से वह इस कार्य को जिस ढंग से देखना चाहिए, नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए इनकी अलग से व्यवस्था की जाए और तीसरी बात जो अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति व गरीब घराने की महिलाओं के साथ जो आए दिन बलात्कार के केसेज हो रहे हैं, इनकी रोक-थाम के लिए जरूरी है कि स्पेशल अदालतें बनायी जाएं ताकि उन पर शीघ्र निर्णय हो सके अगर इस प्रकार व्यवस्था की गयी तो इन सारी चीजों का निराकरण हो सकता है, जिसके लिए हम और आप सभी लोग चिंतित हैं।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, माननीय भोखा लाल जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और जो बात बंधुआ मजदूरों के सम्बन्ध में इन्होंने कही, वह सही है कि आज भी प्रदेश में बहुत सी जगहों पर यह समस्या व्याप्त है, जबकि कानून बन चुका है तो इससे यह साफ स्पष्ट होता है कि जो लोग स्वयं किसी के बंधुआ हों, वह दूसरों को इस समस्या से क्या मुक्ति दिलायेंगे ? मान्यवर, पिथौरागढ़ में अनवाल जाति के कुछ लोग रहते हैं, जिनकी जनसंख्या करीब 5-6 हजार की होगी, वहां पर भोटिया जाति के लोग भी रहते हैं जो अनुसूचित जनजाति में हैं जिन्हें सरकार द्वारा आरक्षण से समस्त लाभ मिलते हैं और ये अनवाल इनकी भेड़-बकरियां चराने वाले लोग हैं। उनके पास न तो मकान हैं और न किसी प्रकार की जमीन जायदाद है। उनकी आजीविका पुश्तों से भोटिया लोगों की बकरी चराने पर चली आ रही है और वे लोग जंगलों में अभी भी बिलकुल आदिवासियों की तरह अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। वे बन्धुआ मजदूर हैं, जिनकी कि सरकार को जानकारी नहीं है और इसीलिये वे सहायता और सुविधाओं से वंचित हैं।

दूसरी चीज यह है कि पिथौरागढ़ में चमोली में और उत्तर काशी में भोटिया के साथ भोटिया हरिजन भी होते हैं जिनके पास जमीन जायदाद बिलकुल नहीं है और न कोई सम्पत्ति है। वे अभी भी गुफाओं में रहते हैं। उनको सरकार न तो अनुसूचित जाति के क्रम में रखती है और न उनको भोटिया के समान ही 2 परसेन्ट की सुविधा मिलती है। जो सवर्ण भोटिया हैं उनकी स्थिति अच्छी है और उनको सरकार द्वारा दी गयी अनुसूचित जाति की सुविधायें भी सब प्राप्त हो जाती हैं परन्तु भोटिया हरिजन अभी भी बड़ी दयनीय स्थिति में हैं और अपनी आजिविका के लिये वे उन्हीं लोगों पर आश्रित हैं। जो हरिजन हैं उनको अनुसूचित

जाति में न रख कर उनको अनुसूचित जनजाति में रख दिया है ताकि उन्हें आरक्षण का 22 परसेन्ट लाभ न मिल सके और उनकी उन्नति न हो सके ।

हमारे मुख्य मंत्री जी अभी टेहरी गये थे । टेहरी बांध में कंस्ट्रक्शन की कम्पनीज हैं और उनके जो मजदूर हैं, वह भी बन्धुवा मजदूर हैं और उन्हीं की तरह अपना जीवन-यापन कर रहे हैं । वह न तो किसी से बाहर मिल सकते हैं और न किसी से बोल सकते हैं । उनको कम्पनी की गाड़ियों द्वारा कम्पनी के लोगों के संरक्षण में कार्यस्थल पर लाया और ले जाया जाता है । वह यदि रास्ते में किसी से बोलें तो कम्पनी के गुण्डों द्वारा उन्हें पीटा जाता है । इसलिये उनकी इससे रिहाई अवश्य होनी चाहिये ।

माननीय भीखा लाल जी ने कृषि फार्मों पर काम करने वाले बन्धुवा मजदूरों का जिक्र किया । मैंने पिछले साल भी कहा था कि दुधवा नेशनल पार्क जो है, वहां बाघों की संख्या बढ़ गई है । वहां नेशनल पार्क से लगे जो गन्ने के खेत हैं, वहां जंगल का क्षेत्र सीमित होने के कारण बाघ गन्ने के खेतों में आ जाते हैं और वहां पर काम करने वालों को, मजदूरों को करीब 100 की संख्या में बाघों ने मार दिया और उसकी किसी को जानकारी नहीं दी गई क्योंकि मजदूरों को कोई वहां पर देखने वाला नहीं है । बन्धुवा मजदूरों की किसी ने परवाह नहीं की । तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।

* श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भीखा लाल ने जो चर्चा रखी है और माननीय कुंवर सिंह नेगी जी ने जो पहाड़ों के संबंध में चर्चा की है तो मुझे भी पहाड़ों पर रहने का 10-12 दिन का इत्तफाक हुआ और वहां के गांवों में जाने का इत्तफाक हुआ यह जो लोग भेड़, बकरी चराते हैं, खासतौर से ऐसे लोगों के बारे में बताया गया कि उनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश की गई। कुछ लोग काम पर गये ही नहीं और कुछ लोग जो काम पर गये लेकिन वे फिर वापस आ गए । कभी-कभी बड़ी मुश्किल हो जाती है पुरानी आदतें छोड़ने में और नई आदतें अख्तियार करने में, इसमें उनको दिक्कत महसूस होती है तो वह भी चीज हमारे सामने है, जिससे दिक्कत पैदा होती है । समस्या कुछ जटिल है गांव की, जैसे हमारे गांव हैं, समस्या जटिल है । एक जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, सामन्ती प्रथा समाप्त हुई लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि सेमी-जमींदारी व्यवस्था के मातहत कुछ अत्याचार और दुराचार भी होता है, लेकिन बहुत कुछ एक्जेजरेटेड है, बहुत कुछ अतिश्योक्ति है । लेकिन जब रिलेशनशिप बदलते हैं अपर क्लास में और लोवर क्लास में तो तब्दीली होनी स्वाभाविक है ।

माननीय भीखा लाल जी ने बलात्कार के बारे में कहा जो बहुत कुछ एक्जेजरेटेड है, लेकिन सवाल इस बात का है कि यह बंधुवा समस्या किस प्रकार से समाप्त हो। किस तरह से आदमी यह महसूस करे कि वह स्वतंत्र है और उसके मुताबिक काम करे और उसका विकास हो। इसके साथ ही साथ उसका स्वतंत्र रहने का अनुभव प्राप्त हो। गांव की हालत आप देखें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लाल प्रताप सिंह--]

कुछ लोग खेत देते हैं, काइन्ड में देते हैं और मजदूरी भी देते हैं, उनको कैश नहीं देते हैं। कैश का सिस्टम बहुत कम है। उनको मजदूरी के बदले और चीजें देते हैं और समय-समय पर उनकी सहायता करते हैं। जब संघर्ष पैदा हो जाता है तो जिस वर्ग के पास कुछ नहीं होता है, तो वह कहते हैं कि हमारी जमीन से न निकलो, हमारी बाग में न जाओ, हमारे रास्ते में न चलो। तो यह संघर्ष की समस्या पैदा हो जाती है, तो इसको कैसे दूर किया जाय। इसको कानून से नहीं दूर किया जा सकता है। हर कानून में पेनल क्लाज है। तो समय पर वह दूर होगा। सवाल इस बात का है कि जो कानून है, उसकी मशीनरी क्या है जो उसको मजबूती से लाये। मशीनरी भी मजबूती से नहीं लाई जा सकती है। अगर आप सख्ती करना शुरू कर देंगे तो समाज में विद्रोह पैदा हो जायगा। इसलिए नेचुरल तरीके से कानून का सहारा लेते हुए जो एक सम्बन्ध कायम हो रहा है, हमारे लोगों में और मजदूरों में, वह धीरे-धीरे रास्ता खुल जायेगा, ऐसा विचार किया जाता है।

अब धीरे-धीरे राजनैतिक दल गांवों में पहुंच रहे हैं और वे मजदूरों को संगठित कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोग फैक्टरीज में मजदूरों को संगठित करते हैं थोड़े दिनों में उनमें वही रिश्वत कायम हो जायेगा, जो फैक्टरी के अन्दर है। वही रिश्ता गांवों में भी कायम हो जायेगा। तो मजदूरों की समस्या यह भी है। मान्यवर, बहुत से ऐसे भी मजदूर हैं जो डोमेस्टिक सर्विस करते हैं। आप क्या कानून बनायेंगे? कानून लागू होने के बाद भी उन पर यह लागू नहीं हो सकता है। सप्लाई और डिमान्ड का सवाल है, वह अपनी जगह पर है। कोई मजदूर अगर काम नहीं करेगा तो वह क्या खायेगा? कम मजदूरी पर भी काम करने की जरूरत पड़ जाती है और वह काम करता है।

सामाजिक कानून के मातहत कुछ तब्दीली हो रही है और वह समस्या धीरे-धीरे दूर हो जायेगी और संघर्ष नहीं पैदा होगा। कुछ राजनैतिक दल अपने स्वार्थ के कारण उनमें संघर्ष पैदा कर देते हैं। इससे और भी कठिनाई बढ़ जाती है। कभी-कभी उनके कार्यों को प्लीड करने के लिए एक दूसरा उद्देश्य पैदा हो जाती है। इससे भी दिक्कत पैदा हो जाती है। उस व्यवस्था के मुताबिक हम जिस अर्द्ध-सामन्ती व्यवस्था में हैं, वह धीरे-धीरे कम होने पर है और कोई दूसरा रास्ता कायम हो जायेगा। गांवों की हालत में और शहरों की हालत में बड़ा अन्तर है। समस्या उनके लिए सबसे बड़ी यह है कि उनके पास कुछ नहीं है जो मजदूरी करते हैं। जो जमींदाराना मिजाज रखने वाले लोग हैं, वे भी धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो सुझाव माननीय भीखा लाल जी ने दिया है, उसमें कुछ तरमीम करके मजदूरों के लिए कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिए। उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

बहुत संक्षेप में आप बोले।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मेरे जिले में जमींदारों की बहुत बड़ी संख्या है उनकी कोई गिनती ही नहीं है। इन जमींदारों से सीलिंग में जो जमीन निकली वह पूरे जिले में

54 एकड़ जमीन निकली। कानून के लूप-होल ने उनका फायदा कराया है। एक इंच भी जमीन वे नहीं दे सके जो होशयार थे और जो जरा लापरवाह थे उनकी सारी जमीन चली गई। आज भी वे उस जमीन को रखे हुये हैं। वे संगठित भी हो जाते हैं ऐसे मौके पर। जमींदारी में संगठन हो जाता है। मजदूर संगठित नहीं हो सकते। अगर वे संगठित होते हैं तो उनके ऊपर नेचुरल तरीके से अत्याचार होता है। लेकिन कभी-कभी मजदूर में एग्रेसिव होते हैं। वे जब एग्रेसिव होते हैं तो संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। मेरे विचार से जो कानून बना है, वह उचित है लेकिन समय के मुताबिक उस में तरमीम की आवश्यकता है उसमें चाहे सरकार की तरफ से तरमीम हो, समाज की तरफ से हो या नेचुरल लोग की तरफ से हो। यह स्थिति धीरे-धीरे पैदा हो रही है।

कुछ पोलिटिक्स पार्टीज दूसरे मिजाज की हैं। कुछ लोग डिवैट और परसुयेशन चाहते हैं और कुछ लोग बायलेंस की तरफ चलते हैं। इससे कुछ नतीजा नहीं निकलता है। इस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए। मजदूरों को निर्धारित मजदूरी मिलनी चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, कानून से नहीं मिलता है तो कानून से मिलना चाहिए और समाज से मिलना चाहिए। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं कि सरकार इस पर पूरी तरह से विचार करेगी।

*श्री राम स्वरूप निम--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मीखा लाल जी के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, बंधुवा मजदूर की दयनीय स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कम नहीं है। मेरे क्षेत्र में एक गांव है इस्लामनगर। वहां के लोगों ने जब अपनी पूरी मजदूरी मांगी तो उनका बहिष्कार कर दिया गया, उनको घर से बाहर निकलने के लिए रोका गया। यहां तक कि एक दो लड़कों को इतना मारा गया कि उनकी हड्डियां टूट गईं। वहां के एस0 एस0 पी0 और कलेक्टर को जब इसकी सूचना दी गई तो जिस तरह से यह सरकार चल रही है, उसी तरह से उस पर भी कार्यवाही हो रही है। आज तक भी, एक महीने से लगातार वे लोग गांव छोड़ कर सहारनपुर में दर-दर घूम रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर फसल के समय वहां पर किसी न किसी गांव में हरिजनों, निर्बल वर्ग और मजदूरों के साथ इस प्रकार की घटनायें हर साल हुआ करती हैं।

मान्यवर, बलात्कार के बारे में जो एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनमें कुछ हकीकत नहीं होती। मैं अपने यहां की एक मिसाल देकर बताना चाहता हूं कि ग्राम चन्दपुर, थाना बड़गांव, जिला सहारनपुर में एक 8 वर्षीय हरिजन लड़की के साथ एक ठाकुर के लड़के ने बलात्कार किया। एक 8 वर्ष की अबोध बालिका जिसकी जिन्दगी, डेढ़ महीने के इलाज के बाद, बड़ी मुश्किल से बची है इस तरह की घिनौनी घटनायें आज हो रही हैं मैं बधुवा मजदूरों के बारे में मिर्जापुर में ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम स्वरूप निम--]

माननीय स्वास्थ मंत्री के पूज्य पिता जी ने एक संस्था बनाई है । उस आश्रम का नाम बनवासी आश्रम है । वहां पर क्या होता है कि वनवासियों को रखा जाता है, उनको उस संस्था से पैसे दिलवा कर गाय भैंसे खरीद लेते हैं और उस आश्रम में रखते हैं । उस आश्रम में जो काम करते हैं, उनको पैसा कुछ दिया जाता है और दस्तखत कुछ पर कराया जाता है, जिसके संस्थापक माननीय कमलापति त्रिपाठी जी है । आज इस तरह की बातें हो रही हैं । यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि सन् 1980 में अनुसूचित जाति और जन जाति कमेटी वहां गयी थी । उसने उसका सर्वेक्षण किया था और देखा कि यह बात अपनी जगह पर सच है । जब उनसे एकाऊन्ट मांगा गया और कहा गया कि सरकार ने इतना पैसा दिया, यह कैसे खर्च हुआ ? तो उन्होंने कहा कि हम वनवासियों के विकास के लिए काम कर रहे हैं उसमें यह उपयोग हो रहा है । उपयोग क्या हो रहा है, जो वहा पर नदियां हैं उनमें उनसे मिट्टी डलवाई जाती है और उनको शाम को ढाई तीन रुपया देकर छुट्टी कर दी जाती है ।

आज समाज के अन्दर कुछ प्राइवेट संस्थायें काम कर रही हैं । माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे और कह रहे थे कि सामन्ती प्रथा धीरे-धीरे खतम हो रही है । इसका साफ मतलब है कि जो कुछ हो रहा है, वह ठीक हो रहा है और इसके ऊपर कोई बहस न की जाय । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय भोखालाल जी ने जो आंकड़े पेश किये हैं, वे केवल उन जिलों के हैं जहां पर सर्वेक्षण कराया गया है, यदि पूरे प्रदेश का सर्वेक्षण कराया जाय तो कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर बंधुआ मजदूर काम न करते हों और उनकी जिन्दगी को लोग तबाह न करते हों । इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी इस सरकार को कोई हया और शर्म नहीं है । जैसा कि भोखालाल जी ने प्रस्ताव रखा है कि इसके लिए कोई निदेशालय या यूनिट सरकार की तरफ से बनायी जाय जिसको रिपोर्ट करने पर वह तुरन्त कार्यवाही करे, तभी इन पर अंकुश लग सकता है । अन्यथा जो कुछ हो रहा है, वह तो सरकार की नजरों में ठीक हो रहा है ।

परसों माननीय मुख्य मन्त्री जी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं । इससे पहले भी उन्होंने कहा कि अगर किसी जाति के लोग कोई विशेष योग्यता रखते हैं तो उनको नौकरी में लिया जायेगा । तो इस चीज को रोकने के लिए यह आवश्यक है । जब उनके मन में इस तरह की भावनायें हैं कि मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण का पक्ष लूंगा अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है या बलात्कार हो रहा है और बन्धुवा मजदूरी दी जा रही है तो यह ब्राह्मण, जो ऊपर से नीचे तक हैं तो जो बन्धुवा मजदूरी या बलात्कार की घटनायें हो रही हैं, वह नहीं रुकेंगी । यह सब इसलिए हो रही है कि सरकार की तरफ से निर्देश हैं कि इस तरह की घटनाएं रजिस्टर न की जाय ..

श्री अध्यक्ष --

संक्षेप में कहें, क्योंकि समय कम है और माननीय सदस्य भी बोलने वाले हैं ।

श्री राम स्वरूप निम--

तो मैं कह रहा था कि उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और उनको तरह-तरह से तंग किया जाता है जिससे परेशान होकर मजदूर लोग घर बैठ

जाते हैं और सरकार के सामने आंकड़े पेश किये जाते हैं कि बलात्कारों में कमी आयी, बन्धुवा मजदूरों के स्टेटस में कमी आयी। इस तरह के आंकड़ों से समाज का सुधार नहीं होगा और अत्याचारों में कमी नहीं आयेगी। यहां कुछ कह लें, लेकिन वोट लेने जब जायेंगे तो वही लोग आपका मुंह काला करेंगे जिनके ऊपर आज अत्याचार और बलात्कार हो रहे हैं। इसलिए मैं श्री भीखालाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस तरह का कोई निदेशालय या यूनिट स्थापित की जाये जिससे उनकी सुनवाई हो सके।

श्री काशी नाथ मिश्र--

अध्यक्ष महोदय, माननीय भीखा लाल ने नियम 52 में दो प्रश्न उठाये जिनको पढ़कर मुझे आश्चर्य है कि यह कैसे नियम 52 में स्वीकृत हुआ चूंकि लोक महत्व का एक ही महत्वपूर्ण प्रश्न नियम 52 में उठाया जा सकता है और उन्होंने दो प्रश्न उठाये हैं।

(व्यवधान)

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, यह आक्षेप कर रहे हैं।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, यह आक्षेप नहीं है।

(व्यवधान)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब एजेन्डे पर कोई चीज आप द्वारा मान ली जाती है तो क्या कोई माननीय सदस्य उसके बाद उस पर कमेन्ट कर सकता है।

श्री अध्यक्ष--

वह तो स्वयं कह रहे हैं कि आक्षेप नहीं कर रहा हूं, आप बैठ जायं।

*श्री काशी नाथ मिश्र --

मैं तो मान्यवर, कह रहा था कि नियम 52 में एक ही विषय पर चर्चा होनी चाहिये थी लेकिन उन्होंने दो प्रश्नों को मिला दिया है। मान्यवर, यह सामाजिक प्रश्न है और मजदूरी का प्रश्न है। मान्यवर, जहां तक बन्धुवा मजदूरों का प्रश्न है, केन्द्र सरकार ने इसको कानूनन समाप्त किया। कानून बनाया है कि इसको समाप्त किया जाये। लेकिन यह सही है कि यह प्रश्न समाप्त अभी नहीं हुआ है और जैसा कि भीखालाल जी ने कहा कि पूर्वी उ0 प्र0 में कुछ जगहों पर जैसे मिर्जापुर या बांदा के आस-पास बंधुवा मजदूरी का सिलसिला चल रहा है। मान्यवर, सेन्ट्रल की एबाल्युशन कमेटी वहां गयी थी जिसने जांच किया और भारत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशी नाथ मिश्र---]

सरकार की तरफ से कोशिशों के बावजूद भी यह प्रश्न आज उत्तर प्रदेश में बंधुवा मजदूरी का प्रश्न अभी भी जागरूक है। बंधुवा मजदूरी कैसे समाप्त हो सकती है, यह विचारणीय प्रश्न है और उसकी तरफ श्री लाल प्रताप सिंह जी ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है कि बंधुवा मजदूरी इस प्रदेश या हिन्दुस्तान से उस समय तक पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं की जा सकती है जबतक कि भूमिहीनों को अपने-अपने बसने के लिए स्वयं की जमीन उनके पास न हो जाये। जब तक वह गरीब और हरिजन बड़े-बड़े आदमियों की जमीनों पर आबाद हैं, तबतक यह बंधुवा मजदूरी की प्रथा समाप्त नहीं हो सकती है। परन्तु यहां कह दिया जाता है कि वह आदमी उनके हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि टेबिल या कुर्सी तो किसी की हो सकती है किन्तु वह जानदार आदमी तब तक उसका रहता है जबतक उसके मातहत काम करता है और उसके बाद वह उसका नहीं है। गरीब मजदूर आज भी लोगों की प्रजा बनी है और देहातों में कहा जाता है कि वह प्रजा है।

मैं कहना चाहता हूं कि यदि सचमुच में शासन बंधुवा मजदूरी को समाप्त करना चाहता है तो प्रथम भूमिहीन मजदूरों को बसने के लिए जमीन दी जाय। मान्यवर, आज सीलिंग का कानून लागू है लेकिन आज भी जमींदारों के पास 500 एकड़ के खेत मौजूद हैं, सीलिंग में जमीन जितनी मिलनी चाहिये, वह नहीं मिली है। इसीलिए शासन ने जो कानून बनाया है बंधुवा मजदूरी को समाप्त करने का, जो प्रिइम्बुल है उसमें सभी को बसाने लायक सर्वप्रथम जमीन दी जाय और जो सीलिंग का कानून है उसको सही माने में फिर से लागू करें। जब यह मजदूर दूसरों की जमीन पर आबाद रहेंगे, यह बंधुआ मजदूरी की समस्या हल नहीं होगी।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, माननीय भीखालाल जी ने जिन मुद्दों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सरकार ने कानून तो बनाया है मगर उसका पालन नहीं हो रहा है। सरकार अपने ही कानून के प्रति वफादार नहीं है।

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो भट्टे हैं, वहां पर आज भी बंधुआ मजदूर काम करते हैं। मध्य प्रदेश में उड़ीसा में, रांची आदि की तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जा जाकर बंधुआ मजदूरी करते हैं। एक-एक हजार रुपये पर वे लोग जाते हैं, उनकी नौजवान लड़कियां जाकर काम करती हैं और उस तरह से उनका जीवनबसर होता है जैसे कि वे किसी कैदखाने में रह रही हों। उनसे क्या-क्या काम करवाये जाते हैं, यह कहते हुये लज्जा और शर्म आती है। आप गोरखपुर में किसी भी भट्टे वाले के पास चले जाइये आप को वहां पर वह लोग मिलेंगे। यह मजदूर वहां पर कैदखाने की तरह रहते हैं। अगर किसी भट्टे वाले से उन मजदूरों का झगड़ा हो जाता है तो पुलिस भी मजदूरों की मदद नहीं करती। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी बैठे हैं इन्हीं के हमारे यहां फार्म्स हैं, यह भी सरकार द्वारा घोषित मजदूरी नहीं देते होंगे सरकारी फार्म्स पर भी सरकार द्वारा घोषित मजदूरी नहीं दी जाती। इनके तीनतीन फार्म्स हैं किसी पर सही मजदूरी नहीं दी जाती।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे यहां इन बंधुवा मजदूरों से भी निचली दर्जे की एक कौम है जो मजदूरी करती है, वह तांगिया मजदूर हैं। यह किसी के, बाउन्डेड लेबर तो नहीं हैं, पर इनकी हालत उनसे भी खराब है। यह जंगल विभाग के अधिकारियों के बाउन्डेड लेबर हैं। न इनके रहने के लिये मकान है, न कोई जमीन है, न ही खाने कपड़े की व्यवस्था है, ये मजदूर नंगे भूखे जंगलों में घूमा करते हैं। इनके बच्चों में और जानवरों के बच्चों में कोई फर्क नहीं है। भूख लगने पर इनके बच्चे जंगलों में घास आदि खाकर पेट भर लेते हैं। आजादी के बाद भी, आज तक उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन तांगिया मजदूरों का सर्वेक्षण कराया जाय और इनकी जिन्दगी बेहतर बनाने के लिए कोई प्रयास किया जाय।

हमारे इलाके में एक गांव में एक हरिजन औरत ने 240 रुपया लिया, 10 वर्ष तक उसके लड़के ने 600 रुपये दिया, फिर भी उसे रुपया देने वाले परेशान करते हैं। जब उसने काम छोड़ दिया तो उसका हाथ-पांव तोड़ दिया गया। इसी तरह से लोग 12 घंटे काम करते हैं और 2 रुपया रोज उनको मजदूरी दी जाती है। ऐसे-ऐसे भी उदाहरण हमारे गांव में देखने को मिलेंगे। अगर यह लोग काम नहीं करने जाते तो इनके घरों को जला दिया जाता है।

मान्यवर, सरकारी पक्ष के लोग जो उस तरफ बैठे हैं ये तो स्वतः बंधुवा मजदूर हैं। इसलिए यह कुछ नहीं कर पाते। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अपने फार्म पर ही मिनिमम वेज नहीं दिला सकते। इसलिए इस बहस को करने से क्या लाभ है। इनको कोई हक नहीं है इस पर बहस करने का। मैं मांग करता हूं कि जिस प्रकार से आपने इंडस्ट्रियल लेबरर्स के लिए कानून बनाया है उसी प्रकार से इनके लिए भी कानून बनायें और उसका सख्ती से पालन करायें। मुझे प्रसन्नता है कि यह सरकार भट्टे मजदूरों के लिए कोई कानून बनाने जा रही है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट उन पर लागू करने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि हर जिले में खेतिहर मजदूरों के लिए भी एक निदेशालय बने, वहां उनके लेबर इंस्पेक्टर्स हों, उनके रूल्स हों और उनको यह अधिकार दिया जाए कि यदि उनको अपनी निर्धारित मजदूरी नहीं मिलती है तो वह उसके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही कर सकें। इसके साथ भोखालाल जी ने प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करते हुए मांग करता हूं कि कम से कम प्रदेश के तांगिया मजदूरों के लिए, जिनकी प्रदेश में करीब 80 लाख की जनसंख्या है, कम से कम एक विशेष आयोग का गठन किया जाए।

कुमारी अलमेलु अम्माल—

सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहती हूं कि जब न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई है तो इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग निर्धारित करने की क्या आवश्यकता थी? यह न्यूनतम प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग क्यों तय की गई है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इसको मैं बिलकुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं और मैं सरकार से आपके द्वारा कहना चाहती हूं कि मजदूरी तीनों जगहों पर बराबर मिलनी चाहिए। वे काम बराबर करते हैं, लेकिन उनकी मजदूरी अलग है। चीजों के दाम हर

[कुमारी अलमेलु अम्माल--]

जगह बढ़ गए हैं, चाहे वह पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसके अलावा मैं मजदूरों के बारे में एक बात यह कह दूं, अभी हमारे अगल-बगल में भी कुछ लोग कह रहे थे, कुछ 8 रुपये और कुछ 9 रुपये मजदूरी की बात कह रहे थे, बहुत जगह 15 रुपया भी देते हैं, लेकिन मैं एक पिछड़े क्षेत्र से आयी हूं।

हमारे यहां आज भी 3 या 4 रुपया ही खेतिहर मजदूरों को मजदूरी मिलती है। इसके अलावा आप उनसे पूछेंगे तो वह यह कहेंगे कि इनको मकान मिला है रहने को, यह लकड़ी लेते हैं और पानी पीने के लिए हम इनको गुड़ का शरबत देते हैं, उसको भी गिन लिया जाए तो आपकी मजदूरी आ जाएगी। यह जमीन इनको तीन-चार पूर्वज पहले मिली है, उसके साथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। केवल मात्र 3 या 4 रुपया मजदूरी देने की बात जब मैं अपने यहां बीस सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग में कहती हूं तो वह हमारे कलेक्टर महोदय कह देते हैं कि हम 8 रुपया देते हैं। अब मैं अपने क्षेत्र की बात कह रही हूं, हमारे क्षेत्र में रामपुर-रेवटी ग्राम, ब्लाक बनकटी है, वहां के खेतिहर मजदूरों को वहां के खेत मालिक 5 रुपये से भी कम, 3 रुपया मजदूरी देते थे, जबकि निर्धारित मजदूरी साढ़े छः रुपया है। उन मजदूरों ने बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके कुछ सफलता पाई और उनकी मजदूरी 5 रुपया हो गई। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि उन मजदूरों के गन्ने के खेत जमींदार द्वारा रातों रात काट लिए गए। मैं भी कल गई थी। वहां पर दो सशस्त्र कांस्टेबिल तैनात करा दिए और पुलिस थाने पर एफ0 आई0 आर0 भी दर्ज करायी उनके डर के कारण वहां के मजदूर एफ0 आई0 आर0 उनके खिलाफ दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं थे। मैं आपसे यह कह रही थी कि उनके लिए सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाए। खेत मजदूरों के लिए पढ़ाई-लिखाई की सुविधा होनी चाहिए। फैक्ट्री कर्मचारियों को जो सुविधा मिल रही है, वही सुविधा खेतिहर मजदूरों को भी मिलनी चाहिए। उनके लिए इंश्योरेंश होना चाहिए और उनके बुढ़ापे के लिए पेंशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। बिहार में उनको बुढ़ापे की पेंशन मिल रही है। अलग मंत्री को मजदूरों तथा खेतिहर मजदूरों का काम देखने के लिए अलग से पोर्टफोलियो दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, जो मैंने चर्चा का विषय सदन में रखा था, उसके सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य बोले हैं, उनका मैं आभारी हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। सभी माननीय सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के हों सभी ने एक स्वर से यह राय जाहिर की है कि यह जो सामाजिक रोग है इसका निराकरण होना चाहिये और सरकार ने जो कानून बनाये हैं, उन पर अमल होना चाहिए और बलात्कार जैसी घटनाओं को सख्ती से रोकना चाहिए। मान्यवर, मैंने 3 सुझाव रखे थे, उनको फिर दोहराते हुए मंत्री जी से चाहूंगा कि कुछ अगर आश्वासन दे सकें तो दें। एक तो मजदूरों सम्बन्धी व्यापक कानून बनाया जाय। बंधुवा मजदूरी को समाप्त करने के लिये, एक मशीनरी खड़ी करने के लिये, एक अलग निदेशालय खोला जाय। बलात्कार जैसी घटनाओं और बंधुवा मजदूरी के सम्बन्ध में जो जुर्म बनता हो तथा खेतिहर मजदूरों को मजदूरी न देने पर, उन पर निर्णय

देन के लिए स्पेशल कोर्ट्स नियुक्त किए जायं । यह मेरे सुझाव हैं । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करके कुछ आश्वासन दें ।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

श्रीमन्, माननीय भोखा लाल जी ने जिस प्रश्न को उठाया है वह मानवीय है और इसलिए 1976 में यह कानून के रूप में सारे भारत में लागू हुआ । 1977 से 1979 के बीच में इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, यह भी सत्य है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

इसीलिए बनवासी आश्रम पर कब्जा कर रखा है ।

श्री लोकपति--

विशारद जी आप महान हैं । बनवासी आश्रम आपके, जिनके सौभाग्य से 2 वर्ष शासन में आपको रहने को मिला था उनके, श्री जय प्रकाश नारायण द्वारा स्थापित है । माननीय श्री प्रेम भाई उसके कर्ताधर्ता हैं जो जय प्रकाश जी के खास शिष्य हैं । पंडित कमला पति त्रिपाठी उस क्षेत्र के बुजुर्ग आदमी हैं, वह इसके संरक्षक हैं। अपने मुंह में हर बार कालिख नहीं लगाना चाहिए । तो मान्यवर, सन् 1977 से 1979 के बीच में कोई कार्यवाही नहीं हुई । पहाड़ी क्षेत्रों में उस समय साढ़े 8 हजार बंधुवा मजदूर थे । 1980 में जब सरकार आई तो जब 20 सूत्री कार्यक्रम लागू हुआ तो उसमें से 8 हजार, 55 व्यक्तियों को बंधुवा मजदूरी से निकाला जा चुका है ।

(मेजों की थपथपाहट ।)

उनके पुनर्वास पर लगभग सवा 3 करोड़ रुपये व्यय भी किए जा चुके हैं ।

एक सदस्य--

अब कोई रहा नहीं ?

श्री लोकपति--

अभी कुछ हैं जो आपके कब्जे में हैं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

सामने बैठे हैं ।

श्री लोकपति--

हमारे मैदानी क्षेत्र में लगभग साढ़े 6 सौ बंधुवा मजदूरों के परिवार थे जिसमें से 65 बचे हैं बाकी का पुनर्वास हो गया है । इनके ऊपर लगभग साढ़े 8 लाख रुपया व्यय किया गया है । मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश में बंधुवा मजदूर समाप्त हो गए हैं । इसकी जांच चल रही है, हर कमिश्नर को अधिकृत किया गया है ।

एक सदस्य--

सारे पंडित बैठे हैं ।

श्री लोकपति--

श्रीमन् पंडित जी जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है और जिस दिन मरता है, उस दिन तक वह सेवा करता है । सबसे बड़ा बंधुवा मजदूर पंडित है क्योंकि उसकी सारी रोजी आपने छीन ली है । उसका काम पढ़ाना था तो हटा दिया गया । पूजा-पाठ था, दान-दक्षिणा मिलती थी तो आप लोग नास्तिक होते जा रहे हैं । तो सबसे बड़ा बंधुवा मजदूर वह हो गया है, कहीं का नहीं रहा ।

मैं यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में बन्धुवा मजदूरों की समस्या समाप्त हो गई है लेकिन निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जितने बन्धुवा मजदूर मिलते जा रहे हैं, उनका पुनर्वास किया जा रहा है । हर कमिश्नर, जिलाधिकारी, राजस्व अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, पंचायत अधिकारी, ए0 डी0 ओ0 जो भी ए0 डी0 ओ0 होते हैं, सब के जिम्मे यह काम है ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

नदी घाटी परियोजना में जो मजदूर उड़ीसा और छोटा नागपुर से आकर कार्य करते हैं, जिनके बारे में कुंवर सिंह नेगी ने कहा उनको आइडेन्टीफाई करने जा रहे हैं ?

श्री लोकपति--

मैं बन्धुवा मजदूरों की बात कर रहा था, वह इस श्रेणी में नहीं आते हैं । इस समय आज के दिन तक सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 65 बन्धुवा मजदूर हैं जिनका पुनर्वास होना बाकी है । जहां तक कृषि मजदूरों का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि मजदूरों का दैनिक वेतन निर्धारित है । सारे भारत वर्ष में जो प्रगतिशील क्षेत्र हैं, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र जो उनके यहां मजदूरी है, उसी के समकक्ष यहां भी है । केवल दिल्ली और चन्डीगढ़ को छोड़कर यह दोनों नगरीय क्षेत्र हैं यहां मजदूरी अधिक है । पंजाब में दैनिक मजदूरी जो सरकारी रूप से निर्धारित है, उसपर मजदूर नहीं मिलते हैं । वहां 45-50 रुपये पर मजदूर मिलते हैं । इसलिये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से मजदूर वहां जाते हैं । इनको वहां 15-18 रुपये दिया जाता है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो निर्धारित मजदूरी है, उसके आधार पर मजदूर नहीं मिलते हैं लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखंड में जो दैनिक मजदूरी है, उससे अधिक वेतन नहीं हुआ है ।

जहां एक्प्लायटेशन होता है, श्रम विभाग के सहकारिता द्वारा जांच की जाती है साढ़े 25 हजार जांच, इसके द्वारा की गई है, लगभग 32 हजार श्रमिकों की राजस्व विभाग द्वारा जांच हुई है । एक विशेष कार्यक्रम के द्वारा 15 दिसम्बर से 31 सितम्बर तक सचल अभियान के द्वारा कृषि से सम्बन्धित मजदूरों को उनकी मजदूरी बतायी जायेगी । अगर कोई अड़चन होती है उनको तो वह अपने नजदीक के ग्राम सेवक नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी आदि को सूचना दे दें । उनके बकाये वेतन की वसूली, राजस्व वसूली जिस प्रकार से होती है उस प्रकार से करने का प्राविधान है । शासन ने यह भी किया है कि कृषि मजदूरों का कार्य करते हुए यदि हाथ या पांव टूट जाता है तो 1 हजार रुपया अनुदान मिले । अगर दोनों हाथ

कट जायं अथवा दोनों पांव कट जांय तो 2,000 (दो हजार) रु0 अनुदान दिया जाय। एक हाथ एक पांव कट जाए उसको एक हजार मिले, यह व्यवस्था की गयी है। यह भी सही है कि इसको आमूल रूप से सब पर लागू करने में कुछ स्थितियों को देखना पड़ता है। हमारे समाज में कुछ ऐसे अंग हैं जो इस बात में अपनी शान समझते हैं कि सरकारी जो आदेश हैं उनका उल्लंघन करना ही सबसे बड़ी शान होती है, ऐसे लोग जांच में आयेंगे, पकड़ में आयेंगे तो शासन उनके साथ कठोर कार्यवाही करेगा। जहां तक बलात्कार का प्रश्न है उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

अब हम लोग उठते हैं कल पुनः 11 बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 5 सितम्बर, 1983 ई0

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

बिहार पंचायत सचिवालय

नत्थी "क"

(देखिए अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 413 पर ।)

फसल धान

खरीफ 1983–84 में फसल बीमा के लिए चुने गये जिले तथा उनमें चुनी गई तहसीलों की सूची :

जिला	तहसील
1—सहारनपुर	1—सहारनपुर ।
	2—नकुर ।
	3—देवबन्द ।
	4—रुड़की ।
2—मुजफ्फरनगर	5—कैराना ।
	6—मुजफ्फरनगर ।
3—बरेली	7—बहेड़ी ।
	8—बरेली ।
4—बिजनौर	9—बिजनौर ।
	10—नगीना ।
	11—धामपुर ।
5—रामपुर	12—बिलासपुर ।
6—पीलीभीत	13—पीलीभीत ।
	14—बीसलपुर ।
	15—पूरनपुर ।
7—शाहजहांपुर	16—तिलहर ।
	17—जलालाबाद ।
8—इटावा	18—भरथना ।
	19—बिधूना ।
9—कानपुर	20—बिल्हौर ।
	21—डेरापुर ।
10—इलाहाबाद	22—चायल ।

1	2
11—लखनऊ	23—मलिहाबाद ।
	24—लखनऊ ।
12—उन्नाव	25—सफीपुर ।
	26—हसनगंज ।
	27—उन्नाव ।
13—रायबरेली	28—महराजगंज ।
	29—सलोन ।
14—सीतापुर	30—बिसवां ।
15—गोरखपुर	31—फरेन्दा ।
	32—महराजगंज ।
16—देवरिया	33—हाटा ।
	34—पडरौना ।
	35—देवरिया ।
	36—सलेमपुर ।
17—बस्ती	37—नौगढ़ ।
	38—बांसी ।
18—बलिया	39—बांसडीह ।
19—फैजाबाद	40—फैजाबाद ।
20—गोण्डा	41—बलरामपुर ।
21—बहराइच	42—कैसरगंज ।
22—सुल्तानपुर	43—कादीपुर ।
23—बाराबंकी	44—नवाबगंज ।
	45—रामसनेहीघाट ।
24—नैनीताल	46—काशीपुर ।
	47—किच्छा ।
	48—खटीमा ।
	49—गदरपुर ।
	50—सितारगंज ।

विधान सभा सदस्य

उत्तर प्रदेश में फसल बीमा योजना की रूपरेखा

यह योजना भारतीय सामान्य बीमा निगम के सहयोग से खरीफ 1983–84 से लागू कर दी गयी है। प्रदेश शासन भी इसमें 25 प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में भाग ले रहा है। 75 प्रतिशत भाग सामान्य बीमा निगम का होगा। योजना की रूपरेखा निम्नवत् है :—

(1) यह योजना स्वैच्छिक है।

(2) इस समय यह खरीफ में धान पर लागू की गयी है और रबी में गेहूं पर लागू की जायेगी।

(3) इस योजना में तहसील स्तर पर बीमा कराने वाली फसलों की औसत उपज की गारन्टी की जायेगी। यह गारंटीड उपज तहसील की विगत 8–10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर निकाली जायेगी। यदि तहसील की औसत उपज गारंटीड उपज से कम होगी तभी इन्डेम्निटी दी जायेगी अन्यथा नहीं। इस प्रकार इस योजना में बीमा कराने वाले कृषकों को फसल में होने वाली व्यक्तिगत रूप से क्षतिपूर्ति करने का कोई प्राविधान नहीं है। तहसील की औसत उपज क्राप–कटिंग प्रयोगों पर आधारित की जायेगी।

(4) केवल वे ही कृषक इस योजना का लाभ उठा पायेंगे जो सहकारी समिति के सदस्य होंगे और उनसे अल्पकालीन फसल ऋण लेंगे।

(5) एक तहसील में बीमा कराने वाले सभी कृषकों को एक ही दर से प्रीमियम देना होगा तथा इन्डेम्निटी भी एक दर से ही दी जायेगी।

(6) यदि तहसील की औसत उपज गारंटीड उपज से कम आती है तो जिस अनुपात में यह कमी आयेगी उसी अनुपति में बीमा की गयी धनराशि पर इन्डेम्निटी तय होगी और उसका भुगतान सम्बन्धित सहकारी समिति के माध्यम से फसल कटने के 2–3 महीने की अवधि में ऋण की अदायगी में समायोजित करके किया जायेगा।

(7) खरीफ 1983–84 में बीमा की अधिकतम धनराशि प्रति कृषक के अल्पकालीन ऋण का 110 प्रतिशत अथवा 5,000 रु0 जो भी कम हो, होगी।

(8) फसल बोने तथा फसल कटाई तक की अवधि में फसल को हुई सभी हानियों के विरुद्ध फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को दिया जायेगा। फसल कटने के पश्चात् खलिहान में अथवा गोदामों में हुई हानि के लिये सुविधा देने का प्राविधान इस योजना में नहीं है।

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 65 का उत्तर पीछे पृष्ठ 441 पर)

विधान सभा के वर्तमान सत्र के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री मोती लाल देहलवी द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं0 93 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
93—क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि कानपुर के बी0 के0 हायर सेकेन्ड्री स्कूल के हरिजन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सर्वश्री छोटे लाल, दिवाकर आदि की सेवायें अवैधानिक रूप से समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 2 फरवरी, 1981 को, जो पत्र प्रश्नकर्त्ता द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आवेदन-पत्र संलग्न कर शिक्षा राज्य मन्त्री को दिया गया उस पर क्या कार्यवाही की गयी ।	93—जी हां । माननीय सदस्य का पत्र प्राप्त हुआ था किन्तु उसके साथ बी0 के0 हायर सेकेन्ड्री स्कूल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का आवेदन-पत्र संलग्न नहीं था । उक्त विद्यालय के प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य द्वारा अवैधानिक कार्य करने तथा विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं के कारण विद्यालय प्रबन्ध तंत्र के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा संशोधन अधिनियम की धारा 16-डी के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी तथा विद्यालय प्रबन्ध तंत्र को 16-डी(2) एवम् 16-डी(3) के नोटिस दिये जा चुके हैं ।

(ह0) स्वरूप कुमारी बक्शी,

शिक्षा मन्त्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 73 का उत्तर पीछे पृष्ठ 444 पर।)

आगरा मण्डल

क्रमांक	उन विद्यालयों के नाम, पते सहित (जिन्हें वर्ष 1980, 1981 तथा 1982 में मान्यता दी गई)	वर्ग/विषय में मान्यता दी गई	क्या मान्यता हेतु विद्यालय सभी शर्तों को पूर्ण करता था
1	2	3	4
	वर्ष 1980 से		
1	श्री किसान उ0 मा0 विद्यालय रहमतपुर, माफी, बिलराम, एटा	साहि0 हि0 हाई0 नवीन (हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत कला, नागरिक शास्त्र)	नहीं
	वर्ष 1981 से		
1	श्री पूर्णा नन्द उ0 मा0 विद्यालय, नेपई, आगरा	साहि0 हाई0 नवीन (हिन्दी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, कला, अर्थशास्त्र)	हां
2	किसान उ0 मा0 विद्यालय, घाघऊ, मैनपुरी	साहि0 हाई0 नवीन (हिन्दी, गणित, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी)	नहीं
3	श्री किसान उ0 मा0 विद्यालय, नौशहरा, मैनपुरी	साहि0 हाई0 नवीन (हिन्दी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र)	नहीं
4	किसान हितकारी उ0 मा0 विद्यालय, दौलतपुर, बल्देव, मथुरा	साहि0 हाई0 नवीन (हिन्दी, गणित, संस्कृत, नागरिकशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र)	नहीं
5	वैदिक विद्यालय उ0 मा0 विद्यालय, नगला, बिरखू, अलीगढ़	साहि0 हाई0 नवीन (हिन्दी, गणित, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी)	नहीं
6	लगसमा बालिका उ0 मा0 विद्यालय, गोंडा, अलीगढ़	साहि0 हाई0 नवीन (हिन्दी, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र)	नहीं

1	2	3	4
7	उ0 मा0 विद्यालय, जिरौली, धूम सिंह, अलीगढ़	साहि0 हाई नवीन (हिन्दी गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र)	नहीं
	वर्ष 1982 से		
1	स्टवर्ड वार्ड मेमोरियल उ0 मा0 विद्यालय, सिकन्दरा, आगरा	साहि0 हाई0 नवीन (हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, कला, भूगोल इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक-शास्त्र)	हां
2	श्री दयानन्द उ0 मा0 विद्यालय, भरतौली, एटा	साहित्य हाई0 नवीन (हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र)	नहीं
3	श्री कृष्ण लक्ष्मण विद्यालय, पुराहार, बुलाकी नगर, एटा	साहि0 हाई0 नवीन (हिन्दी गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, नागरिक-शास्त्र)	हां
4	जनता जू0 हा0 स्कूल, नगला बिरखू, अलीगढ़	साहि0 हाई0 नवीन (हिन्दी, गणित, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल)	नहीं

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 74 का उत्तर पीछे पृष्ठ 444 पर ।)

गोरखपुर मण्डल

क्रमांक	उन विद्यालयों के नाम (पते सहित) जिन्हें वर्ष 1980, 1981 तथा 1982 में मान्यता दी गयी	वर्ग/विषय जिसमें मान्यता दी गयी	क्या मान्यता हेतु विद्यालय सभी शर्तों को पूर्ण करता था
1	2	3	4
	वर्ष 1980 से		
1	अशर्फिया उ0 मा0 माहुल, आजमगढ़	विद्यालय, साहि0 हाई0 नवीन (हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, इतिहास)	नहीं
2	उ0 मा0 विद्यालय, गदरावा, आजमगढ़	साहि0 हिन्दी हाई0 नवीन (हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, उर्दू, भूगोल, नागरिक शास्त्र)	नहीं
3	राज कुमार उ0 मा0 विद्यालय, कुवेश्वर नाथ, देवरिया	साहि0 हाई0 नवीन (हिन्दी, गणित, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, संस्कृत)	नहीं
4	श्रीमती रेशमा रावत, कृषक उ0 मा0 विद्यालय, भोटी, रावत, गोरखपुर	साहि0 हाई स्कूल नवीन (हिन्दी, गणित, संस्कृत, अर्थ0, भूगोल)	नहीं
	वर्ष 1981 से		
1	आर्य बालिका उ0मा0 विद्यालय, कोरौली, कोठा, आजमगढ़	साहि0 हाई0 नवीन (हिन्दी, गृह विज्ञान, संस्कृत, इति0, नाग0, अर्थ0)	नहीं
2	सिद्धेश्वरी जनता उ0 मा0 विद्यालय, जेठहरी, आजमगढ़	साहि0 हाई0 नवीन (हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, संस्कृत)	नहीं
3	किसान उ0 मा0 विद्यालय, मन्धनापार, बिलरियागंज, आजमगढ़	साहि0 हाई0 नवीन (हिन्दी, गणित, भूगोल, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास)	हाँ
4	आदर्श विद्यालय उ0 मा0 विद्यालय, सुरहन, आजमगढ़	साहि0 हाई0 नवीन (हिन्दी गणित, अर्थ0, इति0, संस्कृत, अंग्रेजी)	नहीं

1	2	3	4
5	श्री यदुनन्दन उ0 मा0 वि0, खासवेगपुर, मनियारपुर, आजमगढ़	साहि0, हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थ0	नहीं
6	आदर्श उ0 मा0 विद्यालय, मित्तूपुर, आजमगढ़	साहि0, हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, अर्थ0	नहीं
7	नेहरू स्मारक उ0 मा0 विद्यालय, वेलहाडीह, डडवा, आजमगढ़	साहि0, हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, भूगोल, अर्थ0 संस्कृत, अंग्रेजी	नहीं
8	श्री नारायण प्रसाद साही आदर्श विद्यालय, वरियापार, देवरिया	साहि0, हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, भूगोल, संस्कृत, नाग0	नहीं
9	लोहिया उ0 मा0 विद्यालय, सहवा, बडोलो, देवरिया	साहि0, हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अर्थ0, नाग0, भूगोल, संस्कृत	नहीं
10	किसान उ0 मा0 विद्यालय, कंचनपुर, देवरिया	साहि0, हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, नाग0, इति0, अर्थ0, संस्कृत	हां
*11	विद्यार्थी विद्यामन्दिर, जगदीशपुर, बरडीहा, देवरिया	साहि0, हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अर्थ0, इति0 संस्कृत, नाग0	..
12	बाबा इन्द्रमणी जनता उ0 मा0 विद्यालय, ठीकर, भदवा, देवरिया	साहि0, हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, इति0, भूगोल	नहीं
13	उ0 मा0 विद्यालय, परसिया मिश्र, बड़डीहा, देवरिया	साहि0, हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थ0	नहीं
14	श्री राम विलास राव उ0 मा0 विद्यालय, रामपुर बुजुर्ग, दालेपुर कलां, सलेमपुर, देवरिया	साहि0, हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, इति0	हां
15	श्रीमती गुजराती देवी बालिका विद्यालय, महुआबारी, लारोड, देवरिया	साहि0, हाई0 नवीन हिन्दी, गृहविज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, इति0, नाग0	हां

*उपरोक्त क्रम 11 की मूल पत्रावली खण्ड विकास अधिकारी, अपराध अनुसंधान विभाग, गोरखपुर को आवश्यक जांच हेतु भेजी गई है जो अभी प्राप्त नहीं हो सकी है। अतः स्तम्भ 4 की स्थिति वर्तमान में देना सम्भव नहीं है।

1	2	3	4
16	श्री जवाहर लाल उ0 मा0 विद्यालय, जोरोसी, भागलपुर, देवरिया	साहि0, हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, इति0, भूगोल, नाग0, संस्कृत, अर्थ0	नहीं
17	श्री जवाहर लाल नेहरू रघुनन्दन उ0 मा0 विद्यालय, कसोली, यमुनामठ सतरांव, देवरिया	साहि0, हाई0 स्कूल नवीन, हिन्दी, गणित, इतिहास, भूगोल, नाग0, संस्कृत	नहीं
18	आदर्श उ0 मा0 विद्यालय, भीटो, खोरिया, गोरखपुर	साहित्यिक, हाई0 नवीन, हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, इति0, नाग0	हां
19	महाराणा प्रताप कृषक उ0 मा0 वि0, जगल भूषण, गोरखपुर	साहित्यिक, हाई0 नवीन, हिन्दी, गणित, अर्थ, नाग0, अंग्रेजी, इतिहास	नहीं
20	नवयुग एंग्लो उ0 मा0 विद्यालय, बेहील, शिवापार, गोरखपुर	साहि0, हाई0 नवीन, हिन्दी, गणित, अर्थ0, भूगोल, संस्कृत, अंग्रजी,	नहीं
21	नेहरू उ0 मा0 विद्यालय, पी0 पी0 गंज, गोरखपुर	साहि0, नवीन हिन्दी, गणित, भूगोल, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थ0	हां
22	किसान उ0 मा0 विद्यालय, आछूराम तुर्क, बलिया, गोरखपुर	साहि0 वर्ग, हिन्दी, गणित, भूगोल, संस्कृत, अर्थ0, अंग्रेजी	नहीं
23	किसान उ0 मा0 विद्यालय, धनगढ़ी, कूडेखी चौमुखा बाया घुघली, गोरखपुर	साहि0 वर्ग, हिन्दी, गणित, भूगोल, अर्थ0, अंग्रेजी, संस्कृत	नहीं
24	संत तुलसीदास उ0 मा0 विद्यालय, बस्थनवा, बस्ती	साहि0 वर्ग, नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, अर्थ0, संस्कृत, भूगोल	हां

वर्ष 1982 से

1	लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा निकेतन उ0 मा0 विद्यालय, पिपरा मदनगोपाल, देवरिया	साहि0 वर्ग, नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, भूगोल, नाग0, संस्कृत	हां
2	भगवान परशुराम धाम उ0 मा0 विद्यालय, सरोहननाथ से सलीमपुर, देवरिया	साहि0 वर्ग, नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, भूगोल, नाग0, संस्कृत	हां
3	किसान उ0 मा0 विद्यालय, सलेमपुर, देवरिया	साहि0 वर्ग, नवीन हिन्दी, गणित, संस्कृत, नाग0, अंग्रेजी, अर्थ0, भूगोल, इति0	नहीं

1	2	3	4
4	पं0 दीनदयाल उ0 मा0 विद्यालय, पिपराइच, गोरखपुर	साहि0 वर्ग, नवीन हिन्दी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, इति0, भूगोल, नाग0, कला0	नहीं
5	पंचायत उ0 मा0 विद्यालय, परमेश्वरपुर, गोरखपुर	साहि0 वर्ग, नवीन हिन्दी, गणित, भूगोल, नाग0, संस्कृत, इति0, अंग्रेजी, अर्थ0	नहीं
6	श्री हनुमान आचार्य कुल उ0 मा0 विद्यालय, धनौडी, गोरखपुर	साहि0 वर्ग ,नवीन हिन्दी, गणित, नाग0, अर्थ0, संस्कृत, भूगोल, अंग्रेजी	नहीं
7	रफीमेमोरियल उ0 मा0 विद्यालय, रफीनगर, चकवई, बस्ती	साहि0 वर्ग, नवीन हिन्दी, गणित, भूगोल, नाग0, उर्दू, अंग्रेजी	हां
8	रमाशंकर सच्चिदानन्द पाल कृषक उ0 मा0 विद्यालय, सिकरी, बस्ती	साहि0 वर्ग, नवीन हिन्दी, गणित, इति0, भूगोल, संस्कृत, नाग0	हां
9	कृषक उ0 मा0 विद्यालय, कुरियार, बस्ती	साहि0 वर्ग, नवीन हिन्दी, गणित, संस्कृत, इति0, नाग0, अर्थ0	नहीं

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 75 का उत्तर पीछे पृष्ठ 446 पर।)

गढ़वाल (पौड़ी) मण्डल

क्रमांक	उन विद्यालयों के नाम (पते सहित) जिन्हें वर्ष 1980–1982 में मान्यता दी गई	वर्ग/विषय जिसमें मान्यता दी गई	क्या मान्यता हेतु विद्यालय सभी शर्तों को पूर्ण करता था
1	2	3	4
	वर्ष 1980 से		
	शून्य		
	वर्ष 1981 से		
1	अनता लघु मा0 विद्यालय, सिमरी, खाटली, कांडा, पौड़ी–गढ़वाल	साहि0, हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, कला, इतिहास, नाग0 शास्त्र	हां
2	हा0 से0 स्कूल, पोखरी, अजमेर, सिमलना, पौड़ी गढ़वाल	साहि0, हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र	नहीं
3	हा0 से0 स्कूल, कमलपुर, सायला कोटी, पौड़ी गढ़वाल	साहि0, हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, नाग0 शास्त्र	नहीं
4	पूर्व मा0 विद्यालय, सकिन्डा, पौड़ी गढ़वाल	साहि0, हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थ–शास्त्र, नागरिकशास्त्र	नहीं
5	सेठ रामशरण दास पूर्व मा0 विद्यालय, तिलकनगर, तिलवाड़, टिहरी गढ़वाल	साहि0, हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, भूगोल, अर्थशास्त्र, नाग0 शास्त्र	नहीं
6	जनता हा0 से0 स्कूल, नवा–गांव, मलहान, देहरादून	साहि0, हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र	हां
7	श्री वर्णी जैन विद्यालय, देहरादून	साहि0, हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थ–शास्त्र, नागरिकशास्त्र	नहीं

1	2	2	4
		वर्ष 1982 से	
1	पूर्व मा0 विद्यालय, धोलखेत, खोल, पौड़ी गढ़वाल	साहि0, हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, कला, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक-शास्त्र	हां
2	हा0 से0 स्कूल, तिलखोली, पौड़ी गढ़वाल	साहि0, हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, कला, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र	हां
3	श्री पूर्णानन्द विद्यालय निकेतन हा0 से0 स्कूल, मुनिकीरेती, ऋषिकेश, टिहरीगढ़वाल	साहि0, हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, कला, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र	नहीं
4	श्री बालगंगा हा0 से0 स्कूल, केमरा, सिल्यारा, टिहरी गढ़वाल	साहि0, हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, कला, भूगोल, अर्थशास्त्र, नाग0 शास्त्र	नहीं
5	आदर्श अन्ध विद्यालय, राजपुर, देहरादून	साहि0, हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, संगीत (गायन) इतिहास, नाग0 शास्त्र	हां

संसद प्रदेश

नत्थी "च"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 76 का उत्तर पीछे पृष्ठ 445 पर)

फैजाबाद मण्डल

क्रमांक	उन विद्यालयों के नाम (पते सहित) जिन्हें वर्ष 1980, 1981 तथा 1982 में मान्यता दी गई	वर्ग/विषय जिसमें मान्यता दी गई	क्या मान्यता हेतु विद्यालय सभी शर्तों को पूर्ण करता था
1	2	3	4
	वर्ष 1980 से		
1	जनता उ0 मा0 विद्यालय, मनकापुर, गोण्डा	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, नाग0	नहीं
	वर्ष 1981 से		
1	श्री राम कुमार मनीराम लघु माध्यमिक विद्यालय, चिलवरिया, बहराइच	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थ0	नहीं
2	चौ0 सियाराम उ0 मा0 विद्यालय, फखरपुर, बहराइच	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास	नहीं
3	जवाहर लाल राष्ट्रीय उ0मा0 विद्यालय, नवाबगंज, अलियाबाद, बहराइच	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थ0, भूगोल	नहीं
4	खिलाडीदास विद्यापीठ उ0 मा0, विद्यालय, हंसबार, बाराबंकी	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थ0, भूगोल	नहीं
5	श्री भैरवनाथ उ0 मा0 विद्यालय, मऊगोरपुर, बाराबंकी	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, नाग0, इति0, भूगोल, अर्थ0	नहीं
6	श्री राघवेन्द्र प्रताप आदर्श उ0मा0 विद्यालय, मनकापुर, गोण्डा	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, इति0, नाग0	नहीं
7	मोहनलाल रामलाल उ0 मा0 विद्यालय, शिवपूरा, गोण्डा	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, इति0, नाग0	हां

1	2	3	4
8	किसान उ0 मा0 विद्यालय, पिपरा, इस्माइल, गोण्डा	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थ0	नहीं
9	प्रगतिशील आदर्श विद्या-मंदिर उ0 मा0 विद्यालय, पेठिया, फैजाबाद	साहि0 हाई0 नवीन, हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थ0, नाग0	नहीं
10	सन्त कबीर उ0 मा0 विद्यालय, भैरम का पूरा, सैदपुर, फैजाबाद	साहि0 हाई0 नवीन, हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, इति0, नाग0	नहीं
11	अजय प्रताप उ0 मा0 विद्यालय, भीटी, फैजाबाद	साहि0 हाई0 नवीन, हिन्दी, गणित, संस्कृत, नाग0, अर्थ0 इति0	नहीं
12	अमर जनता उ0 मा0 विद्यालय, पूरेवैष्ण, प्रतापगढ़	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, अर्थ0	हां
13	देवनारायण सिंह उ0 मा0 विद्यालय, पाकड़पुर, सुल्तान-पुर	साहि0 हाई0 नवीन, हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, नाग0, इति0	नहीं
14	भीष्मशाह उ0 मा0 विद्यालय, भवानीगढ़, सुल्तानपुर	साहि0 हाई0 नवीन, हिन्दी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थ0 नाग0, भूगोल	नहीं
15	राष्ट्रवादी उ0मा0 विद्यालय, सपाही, सुल्तानपुर	साहि0 हाई0 नवीन, हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, सस्कृत, अर्थ0, नाग0	नहीं
16	मुश्तकीम उ0 मा0 विद्यालय, ज्ञानीपुर, सुल्तानपुर	साहि0 हाई0 नवीन, हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, उर्दू, भूगोल, अर्थ0	हां
17	राम प्रताप उ0मा0 विद्यालय, प्रतापगंज, भादा, सुल्तान-पुर	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थ0	नहीं
18	उ0मा0 विद्यालय, कालिकन, अमेठी, सुल्तानपुर	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थ0, भूगोल	नहीं

1	2	3	4
19	श्री रणंजय उ0 मा0 बिद्यालय, देगहा, सुल्तानपुर	साहि0 हाई0 नवीन, हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थ	नहीं
20	श्री अम्बेराय उ0 मा0 बिद्यालय, गाजनपुर, दुबरिया, सुल्तानपुर	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थ0	नहीं

वर्ष 1982

1	जनता उ0 मा0 विद्यालय, बभनान, गोण्डा	साहि0 हाई0 नवीन, हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थ0, नाग0, इति0	हां
2	कृषक उ0 मा0 बिद्यालय, रामपुर, मगन, फैजाबाद	साहि0 हाई0 नवीन, हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थ0	हां
3	आदर्श जनता उ0 मा0 विद्यालय, टाण्डा, फैजाबाद	बैज्ञा0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, बिज्ञान, जीव विज्ञान	नहीं
4	शिव कुमारी दुबे, उ0 मा0 विद्यालय, नौडेरा, प्रतापगढ़	साहि0 हाई0 नवीन, हिन्दी, गणित, संस्कृत, इति0, नाग0, कला, अर्थ0, भूगोल	हां
5	उ0 मा0 विद्यालय, गौरा, प्रतापगढ़	साहि0 हाई0 नवीन, हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, इति0, भूगोल, नाग0, अर्थ0	नहीं
6	जनता उ0 मा0 विद्यालय, बलीपुर, हीरागंज, प्रतापगढ़	साहि0 हाई0 नवीन, हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थ0, इति0, नाग0	हां
7	मथुरा प्रसाद उ0 मा0 विद्यालय, चिलबिला (कोटा), प्रतापगढ़	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थ	नहीं

1	2	3	4
8	जय भारत उ0मा0 विद्यालय, मथुरानगर, लम्भुआ, सुल्तानपुर	साहि0 हाई0 नवीन गणित, अंग्रेजी, अर्थ0, नाग0, भूगोल	हिन्दी, संस्कृत, इति0, हां
9	श्री स्वामी शान्तानन्द उ0 मा0 मिसरौली, कसारा, सुल्तानपुर	साहि0 हाई0 नवीन गणित, अंग्रेजी, इति0, भूगोल, अर्थ, कला	हिन्दी, संस्कृत, हां
10	श्री रामदेव पाण्डेय उ0 मा0 विद्यालय, सरैया मुस्तफाबाद, कादीपुर, सुल्तानपुर	साहि0 हाई0 नवीन गणित, अंग्रेजी, अर्थ0, नाग0, भूगोल	हिन्दी, संस्कृत, इति0, नहीं
11	स्टेलामेरिस कान्वेन्ट उ0 मा0 विद्यालय, सुल्तानपुर	वैज्ञा0 हाई नवीन गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, जीव विज्ञान	हिन्दी, संस्कृत, नहीं
12	जनता जू0 हाई0 कुम्दा, भंरोपुर सुल्तानपुर	साहि0 हाई0 नवीन गणित, अंग्रेजी, नाग0, भूगोल	हिन्दी, संस्कृत, नहीं
23	आनन्द भवन बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय, देवा रोड, बाराबंकी	साहि0 हाई0 नवीन गृह विज्ञान, अंग्रेजी, इति0, नाग0	हिन्दी, संस्कृत, नहीं

नत्थी "छ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 78 का उत्तर पीछे पृष्ठ 446 पर)

झाँसी मण्डल

क्रमांक	विद्यालय का नाम (पते सहित) जिन्हें वर्ष 1980, 1981 एवं 1982 में मान्यता दी गयी	वर्ग/विषय जिसमें मान्यता दी गई	क्या मान्यता हेतु विद्यालय सभी शर्तों को पूर्ण करता था
1	2	3	4
	वर्ष 1980 से		
	शून्य		
	वर्ष 1981 से		
1	श्री बाबा दाऊ दयाल उ0 मा0 विद्यालय, एको, जालौन	साहि0 हाई0 नवीन गणित, भूगोल, अर्थ0 हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत,	हां
2	उ0 मा0 विद्यालय, अकोढी, जालौन	साहि0 हाई0 नवीन गणित, भूगोल, अर्थ0 हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत,	नहीं
3	रघुराज उ0 मा0 विद्यालय, सिकरी राजा, जालौन	साहि0 हाई0 नवीन गणित, भूगोल, अर्थ0 हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत,	नहीं
4	श्रीकृष्ण उ0 मा0 विद्यालय, गठर, जालौन	साहि0 हाई0 नवीन गणित, अर्थ0, नाग0 हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत,	नहीं
5	सूर्य प्रताप उ0 मा0 विद्यालय, बिजना, झाँसी	साहि0 हाई0 नवीन गणित, अर्थ, नाग0 हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत,	नहीं
	वर्ष 1982 से		
1	पालेश्वर नाथ उ0 मा0 विद्यालय, पहाड़ी, बांदा	साहि0 हाई0 नवीन गणित, नाग0, इति0 हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थ0,	नहीं

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 79 का उत्तर पीछे पृष्ठ 446 पर)

लखनऊ मंडल

क्रमांक	उन विद्यालयों के नाम (पते सहित) जिन्हें वर्ष 1980-81 तथा 1982 में मान्यता दी गई	वर्ग/विषय जिसमें मान्यता दी गई	क्या मान्यता हेतु विद्यालय सभी शर्तों को पूर्ण करता था
1	2	3	4
	वर्ष 1980 से		
1	सुभाष जू0 हा0 स्कूल, तेरवा बहिगवां	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, संस्कृत, भूगोल, अर्थ0 नाग0	हां
	वर्ष 1981 से		
1	आदर्श विद्यालय, थमरवा, हरदोई	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, संस्कृत, भूगोल, अंग्रेजी, अर्थ0	नहीं
2	विद्यापीठ जू0 हाई स्कूल, बावन, हरदोई	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, अर्थ0	नहीं
3	नेहरू विद्यालय, हरियावां, हरदोई	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, अर्थ0	नहीं
4	आशुतोष मा0 वि0, सआदत नगर, हरदोई	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थ0, भूगोल	नहीं
5	लाल बहादुर शास्त्री उ0 मा0 वि0, गोला गोकर्ण नाथ, खीरी	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, नाग0, अर्थ0	नहीं
6	जनता उ0 मा0 वि0, राजेपुर, उन्नाव	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, नाग0	नहीं
7	नवजीवन बालिका वि0, मोहन लाल गंज, लखनऊ	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गृह विज्ञान, इति0, अर्थ0, संस्कृत, अंग्रेजी	नहीं
8	भारतीय विद्या मन्दिर पूर्व मा0 वि0, आदर्श नगर कमहरियर नवराजपुर, सीतापुर	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, संस्कृत, अर्थ0, भूगोल, अंग्रेजी	नहीं

1	2	3	4
9	गुरुदेव मा0 वि0, सथरा माधव, सीतापुर	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, इतिहास, अंग्रेजी, संस्कृत, नाग0	नहीं
10	श्री रघुराज सिंह मा0 वि0, लोनियान पुरवा, सीतापुर	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, अर्थ0, नाग0	नहीं
11	राज नारायण जायसवाल उ0 मा0 वि0, नगराम, लखनऊ	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थ0, भूगोल	नहीं
12	मस्लिम बिस्वां गर्ल्स उ0 मा0 वि0, सीतापुर	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गृह विज्ञान, उर्दू, अंग्रेजी, अर्थ0 इति0	नहीं
13	बाबा मंसाराम विद्या मन्दिर उ0 मा0 वि0, बिलग्राम, हरदोई	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थ0	नहीं
		वर्ष 1982 से	
1	श्री पटेल जनहित पूर्व मा0 वि0, मनहर, भदोही, उन्नाव	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थ0, भूगोल, इति0, नाग0	नहीं
2	पार्वती बालिका पूर्व मा0 वि0, बीबापुर, उन्नाव	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गृह विज्ञान, संस्कृत, नाग0, अर्थ0, अंग्रेजी, कला, भूगोल	नहीं
3	विवेकानन्द सरस्वती शिशु मन्दिर उ0 मा0 वि0, मोती नगर, उन्नाव	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, भूगोल, अर्थ0, संस्कृत, नाग0, इति0 तथा वैज्ञानिक हिन्दी, गणित, विज्ञान, जीव विज्ञान तथा साहि0 वर्ग के मान्य वैक0 वि0	नहीं
4	राजा लोनी सिंह उ0 मा0 वि0, मितौली, खीरी	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अर्थ0, नाग0, इति0, सस्कृत	नहीं
5	पटेल जू0 हा0 स्कूल, हेमपुर बेरी कला, सीतापुर	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, संस्कृत, अग्रेजी, नाग0, भूगोल	नहीं
6	जनता उ0 मा0 वि0 गढ़ा, रायबरेली	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, अर्थ0	नहीं
7	सोहन लाल बालिका वि0, राजेन्द्र नगर, लखनऊ	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गृह विज्ञान, इति0 भूगोल, नाग0, संस्कृत	नहीं

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 80 का उत्तर पीछे पृष्ठ 446 पर)

कुमायूं मंडल

क्रमांक	उन विद्यालयों के नाम व (पते सहित) जिन्हें वर्ष 1980-81 तथा 1982 में मान्यता दी गई	वर्ग/विषय जिसमें मान्यता दी गई	क्या मान्यता हेतु विद्यालय सभी शर्तों को पूर्ण करता था
1	2	3	4
	वर्ष 1980 से		
1	माध्यमिक विद्यालय, चौड़ा, मेहता, पिथौरागढ़	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थ0	नहीं
	वर्ष 1981 से		
1	नव ज्योति मा0 विद्यालय, सिनार, भिकिया सेन, अल्मोड़ा	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थ0	नहीं
2	श्री सिद्ध उ0 मा0 वि0, रीहखाल, पिथौरागढ़	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थ0 नाग0	नहीं
3	जनता पूर्व मा0 वि0, चमू, पिथौरागढ़	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, इति0, अर्थ0 नाग0	नहीं
4	उच्चतर मा0 वि0, काकी नगर घरमघार, पिथौरागढ़	साहि0 हाई0 नवीन	नहीं
	वर्ष 1982 से		
1	मा0 वि0 क्वंराली, बागेश्वर, अल्मोड़ा	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थ0, नाग0	नहीं
2	हा0 से0 स्कूल, अल्गड़ा, पिथौरागढ़	साहि0 हाई0 नवीन	नहीं

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 81 का उत्तर पीछे पृष्ठ 447 पर)

मुरादाबाद मंडल

क्रमांक	उन विद्यालयों के नाम (पते सहित) जिन्हें वर्ष 1980-81 तथा 1982 में मान्यता दी गई	वर्ग/विषय जिसमें मान्यता दी गई	क्या मान्यता हेतु विद्यालय सभी शर्तों को पूर्ण करता था
1	2	3	4
	वर्ष 1980 से		
	शून्य		
	वर्ष 1981 से		
1	आदर्श जनता जू0 हा0 स्कूल, दौलताबाद, बिजनौर	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थ0, नाग0	नहीं
2	नेहरू मेमो0 उ0 मा0 वि0, ढवारिसी, मुरादाबाद	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, अर्थ0	नहीं
3	आदर्श उ0 मा0 वि0, कुटी दौलतपुर, हसनपुर, मुरादाबाद	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, अर्थ0	नहीं
4	श्री सनातन धर्म कन्या उ0 मा0 वि0, चन्दौसी, मुरादाबाद	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गृह विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, इति0 नाग0	नहीं
	वर्ष 1982 से		
1	गांधी शताब्दी स्मारक उ0 मा0 वि0, इर्षानगर, रामपुर	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, इति0, नाग0, अर्थ0, कला भूगोल	हां
2	जनता विद्यालय जू0 हाई स्कूल, गोपी वाला, कलेवाला मुरादाबाद	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, इति0, नाग0, भूगोल तथा अर्थ0	हां
3	जू0 हाई स्कूल, सादकपुर, बिजनौर	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, इति0, अर्थ0 नाग0	नहीं

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 82 का उत्तर पीछे पृष्ठ 447 पर)

मेरठ मण्डल

क्रमांक	उन विद्यालयों के नाम (पते सहित) जिन्हें वर्ष 1980, 1981 तथा 1982 में मान्यता दी गई	वर्ग/विषय जिसमें मान्यता दी गई	क्या मान्यता विद्यालय की शर्तों को करता था
1	2	3	4
		वर्ष 1980 से	
		शून्य	
		वर्ष 1981 से	
1	अमीचन्द हायर सेकेन्डरी स्कूल, कासना, बुलन्दशहर	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र	नहीं
2	छेदी सिंह हायर सेकेन्डरी स्कूल, आकलपुर, स्याना, बुलन्दशहर	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र	नहीं
3	मथुरियान किसान हायर सेकेन्डरी स्कूल, भीमपुर, डिबाई, बुलन्दशहर	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, संस्कृत, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र, भूगोल	नहीं
4	सुभाष हायर सेकेन्डरी स्कूल, सतवारा, बुलन्दशहर	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र	नहीं
5	हायर सेकेन्डरी स्कूल, धनपुर, मेरठ	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र	नहीं
6	जय जवान जय किसान हायर सेकेन्डरी स्कूल, छिसावदा, मेरठ	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र	नहीं
7	श्री स्वामी विवेकानन्द हायर सेकेन्डरी स्कूल, निलौहा, मेरठ	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र	नहीं

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
8	नेताजी सुभाष हायर सेकेन्डरी स्कूल, बुढ़सेनी, मेरठ	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र	नहीं
9	नेहरू स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मटौरा, मवाना, मेरठ	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिकशास्त्र	नहीं
10	आदर्श कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल, मंसा, मेरठ	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गृह-विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, कला, नागरिकशास्त्र	नहीं
11	नेहरू विद्यापीठ जूनियर हाई स्कूल, खरखौदा, मेरठ	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र	नहीं
12	विद्या मन्दिर हाई स्कूल, सेक्टर-5, बी0 एच0 ई0 एल0, रानीपुर, हरिद्वार, सहारनपुर	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, कला, इतिहास, नागरिक-शास्त्र	नहीं

वर्ष 1982 से

शून्य

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 84 का उत्तर पीछे पृष्ठ 448 पर)

बरेली मण्डल

क्रमांक	उन विद्यालयों के नाम (पते सहित) जिन्हें वर्ष 1980, 1981 तथा 1982 में मान्यता दी गई	वर्ग/विषय जिसमें मान्यता दी गई	क्या मान्यता हेतु विद्यालय सभी शर्तों को पूर्ण करता था
	वर्ष 1980 से		
	शून्य		
	वर्ष 1981 से		
1	विनोबा भावे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कांट, शाहजहांपुर	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, नागरिक-शास्त्र	नहीं
2	हाफिज सिद्दीक पंजाबी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बरेली	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, उर्दू तथा इतिहास	नहीं
3	चिरौंजी लाल धरमपाल कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दातागंज, बदायूं	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गृह विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, नागरिकशास्त्र	नहीं
	वर्ष 1982 से		
1	जूनियर हाई स्कूल, चकझाऊ, शाहजहांपुर	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, इतिहास, अंग्रेजी, नागरिकशास्त्र, उर्दू, संस्कृत, अर्थशास्त्र	नहीं
2	ए0 जेड0 खान जूनियर हाई स्कूल, जलालनगर, शाहजहांपुर	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, उर्दू, इतिहास, नागरिकशास्त्र, अंग्रेजी	नहीं

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 91 का उत्तर पीछे पृष्ठ 451 पर)

सूची (क)

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद के कार्यालय तथा आवासीय भाग का अगस्त, 1981 से पहले 1-1-79 से 31-7-81 तक बिजली के बिलों का ब्यौरा

अवधि	कार्यालय यूनिट	आवासीय भाग की यूनिट	कितना पैसा जमा किया गया	
			कार्यालय से	उप शिक्षा निदेशक द्वारा उनके आवासीय भाग का
1	2	3	4	5
			रु0	
29-12-78 से 23-2-79	531	..	288·62	..
24-2-79 से 26-4-79	522	..	249·34	..
27-4-79 से 25-6-79	849	..	386·05	..
26-6-79 से 13-9-79	964	..	437·80	..
14-9-79 से 8-12-79	545	..	249·25	..
9-12-79 से 18-1-80	310	..	143·50	..
19-1-80 से 22-2-80	214	..	100·30	..
23-2-80 से -5-80	411	..	188·95	..
5/80 से 6/80	469	..	215·05	..
6/80 से 8/80	396	..	194·08	..
8/80 से 10/80	962	..	470·71	..
10/80 से 2/81	442	..	216·16	..
2/81 से 4/81	429	..	209·92	..
4/81 से 6/81	473	..	231·04	..
6/81 से 8-7-81	718	..	348·64	..

1	2	3	4	5
	8/81 से अद्यावधि			
7/81 से 12/81	1817	250	916·50	..
	(—) 250			
	1567			
22-12-81 से 6/82	3428			
	(—) 312			
	(=) 3116	312	1794·56	..
22-6-82 से 11-11-82	2652	208	989·04	400·00
	(—) 208			
	(=) 2444			

22-6-82 तक के उपभोग का बिल अंकन 1389·04 रु0 का प्राप्त हुआ। उक्त बिल का भुगतान 989·04 रु0 कन्टिजेन्सी द्वारा तथा 400·00 रु0 उप-शिक्षा निदेशक द्वारा उनके 8/81 से 10/82 तक आवासीय भाग का कुल 770 यूनिट का 0·52 रु0 प्रति यूनिट की दर से किया गया तदोपरान्त बिजली विभाग से भुगतान हेतु कोई बिल नहीं प्राप्त हुआ। 10/82 तक का बिल अंकन 1389·04 इस कार्यालय में 11/83 को प्राप्त हुआ जिसका भुगतान दिनांक 14-3-83 को उपर्युक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किया गया।

सूची (ख)

श्री हरीश चन्द्र तिवारी, उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद के आवासीय भाग के बिजली के मीटर कार्ड की प्रतिलिपि (दिनांक 1-9-81 से 1-7-82 तक)।

दिनांक	रीडिंग	उपभोग की गई यूनिट
1-9-81	45	45
1-10-82	95	50
1-11-81	145	50
1-12-81	190	25
1-1-82	235	45
1-2-82	285	50
1-3-82	335	50
1-4-82	385	50
1-5-82	440	55
1-6-82	490	50
1-7-82	545	55

नत्थी 'ढ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 131 का उत्तर पीछे पृष्ठ 465 पर)

(वर्ष 1977 के बाद जिला चमोली के प्रान्तीयकृत विद्यालयों की सूची)

क्र0 सं0	विद्यालयों का नाम	रा0 संख्या दिनांक जिसके द्वारा प्रान्तीयकरण किया गया	प्रान्तीयकरण की तिथि	अन्य विशेष
1	2	3	4	5
1	पब्लिक इण्टर कालेज, बासुकेदार (चमोली)	8022/1(13)/28-2-77, दि0-6-1-78	15-1-78	
2	इण्टर कालेज, चोपड़ा दंसजूला (चमोली)	8067/4/13/28-2-77, दिनांक 1-3-78	1-3-78	
3	श्री उत्तरा खण्ड विद्यापीठ इण्टर कालेज गुप्तकाशी, (चमोली)	तदेव	1-3-78	
4	तुगेश्वर इण्टर कालेज, चोपता (चमोली)	1541/4(13)/28-2-77, दिनांक 29-3-78	30-3-78	
5	अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालगोण्डी (चमोली)	3685/4(13)/28-2-78, दिनांक 29-9-78	1-9-78	
6	श्री तुंगेश्वर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पलमाडी (चमोली)	तदेव	1-9-78	
7	इण्टर कालेज, गणेशनगर	550/4 (20)/28-2-78, दिनांक 20-3-79	15-3-79	
8	जनता इण्टर कालेज, जगासू (चमोली)	4585/4 (54)/80, दिनांक 4-12-80	1-12-80	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ण"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 181 का उत्तर पीछे पृष्ठ 483 पर)

क्रमांक	स्कूल का नाम	भवन	धनराशि प्राप्त होने का विवरण			कार्य हेतु स्थल उपलब्ध होने का विवरण		उपलब्ध राशि में बन सकने वाले भवनों की संख्या	धन-फरवरी 83 तक कार्यों की भौतिक प्रगति	अन्य विवरण
			धनराशि	शासनादेश का संदर्भ	तिथि	संदर्भ	तिथि			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
प्राइमरी स्कूल :—										
1	बसही		0.732 प0	6,113	27-12-80	2718/82-83	20-10-82	..	50%	स्थल का विलम्ब से प्राप्त होना ।
2	दानुपुर		..	..	..	..	..	..	50%	न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त हुआ था
3	चारो		1.504	7,513	29-11-80	..	..	..	50%	स्थल विलम्ब से प्राप्त होना एवं एप्रोच कठिन होना ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

4	कुसुमरा	..	..	..	9080/82-83	28-1-83	..	50%	तदेव
5	सुगुलपुर	..	..	..	..	..	..	70%	तदेव
6	मुगरी	..	..	..	..	..	8	25%	तदेव
7	शेरपुर	1.784	449	31-3-80	..	..	..	75%	तदेव
8	सुगान	..	..	..	शिविर/मेमों/ 82-83	7-6-83	..	पूर्ण	तदेव
9	बजहां	..	..	..	..	..	..	शून्य	धनाभाव
10	मितौरा	0.820	7551	11-12-80	..	..	..	शून्य	तदेव
11	लक्ष्मीपुर	..	..	..	..	..	..	शून्य	तदेव
	योग ..	4.860	..	..	..	..	8	..	..
जूनियर हाई स्कूल—									
1	हरिया बांध	0.820	440	26-3-82	बेसिक-1/7 7375-76/ 81-82	28-9-81	1	50%	स्थल विलम्ब से प्राप्त होना।
2	शिलापुर	0.970	6326	30-10-82	अप्राप्त	..	1	..	शून्य स्थल प्राप्त न होना।
	योग ..	1.790	..	..	..	..	2	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'त'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 188 का उत्तर पीछे पृष्ठ 486 पर)

क्र0 सं0	ग्राम का नाम जन सं0	ग्राम में वर्तमान विद्यालय	नवीन विद्यालय की सम्भावनायें
		1—बालिकाओं के जूनियर हाई स्कूल की आवश्यकता:—	
		विकास खण्ड बड़ागांव	
1	दादूपुर	2241 प्रा0 पा0 बालक, ज0 हा0 स्कूल बालक	बालिका जू0 हा0 स्कूल
2	ताड़ी	763 प्रा0 पा0 बालक, बालिका	,, ,,
		विकास खण्ड पिंडरा	
1	रसूलपुर	1694 प्रा0 पा0 बाल जू0 हा0 स्कूल, बालक	,, ,,
2	हिरामनपुर	1273 प्रा0 पा0 बालक प्रा0 पा0 बालिका जू0 हा0 स्कूल बालक	,, ,,
3	गरथमा	998 प्रा0 पा0 बालक जू0 हा0 स्कूल बालक	,, ,,
		2—बालिकाओं के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की आवश्यकता :—	
		विकास खंड बडागांव	
1	अनेई	1150 प्रा0 पा0 बालक जू0 हा0 बालक उ0 मा0 वि0 बालक बालिका क्रमो0 विद्यालय	बालिका उ0 मा0 विद्यालय
2	बड़ागांव	4769 प्रा0 पा0 बालक प्रा0 पा0 बालिका, जू0 हा0 बालक, जू0 हा0 बालिका, इं0 कालेज बालक	,, ,,
3	कठिरांव	4535 प्रा0 पा0 बालक, प्रा8 पा0 बालिका, इंटर कालेज बालक	,, ,,
		विकास खण्ड पिंडरा	
1	मंगारी	1759 प्रा0 पा0, बालक' प्रा0 पा0 बालिका जू0 हा0 बालक, जू0 हा0 बालिक, इंटर कालेज बालक	,, ,,
2	पिंडरा	6412 प्रा0 पा0 बालक प्रा0 पा0 बालिका जू0 हा0 स्कूल बालिका जू0 हा0 बालिका इंटर कालेज बालक	,, ,,
3	सिधौरा	2890 प्रा0 पा0 बालक प्रा0 पा0 बालिका जू0 हा0 स्कूल बालक, क्रमो0 वि0 बालिका	,, ,,

पचर

नवीन विद्यालय खोलने के निमित्त विभागीय आदेश निर्गत होने पर बालिकाओं के जूनियर हाई स्कूल खोले जा सकते हैं। जहां तक बालिकाओं के उ० मा० वि० खोलने का प्रश्न है वे संस्थायें व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियों तथा जिला परिषद द्वारा संचलित की जा सकती हैं। जिला परिषद द्वारा कतिपय बालिकाओं के उ० मा० वि० खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिसमें पिण्डरा तथा मंगारी ग्राम भी सम्मिलित हैं।

3--उर्दू शिक्षा की व्यवस्था :--

वर्तमान स्थिति में यदि पूरे स्कूल में 40 तथा किसी एक कक्षा में 10 छात्र उर्दू पढ़ने के इच्छुक हों तो उर्दू की शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राइमरी स्कूलों के लिये उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति का कोई प्राविधान नहीं है। विभाग द्वारा स्वीकृत प्राप्त होने पर उर्दू अध्यापक ग्रामीण प्राइमरी स्कूलों में भी नियुक्त किये जा सकते हैं। पिण्डरा विकास खंड के पिण्डरा, थानेरामपुर, बिधौरा गड़खड़ा, सरायखोख लाई, झारी झंझौर, हिरामनपुर, नदीय तथा उदपुर में स्थित प्राइमरी स्कूलों में उर्दू मात्र भाषा वाले छात्र नहीं हैं किन्तु इन स्थानों पर मुस्लिम जनसंख्या होने के कारण उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था होने पर उर्दू पढ़ने वाले छात्र मिल सकते हैं।

बड़ागांव विकास खंड में ग्राम बान्पुर, कूड़ी, नेवादा तथा बड़ागांव में मकतब चल रहे हैं जहां उर्दू की शिक्षा दी जाती है। विभागीय प्राविधान होने पर बाड़ीपुर, कूड़ी, नेवशदा, बड़ागांव कुवार तथा ठिरांव में स्थित प्राइमरी स्कूलों में उर्दू अध्यापक रखे जा सकते हैं।

4--प्राइमरी स्कूलों की आवश्यकता :--

क्रमांक	ग्राम का नाम	जनसंख्या	विवरण
पिंडरा	1--मरूइ	2836	प्राइमरी विद्यालय की आवश्यकता है।
	2--शाहपुर गिरधालपुर	1067	,, ,,
	3--अजईपुर	538	कन्या प्राइमरी स्कूल है।
	4--जयापुर	548	प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता है।
	5--रायनगर	785	,, ,,
	6--असवालपुर	670	,, ,,
बड़ागांव	1--कुसुमरा	840	प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता है।
	2--लखमीपुर	1293	,, ,,
	3--धनंजयपुर	895	,, ,,
	4--सिसवा	944	,, ,,
	5--पचरासी	679	,, ,,
	6--कविरामपुर	832	,, ,,
	7--फतेहपुर	867	,, ,,
	8--भरथरा	387	प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता नहीं है।

नवीन विद्यालय खोलने के लिए विभागीय आदेश प्राप्त होने पर इन स्थानों पर नवीन प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं।

ह० दयानीधि मिश्र,
उप विद्यालय निरीक्षक,
वाराणसी।

नत्थी 'थ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 194 का उत्तर पीछे पृष्ठ 489 पर ।)

सूची 'क'

ज्ञापन संख्या--36-2-83, दिनांक 18-2-83 का विवरण

(1) ज्ञात हुआ है कि आपके विश्वविद्यालय के नक्शे म और प्राइमरी स्कूल, एक जूनियर हाई स्कूल तथा विज्ञान एवं कृषि से इण्टर खोलने की योजना है ।

(2) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की मांग पर नवम्बर, 1980 में एक परिषदीय जूनियर हाई स्कूल खोला गया है जिसमें लगभग 60-70 विद्यार्थी विद्यार्जन करते हैं किन्तु विश्वविद्यालय में कोई प्राइमरी स्कूल खोलने की मांग नहीं की गयी है और न ही खोलने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ।

(3) जुलाई, 1982 में विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने अपना एक स्कूल विश्वविद्यालय परिसर में खोला जिसमें कक्षा 1 से 8 तक है किन्तु व्यवहार में कक्षा-5 तक ही चल रहा है जब कि अध्यापकों की नियुक्तियां कक्षा-8 तक के लिए पहले से ही कर ली गयी हैं ।

(4) अंग्रेजी माध्यम से चलने वाले परिसर स्कूल में केवल विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ही बच्चे प्रवेश पाते हैं ऐसा करना लार्ड मैकाले की छनाई के सिद्धान्त जैसा है ।

(5) ऐसी दशा में साधारण जनता के बच्चों का प्रवेश मार्ग बन्द हो गया है । जो बच्चे विश्वविद्यालय की मांग पर खोले गये परिषदीय जूनियर हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं । वे कक्षा 8 पास करने के बाद कहां पढ़ेंगे । एक ज्वलंत विषय बना है ।

(6) जहां इतना बड़ा विश्वविद्यालय खोला गया है वहां तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्र में विज्ञान एवं कृषि विज्ञान से इण्टर कालेज होना आवश्यक है । अतः हम अपने माननीय एवं न्याय प्रिय कुलपति महोदय से प्रार्थना करते हैं कि विश्वविद्यालय में कृषि एवं विज्ञान से इण्टर कालेज खोलने के लिए विभागीय आदेश दिये जावें तथा साथ ही साथ अंग्रेजी माध्यम से चल रहे परिसर स्कूल में यहां की जनता के बच्चों का भी प्रवेश किये जाने की व्यवस्था की जाये । हम आपके प्रति आभारी रहेंगे ।

ज्ञापन संख्या-37--2-83, दिनांक 18-2-83 का विवरण

(1) शासन के अनेक शासनादेशों जिसमें (1) कि गोपनीय पत्र भी हैं जिसे आप स्वयं जानते हैं कि जब तक प्रभावित किसानों को विश्वविद्यालय में नौकरी न मिल जाय तब तक उनके योग्य दर पर किसी भी बाहरी व्यक्ति की नियुक्ति न की जाय ।

(2) यहां के प्रभावित किसानों में कुछ कम पढ़े लिखें किसान भी हैं, ऐसी दशा में चतुर्थ श्रेणी की नौकरी देने के लिए अधिक उपयोगी हैं ।

(3) कृपया वरीयता सूची दी जावे, जिसके आधार पर अन्य अभ्यर्थियों का चनाव किया गया है।

(4) प्रभावी किसान संघ ने दिनांक 29-9-82, 4-12-82 तथा 24-1-83 को ज्ञापन देकर वरीयता सूची की मांग किया था। किन्तु उसकी आज तक उपेक्षा की जा रही है।

(5) फरवरी, 14, 15, 10, 16, 1983 को हुए साक्षात्कार में अ0 शा0 1858/1753/पी0 ए0 वी0 सी0, दिनांक 3 जनवरी, 1983 का विशेष ध्यान रखा जाय तथा जो कार्यवाही की जावे उससे प्रभावी किसान संघ को अवगत कराने की कृपा की जावे।

(6) ज्ञात हुआ है कि फरवरी 14, 15, 16 को हुये साक्षात्कार में आप बाहरी आदमी रख रहे हैं। वे कहां के हैं। ऐसे लोगों की संख्या क्या है ?

(7) आपके यहां जितनी जगहें थीं, और किस पद के लिए थी इनमें से आपने पहले किन किन पदों की पूर्ति कर ली है और कितने शेष हैं, कृपया इनका विवरण संघ को प्रेषित किया जावे।

(8) ज्ञात हुआ है कि विश्वविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु चुने जाने वाले अभ्यर्थियों में प्रभावित किसान संघ 1979 से बेकार इधर उधर मारे-मारे घूम रहे हैं। हमें अपनी जीविका निर्वाह करना दूभर हो रहा है। ऐसी दशा में प्रभावित किसानों का शत-प्रतिशत चयन करना न्याय संगत होगा।

(9) अभी भी डी0 एल0 सी0 पर बाहरी आदमियों को रखा जा रहा है। कृपया ऐसा न किया जाय तथा आगे आने वाले समय में यह आदेश पारित कर दें कि जब तक दूसरों को डी0 एल0 सी0 पर काम करने के लिए प्रभावित किसान मिलें तब तक दूसरों को डी0 एल0 सी0 पर न रखा जाय। इसके उपरान्त क्षेत्रीय लोगों को बरीयता दी जाय।

(10) हमारे प्रभावित किसानों में अनेक लोग बी0 ए0, एम0 ए0, बी0 एड0 आदि अच्छी योग्यता के लोग भी हैं। अतः लोगों को विश्वविद्यालय की सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा की जावे।

(11) बहुत से प्रभावित किसानों एवं प्रभावित महिलाओं ने विश्वविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी पद हेतु आवेदन-पत्र भेजा था, किन्तु उनका साक्षात्कार पत्र नहीं आया जिसके कारण अनेक प्रभावित कृषक साक्षात्कार में भाग लेने से वंचित रह गए।

नत्थी 'द'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 195 का उत्तर पीछे पृष्ठ 490 पर ।)

सूची 'क'

विश्वविद्यालय में भूमि अध्याप्ति से प्रभावित कृषकों के आश्रितों की सूची जिन्हें अब तक नियमित सेवा में रखा गया है :—

क्रम सं0	नाम	पता	पद	वेतनमान
1	2	3	4	5
1	श्री राम लायक	ग्राम तिन्दोली, पो0 चिरौली, जनपद फैजाबाद	अटेन्डेन्ट	165–215
2	श्री राज बक्स	ग्राम, पो0 नवां, जनपद फैजाबाद	टाइपिस्ट कम स्टोर कीपर	230–385
3	श्री साहब बक्स	ग्राम पो0 बवां, जनपद फैजाबाद	नलकूप चालक	175–250
4	श्री राम प्रताप	ग्राम शिवनाथ पुर, पो0 पिठला, फैजाबाद	कनिष्ठ लिपिक	200–320
5	श्री गया प्रसाद	,, ,,	सुरक्षा गार्ड	165–215
6	श्री देव शरण	,, ,,	,, ,,	165–215
7	श्री मलहू	ग्राम पो0 पिठला, जिला फैजाबाद	चौकीदार	165–215
8	श्री हरिश्चन्द्र सिंह	ग्राम पो0 जोरियम, जनपद फैजाबाद	एनिमल अटेंडेन्ट	165–215
9	श्री गोलई राम	ग्राम पो0 पिठला, जनपद फैजाबाद	मैसेन्जर	165–215
10	श्री जगदेव	ग्राम पो0 पिठला, जनपद फैजाबाद	,,	165–215
11	श्री त्रिवेनी सिंह	,, ,,	,,	165–215
12	श्री ब्रह्मादीन	ग्राम शिवनाथपुर पो0 पिठला, जनपद फैजाबाद	प्लाऊ मैन	165–215
13	श्री हीरा लाल	ग्राम व पो0 बवां, जिला फैजाबाद	,,	165–215

1	2	3	4	5
14	श्री राम बक्स	ग्राम व पो0 पिठला, जिला–फैजाबाद	प्लाऊ मैन	165–215
15	श्री कुंवर बहादुर	तदेव	चौकीदार	165–215
16	श्री इन्द्र जीत	ग्राम अकमां, पो0 बवां, जिला फैजाबाद	लाइब्रेरी अटेंडेन्ट	165–215
17	श्री ओम प्रकाश,	ग्राम व पो0 पिठला, जनपद फैजाबाद	मैसेन्जर	165–215
18	श्री सुधर नाथ	तदेव	वार्ड–व्याय कम–स्ट्रेचर बेयरर	165–215
19	श्री साहब दीन	तदेव	चौकीदार	165–215
20	श्री राम अभिलाख	ग्राम व पो0 पिठला, जनपद–फैजाबाद	हेल्पर मैसेन	165-215
21	श्री राम चन्द्र	तदेव	अटेन्डेन्ट	165–215
22	श्री शिव लाल	ग्राम–शिवनाथपुर पो0 पिठला, जनपद–फैजाबाद	चौकीदार	165–215
23	श्री नासिरुद्दीन	ग्राम व पो0 पिठला, जनपद–फैजाबाद	चौकीदार	165–215
24	श्री ओम प्रकाश	तदेव	चौकीदार	165–215
25	श्री ओंकार	ग्राम व पो0 जोरिग्रम, जनपद–फैजाबाद	लैव अटेन्डेन्ट	165–215
26	श्री सूर्य नारायण	तदेव	माली	165–215
27	श्री हौसिला प्रसाद	ग्राम–शिवनाथपुर, पो0 पिठला, जिला–फैजाबाद	चौकीदार	165–215
28	श्री राजित राम	ग्राम–अकमां, पो0 बवां, जिला–फैजाबाद	माली	165–215
29	श्री राम दीन	तदेव	अटेन्डेन्ट	165–215
30	श्री राम अभिलाख	तदेव	तदेव	165–215
31	श्री श्याम लाल	ग्राम–कल्यान, भतरसा पो0 रेथुवा, जनपद–फैजाबाद	तदेव	165–215

1	2	3	4	5
32	श्री पतिराज	ग्राम व पो0 पिठला, जनपद फैजाबाद	अटेन्डेन्ट	165–215
33	श्री सुखदेव	ग्राम शिवनाथपुर, पो0 पिठला, जनपद फैजाबाद	तदेव	165–215
34	श्री इब्राहीम	ग्राम व पो0 पिठला जिला फैजाबाद	लव अटेण्डेंट	165–215
35	श्री नन्हेराम	तदेव	अटेण्डेंट	165–215
36	श्री ताराकेश	तदेव	तदेव	165–215
37	श्री लल्लन पान्डेय	ग्राम–अकमां, पो0 बवां, जनपद–फैजाबाद	ट्यूबवेल आपरेटर	165–215

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ध'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 196 का उत्तर पीछे पृष्ठ 490 पर ।)

संलग्नक 1

दिनांक 28-2-83 के ज्ञापन तथा उस पर कृत कार्यवाही का पूर्ण विवरण निम्नवत है :—

ज्ञापन का विवरण	कृत कार्यवाही का विवरण
1—कृपया प्रभावी किसान संघ कुमारगंज को यह जानकारी प्रदान करने की कृपा की जाय कि आपके यहां कुल कितनी जगहें हैं कितनी जगहों की पूर्ति कर ली गई है । कितनी जगहों के लिए साक्षात्कार हुआ है, कितने के लिए आगे प्राविधान है	इस प्रस्तर में मांगी गई सूचना प्रभावी किसान संघ को उपलब्ध कराना औचित्य पूर्ण एवं विश्वविद्यालय के लिए हितकर नहीं पाया गया । यह कोई मान्यता प्राप्त संघ भी नहीं था ।
2—कृपया विश्वविद्यालय की सेवा में प्रभावित किसानों को शत प्रतिशत विश्वविद्यालय में रखा जाए अगर शत प्रतिशत नहीं रखा जा सकता है तो सरकार का उल्लेख किया जाए	भूमि अध्याप्ति से प्रभावित किसानों को एक ही समय में सभी को नौकरी में रखना संभव नहीं पाया गया फिर भी जैसे-जैसे रिक्तियां होंगी उन्हें विश्व-विद्यालय की सेवा में रखने का प्रयास किया जा रहा है ।
3—चूंकि प्रभावित किसानों में अधिकतर किसान अल्प शिक्षित हैं ऐसी दशा में चतुर्थ श्रेणी में हुए साक्षात्कार में यहां के किसानों को लिया जाना न्याय संगत है	परिनियम के अध्याय 13 (1) के अनुसार नियुक्तियां श्रेष्ठता के हिसाब से होनी चाहिए । चतुर्थ श्रेणी में जितनी रिक्तियां थी उनमें जिन कृषकों की पूरी भूमि गई थी और उन्होंने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था उन्हें वरीयता एवं उपयुक्तता के आधार पर विश्वविद्यालय की सेवा में रख लिया गया ।
4—प्रभावित किसानों की जो वरीयता सूची तैयार है उसी के अनुसार किसानों को स्थायी सेवाओं में एवं डी० एल० सी० में रखा जाय । डी० एल० सी० में जब तक काम करने के लिए प्रभावित किसान मिलें तब तक दूसरे मजदूरों को न रखा जाय	जिन कृषकों की भूमि अध्याप्त की गई है और वे विश्वविद्यालय में दैनिक श्रमिक के रूप में कार्य करना पसन्द करते हैं उन्हें विश्वविद्यालय में जब भी दैनिक श्रमिक की आवश्यकता होती है अन्य की अपेक्षाकृत पहले काम पर रख लिया जाता है ।

ज्ञापन का विवरण	कृत कार्यवाही का विवरण
5—प्रभावी किसान संघ 9-12-82 से आज तक बराबर पत्र व्यवहार करता आ रहा है और वरीयता सूची की मांग कर रहा है किन्तु अभी तक वरीयता सूची नहीं प्राप्त हुई है कृपया वरीयता सूची प्रदान कराने की कृपा की जाए	भूमि से प्रभावित कृषकों की एक सूची उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विश्वविद्यालय ने बना रखा है उसी के अनुसार विश्वविद्यालय की सेवा में इन्हें रखा जा रहा है। चूंकि इस प्रकार के अभिलेख जिला प्रशासन के पास उपलब्ध हैं। अतः प्रभावी किसान संघ यदि चाहे तो प्रभावित कृषकों की सूची जिला प्रशासन से प्राप्त कर लें। विश्वविद्यालय ने भी उक्त सूची उपलब्ध कराने के संबंध में जिला प्रशासन से अनुरोध किया है।
6—ज्ञात हुआ है कि 14, 15, 16 फरवरी, 1983 को हुए साक्षात्कार के चयन संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण हो गई है फिर भी चयनित अभ्यर्थियों के नाम नहीं प्रकाशित किया जा रहा है	माह फरवरी, 1983 में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु जो साक्षात्कार किया गया था उस पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश माह जुलाई, 1983 में जारी कर दिया गया।
7—ज्ञात हुआ है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की सांठ-गांठ से भूमि से प्रभावित कृषकों को गुमराह किया जा रहा है। वे प्रभावित कृषकों की बची हुई जमीन को न दिखाकर उन्हें वरीयता सूची में लाकर नौकरी में रखने का षड़यन्त्र रच रहे हैं	इस प्रस्तर में यह कहा गया है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की सांठ-गांठ से भूमि से प्रभावित कृषकों को गुमराह किया जा रहा है। वे प्रभावित कृषकों की बची भूमि को न दिखाकर उन्हें वरीयता की सूची में लाकर नौकरी में रखने का षड़यन्त्र रच रहे हैं। इस विषय में उल्लेख करना है कि संघ ने उन अधिकारियों के नाम को इंगित नहीं किया है अतः इस आरोप की पुष्टि नहीं हो पाती है। जिन कृषकों की पूरी भूमि वास्तविक रूप में ली गई है उन्हीं को विश्वविद्यालय में इस बार यदि उन्होंने आवेदन किया है तो उपयुक्तता के आधार पर रखा गया है।
8—भूमि अध्याप्ति से प्रभावित किसान 1979 से परेशान हैं किन्तु विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोगों पर सरकार की सहानुभूति होते हुए भी हम लोगों के साथ फिरंगियों की तरह व्यवहार कर रही है अतः प्रभावित किसानों का कोटा निर्धारित किया जाए	भूमि अध्याप्ति से प्रभावित कृषकों को एवं उनके आश्रितों को सेवा में रखा जाए इस सिद्धान्त को विश्वविद्यालय पहले ही अपना रखा है। विश्वविद्यालय में जो भी रिक्तियां होती हैं भूमि अध्याप्ति कृषकों के आश्रितों को निर्धारित अर्हता के अनुसार यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं तो नियुक्ति के समय उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। किसी प्रकार का कोई कोटा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

ज्ञापन का विवरण	कृत कार्यवाही का विवरण
9--प्रभावी किसान संघ जो भी पत्र व्यवहार आपसे करता है उसका उत्तर नहीं मिलता। बहुत पहले एक पत्र लिखा भी तो हमारी इस को स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है	प्रभावी किसान संघ के जो भी पत्र प्राप्त होते हैं विश्वविद्यालय के नियमानुसार उनका निस्तारण कर दिया जाता है।
10--कुछ अधिकारियों से प्रभावी किसान संघ का तथा प्रभावित किसानों के हित दोनों की आशा नहीं है। अतः अन्त में हम अपने माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करते हैं कि आप स्वयं इस संबंध में उन किसानों को जिनकी जमीनें विश्वविद्यालय में ले ली गई हैं, को नौकरी देने में सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनको विश्वविद्यालय में सेवा करने का अवसर प्रदान करने की कृपा की जावे	इस पैरा में यह उल्लेख किया गया है कि कुछ अधिकारियों से प्रभावी किसान संघ तथा प्रभावित किसानों के हित होने की आशा नहीं पाई जाती चूंकि न तो उन अधिकारियों का नाम दिया गया है और न ही किसी हित को न मानने के अवसर को दर्शाया गया है। अतः इस पर कोई कार्यवाही करना संभव नहीं है विश्वविद्यालय में भूमि से प्रभावित कृषकों के आश्रितों को वरीयता के आधार पर रखा जा रहा है। श्री दुबे समय-समय पर कुलपति, प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों से मिलते रहते हैं। इनकी समस्याओं का समाधान मौखिक अथवा लिखित रूप में जो भी संभव होते हैं विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता रहा है। विश्वविद्यालय के ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगाना निराधार है।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश